पंचम माला, खंड 34, अंक 34, सोमवार, 10 दिसम्बर, 1973/19 अग्रहायण, 1895 (शक)
Fifth Series, Vol. XXXIV, No. 34, Monday, December 10, 1973/Agrahayana 19, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 34 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. XXXIV contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 22, मंगलवार, 11 दिसम्बर, 1973/20 अग्रहायण, 1895 (शक)

No. 22, Tuesday, December 11, 1973/ 20 Agrahayana, 1895 (Saka)

ता०प्र०संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
423	गंडक परियोजना के लिए बिहार को सहायता	Assistance to Bihar for Gandak Project .	1
424	कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के निकटवर्ती क्षेत्रों को उपनगरीय क्षेत्र घोषित करना	Declaration of Sub-Urban areas around Calcutta, Bombay and Madras .	4
427	अंडमान द्वीप समूह में तेल और गैस की खोज	Exploration of Oil and Gas in Andaman Islands	9
428	फर्टीलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर इंजीनियरिंग वर्क्स के लिये आयात किये गये 'प्रेस ब्रेक' संयंत्र का उपयोग में न लाया जाना	Non-Utilization of the 'Press Brake' Plant imported for FACT Engineering .	11
429	औषध उद्योग में विदेशियों की अन्तर्ग्रस्तता का अध्ययन करने के लिये समिति	Committee to Study Foreigners' Stake in Drug Industry	13
430	अशोधित तेल की सप्लाई में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल का राशन	Rationing of Petrol in view of uncertainty in Crude Supplies	14
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
425	शिक्षित बेरोजगारों को पेट्रोल पम्पों का आवंटन	Allotment of Petrol Pumps to Educated unemployed	16
426	गोरखपुर अस्पताल (पूर्वोत्तर रेलवे) से औषधियों की चोरी	Pilferage of Drugs from Gorakhpur Hospital (North Eastern Railway) .	17

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
431	रेलवे अधिकारियों के संवर्गों का पुन-र्वर्गीकरण	Re-Classification of Railway Officers' Cadres	18
432	विदेशों से औषधियों के पेटेन्ट खरीदने का प्रस्ताव	Proposal to purchase Patents of Drugs from Foreign Countries . . .	18
433	पश्चिम रेलवे के कुछ रेलवे स्टेशनों पर वातानुकूलित विश्रामालयों का निर्माण	Construction of Airconditioned Retiring Rooms at Railway Stations (Western Railway)	18
434	दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान द्वारा मशीन का बेचा जाना	Disposal of Machinery by DESU . .	19
435	अजमेर स्टेशन (पश्चिम रेलवे) के सहायक स्टेशन मास्टरों को सुविधाएं	Facilities to Assistant Station Masters Ajmer Station (Western Railway) .	20
436	धनबाद डिवीजन (पूर्व रेलवे) में स्विचमैन के लिए छुट्टी रिजर्व	Leave Reserve for Switchman in Dhanbad Division (Eastern Railway). . .	20
437	स्कूटर और आटोरिक्शा मालिकों को रियायतें देने का प्रस्ताव	Proposal for giving Concessions to Scooter and Auto-Rickshaw Owners . .	21
438	गोदावरी बांध परियोजना पर व्यय	Expenditure on Godavari Barrage Project	21
439	विदेशी स्वामित्व वाली रसायनिक यूनिट द्वारा वस्तुओं की संयोजित बिक्री	Foreign owned Chemical Unit Resorting to Club Selling	22
440	रेलवे लेबर यूनियन (मद्रास) की गुन्टाकल डिवीजन समिति द्वारा ज्ञापन	Memorandum by Guntakal Division Committee of Railway Line Union (Madras).	22
441	अरब सागर में तेल की खुदाई को धक्का पहुंचना	Set-back to Oil Exploration in Arabian Sea.	24
442	भाखड़ा विद्युत सप्लाई में गड़बड़ी	Break-down in Bhakra Power Supply	24

अतारांकित प्र० संख्या

U.S.Q. No.

4142	महू-खण्डवा एक्सप्रेस में अक्टूबर, 1973 में एक कोच का न जोड़ा जाना	Absence of a Coach attached to Mhow-Khandwa Express in October, 1973	24
4143	नई उर्वरक परियोजनाओं के लिए एक अन्य सरकारी उपक्रम की स्थापना का प्रसताव	Proposal to set up another Public Sector Undertaking for new fertiliser Projects	25

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE S
4144	भारतीय उर्वरक निगम के गोरखपुर एकक के उत्पादन में कमी	Decline in production of Gorakhpur Unit of F.C.I.	25
4145	मध्य प्रदेश में सिंचाई और बिजली परियोजनाओं की प्रगति	Progress of Irrigation and Power Projects in M.P.	25
4146	बम्बई तथा कोचीन के बीच जयन्ती जनता एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का प्रस्ताव	Proposal to introduce Jayanti Janata Express train between Bombay and Cochin	26
4147	वरकला रेलवे स्टेशन (केरल) का विकास	Development of Varkala Railway Station (Kerala)	27
4148	प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को तैनात किये बिना ही रेल सुरक्षा बल का गठन	Composition of R.P.F. without deputationists	27
4149	वर्ष 1972 में दिल्ली न्यायिक सेवा संवर्ग में भर्ती	Recruitment of Delhi Judicial Service Cadre in 1972	28
4150	विदेशी औषध-निर्माता फर्मों की क्षमताओं का युक्ति करण	Rationalisation of capacities of foreign Drug Firms	29
4151	हजरत निजामुद्दीन और दिल्ली सफदर जंग तथा जींद और जाखल के बीच रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना	Cancellation of Trains between Hazrat-Nizamuddin and Delhi-Safdarjung and between Jind and Jakhal . . .	30
4152	दिल्ली के लिये तीसरा बड़ा रेलवे स्टेशन बनाया जाना	Third big Railway Station for Delhi .	30
4153	नरकटियागंज लाईन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर गाड़ियों का रद्द किया जाना	Train cancelled on Narkatiaganj Line (North Eastern Railway) . . .	31
4155	कांडला पत्तन पर नियुक्त किये गये भारतीय खाद्य निगम को ऋण स्वरूप दिये गय अधिकारियों की सेवा शर्तें	Terms and conditions of service of Officials Loaned to Food Corporation of India at Kandla Port . . .	31
4156	पूना में चिचंवाड़ नामक स्थान पर 'ग्लास एक्सोपोक्सी' संयंत्र	Glass exopoxy plant at Chichanwad, Poona	32

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4157	मथुरा में वायु एवं जल संदूषण	Air and Water Pollution in Mathura	32
4158	व्यापार गृहों द्वारा संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव	Proposal for setting up Plants by Business Houses	33
4159	अक्टूबर, 1973 में खान आलम-पुर यार्ड में विस्फोटक पदार्थ से भरे एक माल डिब्बे में आग का लग जाना	Railway wagons containing explosives caught fire at Khan Alampur Yard in October, 1973	34
4160	मध्य प्रदेश में दवाई उत्पादन में घोटाला	Scandal in Drug Manufacture in M.P. .	34
4161	मथुरा स्थित तेल शोधन कारखाने की गैस का ताजमहल पर प्रभाव	Effect of gas from Oil Refinery at Mathura on Taj Mahal	34
4162	दिल्ली से अहमदाबाद के बीच चलने वाली रेलगाड़ी में बिना टिकट यात्रा	Ticketless travelling in the train running from Delhi to Ahmedabad . .	35
4163	सुवर्णरेखा नदी में बाढ़ों को रोकने के लिये जलाशय का बनाया जाना	Setting up of reservoir to check floods in river Subarnarekha	36
4164	दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ो का जयपुर में देर से पहुंचना	Late Arrival of train at Jaipur from Delhi	36
4165	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भारतीय कृषक उर्वरक निगम को एसोसियेटिड गैस की मुफ्त् सप्लाई	Free supply of Associated Gas to I.F.F.C. by O. & N.G.C.	37
4166	इंडियन आरगेनिक केमीकल्स तथा श्री सिनथेटिक्स द्वारा एकाधिकारी फर्मों को चिप्स की सप्लाई	Supply of chips by the Indian Organic Chemicals and Shree Synthetics to Monopoly concerns	37
4167	रीवा में उर्वरक कारखाने की स्थापना	Setting of Fertiliser Factory in Rewa .	38
4168	'करप्शन इन कोर्ट्स इन इंण्डिया' नामक पुस्तक	Book entitled 'Corruption in Courts in India'	39
4169	अजमेर के पासेंल कार्यालय में कार्य कर रहे मैसर्स दलाल एण्ड कम्पनी के श्रमिकों द्वारा हड़ताल	Strike by the labour of M/s. Dalal and Company working in the Parcel Office, Ajmer	39

अता० प्र० संख्या / U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ / PAGES
4170	तृतीय श्रेणी के पदों पर वैकल्पिक नियुक्ति में खपाने के लिये वरिष्ठता के अभिप्राय के लिये सेवा को ध्यान में रखा जाना	Weightage of service for Seniority purpose for Absorption in Alternative Appointment in Class III Posts . . .	40
4171	टाटा, बिड़ला, साहू जैन तथा गोयंका उद्योग समूहों द्वारा लाभ की भारी राशि का परामर्श दात्री फर्मों को भुगतान	Payment of heavy amount of profit to consultancy Firms by Tata, Birla, Sahu Jain and Goenka Group of Industries	40
4172	कम्पनियों की लेखा पुस्तकों का निरीक्षण	Inspection of Account Books of Companies	41
4173	विदेशी कम्पनियों की शाखाओं की एक सूची सभा पटल पर रखा जाना	Laying on the Table of the House a list of Branches of Foreign Companies .	41
4174	भारत में अरब लीग मिशन के कार्यवाहक अध्यक्ष का कच्चे तेल की सप्लाई के बारे में कथित वक्तव्य	Reported Statement of Acting Chief of Arab League Mission in India Regarding Supply of Crude Oil . . .	42
4175	पेट्रोल के आयात पर अतिरिक्त खर्च	Additional Expenditure on Import of Petrol	42
4176	न्यायालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश	Summer Vacations in Courts	42
4177	बिहार के चम्पारन जिले के गांवों में मिट्टी के तेल का उपलब्ध न होना	Non-availability of Kerosene Oil in Villages of Champaran District of Bihar .	43
4178	मीटर गाज लाइनों को ब्राड गाज लाइनों में बदलने के लिये समय बाधित कार्यक्रम	Time-Bound Programme for converting Metre Guage Lines into Broad Guage Lines	43
4179	वर्दवान और रानीगंज स्टेशन के पुनर्निर्माण की योजनाएं	Plans for Remodelling the Burdwan and Raniganj Stations	44
4180	पूर्व रेलवे के बर्दवान-आसनसोल सैक्शन के उपनगरीय क्षेत्र का विस्तार करना, सैक्शन सम्बन्धी क्षमता तथा टर्मिनल सुविधाओं को बढ़ाना तथा प्लेट फार्मों को ऊंचा करने संम्बन्धी कार्यक्रम	Programme to increase sectional capacity and Terminal facilities to raise level of Platforms and to extend the Suburban Area of Burdwan-Asansol Section on Eastern Railway	44
4182	हरसना कलां हाल्ट स्टेशन का कार्यकरण	Functioning of Harsana Kalan Halt Station	44

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4183	भारतीय उर्वरक निगम के अधिकारियों का हस्तान्तरण	Replacement of Officials of Fertilizer Corporation of India . . .	45
4184	गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना सम्बन्धी प्रस्तावों पर पुनर्विचार	Reconsideration of proposals for setting up Fertilizer Plants in Private Sector .	45
4185	गाजियाबाद बुकिंग एजेन्सी से माल की बुकिंग सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन	Infringement of Rules Re. Booking on Consignments from Ghaziabad Booking Agency . . .	46
4186	नई दिल्ली स्टेशन पर नैमित्तिक श्रम की दरों पर काम कर रहे कुली	Luggage Porters working on Casual Labour Rates at New Delhi Station .	46
4187	तदर्थ नियुक्तियों के स्थान पर अध्यापकों का चुनाव तथा नियुक्ति (पश्चिमी रेलवे)	Selection and Posting of Teachers in place of Ad Hoc Arrangements (Western Railway)	47
4188	भारतीय खाद्य निगम निदेशकों को दी गयी सुविधायें	Facilities provided to Directors of F.C.I.	48
4189	दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों का उपचार करने हेतु डाक्टरों का पैनल	Panel of Doctors for the Treatment of F.C.I. staff in Delhi	48
4190	भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को चिकित्सा सम्बन्धी व्यय की प्रतिपूर्ति तथा दिल्ली में उन पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लागू किया जाना	Reimbursement of Medical Charges to Employees of F.C.I. and their coverage under C.G.H.S. in Delhi . . .	49
4191	लोअर गोदावरी क्षेत्र से फालतू जल को सम्पर्क नहरों के माध्यम से कृष्णा बेसिन में लाने की योजना	Scheme regarding transfer of Surplus Water from Lower Godavari Area to Krishna Basin through Link Canals .	49
4192	दक्षिण-मध्य रेलवे पर गाड़ियों का डीजलीकरण	Dieselisation of Trains on South Central Railway	49
4193	मिराज जंकशन रेलवे स्टेशन (दक्षिण-मध्य रेलवे) की विकास योजना	Scheme to Develop Miraj Junction Railway Station (S.C. Railway) . .	50

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4194	इंस्पेक्टर आफ वर्क्स (सी), बम्बई डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के अधीन काम करने वाले 'इरेक्टरों' सिरंगों' तथा खलासियों की छंटनी	Retrenchment of Erectors, Serangs and Khalasis working under IOW(C) Bombay Division (Western Railway) . .	50
4195	खाद्यान्न की सप्लाई के लिए केरल में रेल श्रमिकों द्वारा आन्दोलन	Agitation by Railway workers in Kerala for supply of Foodgrains . . .	51
4196	मालदा से सियालदह तक 18 अगस्त 1973 को चलाई गई विशेष गाड़ी	Special Train from Malda to Sealdah run on 18th August, 1973 . . .	51
4197	रीवा डिवीजन में दो लाइनें बिछाना	Laying of two Railway Lines in Rewa Division	51
4198	रेल कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली यात्रा के लिये किराया वसूल करने का प्रस्ताव	Proposal to charge Fares for Journeys undertaken by Railway Employees .	52
4199	आन्ध्र प्रदेश द्वारा तुंगभद्रा परियोजना 'हाई लेवल कैनाल' योजना के लिए माँगी गई सहायता	Assistance sought by Andhra Pradesh for Tungabhadra Project High Level Canal Scheme	52
4200	आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा-गोदावरी जल निस्सारण योजनाओं पर हुआ व्यय	Expenditure incurred on Krishna-Godavari Drainage Schemes in Andhra Pradesh	53
4201	तिरूपति-काटपाडी लाइन को ब्राड गैज में बदलना	Conversion of Tripathi-Katpadi Line into Broad Gauge	54
4202	डी० बी० के० रेल लाइन चालू करने के बारे में आन्ध्र प्रदेश से अभ्यावेदन	Representation from Andhra Pradesh regarding opening of D.B.K. Railway line	54
4203	हैदराबाद-हावड़ा तथा हैदराबाद-मद्रास लाइनों पर गाड़ियों में शीघ्र डीजल इंजन लगाना	Speedier Dieselisation of Trains on Hyderabad-Howrah and Hyderabad-Madras lines	55
4204	गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम के उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि	Increase to Prices of Petroleum Products during last three years . . .	55
4205	समस्तीपुर में जयन्ती जनता गाड़ी का उद्घाटन समारोह	Inaugural function of Jayanti Janta train at Samastipur	56
4206	समस्तीपुर डिवीजन (उत्तर रेलवे) में रेल कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Railway Employees of Samastipur Division (Northern Railway) .	56
4207	वोदरा पश्चिमी बंगाल में तेल के लिए ड्रिलिंग तथा इस पर हुआ व्यय	Oil Drilling at Bodra in West Bengal and expenditure incurred thereon . .	57

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4208	भारतीय रेलवे के विभिन्न जोनों में समय पर चलने वाली गाड़ियों की प्रतिशतता	Percentage of Trains running in Time on various Zones of Indian Railways .	57
4210	पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे के महा-प्रबन्धक के समक्ष आल इंडिया स्टेशन मास्टर्ज एसोसियेशन द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by All India Station Masters' Association before General Manager Eastern and South-Eastern Railways	58
4211	सेवा निवृति लाभों का शीघ्रता से भुगतान करने के लिए कार्यवाही	Steps to make expeditious payment of retirement benefits	58
4212	रेलवे के विभिन्न जोनों में नियुक्त ठेका श्रमिक	Contract labour employed in Railways in different Zones . . .	59
4213	गाड़ियों में यात्रियों की जान तथा माल की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय	Steps proposed to be taken for the safety of life and property of passengers in trains	59
4214	बिड़ला बन्धुओं द्वारा मथुरा फाइबर ग्लास संयंत्र के लिए दिया गया आवेदन-पत्र का वापस लिया जाना	Withdrawal of application for Mathura Fibre glass plant by the Birlas . .	60
4215	1973–74 के दौरान रेलवे की आय में कमी	Reduction in Railway's income during 1973-74	61
4216	तापीय बिजलीघरों में कोयले का संकट	Coal crisis in Thermal Power Stations .	61
4217	व्यास-सतलुज परियोजना का निष्पादन	Execution of Beas-Sutlej Project . .	62
4218	भारतीय रेलवे में लेखा कार्यालयों के कार्यकरण के बारे में आदेशों का जारी किया जाना	Issue of Instructions on Functioning of Accounts Officers on Indian Railways . .	62
4219	राज्यों में सिंचाई	Irrigation in States	63
4220	महाराष्ट्र को सिंचाई के लिए सहायता	Assistance to Maharashtra for Irrigation	64
4221	हाइड्रोलिक, डीजल तथा परमाणु स्रोतों से विद्युत् पैदा करना	Generation of Power from Hydraulic Diesel and Atomic Sources	64

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4222	गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा कार से यात्रा करने पर रोक लगाने का प्रस्ताव	Proposal to Curb Car travel by private Companies	64
4223	व्यास नदी के जल के बटवारे के बारे में पंजाब एवं हरियाणा के मुख्य मंत्रियों की बैठक	Meeting of Chief Ministers of Punjab and Haryana on sharing of Beas Water .	65
4224	सिन्धु जल संधि के अन्तर्गत सतलज व्यास और रावी नदियों के जल का उपयोग	Utilisation of Water of Rivers Sutlej, Beas and Ravi under Indus Water Treaty .	65
4225	नंगल उर्वरक कारखाने तथा दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान से विद्युत् संबंधी राहत के बारे में पंजाब सरकार से अभ्यावेदन	Representation from Punjab regarding Power relief from Nangal Fertilizer Factory and DESU . . .	65
4226	पंजाब में लघु उद्योगों तथा कृषि नल कूपों को बिजली की सप्लाई	Release of Power for Small Industries and Agricultural Tube-well Operations in Punjab	66
4227	नया नंगल उर्वरक कारखाने के स्थान परिवर्तन के बारे में अनिश्चितता	Uncertainty over re-location of Naya Nangal Fertiliser Factory . . .	66
4228	उत्तर बंगाल के डालखोला में तापीय परियोजना की स्थापना	Setting up of Thermal Project at Dalkhola in North Bengal	67
4229	बिहार में बिजली परियोजना	Power Project in Bihar	67
4230	अप्पर साकेरी जलाशय, तालाई डाइवरजन और मोहाना जलाशय योजनाओं की क्रियान्विति	Implementation of Upper Sakeri Reservoir, Talai Diversion and Mohana Reservoir Schemes	67
4231	बिहार के गया जिले में पुन पुन नदी पर नहर और बांध का निर्माण	Construction of a Canal and Barrage on Pun Pun River in Gaya District of Bihar	68
4232	कोयला मुहानों पर बड़े ताप बिजली घरों की स्थापना	Setting up of big Thermal Power Plants at Coal Pit Heads	68
4233	पंजाब में बिजली उत्पादन	Generation of Electricity in Punjab . .	69
4235	सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं	Rural Electrification Projects in Border Areas	69
4236	वर्ष 1973 के दौरान सौराष्ट्र क्षेत्र में रद्द की गई गाड़ियां	Trains cancelled in Saurashtra Region during 1973	69

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4237	कोयला साधनों से सिंथेटिक तेल का उत्पादन करने के लिए योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाएं	Plans prepared by Planning Commission for producing synthetic oil from Coal resources	70
4238	दिल्ली-हावडा राजधानी एक्सप्रैस में घटिया किस्म के भोजन का दिया जाना	Poor quality of food served in Delhi-Howrah Rajdhani Express . .	70
4239	18 वर्ष की आयु में मताधिकार का दिया जाना	Granting of voting right at the age of 18 years	71
4240	मनीपुर में लोकटक बहुउद्देशीय परियोजना के लिए सुरंग का निर्माण	Construction of Tunnel for Loktak Multi-purpose Project in Manipur .	71
4241	इम्फाल स्थित गौहाटी उच्च न्यायालय की स्थायी न्याय-पीठ	Permanent Bench of Gauhati High Court at Imphal	72
4242	सिल्चर और जिरीबम के बीच रेलवे लाइन	Railway Line between Silchar and Jiribam	72
4243	रेलवे स्टेशनों पर सफाई का स्तर ऊंचा उठाने का कार्यक्रम	Programme to raise the standard of cleanlinesson the Railway Stations . .	72
4244	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अमरीकी विशेषज्ञों के सहयोग से तेल छिद्रण में विलम्ब	Delay in oil drilling by O. & N.G.C. in collaboration with American Experts .	73
4245	हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के विद्युतीकरण के लिये ऋण	Loan for Electrification of Bilaspur District of Himachal Pradesh . .	73
4246	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिलासपुर के तलाई क्षेत्र का सर्वेक्षण	Survey by O. & N.G.C. for Natural Gas in Talai area of Bilaspur . . .	74
4247	हिमाचल प्रदेश में रेलवे आउट-एजेन्सियों के असंतोषजनक कार्य के बारे में अभ्यावेदन	Representation on unsatisfactory working of Railway out-agencies in Himachal Pradesh	74
4248	श्रेणी तीन और श्रेणी चार के कर्मचारियों के अन्तर्क्षेत्रीय स्थानान्तरण के बारे में नियम	Rules Governing the inter-zonal transfers of Class III and Class IV employees in Railways	75
4249	भारतीय रेलवे द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं की प्रकाशन की अवधि तथा उनकी बिक्री	Periodicity and circulation of magazines published by Indian Railways . .	75

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4250	वर्ष 1971 में संसद के चुनावों पर हुआ व्यय	Expenditure incurred on elections to Parliament in 1971	76
4251	उड़ीसा (दक्षिण पूर्व रेलवे) में तालचेर से बिमलागढ़ तक रेलवे लाइन	Railway line from Talcher to Bimlagarh in Orissa (South Eastern Railway) .	76
4252	मशीनी तेलों की कीमतें	Prices of lubricants	76
4253	पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्वी रेलवे स्टेशनों पर विश्रामालयों तथा शयनशालाओं की स्थिति सुधारने के लिये कार्यवाही	Steps to improve conditions of retiring rooms and dormitories on the stations of North Eastern Railway and Eastern Railway	77
4254	रेल कर्मचारियों की हड़ताल के कारण रेल गाड़ियों का रद्द किया जाना	Cancellation of trains due to strike by the Railway employees	77
4255	इलाहाबाद में उचित करार को पूरा किये बिना कार्य कर रही निजी तथा सहायता-प्राप्त साईडिंग	Private and Assisted Sidings functioning on Allahabad Division without executing proper Agreements	78
4256	इलाहाबाद के डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट के कार्यालय से फाइलों का गुम होना	Files missing from the Office of Divisional Superintendent, Allahabad . .	78
4257	रेलवे में समय-समय पर कर्मचारियों का स्थानान्तरण	Rotational transfer of Employees on Railways	79
4258	कानपुर सेन्ट्रल और इलाहाबाद स्टेशन पर बिना लाइसेन्स के खोमचेवालों द्वारा अनधिकृत वस्तुओं का विक्रय	Sale of unauthorised articles by unlicenced Vendors at Kanpur Central and Allahabad Station	80
4259	चौथी योजना के दौरान तेल शोधन क्षमता के लक्ष्य	Target for refining capacity during Fourth Plan	80
4260	हावड़ा स्टेशन पर भीड़भाड़ कम करने के लिए कार्यवाही	Steps taken to relieve congestion at Howrah Station . .	81
4261	मैसर्स रेणुसागर पावर कम्पनी का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of M/s. Renusagar Power Company . .	81
4262	उज्जैन में नील गंगा पर रेलवे उपरि पुल की मांग	Demand for Railway Overbridge on Neel Ganga at Ujjain . .	82
4263	गत पांच महीनों के दौरान पश्चिम रेलवे पर दुर्घटनायें	Accidents on Western Railway during the last five months	82

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4264	विगत पांच महीनों में पश्चिम रेलवे में रेलवे सम्पत्ति की चोरी	Theft of Railway property on Western Railway during the last five months	82
4265	जी० एम० सी० इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) के सहायक स्टेशन मास्टरों को शिक्षा शुल्क वापस करना	Reimbursement of Tuition fees to Assistant Station Masters, GMC, Allahabad Division (Northern Railway) . .	83
4266	इलाहाबाद (उत्तर रेलवे) के जी०एम० सी० के सहायक स्टेशन मास्टरों को समयोपरि भत्ते का न दिया जाना	Non-payment of Overtime Allowance to Assistant Station Masters of G.M.C., Allahabad Division (Northern Railway)	83
4267	बड़ौदा क्षेत्र के नैरो गैज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना	Conversion of Narrow Gauge Lines into Broad Gauge of Baroda Region . .	84
4268	साबरमती (पश्चिमी रेलवे) में नई रेलवे कालोनी को गन्दे पानी की सप्लाई	Supply of Unhygienic Water to new Railway Colony at Sabarmati (Western Railway)	84
4269	बिहार के दर भंगा जिले में बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई परियोजना की क्रियान्विति के लिये धांस बागमती नदी का सर्वेक्षण	Survey of Dhans-Bagmati River for Implementation of flood control-cum-irrigation project in Darbhanga District of Bihar	84
4270	बिहार में खिरोई नदी पर स्लूस फाटक एवं पुल बनाना	Construction of Sluice gate-cum-bridge over river Khiroi in Bihar . . .	85
4271	केन्द्रीय कानूनों का प्रमाणित हिन्दी संस्करण	Authentic Hindi version of Central Acts .	86
4272	किराये तथा माल भाड़े में वृद्धि किये जाने के बावजूद संचयी घाटा	Cumulative Deficit consequent upon increase in Fares and Freights . .	86
4273	निर्वाचन विधि सम्बन्धी मैनुअल का हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशन	Publication of Manuals on Election Laws in Hindi and English . . .	87
4274	इंण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा बर्माशैल आयल कम्पनी के समूचे पेट्रोल व्यापार को अपने हाथ में लिया जाना	Taking over entire Petroleum Trade of Burmah Shell Oil Company by I.O.C. .	87
4275	शराफ्स द्वारा नोट गिनने तथा रेलवे में मुख्य बुकिंग क्लर्कों द्वारा नोट गिनने के लिये निर्धारित मानदंड	Yard stick fixed for counting currency Notes by Shroffs and Chief Booking Clerks on Indian Railways . .	87

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4276	औषध निर्माता विदेशी फर्मों को जारी किये गये सी० ओ० बी० लाइसेन्सों में उत्पादन क्षमताओं का निर्धारण	Specifying capacities of Production in C.O.B. Licences issued to foreign drug firms	88
4277	विदेशी औषध निर्माता फर्मों को दिये गये सी० ओ० बी० लाइसेंसो में उत्पादन मूल्य का निर्धारण	Specifying value of Production covered by C.O.B. Licences issued to foreign Drug firms	88
4278	इन्सपैक्टर आफ वर्क्स (दक्षिण मध्य रेलवे) के अधीन काम करने वाले नैमित्तिक कर्मचारियों को न्यूनतम मजूरी की अदायगी	Payment of Minimum wages to Casual Labourers under I.O.W. (South Central Railway)	90
4279	इन्सपैक्टर आफ वर्कस काजीपेट (दक्षिण मध्य रेलवे) के अधीन काम करने वाले नैमित्तिक कर्मचारियों के स्थानान्तरण	Transfer of Casual Labourers working under I.O.W., Kazipet (South Central Railway)	91
4280	इन्सपैक्टर आफ वर्कस काजीपेट (दक्षिण मध्य रेलवे) के अधीन नैमित्तिक कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल	Hunger Strike by Casual Labourers under I.O.W. Kazipet (South Central Railway)	91
4281	उत्तर प्रदेश को भाखड़ा से बिजली की सप्लाई	Power Supplied to U.P. through Bhakra .	92
4282	उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा और अधिक मिट्टी के तेल की मांग	Demand by Chief Minister of U.P. for more Kerosene Oil . . .	92
4283	दिल्ली-शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे को पुनः चालू करना	Re-start of Delhi-Shahdara-Saharanpur Light Railway	93
4284	लकड़ी के स्लीपरों के स्थान पर कंक्रीट के स्लीपर लगाना	Replacement of sleepers by Concrete cast iron and wooden sleepers . . .	93
4285	वर्ष 1970–71 और 1971–72 के दौरान रेलवे माल भाड़े का गबन करने में अन्तर्ग्रस्त रेलवे कर्मचारी	Railway Employees involved in embezzlement of Railway Freight during 1970-71 and 1971-72	93
4286	वर्ष 1971–72 के दौरान कपड़े तथा अन्य वस्तुओं की क्षतिपूर्ति के दावों के भुगतान की प्रतिशतता	Percentage of payments made in respect of compensation for cloth and other Articles during 1971-72	94

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4287	नवपाड़ा और बाड़ा नगर (पूर्वी रेलवे) में नये रेलवे स्टेशनों की मांग	Demand for New Railway Stations at Nawpara and Baranagar (Eastern Railway)	95
4288	बिहार के भागलपुर जिले में गांवों का विद्युतीकरण	Electrification of villages in Bhagalpur District of Bihar . . .	95
4289	नाथद्वारा स्टेशन को स्थानान्तरित करने की योजना	Scheme to shift Nathdwara Station .	96
4290	आदिवासी क्षेत्रों में रेलवे स्टेशन	Railway Stations in Adivasi Areas . .	97
4291	विभिन्न सेक्शनों पर वर्ष 1971–72 और 1972–73 के दौरान रेलवे सम्पत्ति की चोरियां	Theft of Railway Property in various Sections during 1971-72 and 1972-73 .	97
4292	भारत-बंगला देश नदी आयोग की बैठक	Meeting of Indo-Bangladesh Rivers Commission	98
4293	सार्वजनिक न्यास विधेयक 1968 पुर: स्थापित किया जाना	Introduction of Public Trusts Bill, 1968	99
4294	गुजरात में भावनगर, तारापुर तथा कपाडवंज-मोडासा नई रेल लाइनें	Bhavnagar-Tarapur and Kapadvanj-Modasa New Railway Lines in Gujarat .	99
4295	मतारी तथा गोमोह के बीच ब्लाक सैक्शनों में मोटर-टायरों से लदे माल-डिब्बों का लूटा जाना	Looting of Wagon containing Motor Tyres in Clock Sections between Matari and Gomoh	100
4296	व्यय में कटौती का ट्यूब रेलवे परियोजना, कलकत्ता पर प्रभाव	Effect of curtailment of Expenditure on Tube Railway Project for Calcutta .	100
4297	कलकत्ता के हावड़ा हुगली जिल्लों में मार्टिन बर्न रेलवे को अधिकार में लेना	Take-over of Martin Burn Railways in Howrah-Hooghly Districts of Calcutta .	101
4298	एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की स्वीकृति के प्रतीक्षा में पड़े औद्योगिक लाइसेन्स	Industrial Licences Awaiting Clearance by MRTP Commission . .	101
4299	पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि तथा इसके परिवहन व्यवस्था पर प्रभाव के बारे में आन्दोलन	Agitation over price rise of Petroleum Products and its impact on Transport .	101
4300	विद्युत संयंत्रो की खराबी से हुई हानि	Loss incurred due to Breakdown of Power Plants	102

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4301	विदेशी औषध निर्माता फर्मों की मुनाफे संबंधी विवरणियां प्राप्त होना	Receipt of Profitability returns of Foreign Drug Firms .	103
4302	औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की औषधियों विषयक सिफारिशों पर निर्णय	Decision on Recommendations of the Bureau of Industrial Costs and Prices on Drugs	105
4303	एलकिल बेंजीन की आवश्यकता, उत्पादन तथा आयात	Requirements, Production and Import of Alkyl Benzene . . .	106
4304	एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की धारा 26 के अधीन पंजीकृत कम्पनियां	Companies Registered under Section 26 of the MRTP Act	106
4305	दादरा और नगर हवेली क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines in Dadra and Nagar Haveliareas	107
4306	कुकिंग गैस एजन्सियों के लिए दादरा और नगर हवेली के लोगों से आवेदन पत्र	Applications from Persons in Dadra and Nagar Haveli for Cooking Gas Agencies	107
4307	दादरा और नगर हवेली में दी गयी गैस एजेन्सियां	Gas Agencies given in Dadra and Nagar Haveli	107
4308	उत्तर रेलवे के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अनिर्णीत मामले	Corruption Cases pending against certain Officersof Northern Railway . .	108
4309	अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर एसोसियेशन द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by All India Station Masters' Association . . .	109
4310	सहायक स्टेशन मास्टरों (205-280 रु० का वेतनमान) को स्टेशन मास्टरों (205-280 रुपए के वेतनमान) के रूप में पदोन्नत करने के लिए पदोन्नति प्रणाली और संयुक्त वरिष्ठता सूची	Promotion Course for Assistant Station Masters (Grade Rs. 205-280) to Station Masters (Grade Rs. 205-280) and Combined seniority List	109
4311	सिन्दरी फर्टीलाईजर फैक्टरी द्वारा सल्फर एसिड का उत्पादन	Production of Sulphur Acid by Sindri Fertilizer Factory	110
4312	वैकल्पिक विद्युत संसाधनों की खोज	Search for Alternative Power Resources	110

48 LSS/73—2.

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4313	बंगला देश को पैट्रोल की सप्लाई	Supply of Petrol to Bangladesh . .	111
4314	पैट्रोल संकट के बारे में व्यक्तव्य	Statement on Petrol Crisis . .	111
4315	विशिष्ट व्यक्तियों को गैस की सप्लाई	Supply of Gas to V.I.Ps. . . .	111
4316	रेलवे वर्कशाप झांसी (मध्य रेलवे) का मासिक उत्पादन (आऊट टर्न)	Monthly Out-turn of Railway workshop, Jhansi, (Central Railway) . . .	112
4317	रेलवे में अराजपत्रित अधिकारियों को स्थायी बनाना	Confirmation of non-Gazetted Officers in Railways	113
4318	गुजरात में बिजली की कमी	Power Shortage in Gujarat . . .	113
4319	गुजरात में जल तथा जल-निस्सारण योजनायें	Water and Drainage Schemes for Gujarat	114
4320	बड़ौदा में उकई संयंत्र को हुई क्षति	Damage to Ukai Plant in Baroda . .	114
4321	रेलवे कर्मचारियों में असन्तोष	Discontentment among Railway Employees	115
4322	ट्राम्बे फर्टिलाइजर्स फैक्टरी में तालाबन्दी	Lock out at the Trombay Fertilizer Factory	116
4323	तमिलनाडु में सिंचाई योजनायें	Irrigation Schemes in Tamil Nadu .	116
4324	रेलवे निर्माण परियोजनाओं में कर्मचारी रिजर्व रखना	Employees reserve for Railway Construction Projects	117
4325	कांडला बन्दरगाह पर तेल लाने ले जाने के लिये सुविधायें	Facilities for Oil Traffic at Kandla Port .	118
4326	"अरब आयल कट टू कन्टिन्यू" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार	News captioned 'Arab Oil cut to continue'	118
4327	आगामी 80 वर्षों में विश्व पैट्रोल का समाप्त हो जाना	World will be without petrol in 80 years	119
4328	मध्य प्रदेश में कोरबा में विद्युत संयंत्र का कार्यकरण	Working of Power Plant at Korba in M.P.	119
4329	विद्युत् प्रदाय अधिनियम तथा विद्युत् बोर्ड अधिनियम में संशोधन	Amendment of Electricity Supply and Electricity Board Act . . .	120
4330	तापीय बिजली घरों को कोयले की सप्लाई	Supply of coal to Thermal Power Stations	120

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4331	चौथी योजना में शामिल केरल की सिंचाई और विद्युत् परियोजनायें	Irrigation and Power Projects of Kerala included in Fourth Plan . . .	121
4332	कोचीन तेल शोधक कारखाने का विस्तार	Expansion of Cochin Oil Refinery .	122
4333	पानीपत और पिलखुआ (उत्तर-रेलवे) से बुक की गई हथकरघा कपड़े की गांठों पर प्रतिबन्ध	Restriction on bales of Handloom Cloth booked from Panipat and Palkhua (Northern Railway)	122
4334	वैद्यनाथ धाम (देवघर) रेलवे स्टेशन पर विश्राम-गृह और शयनगृह बनाने के लिये की गई प्रस्तावित कार्यवाही	Steps proposed to be taken to provide retiring room and dormitory at the Baidyanath Dham (Deoghar) Railway Station	122
4335	चार्टर्ड एकाऊंटेन्ट्स की परीक्षा का माध्यम	Medium of examination of Chartered Accountants	123
4336	रेलवे बुक स्टालों पर अखिल भारतीय रेलवे समय-सारणी के हिन्दी संस्करण की उपलब्धता	Availability of Hindi All India Railway Time Table at Railway Book Stalls .	123
4337	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में नियुक्ति की गई राजभाषा क्रियान्विति समिति	Official language implementation Committee set up in the Ministry of Irrigation and Power	124
4338	राजस्थान में पैट्रोल और गैस के लिए सर्वेक्षण	Survey for Petrol and Gas in Rajasthan .	125
4340	स्टाक में टिकटों की गणना के लिये पश्चिमी रेलवे के स्टेशनों पर कर्मचारियों की नियुक्ति	Posting of Staff at Stations of Western Railways for counting tickets in stock .	125
4341	पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के वाणिज्यिक क्लर्कों पर मानदण्ड का लागू होना	Applicability of yardstick for Commercial Clerks on North Eastern Railway and Northeast Frontier Railway . .	126
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance .	126
नेपाल सरकार द्वारा नेपाल में विदेशी कम्पनियों द्वारा आयात-निर्यात संबंधी व्यापार करने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने का समाचार		Reported ban imposed by Nepal Government on import-Export transactions in Nepal by foreign companies . .	126
श्री शशि भूषण		Shri Shashi Bhushan . .	128
श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय		Shri D. P. Chattopadhyaya . .	128

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	130
रेल अभिसमय समिति	Railway convention committee	131
अंतरिम प्रतिवेदन	Interim Report . .	131
6 दिसम्बर 1973 को ध्यानाकर्षण के दौरान दी गई जानकारी को शुद्ध करने के सम्बन्ध में व्यक्तव्य	Statement re. correction of Information given during Calling Attention on 6-12-73	131
श्री शाहनवाज खां	Shri Shahnawaz Khan . .	131
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेल)--1973-74	Supplementary Demands for Grants (Railways), 1973-74 . . .	131
विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement presented	131
नियम 377 के अधीन मामला	Matter under Rule 377 . . .	131
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा संविधान का कथित उल्लंघन	Alleged violation of the Constitution by UP Governor	131
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प --अस्वीकृत हुआ	Statutory Resolution Re. Disapproval of Central Excisee and Salt (Amendment) Ordinance—Negatived . . .	132
और	and	
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण (दूसरा संशोधन) विधेयक	Central Excise and Salt (Second Amendment) Bill	132
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	132
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1 .	133
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	134
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	135
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	135
दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक	Code of Criminal Procedure Bill	
चर्चा पुनः प्रारंभ किया जाना खंड 106 से 110, 116, 125, 127, 144 और 167	Discussion resumed clauses 106, to 110, 116, 125, 127, 144 and 167 . .	136

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 11 दिसम्बर 1973/20 अग्रहायण, 1895 (शक)

Tuesday, December 11, 1973/Agrahayana 20, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Assistance to Bihar for Gandak Project

423. **Shri Bibhuti Misra** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the total amount given to the Government of Bihar by the Central Government upto the 16th November, 1973 for Gandak Project;

(b) whether from the amount spent any estimate has been made about the value of work done;

(c) the extent of benefits being received as compared to the money spent so far; and

(d) the time by which the Gandak Project is expected to be completed and the additional estimated outlay involved therein?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Sidheshwar Prashad):

(a) to (c) Central assistance to the States is being provided in the form of block loans and grants, and is not related to any individual head of development or project. Thus it is not possible to indicate the amount given to the Government of Bihar by the Central Government for the Gandak Project. The Government of Bihar have, however, reported an expenditure of Rs. 100.9 crores on the Gandak Project upto the end of March, 1973. The details of the quantum of work done under different components and the expenditure thereon are not available with the Centre.

The irrigation potential created by the Gandak Project in Bihar upto March, 1973, is 3.5 lakh hectares.

(d) The Gandak Project is scheduled to be completed by 1976-77. The additional estimated outlay for Bihar, beyond the reported expenditure upto March, 1973, is Rs, 12.00 crores for 1973-74 and Rs. 50.86 crores in the fifth five year plan.

Shri Bibhuti Misra : Mr. Speaker, Sir, the question which I had asked has not been replied to in the statement. I want to know as to how long would it take to execute the Gandak Project? Secondly, the area of land to be irrigated in each of the states has also not been mentioned in the statement. It has been mentioned in the statement that three and a half lakh hectares of land is irrigated in U.P., Bihar and Nepal, but State wise break-up has not been given in it. Nearly, One hundred crores of rupees have already been spent and according to them approximately 9 lacs of land is being irrigated, but recently you saw that there was hue and cry in the N.D.C. meeting that the inflation is growing and all the Sugrivas and the Jamwantar were there. A period of twelve years has already elapsed, even now the government is not in a position to state the time by which the Government would complete the Project. I would threrefore, like to know whether the Central Government is bent upon completing the Project and whether the former chief Minister, Shri Kedar Pandey had written to the Central Government that they were handing over this Project to the Central Government and whether the Central Government is prepared to take over this Project?

Shri Siddheshwar Prasad : It has been stated in the statement laid on the Table of the House that the Gandak Project is expected to be completed by the year 1976-77. It has also been stated that 3.5 lakhs hectares of land would be irrigated in Bihar. Moreover, 1.23 lakh hectares of land would be irrigated in U.P. by March, 1973.

The honourable Member said that the former Chief Minister of Bihar had written to the Central Government that this Project might be taken over by the Centre. This question was raised by the honourable Member earlier also in this house and the Minister for Planning had replied that the irrigation Projects are executed by the State Governments and the loan is given by the Centre under the limits of the Plan for the execution of the Projects and it is always endeavour of the Government to complete the Projects like Gandak as early as possible and with this view, the Central Government is making efforts to see that the Gandak Project is completed by 1976-77.

Shri Bibhuti Misra : This project has special importance as it is concerned with an independent state Nepal alongwith U.P. and Bihar. More than 12 years have already elapsed. Our Planning Minister, Shri D.P. Dhar, therefore, said that if the Government of Bihar writes to us, we are prepared to take it over. On one occasion, when Shri Fakharuddin Ali Ahmed was the Minister for Irrigation and Power, he had said that they would take over the Gandak Project. The Government of Bihar is having difficulties in holding talks with the three states. In view of these difficulties and keeping in view the fact that more than one hundred crores of rupees have already been spent, whether the Central Government is thinking to take over the Project and if not, how long would it take to complete this Project?

Secondly, I had gone to Chhitauni recently and I found that there has been silting in the area adjoining U.P. and Nepal from Bharsalotani whether in view of this the Central Government is prepared to take it over or not ?

Shri Siddheshwar Prasad : I had stated in reply to the main question and to the Supplementary questions that the Central Government is extending financial assistance in the form of loan, within the limits of the Plan, for the speedy implementation of this Project.

In so far as the question of completing the Project in the shortest time is concerned, I have already said that efforts are being made to complete the Project by the year 1976-77. All this is being done keeping in view the connection of this Project with the two big states—U.P. and Bihar and with Neighbouring Country, Nepal. That is why the steps are being taken for the speedy execution of the Project. More funds have been made available for this Project in the recent years and it would be our endeavour to provide more funds in the future.

The honourable Minister has raised the question of damage to the Canal. The enquiry would be made in this connection and the Bihar Government would be instructed to take necessary action.

Shri Bibhuti Mishra : I rise on a point of order. This Project is going to benefit three states and it is not exclusively related to the Government of Bihar alone. One half of the banage is in Nepal and the rest half is in India. You had said that if the Government of Bihar writes to us, we are prepared to take it over and when the Bihar Government has written to you, what is the Central Government doing now ?

Shri Siddheshwar Prasad : The Govt. of Bihar had written to us, and in reply to that, the Planning Minister had stated in this house that the question of execution of this Project by the Centre does not arise. The Centre is extending full assistance for this Project and this Project is being executed with the help of that assistance. It is not possible to increase the amount which is being given annually in the form of loan for the expeditious completion of the Project so that it could be completed before 1976-77. No difficulty has came up so far in the execution of the Project. When there crops up any problem regarding any project concerning two states, efforts are made to resolve the problem at the earliest.

Shri Naval Kishore Sinha: Mr. Speaker, Sir, the question was so simple, but the reply is all the more confusing. I would like to know from the honourable Minister whether he has claimed that 3.5 lakhs hectares of irrigation potential has been created, but how far it has been actually utilised ? Secondly, I would like to know the steps being taken by the Government to check the damage caused by the escape water in various areas due to technical defects in the Plan ?

One thing more, a very valid and clear-cut question has been asked by the honourable Member as to how long would it take to complete the Project ? It has not been replied so far.

Mr. Speaker : Had you listened to the reply also? You listened to the question, but please listen to the reply also.

Shri Siddheshwar Prasad : I have replied to this question in the statement and also stated in reply to the supplementary question that the Project is expected to be completed by the year 1976-77. The irrigation potential created so far is for an area of 3.5 lacs of hectares and it has been stated by the Bihar Government that 1.16 lacs of hectares land has been irrigated till March, 1973 and steps are being taken to irrigate more area.

The Bihar Government has also formulated schemes to for the drainage of the excape water.

Shri Jagannath Mishra : I would like to know from the honourable Minister as to when this Project had started and when it was scheduled to be completed ? What are the reasons for delay. I would also like to know whether the Government would sympathetically consider the question of taking concrete action for the provision of adequate funds for the projects in backward areas, specially in North Bihar?

Shri Siddheshwar Prasad :This project was started in 1960. The Govt. of Bihar has said that original Plan...

Mr. Speaker : How long would it take to complete it?

Shri Siddheshwar Prasad :I have already said that it is expected to be completed by 1976-77.

कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के निकटवर्ती क्षेत्रों को उपनगरीय क्षेत्र घोषित करना

*424. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कलकत्ता बम्बई और मद्रास के आस पास के कौन कौन से सेक्शन उपनगरीय क्षेत्र घोषित किये गये हैं तथा ऐसे उपनगर सेक्शनों की दूरी कितनी कितनी है तथा वे क्रमश: किस किस तिथि को उपनगरीय क्षेत्र घोषित किये गये ; और

(ख) क्या कलकत्ता बम्बई और मद्रास के आस पास के क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य कोई क्षेत्र भी उपनगरी क्षेत्र घोषित किये गये हैं और यदि हां, तो ऐसे उपनगरीय क्षेत्र में कौन से सेक्शन आते हैं तथा ऐसे सेक्शनों की दूरी कितनी कितनी है और वे क्रमश: किस तिथि को उपनगरीय क्षेत्र घोषित किये गये ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के उपनगरी क्षेत्रों में लागु सीजन टिकट किरायों की वसूली के प्रयोजन के लिए कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के अलावा किसी अन्य क्षेत्र को उपनगरी क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है ।

विवरण

बम्बई कलकत्ता और मद्रास में जिन विशिष्ट खण्डों को सीजन टिकट किराये की निम्न दर वसूल करने के लिए उपनगरी क्षेत्र घोषित किया है वे इस प्रकार हैं :—

	दूरी (कि०मी०)
(i) **बम्बई क्षेत्र**	
मध्य रेलवे पर	
बम्बई वी०टी०–कल्याण-कसारा	121
बम्बई वी०टी– कल्याण - करजत	100
बम्बई वी०टी०माहिम-कुर्ला मनखुर्द	22
पश्चिम रेलवे पर	
चर्च गेट–विरार	60

(ii) **कलकत्ता क्षेत्र**

पुर्व रेलवे पर

हबड़ा–बर्दवान (मुख्य लाइन के रास्ते)	95
हबड़ा–बर्दवान (एच०बी० कार्ड के रास्ते)	95
हबड़ा–शैवड़ा फुल्लि–तारकेश्वर	23
हबड़ा बडैल–कटवा . .	144
हबड़ा–बडैल–नईहार्टी	49
डांकुनि–दक्षिणेश्वर–सियालदह . . .	22
(विवेकानन्द पुल के रास्ते)	
सियालदह–बजबज . .	26
सियालदह–कैनिग . . .	46
सियालदह–डायमंड हार्बर .	60
सियालदह–लक्ष्मी कान्तपुर	62
सियालदह–राणाघाट–बगूला–कृष्णनगर सीटी	100
सियालदह–राणाघाट–बगूला–कृष्णनगर सीटी	112
शान्तिपुर शाखा सहित	
सियालदह–राणाघाट–बगूला–कृष्णानगर	97
जिसमें राणाघाट–बोनगांव शाखा पर स्थित स्टेशन शामिल हैं लेकिन बोनगांव शामिल नहीं हैं ।	
सियालदह–दम दम कैन्ट–बोनगांव . . .	77
सियालदह–चारासत हसनाबाद	75

दक्षिण पूर्व रेलवे पर

हबड़ा बालीचक जिसमें शालीमार–संतरागाछी शाखा शामिल है . . .	92

(iii) **मद्रास क्षेत्र**

दक्षिण रेलवे खण्ड

मद्रास सैन्ट्रल–तिरुवेल्लोर	42
मद्रास सैन्ट्रल–गुम्मीदिपुण्डि	48
मद्रास बीच–चिंगेल पेट्टू	61

कम्पनी रेलवे ने जो पहले इन रेलों को चलाया करती थी इन खण्डों को वास्तव में किस तारीख से उपनगरी क्षेत्र घोषित किया था यह ठीक-ठीक मालूम नहीं है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से यह प्रतीत होता है कि पश्चिम रेलवे में चर्चगेट–विराड़ को उपनगरीय सैक्शन घोषित कर दिया गया है । आसनसोल–दुर्गा पुर एक औद्योगिक क्षेत्र है और देश का बहुत महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र है । मैं रेलमंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या आसनसोल–बर्दवान सैक्शन को उपनगरीय सैक्शन घोषित करने के लिये विभिन्न संगठनों से ज्ञापन प्राप्त हुये हैं और क्या पूर्व रेलवे की परामर्शदात्री समिति की इसे उपनगरीय सैक्शन घोषित करने के लिये हाल ही में हुई बैठक में सर्वसम्मति से कोई निर्णय किया गया ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : बर्दवान–आसनसोल सैक्शन को उपनगरीय सैक्शन घोषित करने के लिये विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। इस बात पर विचार किया गया परन्तु वित्तिय स्थिति के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सका ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : पूर्व रेलवे की परामर्शदात्री समिति की बैठक में सर्वसम्मति से एक निर्णय किया गया। मंत्री महोदय श्री एल०एन०मिश्र बिहार से निर्वाचित हैं और वह स्थिति से भलीभांति अवगत हैं । वह भलीभांति जानते हैं कि उत्तर और दक्षिण बिहार से लोग आसनसोल आते हैं और वहां से कलकत्ता जाते हैं । 9 दिसम्बर को मैं आसनसोल से बर्दवान गया । लखनऊ एक्सप्रेस आसनसोल में 3 घन्टे देरी से पहुंची । कोलफील्ड एक्सप्रेस के पश्चात् और किसी गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी और यह बर्दवान में 3 घन्टे 40 मिनट देर से पहुंची ।

अध्यक्ष महोदय : आप सीधा अपना प्रश्न पूछिये ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : कोलफील्ड एक्सप्रेस के पश्चात् आसनसोल से बर्दवान अथवा कलकत्ता के लिये कोई उपयुक्त गाड़ी नहीं है । अतः आसनसोल और दुर्गापुर में कठिनाई होती है । जैसा कि आपको पता है आसनसोल क्षेत्र में 95 कोयला खान हैं । बर्नपुर इस्पात कारखाना वहां स्थित है । एक कारखाना कुल्टी में है । दुर्गापुर इस्पात संयंत्र माइनिंग एन्ड एलाइट मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड तथा आम कारखाने वहां हैं । हजारों यात्री आसनसोल से कलकत्ता को प्रतिदिन यात्रा करते है ।

पूर्व रेलवे की परामर्शदात्री समिति की बैठक में बर्दवान-आसनसोल को उपनगरीय सैक्शन घोषित करने के लिये सर्वसम्मति से एक निर्णय किया गया । सरकार इसे कब तक उपनगरीय सैक्शन घोषित करेगी । इस मामले पर हजारों लोग उत्तेजित हैं । सरकार बर्दवान-आसनसोल सैक्शन को उपनगरीय सैक्शन कब तक घोषित करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्नकाल है वाद-विवाद का समय नहीं है। माननीय सदस्य दूसरे सदस्यों का समय ले रहे है । इस प्रश्न का उत्तर पहले दे दिया गया है ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : माननीय सदस्य ने फिर वही प्रश्न दुहरा दिया है जिसका मैं उत्तर दे चुका हूं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं यह जानना चाहता हूं कि इसे उपनगरीय सैक्शन कब तक घोषित किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह पूछा जा सकता है कि वित्तीय कठिनाइयां कब तक दूर हो जायेंगी । मंत्री महोदय ने बताया है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण ऐसा नहीं किया जा रहा है ।

श्री समर मुखर्जी: यह प्राथमिकता का प्रश्न है। वित्तीय कठिनाइयों का बहाना बनाया जा रहा है। सम्पूर्ण रेल विभाग में वित्तीय कठिनाइयां हैं। इसलिये यह आश्वासन दिया जाना चाहिये कि सरकार इसे कब तक उपनगरीय क्षेत्र घोषित कर देगी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया तर्क न कीजिये।

श्री समर मुखर्जी : इसे कब तक उपनगरीय सैक्शन घोषित किया जायेगा।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी: रेलवे उपनगरीय सैक्शनों पर और कोई रियायत नहीं देना चाहती। जहां तक इस विशेष सैक्शन की बात है इस पर विचार किया गया परन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस विशेष सैक्शन के लिये यह सुविधा न देने का निर्णय किया गया।

श्री बी० के० दास चौधरी: विवरण के अनुसार बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के कुछ क्षेत्रों को भाड़े के सीजन टिकटों की कम दर लिये जाने के उद्देश्य से उपनगरीय क्षेत्र घोषित किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन सभी तीनों स्थानों, निकटवर्ती क्षेत्रों में, सीजन टिकट की कम दर लेने के लिये इन्हें उपनगरीय सैक्शन घोषित करके एकसी स्लैब प्रणाली का अनुसरण किया जायेगा। यदि कोई भिन्नता है तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के बीच कहां भिन्नता है।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के कुछ विशिष्ट सैक्शनों को 1948 से बहुत पहले ही उपनगरीय सैक्शन घोषित कर दिया गया था। ऐतिहासिक कारणों से हमें बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के वर्गीकरण को जारी रखना है और इसलिये दरें अपेक्षाकृत कुछ कम हैं पर हम अन्य उपनगरीय क्षेत्रों में ये सुविधायें देने नहीं जा रहे हैं।

डा० रानेन सेन : विवरण से यह पता चलता है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे को इस श्रेणी में नहीं रखा गया है। खड़गपुर इतना बड़ा क्षेत्र है और इसका कलकत्ता से सीधा सम्पर्क है और वहां से हजारों यात्री प्रतिदिन कलकत्ता जाते हैं तो मैं जान सकता हूं कि खड़गपुर–हावड़ा सैक्शन को इस श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया है। विवरण से पता चलता है कि उसमें बोंगांव के अतिरिक्त राणाघाट-बोंगांव शाखा सहित सियालदह–राणाघाट, बागोला–कृष्णनगर का उल्लेख किया गया है परन्तु बाद में यह सियालदह-डमडम छाउनी–बोंगांव हो गया। एक मामले में बोंगांव को सम्मिलित किया गया है दूसरे में निकाल दिया गया है, ऐसा किस प्रकार हुआ ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मद्रास और बम्बई (प्रत्येक) की तुलना में कलकत्ता के 19 सैक्शनों पर यह रियायत उपलब्ध है। जैसाकि मैंने बताया है दूसरे सैक्शनों में ये सुविधा प्रदान करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि इन सैक्शनों में पहले से ही घाटा चल रहा है।

डा० रानेन सेन : बोंगांव को एक सैक्शन में क्यों सम्मिलित किया गया जबकि दूसरे सैक्शन से इसे निकाल दिया गया है ?

श्री मोहम्मद शफ़ीकुरेशी: क्योंकि वह एक अलग सैक्शन है।

श्री बी०वी० नायक: ऐतिहासिक संयोग के अतिरिक्त दूसरे क्या कारण हैं कि कलकत्ता उपनगरीय सैक्शन में 1000 किलोमीटर से अधिक के लिये भाड़े में रियायत दी जाती है जबकि बम्बई में केवल 250 अथवा 300 किलोमीटर के लिये और दुर्भाग्यवश मद्रास में केवल 150 किलोमीटर के लिये ? तीन बड़े शहरों के बीच यह असमानता क्यों रखी गई है ? क्या निष्पक्ष ढंग से इस मामले पर विचार

किया जायेगा जिससे कि देश के सभी बड़े शहरों के साथ एकसा व्यवहार किया जा सके और हम यथा-स्थिति बनाये रखने के लिये वित्तीय और एतिहासिक कारणों का सहारा न ले सकें ? क्या इन असमान-ताओं को दूर किया जायेगा ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी: क्योंकि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के बीच कोई असमानता है ही नहीं अतः असमानता दूर करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री बी० वी० नायक : दूरी के बारे में मंत्री महोदय का क्या विचार है ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी: भाड़ों में कोई असमानता नहीं है ।

श्री थ० किरूती नन: विवरण में उल्लेख किया गया है कि "कम्पनी रेलवे ने जो पहले इन रेलों को चलाया करती थी इन खण्डों को वास्तव में किस तारीख से उपनगरीय क्षेत्र घोषित किया था यह ठीक ठीक मालूम नहीं है ।"

मेरे विचार से कई बर्ष पूर्व इन क्षेत्रों को उपनगरीय क्षेत्र घोषित किया गया होगा। इन सभी वर्षों में बहुत से विकास हुये हैं और बहुत सी कालोनियां बनी है । अतः मैं यह बात जानना चाहता हूं कि क्या सारे मामले पर नये दृष्टिकोण से विचार किया जायेगा और एक नई सूची तैयार की जायेगी तथा इन सभी क्षेत्रों के रेल कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ता आदि वित्तीय लाभ प्रदान किये जायेंगे ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी: रियायती सीज़न टिकट आल इन्डिया रेलवेज़ में दिये जाते हैं परन्तु उपनगरीय रेलवे में सीज़न टिकटों की रियायतों के अतिरिक्त कुछ और थोड़ी सी रियायतें दी जाती हैं । माननीय मित्र ने विवरण से उद्धृत किया है कि वह तारीख मालूम नहीं है । जिससे ये क्षेत्र उपनगरीय क्षेत्र घोषित किये गये । परन्तु यदि उन्होंने विवरण को थोड़ा और ध्यान से देखा होता तो उन्हें पता चला होता कि दूसरे वाक्य में यह लिखा है कि यह 1949 से पूर्व किया गया था । मैं पहले ही बता चुका हूं कि अन्य उपनगरीय सैक्शनों में ये सुविधायें प्रदान करने की कोई योजना नहीं है ।

श्री समर गुह: सभी राजधानी नगरों तथा औद्योगिक नगरों में जनसंख्या आधिक्य तथा आवास सुविधा की कमी एक गम्भीर समस्या है . . .

अध्यक्ष महोदय : यह मूल प्रश्न से नहीं उठता है ।

श्री समर गुह : केवल कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के लिये ये सुविधायें दी गई हैं ।

अध्यक्ष महोदय: यह मूल प्रश्न से किस प्रकार सम्बद्ध है ?

श्री समर गुह: यह सम्बद्ध है । क्या सम्पूर्ण मामलों पर विशेषतया राजधानी तथा औद्योगिक नगरों को ध्यान में रखते हुये पुनर्विचार किया जायेगा ? ये सुविधायें केवल बड़े शहरों के लिये हैं । अन्य राजधानी शहरों तथा औद्योगिक नगरों के लिये ये सुविधायें उपलब्ध क्यों नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय: यह मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है ।

श्री समर गुह: ये सुविधायें केवल इन तीन बड़े शहरों तक ही सीमित हैं। क्या मैं अन्य औद्यो-गिक नगरों तथा राजधानी शहरों के बारे में नहीं पूछ सकता जहां ऐसी ही कठिनाइयां दैनिक यात्रियों के समक्ष आती हैं ? ये सुविधायें इन नगरों को क्यों प्रदान नहीं की जानी चाहियें। क्या सरकार इस नीति पर पुनर्विचार करेगी ।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न तीन बड़े शहरों के बारे में है ।

श्री समर गुह: अन्य क्षेत्रों के बारे में सरकार का क्या विचार है . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने बताया है कि यह मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है । यदि आप चिल्लाते रहेंगे तो कोई लाभ नहीं निकलेगा ।

श्री समर गुह : यदि आप थोड़ी विनम्रता से काम लें . . .

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न स्पष्ट है । मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है । श्री मुरूगनन्तम ।

आप चिल्लाकर इसे सम्बद्ध बनाना चाहते हैं। मेरा यह निर्णय है कि यह सम्बद्ध नहीं है । मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप कृपया बैठ जाइये ।

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है । कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । मैंने प्रश्न पूछने के लिये आपका नाम नहीं पुकारा है । मैंने आपको स्वीकृति नहीं दी है । मैं इसे असम्बद्ध मानता हूं । मुझे खेद है, पुनर्विचार के बाद भी मेरा यही विचार है । श्री मुरूगनन्तम ।

अंडमान द्वीप समूह में तेल और गैस की खोज

+

*427. **श्री बसन्त साठे :**

श्री के० एम० मधुकर :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अंडमान द्वीप समूह में तेल और गैस वाले कुछ क्षेत्रों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और छिद्रण कार्य कब शुरू किया जाएगा तथा छिद्रण कार्य पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी; और

(ग) वर्ष 1973 के दौरान देश के विभिन्न भागों में इस प्रयोजन हेतु कौन कौन छिद्रण कार्य किए गए और वर्ष 1974 के दौरान अन्य स्थानों पर और कौन से छिद्रण कार्य किये जाने की आशा है और तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री डी०के० बरुआ) : (क) जी हां ।

(ख) संरचनाएं दोषपूर्ण अपनतियां हैं । सम्बन्धित क्षेत्र में व्यधन कार्य आरम्भ करने के लिए काफी सिविल निर्माण कार्य तथा अन्य तैयारी के कार्य करने होंगे, सम्बन्धित क्षेत्र में व्यधन का काम आरम्भ करने के सम्बन्ध में निश्चित निर्णय हो जाने के बाद एक मोटे अनुमान के अनुसार, प्रथम कुएं का व्यधन आरम्भ करने में लगभग $2\frac{1}{2}$ वर्ष का समय लग सकता है । सम्बन्धित क्षेत्र में प्रथम कुएं का व्यधन पूरा होने तक कुल व्यय 6.83 करोड़ रुपये हो सकता है । यह बिलकुल मोटा अनुमान है ।

(ग) 1973 के दौरान गुजरात की कैम्बे बेसिन कच्छ के बन्नी क्षेत्र, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी, त्रिपुरा के वारामूरा क्षेत्र, तमिलनाडू की कावेरी तथा पाण्डिचेरी के कावेरी के बेसिन, जम्मू तथा कश्मीर के सुरिनसर क्षेत्र तथा अरब सागर की विभिन्न संरचनाओं में व्यधन जारी रखा/किया गया ।

1974 में काम्बे बेसिन ब्रह्मपुत्र घाटी, वारामूरा, कावेरी बेसिन तथा अरब सागर में व्यधन जारी रहने की आशा है, साथ ही इसे असम की पूर्ण घाटी, कच्छ के दक्षिणी समुद्र तट वाले क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल के गालसी क्षेत्र में भी आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ।

श्री बसन्त साठे : अब तक की गई खुदाई से कुल कितना और कितने मूल्य का तेल निकाला गया है या निकालने का अनुमान है ।

श्री डी० के० बरुआ : इस वर्ष में अब तक गुजरात में 8 प्रायोगिक कुएं और 17 विकासकारी खुदाइयां की गई हैं और असम में 3 प्रायोगिक और 5 विकासकारी खुदाइयां की गई हैं । इस प्रकार कुल 33 प्रायोगिक और 1122 विकासकारी खुदाइयां की गई हैं । केवल त्रिपुरा में ही गैस मिली है . . .

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो अंडमान द्वीपसमूह के बारे में है ।

श्री डी० के० बरुआ : हम अंडमान में खुदाई आरम्भ नहीं कर सकते । प्रश्न का भाग (ग) अन्य क्षेत्रों के बारे में है ।

श्री बसन्त साठे: मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । जब आप खुदाई करते हैं, तब कितना तेल मिलने की संभावना रहती है ?

श्री डी० के० बरुआ : लगता है कि कुछ भ्रान्ति है। शायद सदस्य महोदय जानना चाहते हैं कि संबंधी सर्वेक्षण की रिपोर्ट क्या है जिसके आधार पर हम खुदाई करते हैं और तेल निकलने पर हमें सफलता मिल जाती है । इस मामले में हमें एक ही स्थान पर गैस मिली है ।

श्री बसन्त साठे : मैंने खुदाई करने के बारे में नहीं पूछा था । खुदाई के बाद जब कुछ स्थानों पर गैस या तेल मिलता है तब वहां से मिलते तेल का क्या अनुमान है ?

श्री डी० के० बरुआ : लगता है सदस्य महोदय ने खुदाई का मूल सिद्धान्त ही नहीं समझा है । खुदाई भू-सर्वेक्षण रिपोर्टों पर आधारित है । खुदाई करने पर जब तेल मिल जाता है तभी निक्षेपों का पता चलता है । अब तक प्रायोगिक खुदाई में तेल नहीं मिला है, केवल एक जगह गैस निकली है ।

डा० हैनरी आस्टिन : मैं सोच रहा था कि मंत्री महोदय अरब सागर में कोचीन के बाईमीन के निकट किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर और तेल के संकट की दृष्टि से खुदाई कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे ?

श्री डी० के० बरुआ : जी हां । भविष्य में अरब सागर में खुदाई की जाएगी ।

श्री समर गुह: क्या पश्चिम बंगाल के गोदरा क्षेत्र में खुदाई कार्य बन्द कर दिया गया है ? क्या सरकार का ध्यान राज्य के समाचार पत्रों में हाल में छपे इस समाचार की ओर गया है कि नदिया जिले में कृष्णनगर में खुदाई के दौरान तेल मिला है ?

श्री डी० के० बरुआ : दोनों बातें सही हैं । एक स्थान पर खुदाई बन्द कर दी गई है और दूसरे स्थान पर तेल मिलने का समाचार छपा है ।

श्री समर गुह: क्या कृष्णनगर क्षेत्र में तेल मिलने की कोई संभावना है ?

श्री डी० के० बरुआ : इसका पता तो विस्तृत भू-सर्वेक्षण के बाद ही चलेगा । थोड़ा तेल निकल आने पर इसका पता नहीं चलता ।

श्री वीरेन दत्त: क्या त्रिपुरा में किसी और स्थान पर भी खोज की गई है ?

श्री डी० के० बरुआ : जी हां ।

श्री वीरेन दत्त : क्या त्रिपुरा में बारामुरी में नए खुदाई यंत्र (रिग) लगाए गए हैं ?

श्री डी०के० बरुआ: वहां पर 2200 मीटर तक खुदाई की जा चुकी है और कुछ गैस निकली है । 4500 मीटर तक खुदाई की जानी है तभी पता चलेगा कि कितनी गैस निकलेगी ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया: मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि कावेरी बेसिन में खुदाई की गई है तो क्या गोदावरी बेसिन में भी भू-सर्वेक्षण किया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में मंत्री महोदय को सभी सदस्यों के साथ बैठक करके उनके प्रश्नों के उत्तर देने चाहिये पूरक प्रश्नों द्वारा तो वे संतुष्ट नहीं होंगे ।

श्री डी०के० बरुआ: जी हां ।

फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकौर इंजीनियरिंग वर्कस के लिये आयात किये गये 'प्रैस ब्रेक' संयंत्र का उपयोग में न लाया जाना

+

*428. **श्री रामचन्द्र कडना पल्ली :**
श्री वयालार रवि :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छः महीने पूर्व फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए आयात की गई 'प्रेस ब्रेक' और प्लेट वेडिंग मशीनों को अभी तक लगाया नहीं गया है जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को उत्पादन में भारी नुकसान हुआ है और पूंजी बेकार पड़ी रही है, और

(ख) यदि हां, तो उन्हें अब तक न लगाये जाने के क्या कारण हैं और उन्हें शीघ्र लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) और (ख) अप्रैल-जून, 1973 में विचाराधीन मशीनरी की मदें प्राप्त हुई थीं और उद्योग मण्डल विभाग की वर्कशाप द्वारा अधिकृत परिसर में इनको प्रतिष्ठित किया जाना था । अपेक्षित सुविधाओं के साथ वर्कशाप के नए परिसरों के पूरा करने में विलम्ब आदि के कारण उनकी स्थापना कार्य रुक गया था । अब इन सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है और अगले 4-5 महीनों के अन्दर मशीनों की स्थापना किए जाने की आशा की जाती है ।

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : 'फैक्ट' के प्रति प्रबन्धकों की अध्यक्षता और उपेक्षा का यह एक और उदाहरण है । 18 लाख रुपये में खरीदी गई प्रेस ब्रेक मशीन और 8 लाख रुपये में खरीदी गई प्लेट बैंडिंग मशीन पड़ी सड़ रही है जबकि 'फैक्ट' इंजीनियरिंग 'वर्कस' के लिए ये मशीनें लाभ कमाने के लिए अत्यावश्यक हैं । मंत्री महोदय ने अभी माना है कि इसमें अभी 4-5 मास और लगेंगे । इस विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है और उसके विरुध क्या कदम उठाया जाएगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : ये मशीनें उस वर्कशाप में लगाई जानी थीं जिसमें पहले ही काम चल रहा है । विचार यह था कि उसे एक अन्य भवन में ले जाया जाएगा और ये मशीनें वहां लगा दी जाएंगी । जहां यह वर्कशाप जानी थी वहां कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दी जानी थी और निर्माण कार्य में भी कुछ समय लग गया यह काम पूरा हो गया है और 4–5 मास में मशीनें लग जाएंगी ।

श्री रामचन्द्रन कडन्नापल्ली : वर्कस मैनेजर ने, जो इस वर्कस के मुखिया हैं, सी०एम०ई० को 14 स्मरण पत्र भेजे, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। फैक्ट का प्रबन्ध घोटले के अतिरिक्त कुछ नहीं है । क्या अपने पूर्व वक्तव्य के संदर्भ में मंत्री महोदय इस घटना के संदर्भ में चैयरमैन और अधिकारियों के विरुद्ध जांच कराएंगे ?

श्री शाह नवाज़ खां : यह प्रश्न कुछ मशीनें लगाने के बारे में है जो 4–5 मास में लग जाएंगी । यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र हो रहा है ।

श्री वयालार रवि : प्रश्न पूछने से पूर्व मैं उत्तर में 'आदि' जैसे शब्दों के प्रयोग पर विरोध प्रकट करता हूं । सभा के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए और मंत्री महोदय को ठीक-ठीक उत्तर देने चाहियें ।

वास्तव में यह घटना पूरे मामले में एक छोटी सी कड़ी है । कुछ समय पूर्व 'फैक्ट' के कार्यकारण पर यहां चर्चा की गई थी और मंत्री महोदय ने अदक्ष और उपेक्षा करने वाले प्रबन्धकों का बचाव किया था इसका मुझे खेद है । क्या सरकार का विचार 'फैक्ट' इंजीनियरिंग वर्कस में हैवी प्लेट्स और वैसल संयंत्र लगाने का है ? यह विलम्ब प्रबन्धकों द्वारा पहले से स्थान का निश्चय न करने से हुआ है । मंत्री महोदय ने तो इसका सरलीकरण कर दिया है । चार वर्ष पूर्व जब इस मशीनरी का आर्डर दिया गया था तब क्या योजना बनाई गई थी । यह विलम्ब वास्तव में प्रबन्धकों की अपेक्षा के कारण हुआ है । उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में मैं जानना चाहता हूं ?

श्री शाह नवाज़ खां : जब इन मशीनों का आर्डर दिया गया था तब इन्हें वर्कशाप में लगाने का विचार था . . .

श्री वयालार रवि : कब ?

श्री शाह नवाज़ खां : ये मशीनें हमें छः मास पहले मिल गईं थी । जब हमने वर्कशाप को वहां से हटाना चाहा तो कर्मचारियों ने वहां कंटीन तथा अन्य कुछ सुविधाओं की मांग की जो हमें जुटानी हैं । ये मशीनें 4–5 मास में लगा दी जाएंगी । मैं इसमें कोई अनुचित विलम्ब नहीं समझता ।

श्री वयालार रवि : यह बहुत गंभीर मामला है । मंत्री महोदय मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे तो रहे हैं ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्: क्या मंत्री महोदय को फैक्ट इंजीनियरिंग वर्कस को नए आर्डर दिए जाने को हतोत्साहित करने की प्रबन्धकों की जान बूझकर अपनाई जा रही नीति का पता है ? यदि नहीं, तो क्या वह इसे गत तीन वर्षों में दिए गए आर्डरों का ब्यौरा देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कैसे संगत है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : यह संबंधित प्रश्न है। सभा को सच्चाई का पता तो लगना ही चाहिए। वह कारणों में 'आदि' कह कर टाल नहीं सकते ।

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों अलग-अलग बैठें तो बेहतर होगा ।

श्री के० लक्कप्पा : 'फैक्ट' के कार्यकारण की कई बार आलोचना की जा चुकी है। इस लोक सभा में ही नहीं अपितु पिछली लोक सभा में भी ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो अगले प्रश्न के लिए उन्हें बुलाया था जो उनके नाम में है । यदि वह ऐसा नहीं चाहते तो उससे अगला प्रश्न लिया जाएगा ।

श्री के० लक्कप्पा : मशीनों को लगाने में इस विलम्ब से फैक्टरी को लाखों का घाटा हुआ है और उत्पादन भी घटाना पड़ा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अगले प्रश्न के लिए बुलाया था ।

श्री के० लक्कप्पा : फिर भी मैं पूरक प्रश्न तो अब पूछ ही चुका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है । आप अगला प्रश्न पूछें ।

औषध उद्योग में विदेशियों की अन्तर्ग्रस्तता का अध्ययन करने के लिये समिति

+

*429. **श्री के० लक्कप्पा:**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या सरकार ने औषध उद्योग में विदेशियों की अन्तर्ग्रस्तता के आशयों की जांच करने के लिये एक अन्य समिति गठित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस निर्णय को लागू कर दिया गया है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) से (ग) औषध उद्योग की विभिन्न पहलुओं की जांच के लिये एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना करने का प्रस्ताव विचाराधीन है, तथा शीघ्र ही एक निर्णय लिये जाने की आशा है।

श्री के० लक्कप्पा : इस देश में स्थिति यह है कि नकली औषधियां बनाई जा रही हैं और समूचे देश में वितरित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त औषध उद्योग विदेशी कंपनियों के शिकंजें में हैं, चूंकि लोगों को उचित मूल्यों पर सही औषधियां सप्लाई करना सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिये यह समिति औषधियों का वितरण और विदेशी औषध कम्पनियों पर नियंत्रण को नया रूप किस प्रकार देगी?

पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री (श्री डी० के० बरुआ) : यह समिति इस प्रश्न की जांच करेगी।

श्री के० लक्कप्पा : क्या यह प्रस्तावित समिति विदेशी कंपनियों को अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया को नया रूप देगी?

श्री डी० के० बरुआ : जो कुछ माननीय सदस्य ने पहिले कहा है, उस पर निश्चय ही समिति विचार करेगी, ।

श्री के० लकप्पा : सरकार द्वारा पहिले नियुक्त समिति ने क्या मार्ग निर्देशक सिद्धान्त दिये थे? उस समिति के प्रतिवेदन पर विचार क्यों नहीं किया गया है? इस समिति ने क्या विरोधाभासी विचार व्यक्त किये थे?

श्री डी० के० बरुआ : मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जिस प्रकार की समिति हम नियुक्त करने जा रहे हैं, इस प्रकार की समिति पहिले नियुक्त हुई थी । इस समिति में संसद सदस्य और विशेषज्ञ होंगे, इस समिति में औषध उद्योग का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा, वे इस समस्या को केवल राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से देखेंगे, अतएव मुझे आशा है कि यह समिति समस्या का अध्ययन करते समय व्यवसाय हितों की अपेक्षा आम आदमी को ध्यान में रखेगी ।

श्री के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने बताया है कि उन्होंने एक समिति की नियुक्ति की है । इस समिति के निर्देश पद क्या हैं?

श्री शाह नवाज खांन : यह निर्देश पद अपेक्षाकृत कुछ लम्बा है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य औषध उद्योग द्वारा की गई प्रगति की तथा मूल औषधियों के उत्पादन के क्षेत्र में तकनीकी की नवीनतम विकास को अपनाने के विशेष संदर्भ की जांच करना है ताकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा चिकित्सा कार्यक्रम की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को संतोषजनक रूप से पूरा किया जा सके तथा इसका उद्देश्य सरकारी क्षेत्र के औषध एककों के कार्यकरण की जांच करना है और यह सुनिश्चित करने के लिये अपेक्षित उपायों की सिफारिश करना है कि यह न केवल मूल औषधियों के निर्माण और निरूपण तथा अनुसन्धान और विकास में प्रमुख रूप से भाग ले अपितु आवश्यक औषधियों को उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये तथा औषध उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों यथा विदेशी तथा भारतीय कंपनियों के संगठित क्षेत्र और लघु उद्योग क्षेत्र की स्थिति की जांच करे और औषध उद्योग विशेषकर भारतीय तथा लघु उद्योग क्षेत्रों के तीव्र विकास के लिये अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी: सरकार औषध उद्योग में विदेशियों की अन्तर्ग्रस्तता के आशयों की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त कर रही है, क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि इनमें से कई उपक्रमों ने विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से छोटी फर्में स्थापित कर ली हैं ताकि बड़े व्यापार गृहों की अन्तर्गस्तता को छिपाया जा सके तथा इस बुराई को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री शाह नवाज खांन : सरकार को इन कार्यवाहियों के बारे में जानकारी है और निश्चय ही इस कार्यवाही की जांच की जायेगी ।

अशोधित तेल की सप्लाई में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए पैट्रोल का राशन

+

*430. **श्री रानेन सैन** :

श्री बेकारिया :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम एशिया से अशोधित तेल की सप्लाई अनिश्चित रहने और इसके मूल्यों में तेजी से हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार ने पैट्रोल का राशन करने का निश्चय किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री डी० के० बरुआ): (क) तथा (ख) कच्चे तेल की सप्लाई की अनिश्चितताओं तथा तीव्र गति से बढ़ने वाले मूल्यों को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को अल्प सूचना पर राशनिंग व्यवस्था लागू करने के लिये अन्तिम रूप से योजनायें तैयार करने की सलाह दी गई है। राज्य इस मंत्रालय से परामर्श करके योजना का ब्यौरा तैयार कर रहे हैं।

डा० रानेन सैन : इस तथ्य को देखते हुये कि नीलामी व्यवस्था आदि के अपनाने से अशोधित तेल की सप्लाई कठिन से कठिनतर होती जा रही है, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने राज्य सरकारों से वस्तुतः यह पूछताछ कर ली है कि पैट्रोल का राशन करने के बारे में उन्होंने कितनी प्रगति की है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है?

श्री डी० के० बरुआ: जैसा कि मैंने इस सदन में पहिले कहा है कि हमने मुख्य सचिवों के साथ इस बारे में चर्चा की थी और तब हमने आपस में विचार विमर्श करके मुख्य मंत्रियों को इसके बारे में सूचित किया तथा हमने उनको पत्र भी लिखा है। उनका कहना है कि उन्होंने योजना को तैयार रखा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि हमने इसका राशन करने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया है। परन्तु यदि हमें अशोधित तेल की सप्लाई में काफी कटौती कर दी जाती है तो हमें मजबूर होकर इसका राशन करना पड़ेगा। इसलिये हमने आवश्यकता पड़ने पर राशन की वैकल्पिक योजना को तैयार रखा है।

डा० रानेन सैन : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि कल ही वित्त मंत्री ने इस सभा में कहा था कि पैट्रोल का राशन इस आधार पर नहीं किया जायेगा क्योंकि इससे प्रशासनिक कठिनाइयां पैदा होंगी। इसलिये मैं जान सकता हूं कि क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय इस बारे में मतभेद रखते हैं अथवा क्या वे यह जानने के लिये साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं कि क्या राशन करना आवश्यक है तथा क्या यह व्यवहारिक है।

श्री डी० के० बरुआ: हम साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तथा परमात्मा पर हमारा विश्वास है।

डा० रानेन सैन: श्री चव्हाण ने कल इस विचार को अस्वीकार कर दिया था।

श्री डी० के० बरुआ: हमने अभी इसका राशन करने का निर्णय नहीं किया है क्योंकि यह परिस्थितियों पर निर्भर होगा जो अभी उत्पन्न नहीं हुई है, परन्तु यदि इसकी सप्लाई पूरी तरह से अथवा काफी हद तक कम हो जाती है और यदि मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई है तब उस स्थिति में, चाहे हम कितने भी अनिच्छुक क्यों न हों, मजबूर होकर हमें ऐसा करना पड़ेगा। हम अनायास ही न पकड़े जायें इसलिये हमने स्थिति का सामना करने के लिये तैयारी कर ली है।

श्री त्रिदिब चौधरी: मंत्री महोदय ने बताया है कि उन्होंने राज्य सरकारों को राशन की योजना तैयार रखने को कहा है। मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों अथवा मुख्य मंत्रियों, राज्यों में इनमें से इस सम्बन्ध में किसी को भी अधिकार मिले हों, को अपनी योजनायें स्वयं बनाने की स्वतन्त्रता दी जायेगी अथवा भारत सरकार स्वयं, चूंकि यह समूचे देश से संबंधित है, मार्ग निर्देशक सिद्धान्त तय करेगी ताकि समूचे देश में पैट्रोलियम के राशन में एकरूपता तथा न्याय बनी रह सके?

श्री डी० के० बरुआ : हमने उन्हें यहां मंत्रालय के साथ परामर्श करके योजना तैयार करने का परामर्श दिया है। निश्चय ही इस बारे में मूलभूत सिद्धान्त होंगे। परन्तु इस देश में एक राज्य से दूसरे

राज्य की स्थितियां भिन्न-भिन्न हैं इसलिये इनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। यहां मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करके दिशा निर्देश तथा सिद्धान्तों को तय किया जाना है।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : इस तथ्य को देखते हुये कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की तुलना में विशेषकर काल्टेज और आयल इंडिया से अशोधित तेल खरीदना महंगा पड़ता है तो क्या भविष्य में अशोधित तेल की खरीद में भी बराबरी रखी जायेगी?

श्री डी० के० बरुआ : अशोधित तेल का मूल्य एक देश से दूसरे देश में किस्म के अनुसार भी अलग-अलग होता है। जहां तक अशोधित तेल पर आधारित पेट्रोलियम उत्पादों का सम्बन्ध है, इसके मूल्य समान हैं।

Shri Shankar Dayal Singh : The motive behind increasing the price of petrol was to discourage the consumption of Petrol. May I know whether the Government intend to reduce the Price of Petrol after rationing?

Mr. Speaker : He is not sure about rationing.

Shri Shankar Dayal Singh : If rationing takes place, then whether the Prices will be reduced?

अध्यक्ष महोदय : कल्पना पर आधारित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

Shri R. V. Bade : In Madhya Pradesh, not more than 5 litre petrol is given to a person at Petrol Pump. May I know whether Petrol Pump owners have taken such steps themselves or the Government have introduced any rationing?

Shri D. K. Borooah : This is not rationing. Perhaps it is a matter of local control of Petrol and its distribution. This is not called rationing.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

शिक्षित बेरोजगारों को पैट्रोल पम्पों का आबंटन

*425. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेरोजगारों की सहायता करने के लिये सरकार अभी भी उन्हें पैट्रोल पम्पों का आबंटन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में अभी तक ऐसे कितने पम्प आबंटित किये गये हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ): (क) इस समय भारतीय तेल निगम अपनी डीलरशिप/एजेंसी आबंटित करने में सुरक्षा कर्मचारियों को प्राथमिकता दे रहा है। सुरक्षा योजना के अन्तर्गत उपयुक्त प्रत्याशियों के उपलब्ध न होने पर तथा 'बी' श्रेणी के फुटकर केन्द्रों, डीलरशिप

से संबंधित आई० ओ० सी० विज्ञापनों और उन विज्ञापनों के अनुसार आवेदन करने वाले प्रार्थियों के मामले में प्राथमिकता कम आय वाले वर्ग के परिवारों के बेरोज़गार इंजीनियरों/स्नातकों को दी जाती हैं। हाल ही में सरकार ने भी भारतीय तेल निगम की 25 प्रतिशत डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूट रशिप अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उपयुक्त प्रार्थियों के लिये निर्धारित करने का निर्णय किया है।

(ख) अक्तूबर, 1973 तक बेरोज़गार स्नातकों/इंजीनियरों को आवंटित किये गये पैट्रोल पम्पों की राज्यवार संख्या निम्न प्रकार है:—

राज्य	आवंटित पम्प
1. दिल्ली (संघशासित क्षेत्र)	12
2. राजस्थान	3
3. पंजाब	16
4. उत्तर प्रदेश	8
5. पश्चिम बंगाल	18
6. बिहार	16
7. आसाम	3
8. मणिपुर	1
9. त्रिपुरा	1
10. महाराष्ट्र	4
11. गुजरात	8
12. मध्य प्रदेश	6
13. आन्ध्र प्रदेश	22
14. उड़ीसा	4
15. मैसूर	24
16. तमिलनाडु	8
17. केरल	7
18. गोवा	1
19. हिमाचल प्रदेश	1
20. हरियाणा	2
कुल	165

गोरखपुर अस्पताल (पूर्वोत्तर रेलवे) से औषधियों की चोरी

*426. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे अस्पताल, गोरखपुर से 6,500 रुपये के मूल्य की औषधियां हाल ही में चुराई गई थीं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कोई गिरफ्तारी की गई हैं; और

(ग) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (ग) जी हां। 7-11-1973 को भाटिया मेडिकल स्टोर, गोल घर, गोरखपुर से लगभग 5,000 रुपये की दवाइयांबरामद की गई थीं जिन पर सेंट्रल अस्पताल, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर का मार्का था। इस फर्म के मालिक को रेल संपति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम के खण्ड 3 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था और इस मामले की छानबीन की जा रही है।

रेलवे अधिकारियों के संवर्गों का पुनर्वर्गीकरण

*431. **श्री वीरभद्र सिंह :**
श्री यमुनाप्रसाद मंडल :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे अधिकारियों के संवर्गों का पुनर्वर्गीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) सहायक अधिकारियों के 250 पदों को पुनः वर्गीकृत करके वरिष्ठ वेतनमान पद करने का विचार है। वरिष्ठ वेतनमान के 500 पदों को कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम में पुनः वर्गीकृत करने का प्रस्ताव है। कनिष्ठ मध्यवर्ती प्रशासनिक पदक्रम के 218 पदों को वरिष्ठ प्रशासनिक पदों में पुनः वर्गीकृत करने का विचार है।

विदेशों से औषधियों के 'पेटेन्ट' खरीदने का प्रस्ताव

*432. **डा० सरदेश राय**: क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी नियंत्रण वाली औषध निर्माता कम्पनियों को धन कमाने के लिये अपने पेटेन्ट विभिन्न औषध निर्माताओं को अलग अलग वेचने की अनुमति की बजाय विदेशों से सीधे महत्वपूर्ण औषधियों के पेटेन्ट खरीदने में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Construction of Air-conditioned Retiring Rooms at Railway Stations (Western Railway)

*433. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether air-conditioned Retiring Rooms are being constructed at some Railway Stations on the Western Railway;

(b) If so, the names of the places where they have been constructed; and

(c) the reasons why it is being done at the time when there is economic crises in the country?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No, Sir. At present, there is no proposal to construct any air-conditioned Retiring Room at any station on the Western Railway.

(b) The names of the stations where air-conditioned Retiring Rooms already exist are indicated below:—

Station	No. of Rooms
1. Ahmedabad	Two
2. Ajmer	One
3. Jaipur	One

(c) In view of answer to (a) above, the question does not arise.

दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान द्वारा मशीन का बेचा जाना

*434. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र:** क्या **सिंचाई और विद्युत्मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान ने ऐसी कोई मशीन खरीदी है जिसको वह बिना प्रयोग किये ही बेचना चाहती है ;

(ख) क्या इस मशीन का आयात किसी विशेष परियोजना के लिये किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस मशीन को बिना प्रयोग में लाये बेचने का क्या कारण है और इस मशीन को बेचने में कितनी हानि अथवा लाभ होगा?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) से (ग) दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान द्वारा खरीदी गई तथा उनके द्वारा प्रस्तावित विक्रय की जाने वाली मशीनों का विवरण नीचे दिया जाता है:--

(1) 'क' और 'ख' केन्द्रों तथा राजघाट में 15 मैगावाट के केन्द्र परकोयले को उतारने के लिये एक 80 टन की वैगन टिपलर खरीदा गया था। बहरहाल, इसका उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि इसके प्रतिष्ठापन के लिये आवश्यक भूमि खेल गांव हेतु शिक्षा मंत्रालय को देनी पड़ी थी। पांचवीं योजना के दौरान पूर्ण होने वाले ताप विद्युत् केन्द्रों में से किसी केन्द्र के लिये इस उपस्कर का उपयोग करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(2) इन्द्र प्रस्थ विद्युत् केन्द्र में कोयला उतारने के लिये एक 36 टन का वैगन टिपलर खरीदा गया था। बहरहाल, उपस्कर स्थापित नहीं किया गया था। रेलवे द्वारा मात्र कोयला परिवहन के लिये बक्स के आकार के डिब्बे आ जाने से यह उपस्कर फालतू हो गया है। इस प्रकार उपस्कर को बेचने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(3) डबल हाउसिंग बर्टिकल टर्निंग और बोरिंग मशीन इन्द्रप्रस्थ विद्युत् केन्द्र को कार्यशाला के लिये खरीदी गई थी। विद्युत् संयंत्र को चलाने पर प्राप्त हुये अनुभव से पता चला है कि विद्युत् संयंत्र के लिये संभाव्य, कुछ बृहदाकार कार्यों परविचार करते हुये, इस मशीन को लगाना किफायती नहीं होगा। अतः इसको बेचने केलिये प्रयास किये जा रहे हैं।

इसमें निहित लाभ/हानि का पता इस उपस्कर को बेचे जाने के उपरान्त ही लगेगा।

अजमेर स्टेशन (पश्चिम रेलवे) के सहायक स्टेशन मास्टरों को सुविधायें

*435. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम रेलवे के अजमेर स्टेशन पर सहायक स्टेशन मास्टरों को अपना काम करने के लिये क्या-क्या सुविधायें दी गई हैं जिसमें यात्री तथा माल गाड़ियों को सुरक्षित ढंग से संचालन करना सम्मिलित हैं;

(ख) क्या रेलवे दुर्घटना जांच समिति, 1968 ने सुझाव दिया था कि गाड़ियां पास करने के लिये नियुक्त कर्मचारियों (ट्रेन पासिंग स्टाफ) को बिना किसी हस्तक्षेप के कार्य करने दिया जाये;

(ग) क्या सरकार को पता है कि अजमेर स्टेशन पर सहायक स्टेशन मास्टर के कार्यालय के दरवाजे के बिल्कुल पास चाय तथा अल्पाहार स्टाल सुरक्षा नियमों के विरुद्ध है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ट्रैफिक सुपरिन्टेन्डैंट (सैफ्टी) महाप्रबन्धक, सी० ओ० पी० एस० तथा डिवीजनल सुपरिन्टैन्डैन्ट ने कितनी बार अजमेर स्टेशन का निरीक्षण किया और क्या इन अधिकारियों में से किसी ने इस पर ध्यान दिया है कि अजमेर स्टेशन पर सहायकस्टेशन मास्टर किन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) कार्य पालन में सहायक स्टेशन मास्टरों को दी जाने वाली सुविधाओं की व्यवस्था अजमेर स्टेशन पर भी है।

(ख) 1968 की रेल दुर्घटना जांच समिति ने ऐसा कोई विशेष सुझाव, जिस का हवाला दिया गया है नहीं दिया था।

(ग) सहायक स्टेशन मास्टर के कार्यालय के दरवाजे के पास स्थित चाय/अल्पाहार की दुकान अब हटा दी गई है। फिर भी इससे सुरक्षा में बाधा नहीं थी।

(घ) पिछले तीन वर्षों की अवधि में अजमेर स्टेशन का निरीक्षण यातायात अधीक्षक (संरक्षा) द्वारा चार बार, महा प्रबन्धक द्वारा आठ बार, मुख्य परिचालन अधीक्षक द्वारा छः बार और मण्डल अधीक्षक द्वारा 16 बार किया गया है।

वहां कार्य की कोई असमान्य स्थिति नहीं पाई गई इसलिये ऐसी परिस्थितियों पर ध्यान देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

धनबाद डिवीजन (पूर्व रेलवे) में स्विचमैन के लिये छुट्टी रिजर्व

*436. **श्री चन्द्रशेखर सिंह:**
श्री रामावतार शास्त्री:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्विचमैन के लिये 20 प्रतिशत छुट्टी रिजर्व की स्वीकृत कर्मचारी संख्या छुट्टी पर जाने वाले लोगों के स्थान भरने तथा अन्य प्रयोजनों हेतु पर्याप्त हैं;

(ख) 1972 और 1973 में धनबाद डिवीजन में औसत वेतन छुट्टी और आकस्मिक छुट्टी के लिये आवेदनपत्र देने वाले स्विचमैनों की संख्या कितनी है और उनको छुट्टी न देने के क्या कारण हैं ;

(ग) कुल कितने स्विचमैनों ने बीमारी की छुट्टी ली तथा उन्होंने ऐसी छुट्टी कितनी-कितनी अवधि के लिये ली और बीमारी की छुट्टी के इतने अधिक मामले होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) स्विचमैनों के लिये स्टेशन मास्टरों के समान छुट्टी रिजर्व की प्रतिशतता मंजूर न किये जाने का क्या औचित्य हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (घ) छुट्टी ऐंवजी के उधर्वगामी संशोधन का प्रश्न रेल प्रशासन के विचाराधीन है।

(ख) वर्ष 1972 के दौरान 201 स्विचमैनों ने औसत वेतन छुट्टी और 184 स्वीचमैनों ने नैमित्तिक छुट्टी के लिये आवेदन किया था। 1973 के दौरान 211 स्वीचमैनों ने औसतवेतनछुट्टी और 106 स्विचमैनों ने नैमित्तिक छुट्टी के लिये आवेदन किया था।

सामान्यत: मांगी गई छुट्टी मंजूर कर दी जाती है। ऐसे मामले भी हुये हैं जहां सेवा की अत्यावश्यकता के कारण छुट्टी फौरन मंजूर नहीं की जा सकी।

(ग) 1972 में 198 स्विचमैनों ने और 1973 में 321 स्विचमैनों ने विभिन्न अवधि के लिये और विभिन्न कारणों से बीमारी की सूचना भेजी।

स्कूटर और आटोरिक्शा मालिकों को रियायतें देने का प्रस्ताव

*437. **श्री श्री किशन मोदी**: क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हाल ही में पैट्रोल की कीमतों में वृद्धिको देखते हुये मोपेड, आटोरिक्शा और स्कूटर मालिकों को कुछ रियायतें देने पर विचार कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस प्रकार की रियायत दी जायेगी?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) जी हां ।

(ख) स्कूटर के टायर आदि पर उत्पादन शुल्क में कुछ रियायत दे कर ।

गोदावरी बांध परियोजना पर व्यय

*438. **श्री अण्णासाहेब गोटखिंडे**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदावरी बांध परियोजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है;

(ख) क्या इस परियोजना को आरम्भ करने के लिये गोदावरीजल-विवाद से सम्बद्ध राज्यों को सहमति दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) आन्ध्र प्रदेश की गोदावरी बराज परियोजना की अनुमानित लागत 26.59 करोड़ रुपये है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) गोदावरी बराज परियोजना केवल एक प्रतिस्थापन स्कीम है जिसमें वर्तमान पुराने ऐनीकट, जोकि खतरनाक स्थिति में है, के स्थान पर एक नये बराज का निर्माण परिकल्पित है। यह परियोजना इस शर्त पर स्वीकृत की गई है कि पुराने ऐनीकट के स्थान पर नये बराज के निर्माण के साथ जल के समुपयोजन में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिये।

विदेशी स्वामित्व वाली रसायनिक यूनिट द्वारा वस्तुओं की संयोजित बिक्री

*439. **श्री एम० सुदर्शनम**: क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी स्वामित्व वाली एक रसायनिक कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं पर पालिथिन पावडर आयुद्ध वेसलीन जैसा उनकी आवश्यकता की वस्तुओं के साथ-साथ बूटानोल तथा बूटिल एसीटेट जैसी कम चलने वाली वस्तुओं को खरीदने के लिये दबाव डालकर अपने उत्पादकों को संयोजित रूप में बेचने का समाचार मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ): (क) से (ग) बुटानोल तथा बुटियल ऐसीटेट अहित पोलिथिलीन तथा/अथवा बेंजीन के सम्बन्ध में पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में लो डमिटी पोलिथिलीन तथा/अथवा बेंजीन के किसी प्रोफेसर से किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई है।

रेलवे लेबर यूनियन (मद्रास) की गुन्टाकल डिवीज़न समिति द्वारा ज्ञापन

*440. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण रेलवे के महाप्रबन्धक को रेलवे लेबरयूनियन (मद्रास) की गुन्टाकल डिवीज़न कमेटी से कर्मचारियों की कुछ समस्याओं के बारे में दिनांक 14 सितम्बर, 1973 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) ज्ञापन में उठाई गई समस्याओं की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उन समस्याओं को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (ग) महाप्रबन्धक, दक्षिण रेलवे ने 14-9-73 का वह ज्ञापन स्वीकार नहीं किया था जो उन्हें गुन्तकल्लु आने पर पेश किया गया था। उस ज्ञापन की एक प्रति बाद में एक और पत्र के साथ डाक द्वारा प्राप्तहुई थी।

उस ज्ञापन में दिये गये मुद्दे और उनके बारे में स्थिति नीचे दी गई है :--

मुद्दे	टिप्पणियां
(i) रिक्तियों को भरना, एवजी कर्मचारियों से कैबिनमैनों तथा लीवर मैनों के रूप में काम लेना और सफाई वालों को दिहाड़ी पर नियुक्त करना।	एवजी कर्मचारियों से कैबिनमैनों और लीवरमैनों के रूप में काम नहीं लिया जाता। मण्डल में कुछ रिक्तियां हैं और उन्हें भरने के लिये पहले से ही कार्रवाई की जा रही है।
(ii) अतिरिक्त आकस्मिक श्रमिकों के लिये बढ़ी हुई मंजूरी	मई, 1973 में दरों को 3 रुपये से बढ़ा कर 3.50 रुपये कर दिया गया था।
(iii) गुन्तकल्लु के रेलवे अस्पताल में कान/नाक, गले तथा आंखों के विशेषज्ञों को नियुक्त करना।	जब कभी आवश्यक होता है, रेलवे अस्पताल, मद्रास से सम्बन्द्ध आंखों के विशेषज्ञ और रेलवे अस्पताल, पेरम्बूर से सम्बद्ध नाक, कान और गले के विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त की जाती हैं।
(iv) इंजीनियरी कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी भत्ते, यात्रा भत्ते आदि के बारे में बकायों का भुगतान।	बहुत से मामलों में बकायों का भुगतान कर दिया गया है और शेष मामलों में भुगतान करने के लिये आवश्यक कार्रवाई की गई है।
(v) जिन 7 अस्थाई कर्मचारियों ने 1968 की सांकेतिक हड़ताल में भाग लिया था उनकी अनुपस्थिति की अवधि को नियमित करना।	अनुपस्थिति की अवधि को 'ड्यूटी' मान लेने का विनिश्चय किया गया है।
(vi) हम्पालों के अस्थाई पदों को स्थाई पदों में बदलना और हम्पालों को स्थाई करना।	कुल 189 अस्थाई पदों में से 111 पद पहले ही स्थाई थे और शेष 78 पदों को भी 1-10-73 से स्थाई बना दिया गया है। इन पदों पर पहले ही 110 स्थाई कर्मचारी नियुक्त हैं। शेष कर्मचारियों को स्थाई करने के प्रश्न पर उस समय विचार किया जायेगा जब नियमित नियुक्ति के लिये उनकी जांच-पड़ताल कर ली जायेगी।
(vii) कुछ फाटक वालों का पुनर्वर्गीकरण 'अपवर्जित' से 'सतत' में करना।	यह सड़क यातायात पर निर्भर करता है और इस मामले पर विचार किया जा रहा है।
(viii) गुन्तकल्लू स्टेशन पर पानी की सप्लाई में सुधार करना।	पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिये गहरी खुदाई वाले अतिरिक्त कुंएं खोदने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

अरब सागर में तेल खुदाई को धक्का पहुंचना

*441. **श्री सी० जर्नादनन:**

डा० हरि प्रसाद शर्मा:

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरब सागर में तेल सम्बन्धी सरकार की योजना को धक्का पहुंचने की संभावना है क्योंकि छिद्रण जहाज को इस कार्य के लिये उचित नहीं पाया गया; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भाखड़ा विद्युत् सप्लाई में गड़बड़ी

*442. **श्री वनमाली पटनायक:** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष में अब तक भाखड़ा से विद्युत् सप्लाई में कितनी बार गड़बड़ी हुई है;

(ख) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि भाखड़ा बिजली घर ठीक ढंग से कार्य करता रहे क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) जनवरी, 1973 से नवम्बर, 1973 के अन्त की अवधि के दौरान भाखड़ा विद्युत् सप्लाई चार बार बन्द हुई।

(ख) और (ग) ये खराबियां, दोषों के साथ-साथ भारी भार मांग, जबकि स्पिनिंग आरक्षित क्षमता उपलब्ध नहीं थी, के कारण आई। दोष अधिकतर स्वचालित वोल्टेज नियामक प्रणाली में थे या सुरक्षात्मक रिलेज के दोषपूर्ण कार्य के कारण हुये थे। संघटक राज्यों को, जिन्हें भाखड़ा प्रणाली से विद्युत् सप्लाई की जा रही है, सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर किये गये आवंटन के अन्तर्गत अपनी मांगों को सीमित करें ताकि ओवर लोड, जिससे मशीन में ट्रिपिंग होता है, न हो। स्वचालित वोल्टेज नियामक प्रणाली की जांच की गई और उसको ठीक कर दिया गया है, और सुरक्षात्मक रिलेज को, उनके दोषपूर्ण प्रचालन को रोकने के लिये, जहां आवश्यक था, समायोजित कर दिया गया है।

Absence of a coach attached to Mhow-Khandwa Express in October, 1973

4142. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a passenger coach which is attached to the Mhow-Khandwa Express at Chittaurgarh and which arrives from Udaipur was not attached to the above train in October, 1973 as a rsesult of which the passengers had to stay there for a day; and

(b) if so, the persons responsible for this lapse and the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways(Shri Mohd. Shafi Qureshi) :(a)&(b) The composite I, II & III class through service coach running between Udaipur City and Mhow did not run on only one day during Ocboter, 1973. On 26-10-73 this through coach had to be cancelled as the connecting train *viz.* 16 Up Chetak Express was diverted to run via Mavli and Marwar, on account of a derailment of a goods train between Mandal and Lambyia stations on Chittaurgarh-Ajmer section.

नई उर्वरक परियोजनाओं के लिये एक अन्य सरकारी उपक्रम की स्थापना का प्रस्ताव

4143. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली कुछ नई उर्वरक परियोजनाओं की देखभाल के लिये सरकार का विचार एक अन्य सरकारी उपक्रम की स्थापना कराने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां। प्रस्तावित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का उद्देश्य उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले तीन सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों की देखभाल करना है।

(ख) प्रस्तावित उपक्रम का गठन सामान्यत : वर्तमान सरकारी उपक्रमों के ढंग पर किया जायेगा जोकि पूर्णत: सरकारी नियंत्रण में होगा ।

भारतीय उर्वरक निगम के गोरखपुर एकक के उत्पादन में कमी

4144. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के गोरखपुर एकक के उत्पादन में तेजी से कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख) पूर्व वर्ष में उतनी ही अवधि में हुए उत्पादन अर्थात् 39,300 मीट्रिक टन नाइट्रोजन की तुलना में अप्रैल/अक्तूबर, 1973 में उत्पादन कुछ कम हुआ (37,100 मीट्रिक टन नाइट्रोजन) । उत्पादन में यह कमी संयंत्र के समक्ष उपस्थित समस्याओं के कारण हुई । ये समस्या बिजली फेल होने तथा वोल्टेज में कमी होने जिसमें मई, 1973 में चार दिन तक पूर्णतया बिजली बन्द रहना भी सम्मिलित है, के कारण उत्पन्न हुई।

Progress of Irrigation and Power Projects in M. P.

4145. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the progress of Irrigation and Power projects in Madhya Pradesh has been rather slow;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken to accelerate the pace of progress of those projects?

The Deputy Minister in theMinistry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) Some of the irrigation projects in Madhya Pradesh like Chambal, Tawa and Barna have been under construction for a long time owing to rise in costs, shortage of funds,shortage of construction materials, changes in designs found necessary during construction etc. Priority has been given to the acceleration of work on such projects. They are now in an advanced stage of construction and are expected to be completed in the course of the Fifth Plan.

In the power sector, the Ranapratapsagar hydel and Jawaharsagar hydel projects and the fifth unit of Satpura thermal station are already commissioned, as had been envisaged in the Fourth Plan programme.

बम्बई तथा कोचीन के बीच जयन्ती जनता एक्सप्रैस गाड़ी चलाने का प्रस्ताव

4146. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और कोचीन के बीच जयन्ती जनता एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं तो, क्या सरकार इस सेक्शन पर यातायात की आवश्यकताएं अधिक होने के कारण इस प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी नहीं।

(ख) इस समय बंबई बी टी और कोचीन के बीच एक सीधी गाड़ी चलाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है क्योंकि मार्गवर्ती संतृप्त खंडों पर लाइन क्षमता का अभाव है और बंबई बी टी पर अपेक्षित पर्यन्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

वरकला रेलवे स्टेशन (केरल) का विकास

4147. **श्री वयालार रवि:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में वरकला के बढ़ते हुए महत्व का पता है क्योंकि लाखों लोग निकटवर्ती शिवागिरि देखने के लिये हर वर्ष आते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यातायात में वृद्धि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वरकला रेलवे स्टेशन का विकास नहीं किया गया और अनेक महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां इस स्टेशन पर नहीं रुकतीं और इस कारण यात्रियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) यातायात की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए स्टेशन का कुछ हद तक विकास किया गया है और आगे किये जाने वाले विकास संबंधी निर्माणकार्य जारी हैं जो इस प्रकार हैं:—

(i) प्लेटफार्मों का विस्तार;

(ii) पेयजल की सप्लाई की व्यवस्था में सुधार।

बुकिंग में सुधार और प्रतीक्षालय संबंधी सुधार की व्यवस्था के लिए स्टेशन की इमारत के कुछ हिस्से के ढांचे में परिवर्तन का काम शीघ्र ही शुरू किया जायेगा।

137/138 मद्रास-तिरुअनन्तपुरम एक्सप्रैस के अलावा सभी गाड़ियां वरकला रेलवे स्टेशन पर ठहरती हैं।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को तैनात किये बिना ही रेल सुरक्षा बल का गठन

4148. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सुरक्षा बल और अन्य संबद्ध एजेंसियों के रख-रखाव पर रेल विभाग भारी राशि खर्च कर रहा है और यदि हां, तो रेलवे जोन-वार कुल व्यय कितना है ;

(ख) क्या रेल सुरक्षा बल के सभी कर्मचारी राज्य सरकारों से प्रतिनियुक्ति पर आये हुए हैं ;

(ग) ऐसे सभी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ; और

(घ) क्या रेल विभाग का विचार प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को तैनात किये बिना ही अपना सुरक्षा बल गठित करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) 1972-73 में रेलों द्वारा रेलवे सुरक्षा दल पर किया गया अनुमानित व्यय तथा सरकारी रेलवे पुलिस के रख-रखाव के लिए दिया गया अंशदान निम्नलिखित हैं :—

रेलवे	रेलवे सुरक्षा दल (रु०)	सरकारी रेलवे पुलिस (रु०)
मध्य	1,95,11,000	41,01,000
पूर्व	2,97,47,000	44,45,000
उत्तर	2,25,02,000	48,83,000
पूर्वोत्तर	1,22,52,000	57,54,000
पूर्वोत्तर सीमा	1,05,67,500	16,21,000
दक्षिण	1,46,12,000	42,93,000
दक्षिण मध्य	88,73,000	25,12,000
दक्षिण पूर्व	2,30,37,100	17,48,200
पश्चिम	2,15,85,399	30,96,733

(ख) राज्य सरकारों से बहुत कम संख्या में कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर लिये गये हैं। रेलवे सुरक्षा दल के अधिकांश कर्मचारी विभागीय भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये हैं।

(ग) 1-12-73 को रेलवे सुरक्षा दल में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

राजपत्रित अधिकारी	55
अराजपत्रित कर्मचारी	58

(घ) रेलवे सुरक्षा दल के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए रेलों का पहले से ही अपना संवर्ग है।तथापि राजपत्रित अधिकारियों के लिए श्रेणी II के स्तर में सीधी भर्ती शुरू करके अब एक संवर्ग बनाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

वर्ष 1972 में दिल्ली न्यायिक सेवा संवर्ग में भर्ती

4149. श्री नाथू राम अहिरवार : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-न्यायिक सेवा संवर्ग में भर्ती के लिए सितम्बर/अक्तूबर, 1972 में एक प्रतियोगिता-परीक्षा आयोजित की गई थी ;

(ख) उस परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित हुए तथा दिल्ली प्रशासन में नियुक्ति के लिए सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों के योग्यताक्रम में नाम क्या हैं ;

(ग) क्या योग्यता-क्रम में ऊंचा स्थान पाने वाले किन्हीं अभ्यर्थियों को शांतिपूर्ण छात्र आंदोलनों में भाग लेने जैसे तर्कहीन कारणों से लिया नहीं गया है ;और यदि हां, तो क्या ऐसे मामलों की समुचित जांच हो गई थी तथा उक्त कारण संबंधित अभ्यर्थियों को बताये गये थे ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच०आर० गोखले): (क) जी हां।

(ख) से (घ) योग्यता-क्रम में उन अभ्यर्थियों के नामों की सूची संलग्न है, जिन्हें 'अर्हित' घोषित किया गया था। इस सूची से दिल्ली न्यायिक सेवा के लिए 25 अभ्यर्थी नियुक्त किये जाने थे। दो अभ्यर्थियों को, जिन्होंने उच्चतर स्थितियां प्राप्त की थीं, नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया, क्योंकि उन्होंने अनुप्रमाणन-प्ररूप में दी गई इस चेतावनी के बावजूद भी कि मिथ्या जानकारी का दिया जाना या किसी तथ्य का छिपाया जाना किसी अभ्यर्थी को नियोजन के लिए अयोग्य बना देना, अनुप्रमाणन-प्ररूप में मिथ्या जानकारी दी थी।संबंधित अभ्यर्थियों को उनके चयन नहीं किए जाने के कारणों के बारे में सूचित नहीं किया जाता है।

विवरण

सितम्बर/अक्तूबर, 1972 में हुई दिल्ली न्यायिक सेवा की प्रतियोगिता-परीक्षा के परिणाम-स्वरूप चयन किये गये अभ्यर्थियों की योग्यता-क्रम में सूची

योग्यता-क्रम में सं०	अभ्यर्थी का नाम
1.	श्री हरि प्रकाश शर्मा
2.	श्री भवन दास गोयल
3.	श्री राम नारायण जिन्दल
4.	श्री कुलदीप सिंह
5.	श्री बाबू लाल गर्ग
6.	कुमारी अरुणा जैन
7.	श्री महेंद्र कुमार गुप्त

योग्यता-क्रम में सं०	अभ्यर्थी का नाम
8.	श्री जगदीश प्रसाद
9.	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव
10.	कुमारी उर्मिला रानी
11.	श्री यशपाल लुकरिया
12.	श्री दर्शन सिंह
13.	श्री विद्या भूषण गुप्त
14.	श्री पदम चन्द अग्रवाल
15.	श्री कैलाश चन्द लोहिया
16.	श्री सतनाम सिंह
17.	कुमारी ममता रानी
18.	श्री शशि मोहन गुप्त
19.	श्री दिनेश दयाल
20.	श्री ओम प्रकाश गोगने
21.	श्री मंजीत सिंह साभरवाल
22.	श्री राजकुमार शर्मा
23.	श्री जय कृष्ण (अनुसूचित जाति)
24.	श्री मुख्तियार सिंह -यथोक्त-
25.	श्री ठाकुर दास केशव -यथोक्त-
26.	श्री बलबीर सिंह -यथोक्त-
27.	श्री ब्रह्मानन्द -यथोक्त-
28.	श्री जसवन्त सिंह -यथोक्त-
29.	श्री भोला दत्त -यथोक्त-
30.	श्री रतन लाल -यथोक्त-

विदेशी औषध-निर्माता फर्मों की क्षमताओं का युक्तिकरण

4150. श्री के०एस० चावड़ा : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 13 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 337 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) निर्दिष्ट मामले में क्षमता के युक्तिकरण का सही-सही आशय क्या है ;

(ख) क्या युक्तिकरण के परिणाम-स्वरूप मैसर्ज ग्लैक्सोज को सूत्रीकरण क्षमता में वृद्धि हुई है ;

(ग) सरकार ने विदेशी मुद्रा के संसाधनों पर इसके प्रत्यक्ष और परोक्ष अर्थात् विदेशी फर्मों को भारत अपनी आस्तियां बड़ाने के प्रतिकूल प्रभाव पर विचार किया है ; और

(घ) क्या इसका तात्पर्य उक्त फर्म के अनाधिकृत उत्पादन का नियतन और भारतीय क्षेत्र के उन निर्माताओं को वंचित करना होगा जो गत बीस वर्षों से तकनीकी जानकारी आदि रखते हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) अवापत्ति पत्रों और पूर्व उदार नीति के अधीन हाथ में लिए गए उत्पादन के सिलसिले में हर श्रेणी के सूत्रयोगों के लिए युक्तिकरण का अर्थ क्षमताओं का सदेकित है जिसमें संबंधित कंपनी द्वारा उत्पादित प्रपुंज औषधियों पर आधारित सूत्रयोगों के संबंध में अपवाद और विविधता शामिल है।

(ख) जी, नहीं 1969, 1970 या 1971 में पहले से ही उपलब्ध उत्पादन के आधार पर क्षमता नियत की गई थी ।

(ग) मशीनरी अभी संयंत्र में अलग से कोई पंजी भी लगाई गई थी अत: इसका प्रश्म ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

हजरत निजामुद्दीन और दिल्ली सफदरजंग तथा जीन्द और जाखल के बीच रेलगाड़ियों का का रद्द किया जाना

4151. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1973 के दौरान अनेक रेलगाड़ियां जैसे 1 डी०जे०पी० ; 2डी०जे०पी०, 343 अप, 344 डाउन, 1 डी०आर०, 2 आर०डी०जी०, 1 डीएस ० एस ० और 1 डी०के० आर० 2डी०के० आर० (हजरत निजामुद्दीन और दिल्ली सफदरजंग के बीच, दिल्ली-फीरोजपुर सेक्शन पर 1 डी०जे०, 2डी०जे० (जींद और जाखल के बीच) बार-बार और लंबी अवधि तक रद्ध की जाती रही है ;

(ख) कितनी रेलगाड़ियां अब भी नहीं चलाई जा रहीं और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ; और

(ग) यात्रियों के यातायात की दृष्टि से इस कारण रेलवे को कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख) लोको कर्मचारियों के आंदोलन खाद्यान्न के परिवहन, कोयले की कम उपलब्धि आदि कारणों से ये गाड़ियां 1973 में समय समय पर रद्द कर दी गयी थीं। लेकिन 1डी०के०आर०, 2डी० के० आर० को छोड़करये सभी गाड़ियां फिर बहाल कर दी गयीं हैं ।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Third Big Railway Station for Delhi

4152. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether to check overcrowding at existing Railway stations in Delhi it is proposed to have a third big station;

(b) if so, the estimated outlay thereof;

(c) the name of station which will be developed for the purpose; and

(d) the number of passenger trains likely to arrive at and depart from there?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways(Shri Mohd. Shafi Qureshi):(a) Yes.

(b) to (d) : The earlier decision to locate the new terminal at Nizamuddin has since been changed. The new site and further details have yet to be finalised.

Train cancelled on Narkatiagani Line (North Eastern Railway)

4153. **Shri Chandulal Chandrakar :**
Shri Bhagirath Bhanwar :

Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether some passenger trains have been cancelled on Narkatiagani line (North Eastern Railway) because goods trains carrying coal are being given priority on that line;

(b) if so, the amount of loss incurred by the Railways as a result thereof; and

(c) what arrangements have been made for the passengers experiencing inconveniences due to the cancellation of said trains?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) One pair of Narkatiaganj-Darbhanga Passenger trains,one pair of Narkatiaganj-Muzaffarpur Passenger trains and one pair of Express trains on Narkatianganj-Muzaffarpur-Sonpur section have been temporarily cancelled due to lesser availability of loco coal.

(b) The total loss in revenue due to cancellation of trips by these trains upto 4th December, 1973 has been estimated at approximately 1.6 lakh rupees.

(c) Loads of other passenger trains running on these sections have been suitably augmented for the convenience of passengers.

कांडला पत्तन पर नियुक्त किये गये भारतीय खाद्य निगम को ऋण स्वरूप पर दिये गये अधिकारियों की सेवा शर्तें

4155. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 52 रेलवे अधिकारियों की सेवाएं भारतीय खाद्य निगम को पश्चिम रेलवे के कांडला पतन पर नियुक्ति के लिये ऋण स्वरूप दी गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ;

(ग) क्या पतन कर्मचारियों की भांति इन्हें भी जोखम संबंधी लाभ दिये जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) उन्हें वे सभी सुविधाएं तथा रियायतें प्राप्त हैं जो रेल कर्मचारी के रूप में उन्हें सामान्यत: अनुक्षय होतीं। इसलिए शर्तों में जीवन-जोखिम के लाभ शामिल नहीं हैं।

पूना में चिचवाड़ नामक स्थान पर 'ग्लास एक्सपोक्सी' संयंत्र

4156. **श्री प्रभु दास पटेल**: क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बतानेकी की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूना में चिचवाड़ नामक स्थान पर दो युग रासयनिक इंजीनियरों ने एक लाख एक्स-पोक्सी संयंत्र का डिजाइन बनाया है तथा उसे चालू किया है;

(ख) यदि, हां, तो क्या देश में यह ऐसा सबसे पहला संयंत्र है;

(ग) क्या भारत में इसका उत्पादन करने के लिये कोई संयंत्र नहीं था तथा अब तक इस सामग्री का आयात किया जाता था; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस संयंत्र को पूरी तरह से विकसित करने के लिए केन्द्रीय सरकार उनकी सहायता करने के लिये सहमत हो गई है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) ग्लास एक्स इपोक्सी लैमि-टिडस को तैयार करने के लिए दो रासायनिक इंजीनियरों द्वारा मैसर्स दोमिका इंडिया लिमिटेड का संयंत्र तैयार किए जाने की सूचना मिली है।

(ख) मैसर्सवैकेलाइट हेलम लिमिटेड तथा मैसर्स फौमिका इंडिया लिमिटेड देश में ही ग्लास इपोक्सी लैमिनेट्स को तैयार करने में लगे हुए हैं।

(ग) उपर्युक्त दो फर्मों को सजावटी तथाऔद्योगिक परतों के निर्माण के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। ग्लास इपोक्सी परतों का आयात किया जा रहा है।

(घ) दोनों रासायनिक इंजीनियरों ने किसी प्रकार की सहायता के लिए कोई अनुरोध नहीं किया है।

मथुरा में वायु एवं जल संदूषण

4157. **श्री सरजू पांडे:**
श्री जगन्नाथ मिश्र:

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिकों ने मथुरा मेंजहांपुर एक तेल शोधन कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव है, वायु एवं जल संदूषण की आशंका की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या तेल शोधन कारखाने को वर्तमान स्थापना स्थल से सौ मील दूर स्थापित करने का सुझाव दिया गया है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग) मथुरा शोधन-शाला के अपशिष्ट पदार्थों से आगरा तथा मथुरा के चारों ओर विशेषकर ताजमहल तथा अन्य स्मारकों पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना पर पर्यवरण आयोजना तथा समन्वय समिति, भारतीय मानक संस्थान, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान इत्यादि के परामर्श से इस मंत्रालय तथा भारतीय

तेल निगम द्वारा बहुत गहराई से जांच की जा रही है। दूषण की सीमा का निर्धारण करने तथा इन खतरों को दूर करने के लिये अपनाये जाने वाले उपायों के बारे में पेट्रोलियम और रसायन मंत्री ने सितम्बर, 1973 में एक बैठक बुलाई थी जिसमें उपरोक्त संस्थाओं के प्रतिनिधियों और इस क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया था। उन में से अधिकांश का यह मत था कि शोधनशाला के द्रव तथा गैसीय अपशिष्ट पदार्थों द्वारा दूषण को दूर करने के लिये उपयुक्त कदम उठाये जाने चाहिये। अतः भारतीय तेल निगम शोधनशाला के डिजाइन में विशेष सुविधाएं शामिल कर रहा है ताकि दूषण के कारण होने वाले खतरों को रोका जा सके।

2. मथुरा में मौसम संबंधी परिस्थितियों का निर्धारण करने के लिये मौसम विज्ञान विभाग विस्तृत ब्यौरे एकत्रित कर रहा है। ताकि भारतीय तेल निगम गैसीय अपशिष्ट पदार्थों की अभिक्रिया के लिये अपेक्षित सुविधाओं का डिजाइन बना सकें। सामान्य तौर पर, इन अपशिष्ट पदार्थों से गंभीर खतरे उत्पन्न होने की आशा नहीं है। यदि उन्हें वायुमंडल में ऊंचाई पर छोड़ा जाये और मौसम संबंधी परिस्थितयां ऐसी हों कि गैस वायुमंडल में मुक्त रूप से छोड़ा जा सके। कुछ भी हो, सल्फर डायआक्साइड हटाने के लिये बहुत सावधानी रखने के उपायों के रूप में स्थापित सुविधाओं को शोधनशाला डिजाइन में जोड़ा जाएगा।

3. तरल अपशिष्ट पदार्थों का, ऐसे अत्यन्त नवीनतम एवं आधुनिक तरीकों, जो कोचीन शोधनशाला में सफलतापूर्वक प्रयुक्त किये जा रहे हैं, के प्रयोग से शोधन किया जाएगा और जल के अंतिम निकास, सिंचाई जल के लिये तथा नदियों में मिलाई जाने वाली धाराओं के लिये भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होगा। अतः शोधित अपशिष्ट जल, जब इसे नगर पालिका की शोधन सुविधाओं में सामान्य शोधन के पश्चात् या तो सिंचाई के लिये या मानवीय प्रयोग के लिये इस्तेमाल किया जायेगा, से कोई खतरा उत्पन्न नहीं होगा।

4. अन्य बातों के आधार पर वर्तमान स्थल बहुत उपयुक्त हैं और अन्य स्थलों, जिनकी स्थल चयन समिति द्वारा जांच की गई है, में अवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अतः भारतीय तेल निगम वर्तमान शोधनशाला स्थल पर इस समय शोधनशाला परियोजना की कार्यान्विति में लगा हुआ है और इसके अतिरिक्त स्टेक गैसों का डीसल्फराइजेशन तथा यदि मितव्ययी समझा गया तो लो सल्फर फरनेस आयल के जलाने का कार्य भी करेगा। उनसे मथुरा शोधन शाला में पर्यावरण आयोजना तथा समन्वय समिति के परामर्श तथा नियंत्रण के लिये एक स्थाई यूनिट स्थापित करने के लिये भी कहा गया है भारतीय तेल निगम द्वारा अपनाये जाने वाले दूषणा प्रतिकारक उपायों से मुख्य पुरातात्वि कैमिस्ट को भी पूर्ण रूप से संबद्ध किया जा रहा है।

व्यापार गृहों द्वारा संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव

4158. **श्री राज राज सिंह देव**: क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रतिक्रियाएं आयोग ने कुछ व्यापार गृहों को नए संयंत्र लगाने के प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) (क) तथा (ख): एकाधिकार एवं निबंधकारी व्यापार प्रथा आयोग इस प्रकार के प्रस्तावों का निबटान नहीं करता है।आयोग केन्द्रीय सरकारको, उन प्रस्तावों पर, जो सरकार द्वारा उसको आगे जांच के लिए संदर्भित किये गये हों, पर रिपोर्ट देता है।एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत नव उपक्रमों के स्थापनार्थ 9 आवेदन-पत्र जो आयोग को आगे जांच के लिए संदर्भित किये गये थे, में से 6 प्रस्तावों पर उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में उल्लिखित किये जाते हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5964/73]

एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत दों आवेदन पत्र पार्टियों द्वारा वापिस ले लिये गये हैं और एक प्रस्ताव एकाधिकार एवं निर्बंधकारी व्यापार प्रथा आयोग के पास अनिर्णीत है ।

Railway wagons containing explosives caught fire at Khan Alampur Yard in October, 1973

4159. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state

(a) whether a Railway wagon containing explosives and attached with a train stationed in the Railway yard at Khan Alampur Yard had caught fire in October, 1973;

(b) if so, the reasons therefore; and

(c) the loss suffered by Railways?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :(a) Yes on 7-10-1973.

(b) The cause of the fire is under investigation.

(c) The Railways have suffered a loss of rupees one lakh approximately.

मध्य प्रदेश में दवाई उत्पादन में घोटाला

4160. **श्री प्रबोध चन्द्र**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में दवाई उत्पादन में घोटाला चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी,नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Effect of Gas from Oil Refinery at Mathura on Taj Mahal

4161. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whther gas coming out of the Oil Refinery set up in Mathura will adversely effect the beauty of 'Taj Mahal' in Agra; and

(b) the steps proposed to be taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan).(a)& (b):The possibility of effluents from the Mathura Refinery affecting the surroundings & particularly the Taj Mahal and other monuments at Agra and Mathura has been under very close examination by the Ministry of Petroleum and Chemicals and the Indian Oil Corporation in consultation with the National Committee on Environmental Planning and Coordination,the Indian Standards Institution, the Central Public Health Engineering Research Institute, etc. The Minister of Petroleum and Chemicals had taken a meeting in September, 1973,attended by representatives from the above organisations and other experts in this field to assess the extent of pollution and the steps that should be taken to eliminate these hazards. The consensus was that adequate steps should be taken to eliminate pollution by liquid or gaseous effluents from the refinery. The Indian Oil Corporation is, therefore, including in the design of the refinery special facilities so that hazards on account of pollution are eliminated.

2. The Department of Meteorology is collecting extensive data to determine the weather conditions at Mathura to enable the IOC to design the facilities needed for treating the gaseous effluents. Normally, these effluents are not expected to pose serious hazards if they are let out at a high level in the atmosphere and the weather conditions are such that the gases are freely dispersed in the atmosphere. In any case built-in facilities for removal of Sulphur Dioxide would be added to the Refinery Design as a measure of abundant precaution.

3. The Indian Oil Corporation is also being asked to establish in the Mathura Refinery a permanent unit to monitor and control the effluents in consultation with the National Committee on Environmental Planning and Coordination. The Chief Archaeological Chemist is also being fully associated with the antipollution measures being undertaken by the IOC.

Ticketless travelling in the train running from Delhi to Ahmedabad.

4162. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of times the train which leaves Delhi or Ahmedabad at 9.30 A.M. reached Jaipur late during the latter half of October, 1973 and the reasons for the late arrival of the train ;

(b) whether a large number of students travel during day-time without tickets from the stations located between Delhi and Alwar in order to reach their colleges and schools; and

(c) whether no action is taken against such students, if so, why?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) During the period 16-10-73 to 31-10-73, 3 Up Delhi-Ahmedabad Express arrived Jaipur late on six days mainly due to high incidence of alarm chain pulling and consequent loss of time on displaced crossings.

(b) A large number of students do travel by this train between Delhi and Alwar but not without tickets.

(c) In order to educate the students against ticketless travel and to wean them away from this evil practice the following action has been taken:—

(i) Cases of ticketless travel by students are being brought to the notice of Heads of Educational Institutions concerned for necessary action.

(ii) Railway Officers both serving and retired, visit educational institutions at frequent intervals and deliver lectures to students about the evils of ticketless travel.

(iii) Students are regularly associated with the ticket checking campaigns.

सुवर्णरेखा नदी में बाढ़ों को रोकने के लिए जलाशय का बनाया जाना

4163. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र**:क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का सुवर्णरेखा नदी और बुदाहालंगा में लगातार बाढ़ों को देखते हुए बुदाहालंगा के लिए कुलियाना में एक जलाशय बनाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : उड़ीसा राज्य सरकार कुलियाना में बुडाबालंगा नदी पर एक बांध का निर्माण करने की संभाव्यता का अनुसंधान कर रही है।

Late Arrival of Train at Jaipur from Delhi.

4164. **Shri M.C. Daga:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the time at which the train, which leaves Delhi for Ahmedabad at 9.30 a.m., left Delhi on the 1st November, 1973 and the time at which it arrived at Jaipur;

(b) the reasons for its late arrival at Jaipur;

(c) whether the train got late as a result of student's activities;

(d) whether the guard, the police or the station authorities on any of the stations between Delhi and Alwar did not try to check the activities of the students on this train; and

(e) if so, whether the Railways had to suffer a loss of hundreds of rupees as a result thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a)3 Up Delhi-Ahmedabad Express left Delhi at 10.53 hours and arrived at Jaipur at 20.44 hours on 1-11-73.

(b) & (c) After having had a late start of 1 hour 28 minutes ex. Delhi due to late replacement of the rake, the train suffered further detentions on Delhi-Bandikui section on account of frequent alarm chain pulling. Between Rewari and Bharawas stations, students of a local college also indulged in alarm chain pulling.

(d) The Ticket checking staff on this train with the help of R.P.F. and G.R.P. did try to apprehend the culprits but they ran away. Checking has been intensified in the section.

(e) These activities, no doubt, resulted in detention to the passenger train and losses on that score. Such losses, however, cannot be precisely quantified in monetary terms.

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भारतीय कृषक उर्वरक निगम को एसोसियेटिड गस की मुफ्त सप्लाई

4165. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग गुजरात में कलोल स्थित भारतीय कृषक उर्वरक निगम को प्रति दिन 7,50,000 क्यूविक मीटर प्राकृतिक गैस की सप्लाई करने के लिये सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) यह संयंत्र कब से उत्पादन शुरु कर देगा ; और

(घ) इस गैस की सप्लाई से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को कितनी आय होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां): (क) जी, हां।

(ख) और (ग): 1973 के बीच गैस की सप्लाई करने का कार्यक्रम था जोकि 12 साल तक चलता रहा। फिर भी अब तक ये संकेतों के अनुसार भारतीय कृषक उर्वरक निगम के विभिन्न अनुभागों से आशा की जाती है कि निम्न निर्दिष्ट तारीखों से ही कार्य आरंभ करेंगे:—

(1) अमोनिया संयंत्र	(1) 1-4-74 से कार्य आरंभ करेगा ।
	(2) जून/जुलाई, 74 से उत्पादन बराबर चालू रहेगा ।
2. 2 यूरिया संयंत्र	(3) जुलाई, 1974 से कार्य करना आरंभ करेगा।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को आई०एफ०एफ०सी० ओ० ने संकेत दिया कि वे 31-12-73 से गैस को उत्तरोत्तर लेना आरंभ कर देंगे ।

(घ) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तैयार की गई परियोजना-रिपोर्ट के अनुसार पूंजीगत निवेश से शुद्धआय प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत से कम होने की संभावना है।

इंडियन आरगेनिक केमीकल्स तथा श्री सिनेथेटिक्स द्वारा एकाधिकारी फर्मों को चिप्स की सप्लाई

4166. **श्रीमधु लिमये**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आरगेनिक केमीकल्स तथा श्री सिनेथेटिक्स नामक फर्मों जिन्हें पालिस्टर फाइबर को बनाने का लाइसेंस दिया गया था जे० के० मोदी बन्धुओं जैसी एकाधिकारी फर्मों को चिप्स बेच रही है और स्वयं पालिस्टर का अन्तिम उत्पाद तैयार नहीं कर रही है जिनके लिये उन्हें लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार इन फर्मों को आयात किया हुआ तथा देशीय उत्पादन का डी० एम० टी० तथा अन्य कच्ची सामग्री दे रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि केमिकल्स एण्ड फाइबर (इण्डिया) लिमिटेड, जो एक विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनी है, इस कदाचार में शामिल है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी मात्रा में पालिस्टर चिप्स इन कम्पनियों द्वारा बेचे गये उनके द्वारा इस पर कितना लाभ अर्जित किया गया तथा इन कदाचारों के परिणाम-स्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा विदेशों को चली गयी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) (क) से (घ): अगस्त 1973 में शिकायत मिली थी कि जिस पोलिस्टर फाइबर का उत्पादन करने के लिये कुछ पालिस्टर फाइबर निर्माताओं को लाइसेंस दिए गए थे वे लोग इन उत्पादकों के बजाय दूसरे उपयोग कर्ताओं को पालिस्टर चिप्स बेच रहे थे। स्थिति की जांच करने पर इसका पता चला कि मैसर्स इंडियन आरगैनिक केमिकल्स ने 2,81,100 रुपये की लागत के चिप्स के 14.1 मीट्रिक टन निम्नलिखित पार्टियों को बेचे गये थे :—

तारीख	पार्टी	मात्रा मीट्रिक टनों में	लागत (रुपयों में)
जून 1973	मैसर्स सिन्थेटिक्स	2.1	34,000
जून 1973	मैसर्स निरलोन सिन्थेटिक्स	7.0	1,40,000
जून 1973	मैसर्स लमिना इन्डस्ट्रीज	0.1	2,100
अगस्त 1973	मैसर्स जे० के० सिन्थेटिक्स	5.0	1,05,000
		14.1	2,81,100

मसर्स केमिकल्स और फाइबर आफ इंडिया लि० ने मैसर्स श्री सिन्थेटिक्स को अपनी पालिएस्टर फिलामेण्ट यार्न परियोजना के संबंध में परीक्षण के लिए 2 टन उधार दिया था। मैसर्स इंडियन आरगैनिक केमिकल्स को चिप्स न बेचने की सलाह दी गई थी।

मसर्स इंडियन आरगेनिक केमिकल्स और केमिकल्स और फाइबर आफ इंडिया लिमिटेड दोनों को डी० एम० टी० का अवंटन आयात में से और इंडियन पैट्रो केमिकल्स कार्पोरेशन लि० उत्पाद में से किया गया था। दोनों पालिएस्टर का फाइबर का निर्माण कर रहे हैं। मैसर्स श्री सिन्थेटिक्स को कोई भी एम टी का आवंटन अब तक नहीं दिया गया है और अभी तकपालिएस्टर फाइबर का निर्माण नहीं किया है।

मसर्स केफी विदेशी कम्पनी है और उक्त कथित स्थिति को ध्यान में रखकर विदेशी मुद्रा का प्रश्न नहीं उठता है।

Setting of Fertiliser Factory in Rewa

4167. **Shri Dhan Shah Pradhan:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state whether any scheme is under consideration to set up fertilizer factory in Rewa Division with the electricity and other facilities provided by the Ban Sagar Porject in the initial stage ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : No, Sir.

'करप्शन इन कोर्टस इन इंडिया' नामक पुस्तक

4168. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री 'करप्शन इन कोर्टस इन इंडिया' (भारत में न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार) नामक पुस्तक के बारे में 8 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9565 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस पुस्तक मेंलगाये गये आरोपों को इस बीच जांच कर ली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) और (ख) अभी जांच की जानी है ।

अजमेर के पार्सल कार्यालय में कार्य कर रहे मैसर्स दलाल एण्ड कम्पनी के श्रमिकों द्वारा हड़ताल

4169. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर में पार्सल कार्यालय में कार्य करने वाले मैसर्स दलाल एण्ड कम्पनी के ठेका श्रमिकों ने 21 और 22 अक्तूबर, 1973 को दो दिन की हड़ताल की जिससे पार्सलों की बुकिंग का कार्य रुक गया ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) श्रमिकों की हड़ताल के कारण रेलवे को कुल कितने राजस्व की हानि हुई :

(घ) अजमेर के पार्सल कार्यालय की 20 सितम्बर से 25 सितम्बर, 1973 को तुलनात्मक आय क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख) जी हां । पार्सल कार्यालय अजमेर में काम करने वाले श्रमिक ठेकेदार मैसर्स दलाल एंड कम्पनी केश्रमिकों ने दो दिन के लिये अर्थात 21 और 22 सितम्बर को (21 और 22 अक्तूबर,1973 नहीं) उचित मजदूरी की मांग के लिय हड़ताल कर दी थी ।

(ग) लगभग 1000 रुपये ।

(घ) 20 सितम्बर, 1972 से 25 सितम्बर, 1972 तक की आमदनी 20 सितम्बर, 1973 से 25 सितम्बर, 1973 की आमदनी की तुलना में क्रमशः 18,585 रु० और 25,967 रु० थी जिसमें सैनिक परेषणों से होने वाली 8,848 रु० की आमदनी भी शामिल है ।

(ङ) ठेकेदार के विरुद्ध ठेके की शर्तों और उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई की गयी अर्थात उन दिनों रेलवे द्वारा लगाय गये श्रमिकों का खर्च नामखाते में डाल दिया गया ।

तृतीयश्रेणी के पदों पर वैकल्पिक नियुक्ति में खपाने के लिये वरिष्ठता के अभिप्राय के लिये सेवा को ध्यान में रखा जाना

4170. श्री सोम चन्द सोलंकी: क्या रेल मंत्री तृतीय श्रेणी के पदों पर वैकल्पिक नियुक्ति में खपाने के लिये वरिष्ठता के अभिप्राय के लिये सेवा को ध्यान में रखे जाने के बारे में 6 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2190 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के 26 नवम्बर, 1970 के पत्र संख्या ई० (एन० जी०) 11-69 आर० ई आई०/56 की मुख्य बातें क्या हैं

(ख) इस पत्र को जारी किये जाने के कारण क्या हैं : और

(ग) रेलवे कर्मचारियों के किन-किन वर्गों पर यह लागू होता है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग): जुलाई 1969 में यह विनिश्चय किया गया था कि 125-155 रु० के वेतनमान में 'ए' ग्रड के फालतू प्रथम फायरमैनों और 100-130 रु० के 'बी' ग्रेड फायरमैनों की जो मैट्रीकुलेट हों या समकक्ष अर्हता रखते हों गाड़ी कलर्क, वाणिज्यिक कलर्क और टिकट कलक्टरों की तृतीय श्रेणी कोटियों में समाहित करने के लिए जांच की जाय । बाद में इन आदेशों को उसी ग्रेड के तथा उच्चतर ग्रेड के गैर-फालतू रनिंग कर्मचारियों जैसे डीजल सहायक शंटर और 'सी' ग्रेड के ड्राइवरों पर भी लागू कर दिया गया । 26-11-1970 के आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि इन कर्मचारियों के वेतन एवं उनकी वरिष्ठता के वैकल्पिक पद पर किस प्रकार निर्धारित की जाय । इन आदेशों में यह निर्धारित है कि नये पद में वरिष्ठता के लिये पिछली सेवा को कोई महत्व न दिया जाय ।

टाटा बिड़ला, साहू जैन तथा गोयंका उद्योग समूहों द्वारा लाभ की राशि का परामर्शदात्री फर्मों को भुगतान

4171. कुमारी कमला कुमारी : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि टाटा बिरला, साहू जैन तथा गोयन्का उद्योग समूह जैसी बड़ी फर्में परामर्श देने वाली अपनी फर्मों को ऐसी सेवाओं के लिये अपने लाभ की भारी राशि देती है, जो व्यवहारिक रूप से कुछ नहीं होती है ; और इन फर्मों ने अपने उद्योगों को घाटे में दिखाने का प्रयास किया है और इसके लिये सरकार पर दोष लगाया है कि इन उद्योगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है और परिणामतः उन्हें हानि उठानी पड़ रही है ;

(ख) यदि हां तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ; और

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार का इन गृहों के द्वारा नियंत्रित उद्योगों के बारे जांच करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ): (क) तथा (ख) कुछ बड़े औद्योगिक गृह परामर्शी फर्मों को सेवाएं नियोजित करते हैं । इस प्रकार की सेवाओं की नियुक्तियां और परिश्रमिक का निर्धारण किया जाना कम्पनी के आन्तरिक प्रशासन के मामला है । कम्पनी

द्वारा किये गये लाभ या हानि के लिये तथा कम्पनी के निष्पादन का स्पष्टीकरण किये जाने का उत्तर-दायित्व कम्पनी के निदेशक-मंडल का है, जो प्रतिवर्ष अपने शेयरधारियों को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है । जब कभी भी यह सरकार की सूचना में आता है कि इस प्रकार की नियुक्तियों में कम्पनी का निदेशक-मंडल, कम्पनी की निधि के दुरुपयोग में निरत है तो मामला संबंधित कम्पनी के सामने शोधन-पूर्व कार्यवाही के लिए रखा जाता है ।

(ग) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत सुझाव या अन्य कोई आधार पर उद्योग के कार्यकरण सामान्य जांच का आदेश देना संभव नहीं है ।

कम्पनियों की लेखा पुस्तकों का निरीक्षण

4172. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री मैसर्स कोरस इंडिया लिमिटेड द्वारा कच्ची सामग्री तथा अर्ध निर्मित माल के निर्यात के बारे में 17 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3517 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या सरकार ने कम्पनियों की लेखा पुस्तकों का कोई निरीक्षण किया है ;

(ख) क्या सरकार स्वयं अथवा सीमा शुल्क विभाग, रेलवे विभाग, चुंगी विभाग या अन्य सरकारी एजेंसियों से यह पता लगा सकती है कि किसी फर्म विशेष के निर्यात की कुल मात्रा कितनी है ; और

(ग) यदि हां तो सरकार ने मैसर्स कोरस इंडिया लिमिटेड के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ): (क) यह विभाग कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(4) के अन्तर्गत कम्पनियों की लेखा-बहियों और अन्य प्रलेखों का निरीक्षण संपन्न करता है ।

(ख) कोई विशेष कम्पनी के निर्यात के ब्यौरे उसकी लेखा-बहियों और अन्य प्रलेखों के निरीक्षण द्वारा ही सुनिश्चित किये जा सकते हैं ।

(ग) कोरस इण्डिया लिमिटेड को लेखा बहियों और अन्य प्रलेखों के निरीक्षण का आदेश बड़े औद्योगिक गृहों से संबंधित कम्पनियों के निरीक्षण के भाग के रूप में, दे दिया गया है । माननीय सदस्य द्वारा अपने अतारांकित प्रश्न संख्या 3517 दिनांक 17-8-1973 में पूछी गई सूचना प्राप्त की जा रही है तथा सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

विदेशी कम्पनियों की शाखाओं की एक सूची का सभा पटल पर रखा जाना

4173. श्री विक्रम महाजन: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह, अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक माल का निर्यात करने वाली विदेशी कम्पनी की उन शाखाओं की एक सूची सभा पटल पर रखेंगे, जो 1 नवम्बर, 1973 को विद्यमान थी ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ): सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

भारत में अरब लीग मिशन के कार्यवाही अध्यक्ष का कच्चे तेल की सप्लाई के बारे में कथित वक्तव्य

4174. **श्री एच० एम० पटेल**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत में अरब लीग मिशन के कार्यवाहक अध्यक्ष के 7 नवम्बर 1973 के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिससे कि अरब देश तेल सप्लाई के मामले में तथा अन्य मित्र देशों के हित की रक्षा करेंगे;

(ख) क्या सरकार को तेल पैदा करने वाले देशों से इस संबंध में कोई औपचारिक संदेश प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) जी हां।

(ख) और (ग) ईराक तथा सऊदी अरब ही दो ऐसे अरब देश हैं जो भारत को कच्चे तेल की सप्लाई करते हैं। इन दोनों में से, केवल सऊदी अरब ने ही तेल की सप्लाई में कटौती लगाई है। यह कटौती अब बहाल कर दी गई और सउदी अरब सरकार से इस बारे में सरकारी सूचना प्राप्त हो गई है। तथापि, सऊदी अरब सरकार ने एक फार्मुला बनाया है जिसके अन्तर्गत विभिन्न मित्र देशों को कच्चे तेल की सप्लाई के कोटे का नियतन उत्पादन में की गई समस्त कटौती को ध्यान में रखकर किया जाता है। भारत को, अन्य मित्र देशों की तरह, कच्चे तेल का आवंटन इस फार्मुले के अनुसार किया जाता है।

Additional Expenditure on Import of Petrol

4175. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state the additional expenditure that will have to be incurred by Government on account of importing oil for the country this year and the foreign exchange required therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : The additional expenditure in terms of foreign exchange due to price hike of crude oil during the year 1973 is estimated to be of the order of Rs. 44 crores.

Summer Vacations in Courts

4176. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that High Courts and Supreme Court have summer vacations for about two months; and

(b) if so, whether Government propose to do away with this practice in the aforesaid Courts?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs: (Shri H.R.Gokhale) : (a) Since 1961, it has been left to each High Court to fix the periods of vacation in such a manner as to ensure that the number of working days does not fall below 210 days in a year. As

regards the Supreme Court, the Supreme Court Rules, 1966 provide that the period of summer vacation shall not exceed ten weeks, it being left to the Chief Justice of India to fix the actual period.

(b) No sir.

Non-availability of Kerosene oil in villages of Champaran District of Bihar

4177. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether kerosene oil is not available even for Rs. 2 per litre in the villages of Champaran District in Bihar since the increase in the prices of petroleum products;

(b) if so, whether Government have made any arrangements to make kerosene oil easily available and at reasonable price to the people living in villages; and

(c) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) No reports have been received from the Government of Bihar in this regard. The State Governments are however empowered under the Essential Commodities Act to, statutorily fix prices and to take action against overcharging.

(b) &(c) Arrangements are being made to make available Kerosene Oil to the general public through the retail outlet pumps. This system has already been introduced in Delhi and in U.P. Plans are in hand to extend this scheme in other States also very shortly. This will be in addition to the existing arrangement for distribution of Kerosene Oil. Most of the pumps are located in rural areas.

Time-Bound Programme for Converting Metre Gauge Lines into Broad Gauge lines

4178. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any time-bound programme for converting metre gauge lines into broad gauge lines; and

(b) if so, the outlay involved therein and the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b) Conversion of the following metre gauge sections covering a length of about 1662.15 Kms. at an estimated cost of Rs. 121 crores, has been sanctioned and work is in progress:—

1. Barabanki-Samastipur.
2. Parallel B.G. line from Guntakal to Dharmavaram and conversion of Dharmavaram-Bangalore City.
3. Trivandrum-Quilon-Ernakulam.
4. Viramgam-Okha and Kanalus-Porbander (including Jamnagar-Bedi and Kanalus-Sika).

Surveys have been carried out for the conversion of the following sections also:—

1. New Bongaigaon-Gauhati.
2. Barauni-Katihar.

3. Miraj-Londa-Hospet, Londa-Mormugao and Alnaver-Dandeli.
4. Karur-Dindigul-Tuticorin.
5. Varanasi-Bhatni.
6. Samastipur-Raxaul via Darbhanga or Muzaffarpur-Raxaul.
7. Guntur-Macherla.
8. Delhi-Sabarmati.

Actual conversion of these sections will depend upon the results of the examination of the survey reports and economic study reports, their inter-se priority, and availability of funds.

बर्दवान और रानीगंज स्टेशन के पुनर्निर्माण की योजनाएं

4179. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बर्दवान और रानीगंज (पूर्व रेलवे) स्टेशनों के पुनर्निर्माण संबंधी योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं जिनकी क्षमता हर प्रकार से तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): पूर्व रेलवे के बर्दवान और रानीगंज रेलवे स्टेशनों के ढांचे में परिवर्तन के संबंध में इस समय कोई योजना नहीं है ।

पूर्व रेलवे के बर्दवान-आसनसोल सैक्शन के उपनगरीय क्षेत्र का विस्तार करना, सैक्शन सम्बन्धी क्षमता तथा टर्मिनल सुविधाओं को बढ़ाना तथा प्लेटफार्मों को ऊंचा करने सम्बन्धी कार्यक्रम

4180. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे द्वारा तैयार किये गये :

(1) सैक्शन संबंधी क्षमता तथा टर्मिनल सुविधाओं को बढ़ाने;

(2) तत्रित, खाना (केवल अप), गालसी, पराज, राजबंध के पांच स्टेशनों के रेल-स्तर के प्लेटफार्मों को ऊंचा करने (जैसा कि 56वें डी० आर० वी० सी० सी० द्वारा स्वीकृत किया गया); और

(3) पूर्व रेलवे पर बर्दवान-आसनसोल सैक्शन में उपनगरीय क्षेत्र का विस्तार करने, संबंधी कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हरसना कलां हाल्ट स्टेशन का कार्यकरण

4182. **श्री के० लकप्पा :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी रेलवे पर 'हरसना कलां रेलवे हाल्ट' 28 नवम्बर, 1970 से चालू हो गया है :

(ख) क्या तब से, इस तथ्य के बावजूद कि ग्रामवासी यह मांग करते रहे हैं कि अधिक गाड़ियां इस हाल्ट पर रुकनी चाहियें, केवल एक गाड़ी प्रातः तथा एक गाड़ी शाम को इस हाल्ट पर रुकती है ;

(ग) उस हाल्ट पर अधिक गाड़ियों को न ठहराने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उस हाल्ट से सीजन टिकट जारी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) हरसानाकलां हाल्ट स्टेशन 30-11-1970 से यात्री यातायात के लिये खोल दिया गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) मब्जी मंडी-पानीपत इकहरी लाइन खण्ड पर लाइन क्षमता संबंधी कठिनाइयों के कारण हरसाना कलां में अतिरिक्त गाड़ियों के रुकने का न तो यातायात की दृष्टि से औचित्य है, न ही परिचालन की दृष्टि से यह व्यवहारिक है ।

(घ) मासिक मौसमी टिकटों को जारी करने में कुछ महत्वपूर्ण अतिरिक्त लिपिक कार्य की अपेक्षा होती है जो ठेकेदार को सौंपना वांछनीय नहीं है और इसी लिये उत्तर रेलवे पर प्रचलन के अनुसार हाल्ट के ठेकेदारों को ऐसे मासिक टिकट जारी करने की सामान्यतः अनुमति नहीं दी जाती ।

भारतीय उर्वरक निगम के अधिकारियों का हस्तान्तरण

4183. **श्री के० लकप्पा :**
श्री श्री किशन मोदी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय उर्वरक निगम से सर्वोच्च प्रबन्धक पदों के बारे में कोई फेर-बदल किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) (क) से (ग) जी, हां अध्यक्ष और प्रबन्धक निदेशक के पदों को एक कर दिया गया है तथा पूर्ण निदेशक (परियोजना) को अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गय है । इस समय एक और निदेशक (विपणन) भी है तथा निदेशक (वित्त) के पदभार के संबंध में भी परिवर्तन किया गया है ।

गैर सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना सम्बन्धी प्रस्तावों पर पुनर्विचार

4184. **श्री रानेन सेन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्रों को स्थापित करने के बारे में पुर्नीविचार करने के प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहजनवाज खां) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गाजियाबाद बुकिंग एजेंसी से माल की बुकिंग सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन

4185. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद सिटी बुकिंग एजेंसी से या उसके लिये केवल वही पार्सल बुकिंग किया जाता है जिसका वजन अधिक से अधिक 100 किलोग्राम होता है ·

(ख) यदि हां, तो क्या यह एजेंसी 100 किलोग्राम से अधिक वजन वाले पार्सलों का ही नियमित रूप से बुकिंग कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां, ।

(ग) आमतौर पर उत्तर रेल प्रशासन द्वारा आउट एजेंटों और नगर बुकिंग एजेंटों को 187 कि० ग्रा० तक वजन के अलग अलग पैकेजों को बुक करने की अनुमति दी जाती है। लेकिन, गाजियाबाद नगर बुकिंग एजेंसी के मामले में यह सीमा स्वंय एजेंट के अनुरोध पर 100 कि० ग्रा० तक कर दी गयी थी क्योंकि पार्सल आफिस से पैकेज लाने और ले जाने में कठिनाई होती थी जिसका रास्ता एक ऊपरी पुल से होकर है । फिर भी चूंकि व्यवहारतः एजेंट 130 कि० ग्रा० वजन तक के पैकेज भी ले लिया करता है, इसलिए 100 कि० ग्रा० की सीमा बढ़ा कर 130 कि० ग्रा० की जा रही है और इस वजन तक बुकिंग के लिये आये हुए सभी पैकेज उसे लेने ही पड़ेंगे ।

नई दिल्ली स्टेशन पर नैमित्तिक श्रम की दरों पर काम कर रहे कुली

4186. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्टेशन पर डिविजनल सुपरिटेंडेंट उत्तरी रेलवे, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर दी गयी अस्थायी स्वीकृति के अनुसार कुछ श्रमिक नैमित्तिक दरों पर कुली के रूप में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुली कितने वर्षों से इन दरों पर काम कर रहे हैं ; और

(ग) क्या उन्हें "एवजी" के रूप में काम देने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) किसी की भी लगातार सेवा 6 महीने की नहीं है । भंग अवधियों में कुल सेवा 54 से लेकर 906 दिनों के बीच है ।

(ग) जी हां, नैमित्तिक श्रमिक के रूप में उनकी कुल सेवा के आधार पर उनकी बारी आने पर ।

तदर्थ नियुक्तियों के स्थान पर अध्यापकों का चुनाव तथा नियुक्ति (पश्चिमी रेलवे)

4187. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेलवे में माध्ममिक, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के कितने मुख्याध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक और पी० टी० अध्यापक बिना नियमित नियुक्ति के तदर्थ आधार पर लगातार एक वर्ष से कार्य कर रहे हैं ;

(ख) अब तक इन अध्यापकों के स्थान पर समुचित रूप से चुने गये व्यक्तियों को नियुक्त न किये जाने के कारण क्या हैं ;

(ग) इन के स्थान पर विधिवत् चुने गये व्यक्तियों को रखने में कितना समय लगेगा; और

(घ) जिन पदों के लिये तदर्थ नियुक्तियां करनी पड़ी, उनके लिये चयन करने तथा चुने गये व्यक्तियों को नियुक्त करने में विलम्ब करने के लिये उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी):

(क) (1) हैडमास्टर 1

(2) वरिष्ठ अध्यापक 1

(3) कनिष्ठ अध्यापक 14

(4) व्यायाम प्रशिक्षक 3

(ख) प्रत्येक मद के लिये कारण नीचे दिये गये हैं :–

(1) **हैडमास्टर:**—रेलवे कालेजों और स्कूलों के प्रिन्सिपलों/हैडमास्टरों के पद नियमित आधार पर भरने के सामान्य प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(2) **वरिष्ठ अध्यापक** :—वरिष्ठ अध्यापक के पद के लिए 5-11-73 को चयन हुआ था । एक कर्मचारी से मिले अध्यावेदन का निवटारा हो जाने के पश्चात् इस संबंध में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

(3) **कनिष्ठ अध्यापक:**—11 प्रत्याशियों की मांग में से रेल सेवा आयोग ने 6 प्रत्याशियों के एक पेनल की सिफारिश की थी । अक्तूबर, 73 में ये प्रत्याशी मन्डलों को आबंटित कर दिये गये । रेल सेवा आयोग के पास 5 प्रत्याशियों की एक और मांग भेजी गयी है जिसे आयोग ने विज्ञापित कर दिया है ।

शेष 3 रिक्तियों को प्रत्याशियों के चयन द्वारा भरने के लिए आदेश जारी किये गये थे परन्तु सम्बद्ध अध्यापकों ने अपने स्थानान्तरण के विरुद्ध अभ्यावेदन भेजे हैं । उनके मामलों पर विचार किया जा रहा है ।

(4) **व्यायाम प्रशिक्षक** :—इस पद के लिये अपेक्षित अर्हता वाला कोई कार्यरत अध्यापक नहीं है । रेल सेवा आयोग के पास मांग भेजी गयी है जिन्होंने इस पद को विज्ञापित कर दिया है ।

(ग) और (घ) ज्योंही नियमित रूप से चयन किये हुए व्यक्ति उपलब्ध होंगे, तदर्थ व्यवस्था समाप्त कर दी जायेगी । जिन परिस्थितियों में तदर्थ व्यवस्था करनी पड़ी, उनका उल्लेख उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में किया गया है ।

भारतीय खाद्य निगम निदेशकों को दी गयी सुविधायें

4188. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने अपने निदेशक बोर्ड के सदस्यों को उनके निवास स्थानों पर भी रेफरीजेरटरों, एयर कंडीशनरों, पंखों और फर्नीचर की सुविधायें प्रदान कर रखी हैं,

(ख) क्या ऐसी घरेलू आवश्यकता के सामान तथा उपकरणों का रख रखाव निगम के खर्च पर किया जा रहा है ;

(ग) भारतीय खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड के सदस्यों को ऐसी कौन-कौन सी सुविधायें और विशेषाधिकार उपलब्ध हैं जो अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक बोर्ड के सदस्यों को सामान्यतः उपलब्ध नहीं हैं, और

(घ) भारतीय खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड के कितने सदस्य हैं तथा 1972-73 में उनका औसत मासिक वेतन कितना था ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों का उपचार करने हेतु डाक्टरों का पेनल

4189. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अपने कर्मचारियों की चिकित्सा के लिये डाक्टरों के एक पेनल को स्वीकृति दी है ;

(ख) क्या कर्मचारी वोचरों को प्रस्तुत करने पर चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति के अधिकारी है; और

(ग) चिकित्सा के लिये कितने डाक्टरों को स्वीकृति दी गयी, यह स्वीकृति कब प्रदान की गयी, चिकित्सा की सामान्य शर्तें क्या हैं, और 1972-73 के दौरान प्रत्येक डाक्टर के वोचरों पर कर्मचारियों को कुल कितनी धनराशि की प्रतिपूर्ति की गयी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां, लेकिन ऐसी प्रतिपूर्तियां केवल आपत्तकालिक तथा शल्प संबंधी मामलों में की जाती है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को चिकित्सा सम्बन्धी व्ययों की प्रतिपूर्ति तथा दिल्ली में उन पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लागू किया जाना

4190. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के सभी कार्यालयों में कुल कितने कर्मचारी थे तथा 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के दौरान उन्हें पृथक चिकित्सा संबंधी खर्च के लिये कितनी धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में दी गयी,

(ख) क्या कुछ कर्मचारियों पर भारत सरकार की केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लागू होती है, और

(ग) यदि नहीं, तो भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लागू न किये जाने के कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां):(क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

लोअर गोदावरी क्षेत्र से फालतू जल को सम्पर्क नहरों के माध्यम से कृष्णा बेसिन में लाने की योजना

4191. **श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सम्पर्क नहरों के माध्यम से लोअर गोदावरी क्षेत्र के फालतू जल को कृष्णा बेसिन में डालकर उसमें जल की कमी को पूरा करने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और कितने लाख घन फुट जल को इस प्रकार लाने का विचार है और प्रत्येक मामले में अनुमानित व्यय कितना होगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद):(क) राज्य सरकारों से ऐसी किसी सम्पर्क नहरों के लिये कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिण-मध्य रेलवे पर गाड़ियों का डीज़लीकरण

4192. श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण-मध्य रेलवे पर स्टीम इंजनों के स्थान पर डिजल इंजनों के साथ कितनी गाड़ियों के किस किस मार्ग पर चलाये जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : दक्षिण-मध्य रेलवे पर किसी यात्री गाड़ी को डीजल इंजन से चलाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मिराज जंकशन रेलवे स्टेशन (दक्षिण-मध्य रेलवे) की विकास योजना

4193. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-मध्य रेलवे पर मिराज जंकशन रेलवे स्टेशन के विकास की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस योजना को कब तक क्रियान्वित करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी हां ।

(ख) (1) एक विश्रामालय का निर्माण ।

(2) बुकिंग कार्यालय के लिये अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था ।

(3) भोजनालय में सुधार और प्लेटफार्म 4/5 और 6/7 पर प्लेटफार्म स्टालों की व्यवस्था ।

(4) पुरुषों के प्रतिक्षालय में मूत्रालयों की व्यवस्था

(5) आरक्षण तथा पूछताछ कार्यालय की व्यवस्था ।

(ग) आशा है कि उपर्युक्त कार्य 1975 के अन्त में पूरे हो जायेंगे ।

इंस्पेक्टर आफ वर्क्स (सी) बम्बई डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के अधीन काम करने वाले इरेक्टरों 'सेरंगों' तथा खलासियों की छंटनी

4194. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंस्पेक्टर आफ वर्क्स (सी), मैरिन लाइन्स, बम्बई डिवीजन, पश्चिम रेलवे के अधीन काम करने वाले कितने इरेक्टरों 'सेरंगों,' तथा खलासियों की गत तीन महीनों में रेलवे से छंटनी की गई ;

(ख) क्या कोया गैंग के नाम से जाने वाले इन श्रमिकों को दक्षिण में भर्ती किया गया था और उन्हें स्थायी नौकरियों में खपाने तथा काम देने के आश्वासन पर बम्बई लाया गया था :

(ग) क्या इन श्रमिकों ने पुनः रोजगार अथवा नौकरियों में खपाये जाने का अनुरोध करते हुए रेलवे के अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया था ; और

(घ) क्या उन्हें वर्कशाप में रोजगार देने तथा अहमदाबाद की कन्स्ट्रक्शन ब्रांच में स्थानान्तरण करने के लिये आश्वस्त किया गया था, और यदि हां, तो क्या इन आश्वासनों को क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय मेंउपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): **(क) से (घ)** मेरिन लाइन में निर्माण निरीक्षक के अधीन काम करने वाले 27 नैमित्तिक मजदूरों का काम पूरा हो जाने के बाद छंटनी की गयी है । उन्हें स्थायी काम में लगाने के लिये कोई वचन नहीं दिया गया था । उनके लिए कार्य स्थल के निकट अस्थायी झोंपड़ियों में आवास की व्यवस्था की गयी थी । इन नैमित्तिक मजदूरों ने स्थायी रूप से आपेलित करने के लिये अभ्यावेदन दिया है । उन्हें मुख्य इंजीनियर (निर्माण) अहमदाबाद के अन्तर्गत और परेल रेल कारखाना में खाली जगहों पर लगा लेने के प्रयास किये ज रहे हैं ।

खाद्यान्न की सप्लाई के लिए केरल में रेल श्रमिकों द्वारा आन्दोलन

4195. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या केरल राज्य में 27 अगस्त से 31 अगस्त, 1973 तक रेल श्रमिकों ने घटी दरों पर खाद्यान्न की सप्लाई की मांग करते हुए आन्दोलन किया था; और

(ख) क्या उस समय पालघाट के जिला कलक्टर की उपस्थिति में ओलवक्कोट के डिवीजनल सुपरिटेंडेंट ने यह आश्वासन दिया था कि हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को परेशान नहीं किया जायेगा?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक आन्दोलन हुआ था जिसमें बिना ब्याज के ऋण देने और वेतन से उसकी वसूली 6 महीने के लिए स्थगित रखने की मांग की गयी थी।

(ख) ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था ।

मालदा से सियालदह तक 18 अगस्त, 1973 को चलाई गई विशेष गाड़ी

4196. श्री सोम नाथ चटर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालदा स्टेशन से सियालदह स्टेशन तक 18 अगस्त, 1973 को कोई विशेष गाड़ी चलाई गयी थी ;

(ख) उक्त विशेष गाड़ी के आरक्षण की व्यवस्था किसने की और 'बूकिंग' कब की गई; और

(ग) क्या उक्त विशेष गाड़ी के चलाये जाने पर सारा व्यय रेलवे ने वसूल कर लिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी नहीं। लेकिन 18/19-8-1973 की रात को रेलवे की सुविधानुसार यात्रियों के अतिरिक्त भीड़-भाड़ की निकासी के लिये एक विशेष गाड़ी माल्दा टाउन से हरीश चन्द्रपुर तक चलायी गयी थी ।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता ।

Laying of Two Railway Lines in Rewa Division.

4197. **Shri Dhan Shah Pradhan:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a survey in regard to the laying of the following two Railway lines in Rewa Division and its surrounding places was conducted in 1956:—

(i) Satna to Rewa—connecting Govindgarh to Vyawahan;

(ii) from Satna to Mirzapur via Rewa ;

(b) the reasons for which this survey work was not utilised and the Railway lines not constructed for the last about 17-18 years;

(c) whether keeping in view the industries, traffic and convenience of the people in the said backward area, it is proposed to construct both these Railway lines in the near future; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) A traffic survey was carried out in 1956-57 for a railway line from Satna to Govindgarh via Rewa. No survey was then carried out for a railway line from Rewa to Mirzapur.

(b) As the survey carried out during 1956-57 revealed that the Satna-Rewa-Govindgarh line would be highly unremunerative, its construction was not taken up.

(c) & (d) A fresh traffic survey for the railway line from Satna to Beohari, via Rewa and Govindgarh, was sanctioned on 5th July 1972. This survey has just been completed and the report is under examination. According to the recent survey also, the suggested line would not be financially viable. However, a new approach for construction of railway lines required for development of back-ward areas of the country is under consideration, as per guiding principles enunciated in para 41 of the speech of the Minister of Railways in Parliament on 20th February 1973, while presenting the Budget for the year 1973-74. The Planning Commission have been approached for special allocation of funds on this account, in the Fifth Plan. Further consideration to the construction of Satna Beohari line, via Rewa and Govindgarh, will be given after receiving Planning Commission's reply to the Railway Minsitry's request for the special allocation of funds. No proposal is at present under consideration for construction of a railway line from Rewa to Mirzapur.

Proposal to Charge fares for Journeys undertaken by Railway employees.

4198. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the total value of the free passes and P.T.Os. issued to the Railway employees during 1972-73; and

(b) whether in view of the present economic crisis, Government propose to stop issueing Railway Pass and P.T.Os., to the Railway employees free of charge and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The information is being collected from the Railways and will be placed on the Table of the Sabha.

(b) In view of the fact that Transport Organisations all over the world grant certain travel facilities to the employees and also there is no loss of revenue as such it is not proposed to withdraw this facility from Indian Railway employees altogether.

आन्ध्र प्रदेश द्वारा तुंगभद्रा परियोजना 'हाई लेवल कैनाल" योजना के लिए मांगी गई सहायता

4199. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वर्ग 1973-74 के दौरान तुंगभद्रा परियोजना 'हाई लेवल कैनाल' योजना चरण 11 के लिए 160 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता हेतु अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी, हां ।

(ख) संसाधनों की तंगी के कारण मांगी गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था संभव नहीं हो पायी है ।

आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा, गोदावरी जल-निस्सारण योजनाओं पर हुआ व्यय

4200. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा, गोदावरी जल-निस्सारण योजनाओं पर अब तक वर्षवार कुल कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ख) शेष कार्य को पूरा होने में कितने समय तथा राशि की आवश्यकता है; और

(ग) अब तक उक्त कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद):(क) से (ग) कृष्णा और गोदावरी डेल्टों में बाढ़ नियंत्रण और जल-निकास की स्कीम को आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य-योजना से बाहर क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिए गए कार्य निम्नलिखित हैं :—

(1) 437 क्यूसेक्स (15,000 क्यूसक) की निकास क्षमता के लिए उप्पातेरू नाले में सुधार।

(2) थम्मीलेरू पर बाढ़ अवरोध जलाशय ।

(3) कृष्णा और गोदावरी डेल्टाओं में नालियों में सुधार ।

(4) वेटापालेम के निकट रोमपेरू कट का विस्तार ।

(5) बिक्काबोलू नाली को चौड़ा करना।

(6) 0 किलोमीटर से 51 किलोमीटर तक ददोमरू बाढ़ तटों को ऊंचा करना और सुदृढ़ करना।

(7) इपूरूपालेम के निकट रोमपेरू सीधे कट की खुदाई जैसा कि राज्य सरकार ने सूचित किया है सितम्बर, 1973 के अन्त तक वास्तव में की गई प्रगति निम्न प्रकार है:—

1. बूड़ामेरू बाढ़ तटों को ऊंचा करने और सुदृढ़ करने का कार्य पूर्ण हो गया है।
2. बिक्कावोलू नाली पर कार्य पूर्ण हो गया है।
3. उनमें सुधार करने के लिए हाथ में ली गई 818 नालियों में से 539 नालियों पर कार्य पूर्ण हो गया है।
4. थम्मीलेरू जलाशय के लिए बांध और नियामक हेतु मिट्टी का कार्य प्रगति पर है। 34.73 लाख घनमीटर की अनुमानित मात्रा में से कुल 14.14 लाख घनमीटर मिट्टी का कार्य पूरा हो गया है।

5. 47 किलोमीटर से समुद्र तक उप्पातेरू सीधे कट पर कार्य प्रगति पर है और अब तक 14.83 लाख घनमीटर मिट्टी कार्य हो चुका है। 10 किलोमीटर से 51 किलोमीटर तक उप्पातेरू में रेती को हटाने का कार्य प्रगति पर है और लगभग 90 प्रतिशत कार्य हो गया है।

6. वेटापालेम में रोमपेरू सीधे कट पर अनुमानित 8.55 लाख घनमीटर में से 7.09 लाख घनमीटर मिट्टी-कार्य पूरा कर दिया गया है। इपूरूपालेम में सीधे कट पर 11.17 लाख घनमीटर में से 10.12 घनमीटर मिट्टी-कार्य पूरा कर दिया गया है।

स्कीम पर वर्ष-वार व्यय निम्न प्रकार है:—

	(लाख रुपयों में)
1969-70 . . .	. 295.4
1970-71 .	. 578.37
1971-72 .	. 366.41
1972-73 . .	195.07
1973-74 (कार्यक्रम परिव्यय)	. 486.00
31-3-1974 तक कुल प्रत्याशित	1921.25

उप्पातेरू नाली में सुधार के अलावा राज्य सरकार ने कार्यों की संशोधित लागत का 33.28 करोड़ रुपये होने काअनुमान लगाया है। उप्पातेरू नाली के लिए 4.26 करोड़ रु० के प्राक्कलन का संशोधन किया जा रहा है। स्कीम के पूर्ण होने का अनुसूचित समय कार्यों की अंतिम लागत और प्रत्येक वर्ष उपलब्ध होने वाले धन पर निर्भर करेगा।

तिरुपति-काटपाडी लाइन को ब्राड गेज में बदलना

4201. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिरुपति-काटपाडी लाइन को ब्राड गेज में बदलने सम्बन्धी आन्ध्र प्रदेश सरकार का प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) उक्त प्रस्ताव पर रेल प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

डी० बी० के० रेल लाइन चालू करने के बारे में आन्ध्र प्रदेश से अभ्यावेदन

4202. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय को आन्ध्र प्रदेश से माल तथा यात्री यातायात के लिए डी० बी० के० रेल लाइन चालू करने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी हां।

(ख) कोट्टवलासा-किरंदुल लाइन की क्षमता बढ़ाने और एक वैकल्पिक मार्ग खोलने के बारे में विचार करने के लिए हाल ही में दो सर्वेक्षण कराये गये थे जिनकी रिपोर्टें अभी विचाराधीन हैं। यात्री यातायात और सामान्य माल यातायात के लिए इस लाइन को खोलने के संबंध में कोई विनिश्चय इस जांच के पूरी हो जाने के बाद ही किया जा सकेगा।

हैदराबाद-हावड़ा तथा हैदराबाद-मद्रास लाइनों पर गाड़ियों में शीघ्र डीजल इंजन लगाना

4203. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद-हावड़ा तथा हैदराबाद-मद्रास लाइनों पर गाड़ियों में अधिक द्रुत गति से डीजल के इंजन लगाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार तथा आंध्र प्रदेश के संसद् सदस्यों ने उनके मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही आरम्भ की गई है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) लम्बी दूरी की भीड़-भाड़ वाली डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों का डीजलीकरण डीजल रेल इंजनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर, जिनका उपयोग मूल रूप से माल यातायात ढोने के लिए किया जाता है, एक निश्चित कार्यक्रम के आधार पर किया जा रहा है। जब और जैसे ही अपेक्षाकृत अधिक डीजल रेल इंजन उपलब्ध होंगे, 45/46 हैदराबाद-हावड़ा और 53/54 हैदराबाद-मद्रास एक्सप्रेस गाड़ियों के डीजलीकरण के प्रश्न पर अन्य ऐसी ही मांगों के साथ-साथ विचार दिया जायेगा।

Increase in prices of Petroleum products during last three years

4204. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the extent to which prices of petrol, kerosene, diesel and gas have been increased during the last three years; and

(b) the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The required information is given below:—

Price ex-Oil Companies' Storage Point ex-Bombay.

Product	Unit	Price on 1-6-70	Price on 9-11-73	Increase
		Rs.	Rs.	Rs.
Motor Spirit	KL	971.43	2457.00	1485.57
Kerosene Oil	"	470.20	716.69	246.49
High Speed Diesel Oil	"	680.66	697.34	16.68

The prices of L.P. Gas for domestic purposes were fixed for the first time with effect from 1-8-1972 and thereafter an increase of Rs. 154.58 per MT in its price has been allowed.

(b) The increases have been allowed to compensate the refineries for increase in crude oil prices and on account of increases in Excise Duties.

Inaugural Function of Jayanti Janta Train at Samastipur

4205. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Railways be** pleased to state:

(a) the reasons for holding inaugural function of the new "Jayanti Janta" train between Samastipur and Delhi at Samastipur instead of Delhi;

(b) the total Railway expenditure incurred on the inaugural function; and

(c) the total expenditure incurred on Madhubani paintings inside the "Jayanti Janta" train indicating the names of the artists ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The Bi-weekly Jayanti Janta train was introduced to run with effect from Wednesday, the 31st October, 1973. Wednesdays are the nominated days for the train to run from Samastipur and not from Delhi. The inauguration was, therefore, performed at Samastipur.

(b) An amount of Rs. 1368.45 was spent on inaugural function at Samastipur.

(c) There are no Madhubani paintings as such inside the coaches but the interior of the coaches have some laminated panels with reproductions of some Madhubani paintings instead of the usual designs.

The cost of the Madhubani paintings used for development of these reproductions was Rs. 184.98. These paintings were made by folk artists of the Madhubani area and their names are not known.

Strike by Railway Employees of Samastipur Division (Northern Railway)

4206. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of times the Railway employees of the Samastipur Division went on strike during the last six months; and

(b) the broad features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways. (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Three times.

(b) From 22-5-73 to 26-5-73 the Loco Running Staff Association went on strike demanding withdrawal of alleged victimisation cases against the staff like transfer etc.

From 1-8-73 to 12-8-73 there was a strike by the All India Loco Running Staff Association to press certain demands like reduction in duty hours etc. This was a part of the agitation launched by that Association on all Railways.

From 20-9-73 to 25-9-73, there was a strike by some SMs & ASMs in sympathy with the agitation started on Varanasi Division, which started after exchange of hot words between a few Station Masters of Varanasi Division and a BillClerk of Divisional Personnel Office and non-acceptance of demand for transfer of certain Bill Clerks of Personnel Branch dealing with ASMs and decentralisation of the Personnel Branch of the Division.

बोदरा पश्चिम बंगाल में तेल के लिए ड्रिलिंग तथा इस पर हुआ व्यय

4207 **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बोदरा पश्चिम बंगाल में पेट्रोल का पता लगाने के लिए ड्रिलिंग करने के संबंध में कुल कितना व्यय हुआ है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : बोदरा (केनिंग) पश्चिम बंगाल में समन्वेषणात्मक व्यधन कार्य पर 31-3-1973 तक कुल लगभग 292.54 लाख रुपये व्यय हुए हैं।

Percentage of Trains running in time on various Zones of Indian Railways

4208. **Shri Chandrika Prasad:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the percentage of trains running in time in the various Zones of the Indian Railways; and

(b) the reasons why all the trains do not run according to the time schedule ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Punctuality percentage of all passenger carrying trains 'Not losing time' on the zonal railways during September and October, 1973 has been as under:—

Railway	Punctuality percentage during			
	September, 1973		October, 1973	
	B.G.	M.G.	B.G.	M.G.
Central	90.0	87.5	88.3	85.5
Eastern .	60.3	—	6.09	—
Northern	76.1	79.9	75.2	84.8
North Eastern .	82.7	68.1	67.7	56.5
Northeast Frontier .	80.2	81.3	80.2	82.0
Southern . . .	92.4	94.3	89.7	95.3
South Central .	85.0	95.0	85.0	94.0
South Eastern .	79.4	—	77.0	—
Western	86.7	88.6	85.9	93.3

(b) Punctual running of trains in the recent past has been adversely affected mainly on account of public and staff agitations, power cuts,breaches, thefts of telecommunication wires resulting in signal & tele-communication failures, increased incidence of alarm chain pulling, etc.

Punctuality performance of trains is closely watched at all levels by the zonal railways and for selected Mail/Express trains at Railway Board's level. Avoidable detentions are taken up and remedial action taken to improve the running of trains.

पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे के महा प्रबन्धक के समक्ष आल इंडिया स्टेशन मास्टर्ज एसोसियेशन द्वारा प्रदर्शन

4212 **श्री रामावतार शास्त्री**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आल इंडिया स्टेशन मास्टर्ज एसोसियेशन, पूर्व रेलवे और दक्षिण-पूर्व रेलवे ने 28 सितम्बर, 1973 को पूर्व रेलवे तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे के महा-प्रबन्धक के समक्ष प्रदर्शन किया था परन्तु पूर्व रेलवे के अधिकारियों ने संयुक्त ज्ञापन स्वीकार नहीं किया था और बाद में उसे रजिस्ट्री डाक से भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो पूर्व रेलवे के अधिकारियों के इस रवैये के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट शिकायतों की रूपरेखा क्या है और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 28-9-1973 को महाप्रबन्धक, पूर्व रेलवे के सामने ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं हुआ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सेवानिवृत्ति लाभों का शीघ्रता से भुगतान करने के लिए कार्यवाही

4211. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आजकल सेवा निवृत्ति लाभों का भुगतान करने में अनावश्यक रूप से अधिक समय लगता है;

(ख) सेवानिवृत्त होने के एक महीने के अन्दर 90 प्रतिशत राशि का भुगतान करने में क्या कठिनाई है, जैसे कि अब तक प्रक्रिया रही है; और

(ग) कर्मचारियों को शीघ्रता से सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अधिकांश मामलों में तो सेवा निवृत्ति लाभों का भुगतान सेवा निवृत्ति की तारीख से तीन महीने या इससे कम अवधि के अन्दर ही कर दिया जाता है। केवल कुछ असाधारण किस्म के मामलों जैसे कर्मचारियों द्वारा कवार्टर खाली न करने, मृत कर्मचारी के वारिसों द्वारा कानूनी कागजात पेश न करने आदि के मामलों, में ही सेवानिवृत्ति पावने की रकमों के भुगतान में कुछ विलम्ब होता है।

(ख) वर्तमान नियमों के अनुसार जो कर्मचारी 1-6-1937 से पहले नियुक्त हुए थे वे सेवा-निवृत्ति से पूर्व छुट्टी पर रहते हुए अपनी भविष्य निधि की रकम में से 90 प्रतिशत तक रकम निकाल सकते हैं। यह नियम अभी लागू है । अन्य कर्मचारियों के मामले में भविष्य निधि में कर्मचारी के अपने अंशदान का तुरन्त भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। यदि कोई विलम्ब होता भी है तो वह केवल बकाया दावों के प्रति समायोजन के लिए भविष्य निधि के विशेष अंशदान या मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान के भुगतान में ही होता है ।

(ग) सेवानिवृत्ति पावने की रकमों का शीघ्र भुगतान करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए रेल प्रशासनों को समय समय पर हिदायतें जारी की जाती रही हैं ।

रेलवे के विभिन्न जोनों में नियुक्त ठेका श्रमिक

4212. **श्री बसंत साठे**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे के विभिन्न जोनों में अनुमानत: ठेके पर कितने श्रमिक नियुक्त हैं और ठेके के श्रमिकों को किस प्रकार के काम पर लगाया जाता है;

(ख) क्या सरकार को ठेकेदारों द्वारा निर्माण तथा अन्य काम करने वाले श्रमिकों का शोषण करने में अपनाये जा रहे विभिन्न प्रकार के कदाचारों की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो ठेका श्रमिक प्रथा को समाप्त करने अथवा इसे दृष्टि में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि रेलवे द्वारा नियुक्त श्रमिक को वही न्यूनतम मजूरी तथा अन्य सुविधाएं मिलें जो इसी प्रकार के काम करने वाले कर्मचारियों को मिलती हैं, इस प्रथा को नियमित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या ठेकेदारों के स्थान पर ठेका श्रमिक सहकारी समितियों को उत्तरोत्तर प्रोत्साहन देने की सरकार की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :(क) से (ङ) क्षेत्रीय रेलों से सूचना मंगाई जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

गाड़ियों के यात्रियों की जान तथा माल की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय

4213. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लम्बी दूरी वाली गाड़ियों में बदमाश लोग यात्रियों की "जान और माल" लेने की कोशिश करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या लम्बी दूरी वाली गाड़ियों, विशेषकर समूचे देश में शयनयानों में यात्रा करने वाले यात्रियों की "जान और माल" की रक्षा के लिए कोई अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करने अथवा "यात्री सुरक्षा बल" बनाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) "यात्री सुरक्षा दल" गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, सरकार इस समस्या के प्रति सजग है और गाड़ियों में यात्रियों के प्रति किये जाने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है:--

(1) प्रभावित क्षेत्रों में यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रात को सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों में यथासम्भव सरकारी रेलवे पुलिस के मार्ग रक्षकों की व्यवस्था की जाती है।

(2) रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को निवेश दिया गया है कि रेलों पर अपराध की घटनाओं का पता लगाने में सरकारी रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस को सक्रिय सहयोग दें।

(3) प्रभावित खंडों में सक्रिय बदमाशों पर कड़ी निगाह रखने के लिए सरकारी रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस के साथ निकट सम्पर्क कायम रखा जाता है।

(4) रेल मंत्री ने उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गाड़ियों/रेल परिसरों में यात्रियों को प्रभावित करने वाले अपराधों जैसे हत्या, लूटमार और डकैती की बढ़ती हुई घटनाओं से क्षुब्ध होकर 2-11-72 को इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों के नाम पत्र लिखा और उनसे अनुरोध किया कि सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों और खासकर बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में चलने वाली गाड़ियों में सशस्त्र रक्षकों की व्यवस्था करें। रेल मंत्री ने इस संबंध में 21-3-73 को कुछ राज्यों के गृह मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की ताकि यात्री जनता के लिए अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा की व्यवस्था की जा सके। इस बैठक के फलस्वरूप केन्द्रीय और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों का एक कार्यकारी दल बनाया गया है जो इस बैठक में दिये गये विभिन्न सुझावों की पूरी तरह जांच करेगा और इस समस्या को कारगर ढंग से हल करने के लिए उपाय सुझायेगा।

कार्यकारी दल की अभी तक एक बैठक हुई है जिसमें सर्वसम्मति से यह सहमति हुई कि सरकारी रेलवे पुलिस की संख्या में वृद्धि करना अत्यन्त आवश्यक है। किन्तु, राज्य सरकारों ने यह अतिरिक्त खर्च बर्दाश्त करने में असमर्थता प्रकट की और यह इच्छा व्यक्त की कि केन्द्र सरकार आर्थिक सहायता देकर इस बढ़े हुए खर्च को बर्दाश्त करे। तदनुसार वित्त आयोग को एक ज्ञापन भेज दिया गया है।

बिड़ला बन्धुओं द्वारा मथुरा फाइबर ग्लास संयंत्र के लिये दिया गया आवेदन-पत्र का वापस लिया जाना

4214. **श्री मधु लिमये**: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला बन्धुओं ने मथुरा फाइबर ग्लास संयंत्र के लिए दिये गये आवेदन पत्र के एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग से इस आधार पर वापस ले लिया है कि यह परियोजना विस्तार तथा विविधिकरण संबंधी सरकार की नीति के अन्तर्गत आती है ;

(ख) क्या यह आरोप लगाया गया है कि एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को निर्दिष्ट करने के मामले में गैर-विदेशी फर्मों के साथ भेदभाव तथा विदेशी कम्पनियों के साथ पक्षपात किया जा रहा है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत वरूआ): (क) तथा (ख) सेन्चरी स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी लिमिटेड ने, अपने मथुरा में स्थापित किये जाने वाले नवीन एकक में, नवीन वस्तुयें, यथा, शंलाका (कांच), वस्त्र धागा व उपकर्तन/कर्तन पट्टी चटाई के निर्माण के लिए सारवार विस्तारार्थ, अपने प्रस्ताव को इस अभिकथन के आधार पर वापिस ले लिया है कि उनके वैधिक अवबोध के अनुसार, इस पर, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा नहीं है।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

Reduction in Railway's income during 1973-74

4215. **Shri Madhu Limaye:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Railways have formulated any Scheme to wipe out the expected loss in the current year's earnings without increasing the fare; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :(a) & (b) No scheme as such has been formulated but all possible efforts are being continuously mad e to carry maximum traffic and increase the earnings.

तापीय बिजलीघरों में कोयले का संकट

4216. **श्री मधु लिमये**: क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान देश के तापीय बिजलीघरों को प्रभावित करने वाले कोयले के संकट की ओर दिलाया गया है ;

(ख) कितने बिजलीघर बन्द हो चुके हैं और कितने बिजलीघर बन्द होने की हालत में हैं ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप बिजली के उत्पादन में कितनी कमी हुई है ; और

(घ) उक्त स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

सिंचाई और बिद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दो बृहत् विद्युत ताप केन्द्र नामशः महाराष्ट्र मेंनासिक और पारस, जिनको कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 372 मैगावट है, प्रतिष्ठापित क्षमता के लगभग 50 प्रतिशत तक कुछ अवधि के लिए कोयले की कमी के कारण आंशिक रूप में प्रभावित हुए थे। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लगभग 80 मैगावाट की कुल क्षमता वाले नौ लघु केन्द्र भी कोयले की कमी के कारण अपनी क्षमता के 75 प्रतिशत तक प्रभावित रहे थे। अभी हाल में, कोयले की कमी के कारण कोई भी विद्युत् केन्द्र बन्द नहीं रहा, यद्यपि उत्तर प्रदेश और दिल्ली (इन्द्रप्रस्थ) में कुछ लघु विद्युत् केन्द्र कोयले की कमी का सामना कर रहे हैं। कोयला भंडार समाप्त होने के कारण कुछ ताप विद्युत् केन्द्रों में, क्षेत्र को सम्पूर्ण विद्युत् मांग को अन्यथा संभाव्य सीमा तक, पूरा नहीं किया जा सका।

(घ) विद्युत् केन्द्रों को कोयले की सप्लाई बनाए रखने के लिए खान विभाग और रेलवे बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं :—

(1) विद्युत् केन्द्रों को कोयले के मासिक आवंटन का पुनरीक्षण करने के लिए खान विभाग में एक स्थायी सम्पर्क (लिंकेज) समिति का गठन किया गया है।

(2) विभिन्न विद्युत् केन्द्रों में कोयले के भंडार और प्रतिदिन की सप्लाई का पुनरीक्षण करने के लिए रेलवे बोर्ड में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है।

3) ताप विद्युत् केन्द्रों को कोयला ले जाने के लिए मालवाहक डिब्बों के आवंटन और ढुलाई का पुनरीक्षण करने के लिए कलकत्ता में एक संयुक्त कक्ष की स्थापना की गई है।

(4) ो विद्युत् केन्द्रों, नामशः ट्राम्बे तथा बरौनी को, जो कि कोयला तथा तेल दोनों को जलाने के लिए अभिकल्पित किये गये थे, तेल की सप्लाई की जाती है, इस प्रकार कुछ समय के लिए अन्य विद्युत् केन्द्रों को और अधिक कोयला उपलब्ध किया जा सकेगा।

व्यास-सतलुज परियोजना का निष्पादन

2217. **श्री मधु लिमये :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट की कमी के कारण व्यास-सतलज परियोजना के क्षमता से निष्पादन पर कुप्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सीमेंट की कुछ मात्रा काला-बाजार में खरीदनी पड़ी थी; और

(ग) कितनी बिजली पैदा की जायेंगी और व्यास योजना के अन्तर्गत 1974 में कितनी भूमि की सिंजाई होगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। कुछ हद तक।

(ख) जी, नहीं।

(ग) व्यास-सतलज सम्पर्क परियोजना 1975-76 में पूरी होनी अनुसूचित है। सिंचाई और विद्युत् लाभ उसके बाद ही मिलेंगे।

भारतीय रेलवे में लेखा कार्यालयों के कार्यकरण के बारे में आदेशों का जारी किया जाना

4218. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या **रेल** मंत्री भारतीय रेलवे में लेखा-कार्यालयों के कार्यकरण के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की टिप्पणियों के बारे में 10 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न सं० 6711 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदेश इस बीच जारी कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो आदेशों को जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और आदेशों को कब तक जारी कर दिये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया है और सभी संबंधित रेलों को आवश्यक अनुदेश जारी किये जा चुके हैं कि कार्यकारी अधिकारियों और वित्त अधिकारियों, दोनों, को उत्तरदायित्वों के यथोचित निर्वाह में अपनी सही भूमिका निभानी चाहिए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में सिंचाई

4219. **श्री शंकर राव सावन्त**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय कौन से राज्य सिंचाई के मामले में पिछड़े हुए हैं;

(ख) इन राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कितने प्रतिशत सिंचाई होती है ; और

(ग) इन राज्यों में से प्रत्येक राज्य में सिंचाई सुविधायें बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) (ग) ऐसी बृहत् तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों से अंतिम सिंचाई शक्यता का प्रतिशतांश निम्नलिखित 7 राज्यों में अखिल भारत औसत से कम होगा जोकि चौथी योजना के अन्त तक पूरी कर ली जाएगी। बहरहाल, पांचवीं योजना के दौरान, पहले से शुरू की गई परियोजनाओं के पूर्ण होने पर इनमें से अधिकतर राज्यों में इस असमानता की काफी हद तक, जैसा कि नीचे लिखा गया है, कम होने की संभावना है:—

राज्य में बृहत् तथा मध्यम स्कीमों से अंतिम शक्यता के प्रतिशतांश के रूप में बृहत् तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से विकसित की जाने वाली संभावित शक्यता

राज्य	चौथी योजना के अन्त तक	पांचवी योजना के अन्त तक अंतरिम वृद्धि
असम .	3.9	11.1
बिहार .	21.7	31.2
गुजरात .	33.6	50.8
मध्य प्रदेश .	17.7	29.5
उड़ीसा	36.8	43.5
राजस्थान	36.8	49.8
उत्तर प्रदेश	36.6	49.0
अखिल भारत	37.7	48.7

यह भी प्रत्याशा है कि पांचवीं योजना में शुरू की जाने वाली नयी योजनाओं के परिणामस्वरूप इनके बाद की योजनाओं में इस असमानता को सतत् रूप में, और कम करना संभव हो जायेगा।

महाराष्ट्र को सिंचाई के लिए सहायता

4220. **श्री शंकरराव सावन्त:** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र को सिंचाई के लिए कितने वित्तीय सहायता दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धन का प्रावधान राज्य सरकारों द्वारा अपनी विकास योजनाओं में किया जाता है। राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और किसी विशेष विकास सैक्टर या परियोजना से संबंधित नहीं होती है । 1970-71 से 1972-73 के तीन वर्षों में महाराष्ट्र का कुल योजना परिव्यय 541.05 करोड़ रुपये था, जिसमें से केन्द्रीय सहायता 141.24 करोड़ रुपये थी।

हाइड्रोलिक डीजल तथा परमाणु स्रोतों से विद्युत् पैदा करना

4221. **श्री शंकरराव सावन्त:** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) हाईड्रोलिक, (2) डीजल और (3) परमाणु स्रोतों से बिजली पैदा करने के बारे में राज्यवार स्थिति क्या है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक राज्य की विद्युत् की मांग कितनी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना, जैसाकि अद्यमान रूप से उपलब्ध है, संलग्न विवरणों में दी जाती है । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 5965/73]**

गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा कार से यात्रा करने पर रोक लगाने का प्रस्ताव

4222. **श्री ए०आर० बेकरिया:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा कारों से यात्रा करने के व्यय को रोकने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ): (क) तथा (ख) कम्पनियों द्वारा कार का प्रयोग, कम्पनी अधिनियम, 1956. जो इसके अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों तथा कुछ अन्य संस्थाओं को विनयमित करता है, द्वारा शासित नहीं है । तथापि पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों तथा उन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की सहायक हों, के प्रबन्ध निदेशकों, पूर्ण-कालिक निदेशकों तथा प्रबन्धकों की नियुक्ति से संबंधित आवेदन पत्रों, जिन पर कम्पनी अधिनियम, के उपबन्धों के अन्तर्गत सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होता है, का विधायन करते समय, यह अवलोकन किया गया है कि अधिकांश कम्पनियां ऊपर कथित कार्यकारियों में से प्रत्येक को मुफ्त कार के प्रयोग की अनुमति देती है । इस प्रकार के मामलों में कंपनियों को सूचित किया गया है कि कार के मुफ्त प्रयोग से संबंधित परिलब्धियों का रोपिक मूल्य आयकर नियम 1962 के नियम 3 के अनुसार मूल्यांकित होगा।

व्यास नदी के जल के बंटवारे के बारे में पंजाब एवं हरियाणा के मुख्य मंत्रियों की बैठक

4223. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब एवं हरियाणा के मुख्य मंत्री 9 नवम्बर, 1973 को नई दिल्ली में केन्द्रीय योजना मंत्री से मिले थे;

(ख) क्या उक्त बैठक में व्यास नदी के जल के बंटवारे के संबंध

(ग) यदि हां, तो उसमें किये गये निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) विचार-विमर्श समाप्त नहीं हुए थे तथा शीघ्र ही एक और बैठक होने की संभावना है।

सिन्धु जल संधि के अंतर्गत सतलज, व्यास और रावी नदियों के जल का उपयोग

4224. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्धु जल संधि के अंतर्गत 11 अप्रैल, 1970 से सतलज, व्यास तथा रावी नदियों का सारा पानी भारत के उपयोग के लिए आबंटित किया गया था ;

(ख) क्या रावी नदी के केवल बह कर आने वाले पानी का ही उपयोग किया जाता है और प्रत्येक वर्ष लाखों एकड़ फीट पानी बेकार जाता है ; और

(ग) क्या सरकार बहुत बड़ी मात्रा के इस पानी का सिंचाई तथा विद्युत सुविधाओं के लिए उपयोग करने हेतु रावी नदी पर एक बांध बनाने का विचार कर रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस समय लगभग 6.4 मिलियन एकड़ फुट रावी के जल में से लगभग 3.4 मिलियन एकड़ फुट का उपयोग किया जा रहा है और बाढ़ों के दौरान लगभग 3 मिलियन फुट जल बेकार चला जाता है। व्यास बांध के पूर्ण हो जाने पर और वर्तमान माधोपुर व्यास लिंक की सहायता से केवल 1 मिलियन एकड़ फुट शेष जल को छोड़कर 2 मिलियन एकड़ फुट उपयोग किया जायेगा । इस शेष जल का उपयोग करने के लिए रावी पर एक बांध के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है। परियोजना शुरू होने से पूर्व कतिपय अंतर्राज्यीय मामलों को हल करना होगा।

नंगल उर्वरक कारखाने तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से विद्युत संबंधी राहत के बारे में पंजाब सरकार से अभ्यावेदन

4225. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सरकार नंगल उर्वरक कारखाने तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से विद्युत राहत प्रदान करने का अनुरोध कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) नवम्बर, 1972 में पंजाब के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री से अनुरोध किया था कि पंजाब में चल रही विद्युत की अत्यन्त कमी में राहत देने के लिए नंगल खाद कारखाने को उस समय की जा रही 98 मैगावाट विद्युत की सप्लाई को 60 मैगावाट तक कम कर दिया जाना चाहिए। भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि 10-2-73 से 10-4-73 तक नंगल खाद खारखाने को विद्युत की सप्लाई को 98 मैगावाट से 60 मैगावाट तक कम कर दिया जाना चाहिए। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को विद्युत की सप्लाई में कमी के संबंध में पंजाब सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

पंजाब में लघु उद्योगों तथा कृषि नलकूपों को बिजली की सप्लाई

4226. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योगों तथा कृषि नलकूपों के लिए बिजली की सप्लाई के आश्वासन को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार ने देश के दूसरे उर्वरक कारखाने को नया नंगल से हटाकर अन्यत्र लगाने के व्यय को वहन करने की केन्द्रीय सरकार से पेशकश की थी;

(ख) क्या पेशकश अस्वीकार कर दी गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) से (ग) सरकार को इस प्रकार की किसी पेशकश की जानकारी नहीं है; तथापि इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार से पूछताछ की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर उसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

नया नंगल उर्वरक कारखाने के स्थान परिवर्तन के बारे में अनिश्चितता

4227. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**:
श्री प्रसन्न भाई मेहता:

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नया नंगल उर्वरक कारखाने के स्थान परिवर्तन के बारे में कोई अनिश्चितता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का यह विचार है कि भाखड़ा से 124 मैगावाट की सप्लाई की शेष पूर्ति की जा सकेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) नंगल में खाद कारखाने के स्थल के संबंध में कोई अनिश्चितता नहीं है। वास्तव में वर्तमान स्थल पर कारखाने के विस्तार की स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय नंगल खाद कारखाने के लिए विद्युत सप्लाई की मात्रा को 124 मैगावाट से बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर बंगाल के डालखोला में तापीय परियोजना की स्थापना

4228. **श्री बी० के० दासचौधरी:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री उत्तर बंगाल के डालखोला में तापीय परियोजना की स्थापना के बारे में 24 जुलाई, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 38 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच योजना आयोग ने उत्तर बंगाल के डालखोला को प्रस्तावित तापीय विद्युत परियोजना को स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के कब तक आरम्भ होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) डालखोला में एक तापीय विद्युत केन्द्र की स्थापना को परियोजना की अभी तक जांच की जा रही है।

बिहार में बिजली परियोजना

4229. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार को 800 करोड़ रुपये की लागत की विद्युत परियोजनाओं संबंधी कोई योजना भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) विद्युत के आयोजन तथा उसके विकास पर राज्य बिजली बोर्ड और सरकार को सलाह देने के लिए बिहार सरकार द्वारा गठित विद्युत योजना/परियोजना समिति की ओर से केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था जिसमें इस बात पर बल दिया गया था कि बिहार में विद्युत विकास के लिए पांचवीं योजना में परिव्यय, किसी भी हालत में, 800 करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए। इस समिति के सदस्यों तथा बिहार राज्य बिजली बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ इस ज्ञापन पर विचार-विमर्श किया गया था। उस समय यह माना गया था कि विद्युत के साथ-साथ बिहार को सम्पूर्ण योजना के लिए कुल संसाधन सीमित हैं अतः पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए विद्युत परियोजनाओं का चयन करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए। राज्य के लिए पांचवीं योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

अप्पर सारकेरी जलाशय, तालाई डाइवरजन और मोहाना जलाशय योजनाओं की क्रियान्विति

4230. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्पर सारकेरी जलाशय, तालाई डाइवरजन और मोहाना जलाशय योजनाओं को क्रियान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई है, और

(ख) इन योजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और उनमें से प्रत्येक पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) बिहार सरकार ने बताया है कि अपर सारकेरी जलाशय स्कीम का अनुसंधान कार्य प्रगति पर है तथा इसे फरवरी, 1975 तक पूरा कर लिया जाएगा। स्कीम की अनुमानित लागत 12 करोड़ रुपये है। इस स्कीम को राज्य की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है बशर्ते इसके लिए धन उपलब्ध हो।

तिलैया व्यपवर्तन स्कीम का अनुसंधान कार्य पूरा हो चुका है। बिहार में परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है तथा इसको मार्च, 1974 तक केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग को प्रस्तुत करने की संभावना है। इस स्कीम की अनुमानित लागत 12.90 करोड़ रुपये है। स्कीम की स्वीकृति बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों के बीच दामोदर घाटी निगम के जलाशय से सिंचाई हेतु जल के समुपयोजन पर समझौता होने पर ही दी जाएगी। स्कीम को राज्य की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया है।

मोहाने जलाशय स्कीम का अनुसंधान कार्य प्रगति पर है। इस स्कीम को जून, 1974 तक बिहार द्वारा केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग को प्रस्तुत करने की संभावना है। इस स्कीम की अनुमानित लागत 12 करोड़ रुपये है। इसे राज्य की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है बशर्ते इसके लिए धन उपलब्ध हो।

बिहार के गया जिले में पुन पुन नदी पर नहर और बांध का निर्माण

4231. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गया जिले में पुनपुन नदी पर नहर और बांध बनाने के लिए एक सर्वेक्षण कराया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना के निष्पादन में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि पुन पुन बराज स्कीम के सर्वेक्षण तथा अनुसंधान कार्य पूरे हो चुके हैं। बहरहाल इसकी परियोजना रिपोर्ट अभी केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में तकनीकी जांच के लिए प्राप्त नहीं हुई है।

स्कीम के निर्माण का प्रश्न इसकी तकनीकी जांच के किए जाने तथा योजना आयोग की तकनीकी सलाहकर समिति द्वारा स्वीकृत किए जाने के पश्चात् धन के उपलब्ध होने पर ही उठेगा।

कोयला महानों पर बड़े ताप बिजलीघरों की स्थापना

4232. **श्री प्रबोध चन्द्र:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला मुहानों पर बड़े ताप बिजली घर स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा पहला संयंत्र कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रदेशों में कोयला खान क्षेत्रों में वृहद ताप विद्युत केन्द्रों के लिए स्थलों के चयन हेतु एक समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

पंजाब में बिजली उत्पादन

4233. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में बिजली के और अधिक उत्पादन के लिए सरकार को पंजाब सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) पांचवीं योजना में और छटी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में कार्यान्वयनार्थ, पंजाब से निम्नलिखित विद्युत् उत्पादन स्कीमें प्राप्त हुई हैं :—

1. शानन जल विद्युत् विस्तार
2. आनन्दपुर साहिब जल विद्युत् स्कीम
3. भटिंडा ताप केन्द्र विस्तार चरण एक
4. अपर बारी दुआब नहर विस्तार के साथ थोन बांध परियोजना
5. मुकेरिया जल विद्युत् स्कीम
6. भटिंडा ताप विस्तार चरण दो
7. रोपड़ ताप विद्युत् केन्द्र
8. शाहपुर कीडो बराज बहुउद्देश्यीय परियोजना

उपर्युक्त स्कीमों की मुख्य विशेषताएं और केन्द्र द्वारा उन पर की गई कार्यवाही संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5966/73]

सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनायें

4235. **श्री एम० एम० पुरती:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए मंजूर की गई ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं की संख्या कितनी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): ग्राम विद्युतीकरण निगम ने विभिन्न राज्यों के सीमावर्ती जिलों में 63 ग्राम विद्युत स्कीमें स्वीकृत की हैं (असम में 6, बिहार में 9, गुजरात और राजस्थान में एक-एक, जम्मू और कश्मीर में 6, मेघालय में 2, पंजाब में 7, उत्तर प्रदेश में 12 और पश्चिम बंगाल में 19)। इन स्कीमों में कुल 33.56 करोड़ रुपये की ऋण सहायता निहित है।

वर्ष 1973 के दौरान सौराष्ट्र क्षेत्र में रद्द की गई गाड़ियां

4236. **श्री अरविन्द एम० पटेल:**
श्री डी० पी० जडेजा:

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 के दौरान सौराष्ट्र क्षेत्र में कितनी रेल गाड़ियां रद्द कॉ गई ;

(ख) उन रेल मार्गों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इन रेल गाड़ियों के रद्द करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कोयला साधनों से सिंथैटिक तेल का उत्पादन करने के लिए योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाएं

4237. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने एक बार तेल साधनों से कृत्रिम तेल पैदा करने की संभावना के बारे में अध्ययन किया था तथा एक पेपर तैयार किया था ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) तथा (ख) राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी समिति और योजना आयोग द्वारा अब तक किए समन्वेषणात्मक अध्ययनों के आधार पर हाल ही में एक दल का गठन करने का निर्णय किया गया है ताकि कोयले से तेल तैयार करने के लिए एक संयंत्र स्थापित करने की दृष्टि से संभाव्यता अध्ययन किया जा सके। इस दल की रिपोर्ट के आधार पर कार्यान्वयन के लिए आगे निर्णय किए जायें गे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रैस में घटिया किस्म के भोजन का दिया जाना

4238. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रैस में दिये जाने वाले भोजन का स्तर तथा किस्म तेजी से गिर रही है और वह अब घटिया भोजन हो गया है;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य का भी पता है कि इस गाड़ी में भोजन गन्दे तथा दाग लगे एल्युमीनियम अथवा टीन की बनी ट्रे में दिया जाता है जो गन्दी तथा प्रतिकर्षी होती है ; और

(ग) इस गाड़ी में भोजन की किस्म को सुधारने तथा उसे और अच्छे ढंग से परोसने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। दिल्ली-हावड़ा राजधानी गाड़ी में यात्रियों को अच्छे किस्म का भोजन दिया जाता है। अप्रैल, 1973 से सितम्बर, 1973 की अवधि में खराब भोजन देने के बारे में केवल एक शिकायत मिली जबकि इस गाड़ी में खान-पान सेवा के सम्बन्ध में यात्रियों द्वारा लगभग 3,436 सराहना दर्ज की गयीं।

(ख) जी, नहीं। यात्रियों को भोजन साफ और एनीडाइज्ड बाक्स टाइप अल्युमीनियम की थालियों में दिया जाता है ।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

18 वर्ष की आयु में मताधिकार का दिया जाना

4239. **श्री सी० के०चन्द्रापन:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 18 वर्ष की आयु में मताधिकार देने का निर्णय इस बीच कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में असाधारण विलम्ब के कारण क्या हैं; और

(ग) यदि 18 वर्ष की आयु में मताधिकार दिया जाता है तो नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के अनुसार मतदाता सूची में कितने नये मतदाताओं के शामिल होने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कतिपय ऐसी व्यावहारिक कठिनाइयों की भी जांच की जानी है जो निर्वाचक-मंडल के विस्तार के कारण उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे, अतिरिक्त संख्या कितनी होगी, उनके लिए आवश्यक निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थाएं, आदि इन परिस्थितियों में किसी निर्णय पर पहुंचने में कुछ और समय लगने की संभावना है।

(ग) ऐसी संभावना है कि मतदाता सूची में तीन करोड़ बयालीस लाख से कुछ अधिक नए मतदाताओं की वृद्धि हो जाएगी।

मनीपुर में लोकटक बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए सुरंग का निर्माण

4240. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मनीपुर में लोकटक बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए सुरंग के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके मार्ग में क्या कठिनाइयां आ रही हैं और पहला चरण कब चालू किया जायेगा ; और

(घ) क्या उपकरण की प्राप्ति में कठिनाइयां आ रही हैं; और यदि हां, तो ये कठिनाइयां किस प्रकार की हैं और कितनी हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) सुरंग को लगभग 6248 मीटर की कुल लम्बाई में से 700 मीटर की लम्बाई तक कार्य पूर्ण हो गया है। तीन शाफ्टों के चालन तथा पहुंच सुरंग का कार्य पूरा कर लिया है।

(ख) से (घ) 35 मेघावाट की प्रथम यूनिट मूल रूप में मार्च, 1975 तक चालू की जानी अनुसूचित थी। बह रहाल, आयात की जा रही मुख्य यूनिट की सुपुर्दगी में विलम्ब के कारण, अब प्रथम यूनिट का मार्च, 1976 में चालू होना प्रत्याशित है। प्रथम चरण को पूरा करने में अन्य विद्युत् घर उपस्करों को प्राप्त करने में या अन्य मामलों में कोई कठिनाई अनुभव नहीं की जा रही है।

इम्फाल स्थित गोहाटी उच्च न्यायालय की स्थायी न्याय-पीठ

4241. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी उच्च न्यायालय की इम्फाल में स्थायी न्याय-पीठ न होने के विरुद्ध मणिपुर की जनता ने अपना असंतोष प्रकट किया है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इम्फाल से गोहाटी तक सड़क मार्ग द्वारा पहुंचने में दो दिन लगते हैं तथा इम्फाल में स्थायी न्याय-पीठ के न होने से जनता को आसानी से उच्च न्यायालय का लाभ नहीं मिलता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इम्फाल में पूर्ण उच्च न्यायालय की स्थापना न होने तक वहां उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्याय-पीठ की स्थापना करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थायी न्याय-पीठ में कार्य कब आरम्भ होगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) इस संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, मणिपुर के लोग इम्फाल में ही अर्जियों/मुकदमे दायर कर सकते हैं, यद्यपि उनके द्वारा गोहाटी में भी अर्जियां/मुकदमें दायर किए जाने पर कोई रोक नहीं है। सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि इस व्यवस्था से लोगों को कोई कठिनाई हुई है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिल्चर और जिरीबम के बीच रेलवे लाइन

4242. **श्री एन० टोम्बी सिंह:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिल्चर और जिरीबम के बीच प्रस्तावित रेलवे लाईन के निर्माण में कितनी प्रगति हुई हैं;

(ख) क्या इस परियोजना को प्राथमिकता मिल रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस नई रेलवे लाईन पर कार्य कब आरम्भ हो जाएगा?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) **से** (ग) सिल्चर से जिरीबम तक मीटर लाइन के विस्तार के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी-एवम् यातायात सर्वेक्षण हो रहा है। सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाने और उसके परिणामों का पता लग जाने के बाद इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा ।

रेलवे स्टेशनों पर सफाई का स्तर ऊंचा उठाने का कार्यक्रम

4243. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों की सफाई का स्तर बढ़ाने के लिए, ताकि वे सुन्दर दिखाई दें, संपूर्ण रेलवे में कोई कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी हां, प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में कुछ चुने हुए स्टेशनों पर सफाई का स्तर ऊंचा करने का कार्यक्रम चलाया गया है;

(ख) इस कार्यक्रम में ऐसे स्टेशनों पर सफाई, इमारतों और फिटिंग्स की मरम्मत, यात्री सुविधाओं का बेहतर अनुरक्षण, स्टेशनों की साज-संवार और निगरानी के काम में कड़ाई बरतने पर अधिक ध्यान देना शामिल है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अमरीकी विशेषज्ञों के सहयोग से तेल छिद्रण में विलम्ब

4244. **श्री रणबहादुर सिंह**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने आफसोर कम्पनी से अमेरिकी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की हैं परन्तु समुद्र तट से दूर तेल छिद्रण कार्यक्रम को पूरा करने में विलम्ब देश को मंहगा पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब से भारत को प्रतिदिन कितनी हानि उठानी पड़ रही है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) (क) तथा (ख): 'सागर सम्राट' के माध्यम से व्यधन करने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 'आफ-शोर इन्टरनेशनल एस०ए०' नामक अमरीका की फर्म से ठेका लिया है। यह ठेका एक वर्ष की अवधि के लिए है। 'सागरसम्राट' द्वारा समुद्र तट से दूर व्यधन करने में दो कारणों से विलम्ब हुआ है। ये कारण हैं--'सागर सम्राट' की सुपुर्दगी में छः महीने का विलम्ब तथा बाम्बे हाई क्षेत्र में 'सागर सम्राट' के शीघ्र पश्चात खराब मौसम। परन्तु सरकार को कोई परिहार्य हानि नहीं हुई क्योंकि 'सागर सम्राट' के सप्लायरों से उसकी सुपुर्दगी में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में परिसमाप्त क्षतियां वसूल कर ली गई हैं। मौसम के कारण हुई विलम्ब तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बस की बात नहीं थी। विलम्ब के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को कुछ व्यय भी करना पड़ा था। यह व्यय 7,000 डालर प्रतिदिन था। यह ड्रिलिंग ठेकेदार को अदायगी करने तथा सप्लाई नावों और क्यू नाव पर हुआ। 20 प्रतिशत व्यय रुपयों में था।

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के विद्युतीकरण के लिये ऋण

4245. **श्री नारायण चन्द पाराशर**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्राम्य विद्युतीकरण निगम ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में विद्युतीकरण के लिए 60 लाख रुपये के ऋण मजूर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या समस्त जिले के विद्युतीकरण के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो पूरे जिले में कब तक बिजली लग जायेगी; और

(घ) क्या भाखड़ा बाँध से हुए विस्थापित गांवों और जिले की हरिजन बस्तियों को विद्युतीकरण के कार्यक्रम में प्राथमिकता दी जायेगी?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग) जी, हां। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के विद्युतीकरण के लिए हिमचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने एक स्कीम तैयार की है और पाचवीं योजना के अंत तक इस जिले में 66 प्रतिशत ग्रामों के विद्युतीकरण किये जाने की संभावना है।

(घ) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमों में भाखड़ा बांध के विस्थापित ग्रामों की बड़ी संख्या आ जाती है। इस स्कीम में शामिल ग्रामों में साथ की हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए भी प्रावधान किया गया है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिलासपुर के तलाई क्षेत्र का सर्वेक्षण

4246. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिलासपुर जिले के तलाई क्षेत्र में प्राकृतिक गैस होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सम्बन्धित क्षेत्र के भूगर्भीय सर्वेक्षण से एक अपनतसंरचना की खोज तथा चित्रण हो सका है जिसका व्यधन द्वारा परीक्षण करने योग्य है।

हिमाचल प्रदेश में रेलवे आउट ऐजेंसियों के असंतोषजनक कार्य के बारे में अभ्यावेदन

4247. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कुछ रेलवे आउट एजेन्सियों के असंतोषजनक कार्य के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इन आउटएजेन्सियों के कार्य में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) और (ख) गगरेट, भरवाई, प्रागपुर, जवालामुखी मंदिर और नदौन में आउट एजेन्सियों के कार्य संचालन के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन मिला था।

यातायात कम होने की संभावना के कारण इन आउट एजेन्सियों को चलाने के लिए कोई ठेकेदार आगे नहीं आ रहा था इसलिए मंडीकुल्लु रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन को यह काम चलाने के लिए राजी किया गया था। यह कारपोरेशन प्रयोग के तौर पर इन आउट एजेन्सियों को सप्ताह में एक-एक दिन चलाने के लिए सहमत हो गयी और दिसम्बर, 1972 से यह व्यवस्था लागू हो गयी। लेकिन यातायात पर्याप्त न होने के कारण इसकारपोरेशन ने यह काम छोड़ दिया और एजेन्सियों को 1-7-73 से बंद कर दिया गया ।

श्रेणी तीन और श्रेणी चार के कर्मचारियों के अन्तर्क्षेत्रीय स्थानांतरण के बारे में नियम

4248. **श्री नारायण चन्द पाराशर**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे में श्रेणी तीन और श्रेणी चार के कर्मचारियों के अन्तर्क्षेत्रीय स्थानान्तरण किन नियमों के अन्तर्गत होते हैं ; और

(ख) संबद्ध अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्रों के प्राप्त होने के पश्चात इन स्थानान्तरण आदेशों को लागू करने में आमतौर पर कितनी अवधि लगती है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) नियम यह है कि सामान्यत: एक रेल कर्मचारी अपनी सेवा की तमाम अवधि उसी रेलवे या स्थापना में ही काम करता रहेगा जिसमें वह अपनी पहली नियुक्ति पर लगा हो और किसी दूसरी रेलवे या रेल स्थापना में स्थानान्तरण के लिए अधिकार के रूप में उसका कोई दावा नहीं होगा। लेकिन कठिनाइयों के विशेष मामलों के आधार पर एक रेलदे से दूसरी रेलवे पर स्थानान्तरण के लिए रेल कर्मचारीको प्रार्थना पर रेल प्रशासनों द्वारा सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाता है। ऐसे मामलों में यह कठिनाई आती है कि यदि किसी वरिष्ठ कर्मचारी को स्थानान्तरित किया जाता है तो इस से उस यूनिट के कर्मचारियों को पदोन्नति की संभावनाएं कम हो जाती हैं जिसमें कि उसे स्थानान्तरित किया जाता है। इस बात को देखते हुए यह व्यवस्था की गयी है कि प्रार्थना पर स्थानान्तरण सामान्यत: भर्ती के निम्नतम पदक्रम में ही किया जायेगा बशर्ते प्रार्थी नये संवर्ग में सब से नीचे वाली वरिष्ठता स्वीकार कर ले। लगभग एक जैसी वरिष्ठता वाले कर्मचारियों के बीच आपसी अदला-बदली के आधार पर भी स्थानान्तरण की व्यवस्था है। इसकी व्यवस्था सामान्यत: पंजीकरण की प्रणाली से की जाती है।

(ख) यह स्थिति अलग-अलग रेलों तथा अलग-अलग यूनिटों में भिन्न-भिन्न हैं जो संवर्ग की स्थिति तथा आपसी अदला-बदली के लिए कर्मचारियों की सहमति पर निर्भर करती है।

भारतीय रेलवे द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं की प्रकाशन की अवधि तथा उनकी बिक्री

4249. **श्री नारायण चन्द पाराशर**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रेलवे द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्र-पत्रिकाओं के नाम क्या है तथा उनकी संख्या कितनी है तथा उनका प्रकाशन कितनी-कितनी अवधि के बाद होता है ; और

(ख) उनमें से प्रत्येक पत्र-पत्रिकाओं की औसत बिक्री कितनी होती है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख) रेलवे बोर्ड दो मासिक पत्रिकाओं 'इंडियन रेलवेज' (अंग्रेजी) और 'भारतीय रेल' (हिन्दी) का प्रकाशन करता है। 'इंडियन रेलवेज' की औसत ग्राहक संख्या 4900 प्रतियां प्रति मास है और 'भारतीय रेल' की 2500 प्रतियां प्रति मास है क्षेत्रीय रेलें कोई पत्रिकाएं नहीं निकालतीं। लेकिन, वे रेल कर्मचारियों और रेल उपयोगकर्ताओं में मुफ्त बांटने के लिए कर्मचारी बुलेटिन और समाचार पत्रक प्रकाशित करती है।

1971 में संसद् के निर्वाचनों पर हुआ व्यय

4250. **श्री यमुना प्रसाद मन्डल :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद के निर्वाचनों की बाबत प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र पर हुए औसत व्यय का हिसाब लगा लिया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1971 के निर्वाचनों पर हुए व्यय के आंकड़े क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (ग) 1971 में लोक सभा के लिए हुए साधारण निर्वाचनों के संचालन हेतु प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किए गए व्यय की रकम और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र पर किया गया औसत व्यय दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 5967/73] उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों में, संसद और राज्य विधान सभाओं के लिए निर्वाचन 1971 में एक साथ कराए गये थे, अतः उन राज्यों में किसी एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन के लिए किया गया औसत व्यय निकालना संभव नहीं है।

उड़ीसा (दक्षिण पूर्व रेलवे) में तालचेर से बिमलगढ़ तक रेलवे लाइन

4251. **श्री पी०गंगादेव:** क्या **रेल** मंत्री बिमलगढ़ से तालचेर (दक्षिण पूर्व रेलव) तक रेलवे लाइन के बिछाये जाने के बारे में 5 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3088 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कि क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में बिमलगढ़ से तालचेर तक रेलवे लाइन बिछाने के निर्माण कार्य के बारे में विचाराधीन सर्वेक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : चूंकि मलंगटोली लोह अयस्क के विकास के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए, बिमलगढ़ से तालचेर तक प्रस्तावित लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करना संभव नहीं हो सका है ।

मशीनी तेलों की कीमतें

4252. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड :**
श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले महीने से सभी मशीनी तेलों की कीमत में 25 रुपये प्रति मीटरी टन की वृद्धि करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और देश में उनकी खपत संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्वी रेलवे के रेलवे स्टेशनों पर विश्रामालयों तथा शयनशालाओं की स्थिति सुधारने के लिये कार्यवाही

4253. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्व रेलवे तथा बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर, छपरा, सोनपुर, कटिहार और पटना जंकशन, धनबाद, गया, आरा रेलवे स्टेशनों पर विश्रामालयों तथा शयनशालाओं के रख-रखाव का स्तर बहुत ही असंतोषजनक है और इन विश्रामालयों के इंचार्ज और चौकीदार न केवल निष्ठुर और लापरवाह हैं अपितु उनका व्यवहार असहयोगपूर्ण भी है और वे अच्छी तरह से बातें भी नहीं करते हैं;

(ख) क्या इन विश्रामालयों को सप्लाई किए जाने वाले फर्नीचर के चार्ट का ब्योरा भलीभांति नहीं रखा जाता है तथा टूटे हुए फर्नीचर की मरम्मत नहीं कराई जाती है और कभी कभी शौचालय बहुत गन्दे रहते हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) विश्रामालयों में यात्रियों को हुई असुविधाओं की कुछ शिकायतें रेलों को प्राप्त हुई हैं।

(ख) विश्रामालयों में दिये गये फर्नीचरों का चार्ट उपयुक्त ढंग से रखा जाता है और जब कभी आवश्यकता होती है टूटे हुए फर्नीचर की मरम्मत की जाती है या उसे बदल दिया जाता है। शौचालयों सहित इन कक्षों की सफाई पर निरन्तर ध्यान दिया जाता है।

(ग) ऐसी हिदायतें हैं कि विश्रामालयों को उपयुक्त ढंग से रखने को सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टरों को प्रतिदिन उनका निरीक्षण करना चाहिए। इन हिदायतों को दोहराया जा रहा है। समुचित अनुरक्षण और सफाई को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर निरीक्षण भी किए जाते हैं।

रेल कर्मचारियों की हड़ताल के कारण रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

4254. **श्री राजेंद्र प्रसाद यादव**:
श्री चन्द्रिका प्रसाद:
क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी से अक्तूबर, 1973 की अवधि के दौरान लोको कर्मचारियों की हड़ताल, गार्डों की हड़ताल या अन्य किसी हड़ताल के कारण सम्पूर्ण भारत में कितनी मेल, एक्सप्रेस, यात्री गाड़ियां और मालगाड़ियां रद्द की गईं;

(ख) इस प्रकार की हड़तालों के कारण रेल-विभाग को अनुमानतः कितना घाटा हुआ; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सभी कोटियों के कर्मचारियों कीवैधमांगों पर विचार किया जाता है और उन्हें सामूहिक समझौता तंत्र--स्थायी वार्ता तंत्र तथासंयुक्त सलाहकार तंत्रके विभिन्न स्तरों के माध्यम से निपटाया जाता है। ये तंत्र बहुत अधिक समय से संवैधानिक ढंग से और उद्देश्यपूर्ण रीति से काम करते चले आ रहे हैं। इसके अलावा, किसी भीस्रोत से आने वाले अभ्यावेदनों पर, जिनमें अमान्यता प्राप्त यूनियनें भी शामिल हैं, विधिवत विचार किया जाता है और प्रत्येक मामले में जो उचित कार्रवाई समझी जाती है, की जाती है। जब शिकायतें करने तथाउनके निराकरण के लिएइतनी गुंजाइश हो, तब वास्तव में 'नियम के अनुसार काम करो' 'जान बचाकर काम करो'आदि जैसी गैर-कानूनी हड़ताल अथवा आन्दोलनों के अकस्मात भड़क उठने की गुंजाइश नहीं होती।

प्रशासन से जो भी मांगें की जाती हैं उन पर सर्वाधिक सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है। कर्मचारियों द्वारा यह महसूस किया जाना चाहिए कि चूंकि कुछ मांगों की आवाज उठा दी गयी है; उसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें तुरन्त मान ही लिया जाये। सरकार को उन मांगों से सम्बन्धित वित्तीय संसाधनों, नियमों और विनियमों के गठन, मांगों के स्वीकार किये जाने के औचित्य और उनके स्वीकार किये जाने की प्रतिक्रियाओं जैसे पहलुओं पर विचार करना पड़ता है ।

इलाहाबाद में उचित करार को पूरा किये बिना कार्य कर रही निजी तथा सहायता-प्राप्त साइडिंग

4255. श्री ईश्वर चौधरी: क्या रेल मंत्री इलाहाबाद डिवीजन में साइडिंगों के साथ किए गए करार को क्रियान्वित न करने के कारण रेलवे कोहुई वित्तीय हानि के बारे में 28 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1264 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन निजी तथासहायता प्राप्त साइडिंगों के नाम क्याहैं जो उचित करार को पूरा किए बिना अभी भी इलाहाबाद डिवीजन में कार्य कर रही है;

(ख) इलाहाबाद डिवीजन में कार्य कर रही साइडिंगों के मालिकों पर विलम्ब शुल्क तथा रेलवे को अन्य देय राशि बकाया पड़ी है; और

(ग) रेलवे को बकाया देय राशि को यथाशीघ्र वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) मैसर्स इण्डियन एक्सप्लोसिवस, पनकी के साथ अभी करार किया जाना है।

(ख) और(ग) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 5968/73]

इलाहाबाद के डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट के कार्यालय से फाइलों का गुम होना

4256. श्री ईश्वर चौधरी: क्या रेल मंत्री इलाहाबाद डिवीजन के पार्सल लाने ले जाने वाले ठेकेदार द्वारा अपर्याप्त श्रमिकों की सप्लाई के बारे में 18 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3081 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलाहाबाद के डिवीजनल सुपरिण्टेंडेण्ट ने फाइल के गुम होने की जिम्मेदारी किसी पर डाली है ;

(ख) क्या दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) डिवीजनल सुपरिन्टेंडेण्ट, इलाहाबाद के कार्यालय से गुम हुई अन्य फाइलों का ब्योरा क्या है तथा दोषी पाये गये व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, मंडल अधीक्षक, इलाहाबाद द्वारा दो कर्मचारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

(ख) जी हां। दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई की गयी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) दो फाइलों अर्थात एक कूपरगंज (मीटर लाइन) में माल लादने और उतारने से संबंधित और दूसरी कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पार्सल लादने और उतारने से संबंधित फाइल मंडल अधीक्षक, इलाहाबाद के कार्यालय से लापता पायी गयी। वाणिज्यिक शाखा, इलाहाबाद के तत्कालीन संबंधित लिपिक श्री पी० सी० गुप्त जो बहुत दिनों से अनधिकृत रूप से गैरहाजिर हैं, उपर्युक्त फाइलें लापता होने के लिए जिम्मेदार ठहराये गये हैं। उनके ड्यूटी पर आने के बाद ही उनके विरुद्ध अनुशासन संबंधी कार्रवाई को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

रेलवे में समय-समय पर कर्मचारियों का स्थानांतरण

4257. श्री ईश्वर चौधरी : क्या रेल मंत्री रेलवे में समय-समय पर कर्मचारियों के स्थानान्तरण के बारे में 4 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1823 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समय-समय पर कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने की योजना, जो वर्ष 1972 के अन्त तक स्थगित थी, पुनः आरम्भ की गई है ;

(ख) क्या उन क्लर्कों का बारी-बारी से स्थानान्तरण, जिनका इलाहाबाद डिवीजन के वाणिज्यिक संचालन तथा इंजीनियरिंग शाखाओं में अधिकांशतः जनता से काम पड़ता है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए किया जाता है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को विशेषकर इलाहाबाद डिवीजन के वाणिज्यिक शाखा में रेलवे कर्मचारियों का समय-समय पर स्थानान्तरण करने के बारे में संसद सदस्यों और विधान परिषद् के सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (घ) आवधिक स्थानान्तरण की योजना 1-1-1973 से समाप्त कर दी गयी है। यह योजना प्रशासनिक कार्यालयों में काम करने वाले लिपिकवर्गीय कर्मचारियों पर कभी लागू नहीं की गयी। फिर भी, जब कभी कदाचार की शिकायतें मिलती हैं, कर्मचारियों के स्थानान्तरण सहित उपयुक्त निवारक कार्रवाई की जाती है।

कानपुर सेन्ट्रल और इलाहाबाद स्टेशन पर बिना लाईसेंस के खोमचे वालों द्वारा अनधिकृत वस्तुओं का विक्रय

4258. **श्री ईश्वर चौधरी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के कानपुर सेन्ट्रल तथा इलाहाबाद स्टेशन पर बिना लाइसेन्स के खोमचे वालों द्वारा अनधिकृत वस्तुओं के विक्रय की सम्बन्धित स्टेशन सुप्रिन्टेंडेन्ट तथा रेलवे अधिकारी अनुमति दे रहे हैं ;

(ख) क्या डिवीजनल प्राधिकारियों को इस तथ्य की जानकारी है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलवे पुलिस, प्लेटफ़ार्म इन्सपैक्टर तथा स्टेशन सुप्रिन्टेंडेंट की स्पष्ट सांट-गांठ से बिना लाईसेंस के खोमचेवालों को वस्तुएं महंगे भावों पर बेचने की अनुमति दी जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो कानपुर सेंट्रल और इलाहाबाद जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन पर इस प्रकार के बिना लाइसेंस के खोमचेवालों द्वारा यात्रियों को धोखा देने से रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मदशफी कुरेशी): (क) जी नहीं। इसकी अनुमति नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अनधिकृत खोमचे वालों को प्लेट फार्मों पर सामान बेचने की अनुमति नहीं दी जाती लेकिन देखा गया है कि कई बार ऐसे खोमचे वाले अन्दर घुस आते हैं। पता लगने पर उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाई की जाती है ।

(घ) इलाहाबाद, कानपुर और अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों पर अनधिकृत बिक्री रोकने के लिए समय-समय पर अभियान चलाये जाते हैं । 19-11-73 को इस तरह की जांच के दौरान इलाहाबाद में दस व्यक्ति पकड़े गये और उन पर जुर्माना किया गया । अनधिकृत बिक्री रोकने के उपाय किये जाते रहेंगे ।

चौथी योजना के दौरान तेल शोधन क्षमता के लक्ष्य

4259. **श्री सी० के० जाफर शरीफ:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चौथी योजना के दौरान तेल शोधन क्षमता के सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किये हैं ;

(ख) सरकार ने यह लक्ष्य कहां तक प्राप्त कर लिए हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार पैराफीन-वैक्स, मशीनी तेलों एवं अन्य उत्पादकों के सम्बन्ध में देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिये इन उत्पादों के उत्पादन की अतिरिक्त बनाने के बारे में कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में 35.55 कुल परिष्कृत क्षमता की व्यवस्था है जो योजना काल के अन्त तक पूरी हो जायेगी।

(ख) योजना काल के अन्त तक परिष्कृत क्षमता 24 मिलियन मीटरीटन तक होजाने की आशा है।

(ग) जी हां ।

हावड़ा स्टेशन पर भीड़भाड़ कम करने के लिये कार्यवाही

4260. श्री समर मुखर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हावड़ा स्टेशन पर भारी यातायात तथा भीड़भाड़ की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो भीड़भाड़ कम करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख) हावड़ा में पूर्व रेलवे के एक नये उपनगरीय टर्मिनल की व्यवस्था करने के लिए सर्वेक्षण का काम हाल में पूरा किया गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। दक्षिण-पूर्वरेलवे के लिए पदमपुकुर में लम्बी दूरी की एवं उपनगरीय गाड़ियों के लिए एक सहायक टर्मिनल की व्यवस्था करने के उद्देश्य से भी सर्वेक्षण किया जा रहा है । सर्वेक्षण रिपोर्टों पर सभी दृष्टियों से विचार करने के बाद ही इन प्रस्तावों पर आगे विचार किया जायेगा । जब तक पूर्व रेलवे के लिए उपर्युक्त नये उपनगरीय टर्मिनल के प्रस्ताव के सम्बन्ध में विनिश्चय नहीं हो जाता, जिसमें वर्तमान हावड़ा स्टेशन पर अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का काम भी शामिल है, तब तक 9.94 लाख रुपये की लागत से तीसरे दर्जे के बुकिंग कार्यालय के प्रांगण को बस और ट्राम टर्मिनल तक मिलाने वाले सुरंग मार्ग के निर्माण का काम किया जा रहा है।

मैसर्ज रेणुसागर पावर कम्पनी का राष्ट्रीयकरण

4261. कुमारी कमला कुमारी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला बन्धुओं की मैसर्स रेणुसागर पावर कम्पनी का विस्तार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो विस्तार कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं और यह बिजली सप्लाई कब से आरम्भ करेंगे; और

(ग) क्या सरकार इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी हां।

(ख) प्रतिष्ठापित किए जाने वाले उत्पादन सेट की किस्म और क्षमता के संबंध में ब्यौरों की जांच की जा रही है।

(ग) इस समय कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है यह जन सुविधा के लिए नहीं है परन्तु मैसर्स हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कम्पनी लि० की केवल एक केपटिव यूनिट है।

Demand for Railway Overbridge on Neel Ganga at Ujjain

4262. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether any demand for a Railway Overbridge on Neel Ganga in Ujjain City is being made by the local residents for a long time;

(b) if so, the action taken by Government in this regard; and

(c) the reasons for delay in its construction ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) A proposal for construction of a road overbridge in replacement of level crossing No. 27-C at Neel Ganga road in Ujjain City has been received from the Government of Madhya Pradesh. The site was jointly inspected on 1-10-1973. The State Government have been requested to furnish all relevant details of the scheme and the estimate of cost which are awaited. Further action to plan and sanction the work can be taken only on receipt of the required information.

Accidents on Western Railway during the last five months

4263. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of accidents which occurred on the Western Railway during the last five months;

(b) the amount of loss suffered by Government as a result of these accidents:

(c) the number of persons killed and injured; and

(d) the amount given to the families of the deceased as compensation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) During the period 1-6-1973 to 31-10-1973 there were 61 train accidents in the categories of collisions, derailments, level crossing accidents and fires in trains on the Western Railway.

(b) The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 11,82,000/-.

(c) In these accidents 8 persons were killed and 24 injured.

(d) So far, no compensation has been paid to any of the victims of these accidents or to their dependants.

Theft of Railway property on Western Railway during the last five months

4264. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of cases of theft of Railway property on the Western Railway registered during the last five months;

(b) the number of persons prosecuted and the action taken against them ; and

(c) the loss Government had to suffer on this account?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) 482 cases of theft of booked consignments/railway material and fittings were registered on the Western Railway during June-October, 1973.

(b) 795 persons were prosecuted. Of these 197 have been convicted and 16 acquitted so far. Cases of 582 persons are under trial.

(c) The value of property stolen in these cases is estimated to be Rs. 2,55,381/-.

जी०एम०सी० इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) के सहायक स्टेशन मास्टरों को शिक्षा शुल्क वापस करना

4265. **श्री जगन्नाथराव जोशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में जी० एम० सी० के उन सहायक स्टेशन मास्टरों की संख्या क्या है जिन्हें अभी तक वर्ष 1972 का शिक्षा शुल्क वापस नहीं किया गया है और उन्हें कितनी धनराशि दी जानी है ; और

(ख) उक्त राशि कब तक वापस कर दी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 23-11-1973 को, पांच सहायक स्टेशन मास्टरों ने जुलाई, 1972 से दिसम्बर 1972 तक की अवधि के 237.50 रुपये के शिक्षा शुल्क की रकम की प्रतिपूर्ति की मांग पेश की है।

(ख) इस मांग का निबटारा दिसम्बर, 1973 के उस नियमित बिल में कर दिया जायेगा जिसका भुगतान जनवरी, 1974 में होगा ।

इलाहाबाद (उत्तर रेलवे) के जी०एम०सी० के सहायक स्टेशन मास्टरों को समयोपरि भत्ते का न दिया जाना

4266. **श्री जगन्नाथराव जोशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में जी०एम० सी० के उन सहायक स्टेशन मास्टरों की संख्या कितनी है जिनको 1972 के लिए समयोपरि भत्ते का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ; और

(ख) उनको कितनी धनराशि दी जानी शेष है और इसका भुगतान किस तारीख तक कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) कहा जाता है कि इलाहाबाद मडल में जी० एम०सी० के केवल एक सहायक स्टेशन मास्टर को वर्ष 1972 से सम्बन्धित समयोपरि भत्ते की 67.10 रुपये की राशि नहीं मिली । यह रकम तथाकथित किसी अन्य व्यक्ति ने प्राप्त कर ली है। इसकी जांच पड़ताल हो रही है । जांच पड़ताल तथा दावेदार को, यदि देय हो तो भुगतान करने में शीघ्रता लाने के लिए कदम उठाये गये हैं ।

बड़ौदा क्षेत्र के नैरो गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

4267. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने बड़ौदा क्षेत्र के तेजी से हो रहे औद्योगीकरण के कारण इस क्षेत्र की नैरोगेज लाइनों को ब्राडगेज लाइनों में बदलने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और इस बारे में गुजरात राज्य सरकार द्वारा किए गये प्रस्तावों पर कब विचार किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) अलाभप्रद शाखा लाइन समिति 1969 की सिफारिशों के आधार पर छोटा उदयपुर-प्रतापनगर और छुछापुरा-टंखाला छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए एक यातायात सर्वेक्षण किया गया था । सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच से पता चला है कि वित्तीय और यातायात की दृष्टि से इनदोनों लाइनों का आमान परिवर्तन औचित्यपूर्ण नहीं होगा ।

अलाभप्रद शाखा लाइन समिति ने बड़ौदा क्षेत्र में और किसी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की सिफारिश नहीं की है ।

साबरमती (पश्चिम रेलवे) में नई रेलवे कालोनी को गन्दे पानी की सप्लाई

4268. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि साबरमती (पश्चिम रेलवे) में नई रेलवे कालोनी में गत दस वर्षों से गन्दा (अनहाइजेनिक) पानी सप्लाई किया जा रहा है ;

(ख) क्या साबरमती रेलवे अधिकारियों द्वारा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) क्या पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने रेलवे कर्मचारियों को स्वच्छ पानी सप्लाई करने का प्रयास किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) साबरमती में नई रेलवे कालोनी में स्वास्थ्यकर जल वितरित किया जा रहा है और आवधिक जीवाणुनाशी तथा रासायनिक विश्लेषणों से पता चलता है कि वितरित किया जाने वाला जल पेय जल है और सामान्य घरेलू कार्य के लिए हानिकारक नहीं है । वर्तमान प्रबन्ध में सुधार करने के लिये आगामी वर्षों में क्लोरोनेटर स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

बिहार के दरभंगा जिले में बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई परियोजना की क्रियान्वित के लिये धांस बागमती नदी का सर्वेक्षण

4269. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के दरभंगा जिले के माधवापुर, वामपही, मधुबनी, जोगिपारा, सिंगभरा तथा हायघाट ब्लाक से बहने वाली धांस बागमती नदी का सर्वेक्षण कराया गया है ताकि दोनों किनारों पर

बांध स्लूस गेट और उचित दूरी पर चैनल बनाकर बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई परियोजना को क्रियान्वित किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या बिहार में दरभंगा जिले में सिंगबारा से मोहनि नदी के दोनों किनारों से खिरोई नदी तक बांध बनाने की योजना को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके कार्यनिष्पादन की समय-सूची क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) धांस, जो कि दरभंगा बागमती की एक सहायक नदी है, का अध्ययन अधवारा तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा किया गया था, जिसने निम्नलिखित कार्यों के लिए सिफारिश की है :—

(1) रधौली में प्रस्तावित नियामक के प्रतिप्रवाह में रधौली और सैलिघाट के बीच दोनों और तटबंधों का निर्माण ।

(2) बूढ़ानर के दक्षिण तट के साथ-साथ सैलिघाट और अन्नपट्टी के बीच प्रति प्रवाह की ओर दक्षिण तटबंध का विस्तार ।

(3) धांस नदी में शीर्ष विस्मरण के एक भाग का रधौली में प्रस्तावित नियामक से पुराने कमला जलमार्ग में व्यपवर्तन ।

राज्य सरकार अन्वेषण कर चुकी है परन्तु स्कीम को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में खिरोई नदी पर स्लूस फाटक एवं पुल बनाना

4270. **श्री भोगेंद्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के दरभंगा जिले में जोगिपारा ब्लाक में भुरैना गांव के निकट सिंघा-भारा ब्लाक में हरीहरपुर और कालीगांव गांवों के बीच खिरोई नदी पर स्लूस फाटक एवं पुल बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए है और पानी के स्तर को कितनी बार मापा गया है और उसके क्या विशिष्ट परिणाम निकले हैं ;

(ख) क्या उपरोक्त स्लूस फाटक एवं पुल परियोजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है । अथवा 1974 के आरम्भ से अन्तिम रूप दिया जा रहा है तथा इन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो समयसूची का ब्यौरा क्या है और उस पर कितना व्यय आयेगा; और

(घ) यदि नही तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (घ) खिरोई नदी पर स्लूस-फाटक मय-पुल के लिए एक स्कीम को तैयार करने हेतु 1970 से जल वैज्ञानिक प्रेक्षण

किये जा चुके हैं । बिहार राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि अब तक किये गये प्रेक्षणों के परिणाम स्कीम को तैयार करने के पक्ष में नहीं हैं । उन्होंने आगे और आंकड़े एकत्र करने का प्रस्ताव रखा है ।

Authentic Hindi version of Central Acts

4271. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Central Acts whose authentic Hindi versions are not available so far ; and

(b) whether the Central laws are framed originally in Hindi or, are they prepared in English and then translated into Hindi ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary): (a) Authentic Hindi versions of 307 Central Acts are available. The authentic Hindi versions of 413 Central Acts remain to be prepared. Out of these the Hindi translations of 110 Central Acts have been finalised and authentic versions thereof are likely to be available soon.

(b) Under article 348 of the Constitution, the authoritative texts of all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in Parliament and of all Acts passed by Parliament and of Ordinances promulgated by the President, shall be in the English language until Parliament by law otherwise provides. No law to provide otherwise has been enacted by Parliament. The Bills introduced in Parliament are accordingly prepared in English and thereafter translated into Hindi. After the Bills as passed by Parliament become Acts on receiving the assent of the President, translations thereof are published under the authority of the President in the Official Gazette in pursuance of section 5(1)(a) of the Official Languages Act, 1963.

Cumulative deficit consequent upon increase in fares and freights

4272. **Shri M. C. Daga :**
Shri Shiv Kumar Shastri:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the total cumulative deficit upto the end of 1970-71 amounted to Rs. 87.33 crores and, if so, the main reasons thereof keeping in view the fact that the fares and freights are increased every year; and

(b) whether the Revenue Reserve Fund and the Development Fund have been exhausted and a sum of Rs. 95.85 crores had to be borrowed for the development of Railways and if so, how long this situation will continue ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes. The main reasons for this deficit are that : (i) the increases in passenger fares and freight rates have not kept pace with the increases in costs of inputs, (both wages and materials), and

(ii) freight traffic did not materialise to the extent anticipated.

(b) Yes. As at the end of 1970-71 the loan liabilities outstanding under Development Fund and Revenue Reserve Fund stood at Rs. 95.85 crores. This situation will continue as long as sufficient surplus is not available for payment of the full quantum of dividend and for meeting the full requirement of works chargeable to Development Fund.

Publication of Manuals on Election Laws in Hindi and English

4273. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the dates on which Manuals on Election Laws were last published in Hindi and English; and

(b) the time by which next edition will be published ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) :(a) The Hindi and English versions of the Manual of Election Law were last published in February, 1967 and February, 1972, respectively.

(b) Next Hindi edition of the Manual is under print and is likely to be out shortly. There is no proposal to bring out a revised edition of the Manual in English at present.

इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा बर्माशैल आयल कम्पनी के समूचे पेट्रोल व्यापार को अपने हाथ में लिया जाना

4274. **श्री पीलू मोदी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्याइण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने बर्माशैल आयल कम्पनी के केरल, तामिलनाडु तथा कर्नाटक के भागों के समूचे तेल व्यापार को अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस परियोजना पर कितना व्यय होगा ;

(ग) इस क्षेत्र में बर्माशैल में काम कर रहेकर्मचारियों का भविष्य क्या होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) अभी तक भारतीय तेल निगम द्वारा इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

शराफ्स द्वारा नोट गिनने तथा भारतीय रेलवे में मुख्य बुकिंग क्लर्कों द्वारा नोट गिनने के लिये निर्धारित मानदण्ड

4275. श्री पन्ना लाल बारूपाल:

श्री ओंकार लाल बेरवा:

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रोकड़ कार्यालयों में काम करने वाले शराफस द्वारा नोट गिनने के लिए तथा रेलवे स्टेशनों के बुकिंग कार्यालयों में काम करने वाले मुख्य बुकिंग क्लर्कों/

प्रधान बुकिंग क्लर्क द्वारा नोट गिनने के लिये रेलवे प्रशासन द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): क्षेत्रीय रेलों से सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

औषधि निर्माता विदेशी फर्मों को जारी किये गये सी० ओ० बी० लाइसेंसों में उत्पादन क्षमताओं का निर्धारण

4276. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 13 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 336 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुमति/अनापति पत्रों के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं की क्षमता कितनी है ;

(ख) सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी करते समय यह क्षमता किस आधार पर निश्चित की गई;

(ग) क्या प्रत्येक वस्तु का उत्पादन मूल्य पूछा गया था और यदि हां, तो क्या विवरण प्रस्तुत किया गया ; और

(घ) प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में कितनी विदेशी मुद्रा बाहर जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) अधिकांश मामलों में अनुज्ञा/अनापति पत्रों के अन्तर्गत आने वाली मदों के लिए क्षमताएं निर्दिष्ट नहीं की गई थीं ।

(ख) तथा (ग) सी० ओ० बी० लाइसेंसों के लिए आवेदन करने वाली फर्मों को अपने आवेदनों पत्रों में उल्लिखित मदों का उत्पादन मूल्य बताना होता है। सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी करते समय स्वीकृत मदों की क्षमता सामान्यता पूर्व तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में उपलब्ध अधिकतम उत्पादन के आधार पर निर्धारित की गई थी ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि निर्धारित क्षमताएं पहले ही उपलब्ध उत्पादन स्तरों पर आधारित थी ।

विदेशी औषध निर्माता फर्मों को दिये गये सी०ओ०बी० लाइसेंसों में उत्पादन मूल्य का निर्धारण

4277. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 13 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 336 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजी वाली फर्मों को दिये गये सी० ओ० बी० लाइसेंसों/अनुमति/अनापति पत्रों के अन्तर्गत होने वाले उत्पादन का मूल्य कितना है ;

(ख) प्रत्येक फर्म को कितने अनुमति पत्र दिये गये हैं जिनके आधार पर सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी किये गये और वे किस तिथि को, किस संख्या तथा किस प्राधिकरण के अन्तर्गत जारी किये गये ;

(ग) इन अनुमति पत्रों/सी० ओ० बी० लाइसेंसों के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के निर्माण के लिये भारतीय क्षेत्र, लघु तथा संगठित दोनों, से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये, उनमें से कितने आवेदन पत्र अस्वीकार किये गये और क्या अस्वीकार करने का कारण तकनीकी ज्ञान की अनुपलब्धता था अथवा कुछ और ; और

(घ) मंत्रालय की इस कार्यवाही के परिणास्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा बाहर जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जैसाकि 13 नवम्बर, 1973 को आंतारांकित प्रश्न संख्या 336 के उत्तर में पहले पहल ही बताया जा चुका है अधिकांश अनुज्ञा/अनापति पत्रों में क्षमता निर्दिष्ट नहीं की जाती । इस कारण उनके अन्तर्गत हुए उत्पादन का मूल्य बता पाना सम्भव नहीं है ।

26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली फर्मों के लिए सी० ओ० बी लाइसेंसों द्वारा किए गए उत्पादन के मूल्य के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(ख) एक विवरण संलग्न है सी० ओ० बी० लाइसेंस लाइसेंसिंग समिति द्वारा अनुमोदित होने पर जारी किए गए थे ।

(ग) सी० ओ० बी० लाइसेंसों संम्बन्धी अनुज्ञापत्रों के अन्तर्गत स्वीकृत क्षमताओं को सम्मिलित करने के लिए किसी भी भारतीय कम्पनी से प्राप्त आवेदन पत्र को अस्वीकार नहीं किया गया है । ऐसा केवल एक ही आवेदन पत्र के प्राप्त हुआ है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सी० ओ० बी० लाइसेंसों में क्षमताओं का निर्धारण उत्पादन के पहले ही उपलब्ध स्तरों के आधार पर किया गया था ।

विवरण

क्रम संख्या	फर्म का नाम	अनुज्ञापत्र की संख्या तथा तिथि
1	2	3
1.	मे एण्ड बेकर लिमिटेड: बम्बई ।	संख्या 3(61)/68 कैमी-3 दिनांक 2-11-1968
2.	ग्लास्को लैब्रोटरीज (इंण्डिया) लिमिटेड, बम्बई ।	1. संख्या एच०सी० -1(64)/57 दिनांक 11-9-57 और 30-9-1957 2. संख्या 22/22/आई० ए० (आर०)/52 दिनांक 22-5-1954 3. संख्या 22/22/आई० ए० (आर०)/52 दिनांक 22-5-54 4. सं० 22(9) आई० ए०/11/57 दिनांक 25-7-57 5. सं० 22(305) आई० ए० (ii)/59 दिनांक 20-10-59 6. सं० 3(30)/61 कैमी-3 दिनांक 3-6-1961 7. सं० 22(104) आई० ए० (एल)/55 दिनांक 15-7-55 और 4-8-55 8. संख्या 22/22/आई० ए० (आर०)/52 दिनांक 22-5-54

क्रम संख्या	फर्म का नाम	अनुज्ञापत्र की संख्या तथा तिथी
1	2	3
		9. संख्या 3(30)/61-कैमी–iii दिनांक 3-6-61
		10. संख्या 3(4)/61-कैमी-iii दिनांक 6-3-1961
		11. सं० 22(203) आई० ए० (ii)/59 दि० 20-4-59
		12. संख्या 22(394) आई० ए० (ii)/60 दिनांक 16-2-60
		13. संख्या 22(468) आई० ए० (ii)/ 60 दिनांक 17-1-61
		14. संख्या 3 (25)/62-कैमी-iii दिनांक 29-10-62
		15. संख्या 22(234) आई० ए० (ii)/59 दिनांक 30-12-59
		16. संख्या 3(1)/63-कैमी-iii दिनांक 24-8-63
		17. संख्या 3(1)/63-कैमी-iii दिनांक 5-8-63
		18. संख्या 22(272)/आई० ए० (ii) 59 दिनांक 19-12-59
		19. संख्या 3(24)/62-कैमी-iii दिनांक 26-7-62
		20. संख्या 3(25) 62-कैमी–iii दिनांक 25-6-1962

इन्सपेक्टर आफ वर्कस (दक्षिण मध्य रेलवे) के अधीन काम करने वाले नैमित्तिक कर्मचारियों को न्यूनतम मजूरी की अदायगी

4278. **श्री बीरेन दत्त**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-मध्य रेलवे के दक्षिण-मध्य डिवीजन के इन्सपैक्टर आफ वर्कस के अधीन काम करने वाले सभी नैमित्तिक कर्मचारियों को न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अनुसार मजूरी दी जाती है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख) उन सभी नैमित्तिक श्रमिकों को, जो न्यूनतम मजूदरी अधिनियम के शासित होते हैं, मजदूरी का भुगतान उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निश्चित की गयी दरों के अनुसार किया जाता है ।

इंस्पेक्टर आफ वर्कस काजीपेट (दक्षिण मध्य रेलवे) के अधीन काम करने वाले नैमित्तिक कर्मचारियों के स्थानांतरण

4279. **श्री बीरेन दत्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य डिवीजन में काजीपेट के इन्सपैक्टर आफ वर्कस के अधीन काम करने वाले 86 नैमित्तिक कर्मचारियों को इन्सपैक्टर आफ वकर्स काजीपेट से पी० डब्ल्यू० आई० चेरलापल्ली स्थानान्तरित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह रेलवे संस्थान मैनुअल के प्रावधान 2501 के विरुद्ध नहीं है ;

(ग) इन्सपैक्टर आफ वकर्स नेमित्तिक कर्मचारी तथा पी० डब्ल्यू० आई० नैमित्तिक कर्मचारी की दैनिक मजदूरी में क्या अन्तर है; और

(घ) यदि पी० डब्ल्यू आई० गैंग में स्थानान्तरण किया जाता है तो इन्सपैक्टर आफ वर्क्स नैमित्तिक कर्मचारी को प्रतिदिन कितनी हानि होती है ?

रेल मंत्रालय मेंउप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) चूंकि वे निर्माण निरीक्षक (दक्षिण) काजीपेट की आवश्यकताओं से फालतू थे इसलिए छंटनी से बचाने के लिए उन्हें रेल पथ निरीक्षक, चेरलापल्ली के अधीन वैकल्पिक सेवा में लगाया गया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ): निर्माण निरीक्षक और रेल पथ निरीक्षक के नैमित्तिक मजरदूों की मजदूरी में इस प्रकार का कोई अन्तर नहीं है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से शासित होने वाले मजदूरों के अलावा नैमित्तिक मजदूरों को स्थानीय दर पर भुगतान किया जाता है जो चेरलापल्ली में काजीपेट की अपेक्षा प्रति दिन 25 पैसा अधिक है ।

इंस्पेक्टर आफ वर्कस काजीपेट (दक्षिण मध्य रेलवे) के अधीन नैमित्तिक कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल

4280. **श्री वीरेन दत्त**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्सपैक्टर आफ वर्क्स काजीपेट के नैमित्तिक कर्मचरियों द्वारा 3 अक्तूबर, 1973 से भूख हड़ताल करने के बारे में सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश को भाखड़ा से बिजली की सप्लाई

4281. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को भाखड़ा से सप्लाई की जाने वाली बिजली का उपयोग किस्ली द्वारा हो रहा है ; और

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार को इस तथ्य से अवगत कराया है ; और यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) प्रारम्भ में जबकि दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान भाखड़ा से प्राप्त पूरी ऊर्जा उत्तर प्रदेश को भेज रहा था, विद्युत् सप्लाई को समानता के संबंध में कठिनाई हुई थी । अब इस मामले को संतोषजनक तरीके से हल कर लिया गया है ।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा और अधिक मिट्टी के तेल की मांग

4282. **श्री एस० एम० बनर्जी:**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल की कमी को पूरा करने के लिये इसके अधिक कोटे की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) दिसम्बर, 1973 में मिट्टी के तेल की कुल सप्लाई कितनी की जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग) अनेक राज्य, उत्तर प्रदेश को सम्मिलित करते हुए, मिट्टी के तेल की बढ़ी हुई मात्रा में सप्लाई करने की मांग कर रहें हैं । गत वर्षों में मिट्टी के तेल की वास्तविक आवश्यकता का अनुमान लगाना कठिन पाया गया है क्योंकि इसको एक बड़े स्तर पर हाई स्पीड डीजल आयल (एच०एस० डी० ओ०) में मिलाया जाता है । विभिन्न ऐजेंसियों द्वारा इस मिलावट का विगत समय का अनुमान देश में मिट्टी के तेल की कुल खपत का 30% से 45% तक लगाया गया है । हाल ही में मिट्टी के तेल तथा एच०एस०डी०ओ० के समस्तरीय फुटकर बिक्री मूल्यों के संदभ में, राज्य-वार आधार पर मिट्टी के तेल की वास्तविक आवश्यकताओं का अनुमान लगाना जरा कठिन है । लेकिन उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि अन्य समस्त राज्यों की मिट्टी के तेल की पूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है और इस लिए मिट्टी के तेल का विक्रय, तेल के वर्तमान पैट्रोल/डीजल पम्पों के माध्यम से बढ़ाकर किया जा रहा है ताकि सारे देश को वर्षभर की अवधि में तेल की सप्लाई की जा सके । इनमें से अधिकांश पम्प देहाती क्षेत्रों में स्थित हैं । पम्पों के माध्यम से फुटकर विक्रय की व्यवस्था करने से मिट्टी के तेल की फटकर बिक्री के वर्तमान केन्द्र सुदृढ़ हो जायेंगे। सम्भव अनुमानों को जो लगाये जा सकते हैं के अनुसार आशा की जाती है कि उत्तर प्रदेश दिसम्बर, 1973 के दौरान 34,000 मीटरीटन तक मिट्टी के तेल

का उपभोग करेगा। मांग को 100% पूरा करने पर भी वास्तविक खपत बहुत कम होगी। वर्तमान में राज्य-वार खपत का इससे ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता ; लेकिन आगामी 6 महीनों के वास्तविक क्षेत्र पर खपत के आधार पर गहराई तथा विस्तृत रूप से किए गए उपभोग स्तर के अध्ययन के बाद ही अनुमान लगाया जा सकता है।

दिल्ली-शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे को पुनः चालू करना

4283. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-शाहदरा सहारनपुर लाइट रेलवे को पुनः चालू करने के लिये इस बीच कोई कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या इस लाइन को ब्राड गेज में बदला जा रहा है और यदि हां, तो इस पर काय कब आरम्भ होगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) पुरानी छोटी लाइन लाइट रेलवे के पूर्व रूप में लाने की अपेक्षा बड़ी लाइन के निर्माण का विनिश्चय किया गया है। शाहदरा-सहारनपुर के बीच नयी बड़ी लाइन के निर्माण कार्य का उद्घाटन 2-12-73 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया है।

लकड़ी के स्लीपरों के स्थान पर कंक्रीट के स्लीपर लगाना

4284. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों को द्रुत गति से चलाने के लिये ढलवां लोहे के स्लीपरों और लकड़ी के स्लीपरों के स्थान पर कंक्रीट के स्लीपर लगाये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई योजना बनाई गई है और यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। फिर भी, तेज रफ्तार और भारी घनत्व वाली बड़ी लाइनों के लिए झली हुई लम्बी पटरियों के साथ कंक्रीट के स्लीपर अधिक उपयुक्त हैं और ये जितनी मात्रा में उपलब्ध होंगें, लकड़ी के स्लीपरोंके साथ उपयोग में लाये जायेगें। उपर्युक्त के अलावा अन्य स्थानों पर लोहे के ढ़ले हुए स्लीपरों का इस्तेमाल जारी रहेगा।

(ख) योजना के अनुसार कंक्रीट के स्लीपर बड़ी लाइन की ट्रंक और महत्वपूर्ण मुख्य लाइनों पर झलीहुई लम्बी पटरियों के साथ लगाये जाते रहेंगे।

Railway Employees involved in embezzlement of Railway Freight During 1970-71 and 1971-72

4285. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) Whether during 1970-71 and 1971-72 there were many cases where Railway employees were involved in the cases of fraud and embezzlement of Railway freight; and

(b) If so, the number of such cases and the particulars of the Railways to which these employees belong and the action taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) & (b) The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

Percentage of payments made in respect of compensation for Cloth and other Articles during 1971-72

4286. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the percentage of payment made in respect of the Railway compensation claims for cloth during 1971-72 was more than that made in respect of other articles; and

(b) if so, the reasons therefor and the steps taken by Government to reduce it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No. The amount of compensation claims paid during 1971-72 in respect of cotton piece-goods was 5.6% of the total amount of compensation paid during that year, as compared to 22.4% in respect of grains and pulses, 8% in respect of sugar and jaggery, 6.7% in respect of coal and coke and 6.1% in respect of iron and steel.

(b) This does not arise, in view of the reply to part (a). However, steps, as indicated in the attached statement, have been taken to reduce claims arisinig out of loss, thefts, pilferage and damage to cotton piece-goods consignments in transit.

STATEMENT

Steps taken to reduce claims arising out of loss, thefts, pilferage and damage to cotton piece-goods consignments in transit

(i) Proper rivetting and locking of wagons to prevent wagon breaking;

(ii) escorting of Goods trains by Railway Protection Force armed personnel in vulnerable sections, as far as possible;

(iii) patrolling by armed Railway Protection Force personnel as also by Railway Protection Force Dog Squards in vulnerable and major yards;

(iv) collection of crime intelligence and conducting of surprise raids by the staff of the Crime Intelligence Branch of Railways as well as the Central Crime Bureau, Railway Board, with a view to tracking down criminals and receivers of stolen railway property under the Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966;

(v) maintenance of close co-ordination between Railway Protection Force, Government Railway Police and State Police Officers to deal with criminals and receivers of stolen property;

(vi) proper marking and addressing of packages to avoid their going astray;

(vii) proper labelling of wagons to avoid mis-despatches and to prevent them from becoming unconnected;

(viii) emphasis on correct documentation and securing relevant documents with wagons;

(ix) proper supervision and careful tallying of packages during loading and unloading;

(x) intensification of surprise checks to detect cases of short loading and other irregularities and mal-practices;

(xi) regular analysis of damage and deficiency messages issued by and received at stations.

नवपाड़ा और बाड़ानगर (पूर्वी रेलवे) में नये रेलवे स्टेशनों की मांग

4287. **श्री मोहम्मद इस्माइल**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन में दमदम और बेलघारी के मध्य नवपाड़ा और बाड़ानगर में नये रेलवे स्टेशन बनाने की मांग प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) दमदम और बेलघारी स्टेशनों के बीच नवपाड़ा में एक हाल्ट स्टेशन खोलने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस की जांच की गयी है । लेकिन वित्तीय इन्जीनियरिंग और परिचालनिक दृष्टि से उसका औचित्य नहीं पाया गया है ।

Electrification of Villages in Bhagalpur District of Bihar

4288. **Shri G.P. Yadav**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the number of villages electrified in Bhagalpur District of Bihar during 1972-73; and

(b) the names of villages in Bhagalpur District proposed to be electrified by Government during 1973-74 and the time by which this work is likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Nineteen villages have been electrified in Bhagalpur District of Bihar during 1972-73.

(b) Thirty-three villages, names of which are given below are proposed to be electrified by the Bihar State Electricity Board during 1973-74:—

Names:

1. Lokra
2. Cauna
3. Asiata
4. Durgapur
5. Orhura
6. Katia
7. Chutia

8. Ashrapur
9. Dagudhak
10. Makanpur
11. Chora
12. Cariaur
13. Raniciar
14. Maicur
15. Kharwa
16. Khirias
17. Nawada
18. Laugais
19. Aamdeopur
20. Laxmipur
21. Charai
22 Maheshpur
23. Denpur
24. Pirnaucha
25. Azizpur
26. Malangchak
27. Jagannathpur
28. Saradh
29. Descani
30. Donda Bazar
31. Mahdeopur
32. Chainpur
33. Kishunpur.

Completion of electrification of these villages is spread over a period of 3 years.

Scheme to Shift Nathdwara Station

4289. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether hundreds of passengers, who get down at Nathdwara station on the Railway line between Marwar junction and Mavli junction in Rajasthan State, are unable to reach in time the place of Pilgrimage due to absence of any transport facility from this station to the city;

(b) if so, whether Government have any scheme under consideration to shift Nathdwara station nearer the city; and

(c) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No Private buses ply between Nathdwara Railway Station and Nathdwara Temple. No complaint or representation has been received by the Railway Administration about inadequacy of transport facility between these two points.

(b) There is no proposal for shifting Nathdwara Railway Station.

(c) Does not arise.

Railway Stations in Adivasi Areas

4290. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway Stations set up within a radius of more than 25 miles at various places in Adivasi areas in different States during 1971-72 and 1972-73 and the number of stations proposed to be set up in those areas; and

(b) whether Government have under consideration any scheme for providing Railway services in those areas and if so, the broad features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Theft of Railway Property in various Sections during 1971-72 and 1972-73

4291. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of cases of theft of the Railway property committed in the various Sections during the years 1971-72 and 1972-73 and the value of the property stolen ; and

(b) the steps taken by Government to check the thefts of Railway property ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) A statement, showing railway-wise position, is attached. **[Placed in Library. See No. L.T. 5969/73].**

(b) The following steps are being taken to prevent thefts of Railway property :

(1) All important yards, goods sheds, workshops and Stores Depots etc. are being guarded round the clock by R.P.F.

(2) Nominated goods trains particularly those having wagons carrying high rated commodities are being escorted by the R.P.F. in vulnerable sections.

(3) Special drives are conducted against the receivers of stolen property and cases are prosecuted under the Railway Property (Unlawful Possession) Act 1966.

(4) Plain clothed RPF staff are deployed to keep watch on the activities of criminals.

(5) Assistance and co-operation of the Railway Trade Unions has been sought for prevention and detection of crimes on Railways.

(6) Necessary coordination is maintained with the State Police authorities for keeping surveillance over bad characters operating on railways.

(7) Criminals and receivers of stolen property are detained under the Maintenance of Internal Security Act.

भारत बंगला देश नदी आयोग की बैठक

4292. **श्री एम० एस० संजीवीराव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बंगला देश नदी आयोग की नवम्बर, 1973 में बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में कौन से मामलों पर विचार हुआ और उसके क्या परिणाम निकले ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख): भारत बंगला देश नदी आयोग की बैठक 8–10 नवम्बर, 1973 को ढाका में हुई थी । महत्वपूर्ण मामला, जिस पर विचार विमर्श किया गया और उसके परिणाम का उल्लेख नीचे दिया जाता है:––

मौसम विज्ञान, बाढ़ की पैमाइश, और उसके पुर्वानुमान के क्षेत्र में 1973 के मानसून के दौरान प्राप्त अनुभव का पुनरीक्षण परिशुद्धि तथा गति में और सुधार लाने के लिए किया गया था ।

यह समझौता हुआ था कि बाढ़ सुरक्षा हेतु दीर्घकालीन आयोजन के संबंध में, भारत में बाढ़ नियंत्रण आयोगों के कार्य बंगला देश में उसी के अनुरूप कार्य के साथ समन्वित किये जाएगें ।

यह निर्णय किया गया था कि भारत में और उसके बाहर पहाड़ी वहाह क्षेत्रों में बहुद्देशीय परियोजनाओं और जलाशयों की संभाव्यता पर आंकड़ों को एकत्र किया जाएगा साथ उनकी जांच यह देखने के लिए की जाएगी कि अच्छे मौसम में बढ़े हुए प्रवाह के लाभों तथा बाढ़ राहत को उनमें किस प्रकार सम्मिलित किया जा सकता है ।

पश्चिमी बंगाल और बंगला देश के उत्तरी क्षेत्र को बाढ़ समस्या के संबंध में, आयोग ने भारत में बाढ़ नियंत्रण कार्यों और बंगला देश में इसी प्रकार के कार्यों का समन्वय करने के लिए एक प्रकिया पर निर्णय लिया ।

सिलहट कछार और इस के निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने के प्रश्न पर दोनों देशों के संबंधित अधिकारियों के प्रतिवेदनों पर विचार किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि इन अन्वेषणों में बेसिन में संचय संभाव्यताओ और मेघना नदी प्रणाली के मुहाना नियंत्रण पर बल दिया जाना चाहिए ।

यह समझौता हुआ था कि क्रास सैक्शनों के निकट अंतरालों पर फरक्का के नीचे से गोराई आफटेक तक गंगा का संयुक्त वैज्ञानिक सर्वेक्षण शुरू किया जाना चाहिये और इसे 1973–74 के कार्यकाल के दौरान पूरा कर लिया जाना चाहिए ।

आयोग के कार्य में शीघ्रता लाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि सदस्यगण बंगला देश और भारत में संबंधित राज्यों का दौरा करें और वहां के संबंधित अधिकारियों के साथ समस्याओं पर विचार विमर्श करें ।

लोक न्यास विधेयक, 1968 का पुरःस्थापित किया जाना

4293. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संसद में लोक न्यास विधेयक, 1968 पुरःस्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) लोक न्यास विधेयक, 1968 का प्रारूप राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को विचार जानने के लिए भेजा गया था । उनके द्वारा अभिव्यक्त विचारों की जांच करने के पश्चात् सरकार ने मामला विधि आयोग को उसके विचारार्थ निर्दिष्ट कर दिया है।

गुजरात में भावनगर तारापुर तथा कपाडवंज मोडासा नई रेल लाइनें

4294. **श्री पी० जी० मावलंकर**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की नई रेलवे लाईनोंतथा (i) भावनगरतारापुर (ii) कपाडवंज मोडासा के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस कार्य की गति कोतेज किया जायेगा; और यदि हां तो कैसे ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जहां तक भावनगर-तारापोर बड़ी लाइन रेल संपर्क का संबंध है, उसका निर्माण शुरु करने की मंजूरी देने तथा उसके लिए अपेक्षित धन आवंटित करने के लिए योजना आयोग को लिखा गया है योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर इस योजना को मंजूरी देने की दिशा में आगे कारवाई की जायेगी ।

जहां तक मोदसा-कपड़वंज नयी लाइन का संबंध है, 28-6-73 को शामलजी रोड़ से मोदसा और कपड़वंज तक तथा विकल्परूप में नडियाद-कपड़वंज छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और उसे मोदसा तक बढ़ाने के लिए एक यातायात सवक्षण की मंजूरी दी गयी थी। यह काम हो रहा है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने के पश्चात् इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मतारी तथा गोमोह के बीच ब्लाक सेक्शनों में मोटर-टायरों से लदे माल डिब्बों का लूटा जाना

4295. **श्री भोला मांझी :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 जून, 1972 को मतारी तथा गोमोह के बीच ब्लाक सैक्शन में अपराधियों ने

मूल्यवान मोटर टायरों से लदे माल डिब्बे को लूट लिया था तथा रेल कर्मचारियों को मारा पीटा था; और |

(ख) यदि हां, तो उक्त घटना संबंधी मुख्य बातें क्या हैं तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने तथा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) ई०सी० 587 अप माल गाड़ी 6-6-1973 को लगभग 10.32 बजे मतारी और गोमो के बीच स्थित मध्यवर्ती ब्लाक होम सिगनल से चलने के बाद अचानक वैक्युम गिर जाने के कारण रुक गयी और 10/12 आदमी माल डिब्बा नं० 5949 से मोटर टायर उतारने लगे। बदमाशों ने गाड़ी के गार्ड को संबंधित माल डिब्बे की ओर जाने से रोक दिया। गाड़ी के सहायक ड्राइवर, जिसने गाड़ी के वैक्युम को ठीक करने की कोशिश की थी, के साथ अपराधियों ने हाथापाई की। अपराधी लगभग 14,400 रुपये के मूल्य के 16 मोटर टायर ले गये थे। बाद में रेलवे सुरक्षा दल ने 7,200 रुपये के मूल्य के चुराये हुए 8 मोटर टायर बरामद कर लिए और तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया।

सरकारी रेलवे पुलिस, गोमो ने एक मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395/भारतीय रेल अधिनियम की धारा 128 के अधीन दर्ज किया है जिसकी जांच की जा रही है।

निवारक उपाय के रूप में इस खंड पर मूल्यवान वस्तुएं ले जाने वाली सभी माल गाड़ियों के साथ रेलवे सुरक्षा दल का पहरा शुरु कर दिया गया था। मतारी और गोमो स्टेशनों के बीच मध्यवर्ती ब्लाग होम सिगनल पर रेलवे सुरक्षा दल का पहरा लगा दिया गया था।

व्यय में कटौती का ट्यूब रेलवे परियोजना कलकत्ता, पर प्रभाव

4296. **श्री समर गुह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के व्यय में प्रस्तावित कटौती से कलकत्ता की ट्यूब रेलवे परियोजना पर प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक तथा उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता के हावड़ा हुगली जिलों में मार्टिन बर्न रेलवे को अधिकार में लेना

4297. **श्री समर गुह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के व्यय में कटौती करने संबंधी सरकार के निर्णय के फलस्वरूप कलकत्ता के हावड़ा हुगली जिलों में मार्टिन बर्न लाइट रेलवे को अधिकारमें लेने के निर्णय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके अधिकार में लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क और ख) : लाइट रेलों को अपने अधीन लेने का सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है। किंतु, तत्कालीन लाइट रेलों द्वारा सेवित क्षेत्र में बड़ी

लाइनें बिछाने का प्रस्ताव है जिसके निर्माण व्यय में पश्चिमी बंगाल सरकार और रेलों के बीच बराबर बराबर हिस्सा होगा ।

एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की स्वीकृति के प्रतीक्षा में पड़े औद्योगिक लाइसेंस

4298. **श्री समर गुह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के लिए उन औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या तथा तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है जिनके लिए एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है ?

(ख) इन लाइसेंसों के लिए स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन लाइसेंसों को कब स्वीकृति दी जायेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत वरुआ) : (क) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार अधिनियम की धारा 21 और 22 के अन्तर्गत ऐसा कोई भी प्रस्ताव आयोग को संदर्भित नहीं किया गया है जो इस समय उसके पास पश्चिमी बंगाल में उपक्रमों के प्रसार या नव उपक्रमों की स्थापना से संबंधित आगे जांच के लिए अनिर्णीत पड़ा हो।

(ख) तथा (ग) उत्पन्न नहीं होते ।

पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि तथा इसके परिवहन व्यवस्था पर प्रभाव के बारे में आंदोलन

4299. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम और सम्बद्ध उत्पादों की अल्पमान्य मूल्य वृद्धि के विरुद्ध भारत व्यापी आंदोलन की ओर सरकार ने ध्यान दिया है ;

(ख) क्या इस प्रकार की मूल्य वृद्धि का प्रभाव नगरीय तथा ग्रामीण परिवहन उद्योग, व्यापार, वाणिज्य और ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा पर पड़ेगा ;

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) पैट्रोल, मिट्टी के तेल तथा अन्य सम्बद्ध उत्पादों की इस प्रकार की मूल्य वृद्धि से पैदा लोगों की कठिनाइयां दूर करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रासयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ): आयातित कच्चे तेल तथा परिष्कृत उत्पादों के मूल्यों में अत्याधिक तथा निरंतर विश्व-व्यापी वृद्धियों और उन अत्याधिक बड़े मूल्यों पर भी सप्लाई के मिलने में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए पैट्रोलियम पदार्थों की मूल्यवृद्धि तथा उनकी खपत को कुछ नियंत्रित करना अपरिहार्य हो गया है। समाज के विभिन्न वर्गों पर भिन्न भिन्न रूप में इसका प्रभाव पड़ना आवश्यम्भावी है। इसके प्रभाव से यद्यपि समाज के किसी वर्ग को पूर्णतया पृथक रखना संभव नहीं है तथापि मूल्य वृद्धि की मात्रा का निर्धारण करते समय सरकार ने अधिक गति वाले डीजल तेल और लेप्था जैसे कतिपय पदार्थों को विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि देश की अर्थ व्यवस्था में इनका पर्याप्त हिस्सा होता है।सार्वजनिक परिवहन पर इसके प्रभाव को कम

करने की दृष्टि से अधिक गति वाले डीजल तेल का मूल उत्पादन शुल्क भी प्रति किलो लिटर 100 रुपये कम कर दिया गया है ताकि इसके मूल्य को यथासंभव कम रखा जा सके।

विद्युत् संयंत्रों की खराबी से हुई हानि

4300. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान विभिन्न विद्युत् संयंत्रों में हुई असंख्य खराबियों तथा इसके फलस्वरूप देश को हुई हानि की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) :मुख्यतः खराबियां ताप विद्युत केन्द्रों में हुई हैं मे घटिया प्रचालन और रखरखाव फालतू पुर्जो की कमी, कोयले की घटिया किस्म और उनकी उच्च अपघर्षक प्रकृति के कारण हुई हैं। इसके कारण बायलर संयंत्र और उनके आनुषांगिक उपस्कर में बहुत अधिक टूट-फूट हुई और जिसके परिणामस्वरूप आई०डी० फैन कोयले की मिलों जैसा मुख्य आनुषांगिकों में खराबियां आ गई अथवा बायलर ट्यूबों में निसरण विशेषकर समुर हीटरों और इकोनोमाईजरों में खराबियां आईं। ट्यूब जनरेटर के खराब डिजाइन और निर्माण के कारण कुछ टर्बो जनरेटर सेटों को क्षति पहुंची और उनमें खराबियां आ गई। विभिन्न जटिल आनुषांगिक प्रणालियों में अथवा विद्युत् संयंत्रों के वैद्युत् उपस्करमें विविध दोषों के कारण खराबियां हुई।

देश में विद्युत् संयंत्रों के रख-रखाव में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं और किए जा रहे हैं:—

1. परियोजना प्राधिकारियों को रोधक रख-रखाव के कार्यक्रम को जारी रखने और जल विद्युत् तथा ताप विद्युत् संयंत्रों के मामले में फालतू पुर्जों की पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। जब भी आवश्यक हो, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग की विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध होती है।

2. ताप विद्युत् संयंत्रों के संबंध में निम्नलिखित और उपाय भी किए जा रहे हैं:—

   1. पर्याप्त मात्रा में ठीक किस्म के कोयले और ईंधन तेल की सप्लाई को सुनिश्चित करना।

   2. वाशरी-वाई-प्रोडक्ट ईंधनों को उपयोग करने वाले विद्युत् संयंत्रों (पूर्वी क्षेत्र में) के मामले में ऐसे उपयोग को तीन चरण वाशरों मिडलिंग तक सीमित करके ईंधन की किस्म में सुधार।

   3. भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि० के द्वारा उपयुक्त मरम्मत सुविधाओं की व्यवस्था और जहां भी आवश्यक हो, फालतू पुर्जों का आयात करना।

   4. कुछ विद्युत् संयंत्रों के विशेषकर पूर्वी क्षेत्र के, कार्य निष्पादन को पुन: चालू करने तथा उसमें सुधार करने के लिए विशेष यंत्र सुधार उपाय करना।

5. सुधारों की संभावनाओं की जांच करने तथा सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा विशेषज्ञों को दौरे पर भेजना ।

6. प्रचालन और रख-रखाव कार्मिकों को प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करना।

विदेशी औषध निर्माता फर्मों की मुनाफे सम्बन्धी विवरणियां प्राप्त होना

4301. **श्री के० एस० चावड़ा**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 13नवम्बर, 1973के अतारांकित प्रश्न संख्या 204 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजी वाली विदेशी औषध निर्माता फर्मों, से जिन्होंने पूरे एक वर्ष के लिए औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के पैरा 14 के अधीन विकल्प दिया है, इस बीच मुनाफा संबंधी विवरणियां प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इनको सभा पटल पर रखा जायेगा ;

(ग) मुनाफे की निर्धारित सीमा को लांघने वाली कौन-कौन सी फर्में हैं ; और

(घ) क्या सरकार संतुष्ट हैं कि इन मुनाफों में हेर-फेर नहीं किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) तथा (ख) फर्मों द्वारा भेजी गई रिपोर्टोंके आधार पर 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली औषध फर्मों की विक्रय आमदनी के लाभों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। ये फर्में वे हैं जिन्होंने वर्ष, 1971/1971-72 के लिए औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के पैरा 14 के लिए अपना विकल्प दिया है।

(ग) मैसर्स साइनामिड (iv) लिमिटेड तथा मैसर्स रोश ने पृथक-पृथक रूप से लाभ की निर्धारित सीमा को पार कर लिया है और उसे पृथक रखा गया है।

(घ) लाभ संबंधी रिपोर्टों को चार्टर्ड लेखाकारों द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

विवरण

26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली औषध फर्मों, जिन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के पैरा 14 को स्वीकार कर लिया है,के लाभ।

क्र० सं०	फर्म का नाम	विक्रय आमदनी पर कर लगाये जाने से पूर्व कुल लाभ (1971/1971-72) प्रतिशत
1	2	3
1.	मैसर्स एल्क्ली एण्ड कैमिकल कार्पोरेशन .	हानि
2.	मैसर्स एंगलो-फ्रेंच ड्रग कंपनी	11.60
3.	मैसर्स बेयर (इंडिया)	4.00

1	2	3
4.	मैसर्स बोहिरिंगर कनोल .	2.65
5.	मैसर्स बूट्स कंपनी (इंडिया) लि०	14.30
6.	मैसर्स बूरोज वैलक्म . .	8.72
7.	मैसर्स सी०आई०बी०ए० आफ इंडिया	8.80
8.	मैसर्स साइनामिड (इंडिया) लि०	16.59
9.	मैसर्स दुफर-इंटरफैन .	11.00
10.	मैसर्स जर्मन रेमेडीज .	12.80
11.	मैसर्स ग्लास्को लेबोरेटरीज	9.30
12.	मैसर्स होचेस्ट फार्मास्यूटिक्लस .	8.20
13.	मैसर्स जोनसन एण्ड जोनसन	5.70
14.	मैसर्स मे एण्ड बेक र . .	12.47
15.	मैसर्स मर्क शाप एण्ड एण्डडोम आफ इंडिया .	13.00
16.	मैसर्स फाइजर लि० .	13.04
17.	मैसर्स पार्के-डैविस .	15.00
18.	मैसर्स रिचर्डसन हिंदुस्तान	4.00
19.	मैसर्स रोश	20.00
20.	मैसर्स सैंडोज	10.20
21.	मैसर्स सेरले .	11.60
22.	मैसर्स स्मिथ एण्ड नेफ्यू	हानि
23.	मैसर्स टाटा फिसन .	हानि
24.	मैसर्स वरनर हिंदुस्तान	14.20
25.	मैसर्स एब्बट लेबोरेटरीज	14.41
26	मैसर्स जी० डब्ल्यू० कार्नरिक	हानि
27.	मैसर्स इथनौर . .	10.20
28.	मैसर्स रसल (फ्रांस-इंडिया)	4.90
29.	मैसर्स सी०ई० फुलफोड	हानि
30.	मैसर्स इंडियन मचेरिंग	12 00
31.	मैसर्व ई० मरक	10.14
32.	मैसर्स निकोलस .	13.30
33.	मैसर्स स्मिथ क्लिन एण्ड फ्रैंच	14.20
34.	मैसर्स बायोलोजिकल ईवांस	9.83
35.	मैसर्स जाफरी मैनर .	12.93
36.	मैसर्स मार्टिन एण्ड हेरिस . .	हानि
37.	मैसर्स मैसूर इंडस्ट्रियल एण्ड टैस्टिंग लेबोरोटरीज	6.89
38.	मैसर्स आर्गनौन	8.53
39.	मैसर्स रेलिस इंडिया .	6.81
40.	मैसर्स सुइरिद गेजी	5.9

1	2	3
41.	मैसर्स यू०एन०आई०-यू०सी०बी०	9.43
42.	मैसर्स वोण्डर लि०	8.60
43.	मैसर्स वैट लेबोरोटरीज	13.00
44.	मैसर्स जौन वेट एण्ड ब्रादर्स	7.40
45.	मैसर्स यू०एस० विटामिन्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स	12.40
46.	मैसर्स कार्टर वैलेस	9.92
47.	मैसर्स कूपर लेबोरेटरीज	12.60
48.	मैसर्स कुरेवल	उपलब्ध नहीं
49.	मैसर्स लेबोरेटरीज ग्रिमोल्ट	
50.	मैसर्स यूनी सेके	
51.	मैसर्स वार्ड ब्लेंकिनसोप	
52.	मैसर्स क्रिस्टिन होल्डन	
53.	मैसर्स व्हिफफन्म	
54.	मैसर्स डेंटल प्रोडक्ट्स	
55.	मैसर्स एंग्लो थाई	
56.	मैसर्स लेय्कोप्लास्ट	

औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की औषधियों विषयक सिफारिशों पर निर्णय

4302. **श्री के०एस० चावड़ा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 13 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 300 के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी दल के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकारी निर्णयों की घोषणा कब तक कर दी जायेगी ;

(ख) क्या मूल्य नियत करने संबंधी इस प्रकार की सिफारिशों सामान्यतया 1–3 वर्ष तक की निश्चित अवधि के लिए होती है ;

(ग) यदि हां तो इस मामले में कितनी अवधि की सिफारिश है और इसमें से, कितनी अवधि व्यतीत हो चुकी है ; और

(घ) क्या इस विलम्ब के कारण कुछ सिफारिशें अनुपयोगी हो गई हैं जिसके परिणामस्वरूप कुछ कच्चे मालों की कीमतों में वृद्धि हो गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (घ) औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो के चेयरमैन के अधीन गठित कार्यकारी दल की रिपोर्ट विचाराधीन है और अंतिम निर्णय लेने के लिए समस्त संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखा जायेगा ।

ऐलकिल बेंजीन की आवश्यकता, उत्पादन तथा आयात

4303. **श्री जगन्नाथ मिश्र:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ऐलकिल बेंजीन की अपनी आवश्यकताओं को केवल आयात द्वारा ही पूरी कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा का आयात किया गया ;

(ग) क्या भारत में इस रसायन का उत्पादन नहीं होता है ;

(घ) यदि हां, तो गैर-सरकारी/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इस रसायन के उत्पादन हेतु लाइसेंस देने का क्या सरकार का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां।

(ख)

वर्ष	मात्रा मीट्रिक टन में	मूल्य लाख रुपयों में
1970-71 . .	6033	88.47
1971-72 . .	9432	142.58
1972-73	3373	44.74

(ग) इस समय भारत में एलकाइल बैंजीन का उत्पादन नहीं होता।

(घ) और (ङ.) सरकार ने मैसर्स भारतीय पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० बड़ौदा (एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम) की परियोजना को बाइओडेग्रेडेबल एलक्लिल बेंजीन का निर्माण करने के लिए स्वीकार कर लिया है उस परियोजना की क्षमता 30,000 मीट्रिक टन/साल होगी। इसका उत्पादन कोयाली रिफ़ाइनरी से उपलब्ध होने वाले मिट्टी के तेल पर निर्भर होगा। उनके विदेशी सहयोग की स्वीकृति देदी गई है और इस परियोजना के कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ रही है। एक गैर-सरकारी क्षेत्र के एकक अर्थात् मैसर्स बेरिल एण्ड कंपनी का पंजीकरण अपनी तकनीकी जानकारी के आधार पर मिट्टी के तेल से एलक्लि बेंजीन का निर्माण करने के लिए तकनीकी विकास महा निदेशालय में किया गया है। इस पार्टी ने इस मद के उत्पादन की रिपोर्ट अब तक नहीं दी है।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की धारा 26 के अधीन पंजीकृत कम्पनियां

4304. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा प्रतिबधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम 1969 के अधिनियम के समय से इसकी धारा 26 के अन्तर्गत कौन-कौन सी कंपनियों ने अपने नाम पंजीकृत कराये हैं ; और

(ख) कंपनी वार तथा मद-वार उन्हें कितने लाईसेंस जारी किये गए हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री(श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) 30-11-73 तक, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों के नामों को प्रदर्शित करता हुआ एक विवरण अनुबद्ध है **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5970/73]।**

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

दादरा और नगर हवेली क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनें

4305. **श्री आर० आर० पटेल :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दादरा और नगर हवेली रेलवे के मामले में एक पिछड़ा क्षेत्र है ;

(ख) उस क्षेत्र में नई रेलवे लाईन बिछाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कुकिंग गैस एजेंसियों के लिए दादरा और नगर हवेली के लोगों से आवेदन पत्र

4306. **श्री आर० आर० पटेल :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान कुकिंग गैस एजेंसियों के लिए दादरा और नगर हवेली के लोगों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ; और

(ख) कितने आवेदन पत्र अब तक विचाराधीन हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) इस समय दादरा तथा नगर हवेली में कुकिंग गैस के विक्रय की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

दादरा और नगर हवेली में दी गयी गैस एजेंसियां

4307. **श्री आर० आर० पटेल :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली में कितनी घरेलू गैस एजेंसिया दी गई हैं ;

(ख) क्या उक्त क्षेत्र के लिए नई एजेंसियां स्वीकृत करने पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका मापदंड क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग) संघ शासित क्षेत्र दादर और नगर हवेली में इस समय इंडेन का विपणन किया जा रहा है।

तरल पैट्रोलियम गैस (एल०पी०जी०) तथा उसके वितरण के लिए सिलिन्डरों की उपलब्धि सीमित है। अतः एल०पी०जी० तथा सिलिंडरों की सतत बढ़ती हुई उपलब्धि का उपयोग नियोजित रूप से किया जा रहा है। सर्व प्रथम इसका उपयोग उन शहरों की वर्तमान मांग को पूरा करने में किया जा रहा है जहां इसका प्रचलन पहले ही हो चुका है तथा बाद में उन क्षेत्रों की मांग को पूरा करने में किया जायेगा जहां शहरों के आकार, वहां पर क्षमता की मांग तथा इसी प्रकार के अन्य तत्वों के आधार पर इसका प्रचलन करना अभी शेष है। इस आधार पर निकट भविष्य में इंडेन के विस्तार से संबंधित योजनाओं में दादरा तथा नगर हवेली को सम्मिलित नहीं किया गया है।

उत्तर रेलवे के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अनिर्णीत मामले

4308. **श्री राजदेव सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर रेलवे द्वारा प्रतिदिन पांच से दस लाख रुपये तक के मूल्य का सामान खरीदा जाता है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि इन वस्तुओं की खरीद में सम्बद्ध स्टोर आफिसर भ्रष्टाचार करते हैं ;

(ग) क्या उत्तर रेलवे के किसी स्टोर, आफिसर विशेषकर सी०ओ०सी०,एस०एस०(आई०एस०), डिप्टी सी०ओ०एस०(जी), एस०एस०ओ० (ii). ए०सी०ओ०एस० (i) ए०सी०ओ०एस० (सीमेंट), ए०सी०ओ०एस० (डब्ल्यू०सी०) के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी मामले अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन मामलों के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) उत्तर रेलवे ने 1972-73 के दौरान भंडार की खरीद के लिए प्रतिदिन औसतन 2.60 लाख रु० का आर्डर दिया है और 1972-73 के वित्तीय वर्ष में दिये गये आर्डरों का कुल मूल्य 7,13,96,000 रु० बनाता है। गत तीन वर्षों अर्थात् 1970-71, 1971-72, 1972-73 जिनमें कुल खरीद लगभग 25.22 करोड़ रु० तक ही रही, की औसत के आधार पर भंडार की खरीद का मूल्य लगभग 2.95 लाख रु० प्रति कार्य दिवस बैठता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष (1973-74) की 1-4-73 से 3-9-73 तक की अवधि में उत्तर रेलवे द्वारा की गयी खरीद 4.29 करोड़ रु० बनती हैं। उपर्युक्त आंकड़ों में महानिदेशक संभरण और निपटान द्वारा दिये गये दर/चालू ठेकों पर दिये गये आर्डर संयुक्त संयंत्र समिति, महानिदेशक संभरण और निपटान, रेलवे बोर्ड और अन्य केन्द्रीय क्रय संगठनों के माध्यम से की गयी खरीदें शामिल नहीं हैं।

(ख) यह सच नहीं है कि संबंधित अधिकारी आवश्यक भंडारों की खरीद करते समय कदाचार करते हैं। लेकिन जब कभी किसी रेल अधिकारी के कदाचार की कोई शिकायत सभी क्षेत्रीय रेलों पर तथा रेल मंत्रालय में कार्यरत सतर्कता संगठन के ध्यान में लायी जाती है अथवा ऐसा कोई कदाचार सतर्कता यूनिटों द्वारा अक्सर की जने वाली निवारक अथवा अचानक जांच के दौरान देखने में आते हैं तो उसकी पूरी तरह जांच की जाती है और दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है।

राजपत्रित अधिकारी के खिलाफ की गई जांच में यदि कोई सतर्कता संबंधी मामला बनता है तो उसे केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास परामर्श के लिए निरपवाद रूप से भेजा जाता है।

(ग) उत्तर रेलवे पर काम कर रहे भंडार विभाग के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कुछ ऐसी भी शिकायतें हैं जिनका संबंध भंडार की खरीद से नहीं है इन मामलों में विभिन्न स्तर पर जांच-पड़ताल विभागीय कार्रवाई की जा रही है। लेकिन माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट अधिकारियों के खिलाफ कदाचार का कोई मामला अनिर्णीत नहीं पड़ा है।

अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर ऐसोसिएशन द्वारा प्रदर्शन

4309. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 अप्रैल 1972 को अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर ऐसोसिएशन द्वारा संसद भवन के समक्ष प्रदर्शन किया गया था और उन्होंने एक दस सूत्री ज्ञापन रेल मंत्री को दिया था ;

(ख) क्या रेल मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों पर स्टेशन मास्टरों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था ; और

(ग) यदि उनकी कोई मांगें स्वीकृत की गई हैं, तो उनका सारांश क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (ग) सरकार को प्राप्त हुई स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों की 10 मांगों और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया का उल्लेख लोक सभा में 27-2-73 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 1116 के उत्तर में किया गया है :

सहायक स्टेशन मास्टरों (205–280 रुपए का वेतनमान) को स्टेशन मास्टरों (205–280 रुपए के वेतनमान) के रूप में पदोन्नत करने के लिए पदोन्नति प्रणाली और संयुक्त वरिष्ठता सूची

4310. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने सहायक स्टेशन मास्टरों (205-280 रुपये का वेतन-मान) को स्टेशन मास्टरों (205-280 रुपये का वेतनमान) के रूप में पदोन्नत करने के लिए कोई पदोन्नति प्रणाली नहीं निर्धारित की है ;

(ख) क्या कुछ रेलवे विभागों में सहायक स्टेशन मास्टरों और 205-280 रुपये के वेतनमान में स्टेशन मास्टरों की वरिष्ठता संयुक्त रूप से मानी जाती है ; और

(ग) ऐसे विभागों में जहां कि 205-280 रुपये के वेतनमान में स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों की वरिष्ठता संयुक्त रूप से रखी गई है ; तथा जहां सहायक स्टेशन मास्टरों को स्टेशन मास्टर के रूप में पदोन्नति करने की कोई प्रणाली नहीं है का रेलवे वार ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए पदोन्नति पाठ्यक्रम आमतौर से महाप्रबंधकों द्वारा निर्धारित किया जाता है न कि रेलवे बोर्ड द्वारा। लेकिन अभी हाल में रेलवे बोर्ड ने पदोन्नति पाठ्यक्रम जिनमें सहायक स्टेशन मास्टर से स्टेशन मास्टर ग्रेड 205-

280 रु०, जहां कहीं ऐसा ग्रेड निर्धारित किया हुआ है, में पदोन्नति पाठ्यक्रम शामिल है के संबंध में अनुसरणीय पाठ्यचर्चा संकलित करके जारी की है।

(ख) जी हां ।

(ग)

रेलें जहां वरिष्ठता सम्मिश्रित है।	रेल जिनपर, वर्तमान में कोई भी पदोन्नति पाठ्यक्रम नहीं है।
मध्य	मध्य
दक्षिण	पूर्वोत्तर
दक्षिणमध्य	पूर्वोत्तर सीमा दक्षिण मध्य
पश्चिम	पश्चिम

पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलों से सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सिन्दरी फर्टिलाइजर फैक्टरी द्वारा सल्फर एसिड का उत्पादन

4311. **श्री राजदेव सिंह:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंदरी फर्टीलाइज़र फैक्टरी ने 880 टन सल्फर ऐसिड प्रतिदिन उत्पादन करने की एक युक्तिसंगत परियोजना प्रारंभ की है ;

(ख) क्या इसका उद्देश्य संयंत्र की निम्नकोटि के प्राकृतिक जिप्सम पर निर्भरता को दूर करना है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या जिप्सम पर आधारित उर्वरकों का धीरे-धीरे त्याग किया जा रहा है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख) युक्ति संगत परियोजना जो कि कार्यान्वयन के अधीन हैं ट्रिपल सुपर फॉसफेट के रूप में फासफेटिक उर्वरकों का उत्पादन करने के लिए तैयार की गई है। इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड तथा फॉसफोस्टक एसिड इसके मध्यवर्ती उत्पादन के रूप में प्राप्त होंगे। फॉसफोरिक एसिड का उत्पादन करने के परिणामस्वरुपमिलने वाले उप-उत्पाद जिप्सम का उपयोग अमोनियम सल्फेट तैयार करने में किया जायेगा जिसके लिए आजकल नेशनल जिप्सम काम में लाई जा रही है।

वैकल्पिक विद्युत संसाधनों की खोज

4312. **श्री भान सिंह भौरा:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वैकल्पिक विद्युत संसाधनों की खोज कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय समिति ने ऊर्जा के अन्य साधनों जैसे ज्वरीय-सूर्य-पवन तथा भू-ताप में शक्यता की

जांच करने के लिए एक पैनल तथा इसके अंतर्गत कई विशेषज्ञ दलों का गठन किया है। अनुसंधान तथा विकास कार्यों, जो कि आवश्यक हों, के साथ समुचित परियोजनाओं को तैयार करने के लिए तकनीकी-आर्थिक अध्ययनों को पैनल की रिपोर्ट के आधार पर हाथ में लिया जाएगा।

बंगला देश को पेट्रोल की सप्लाई

4313. **डा० हरि प्रसाद शर्मा**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत द्वारा बंगला देश को पेट्रोल की सप्लाई की गई है; यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान उस देश को कितने पेट्रोल की सप्लाई की गई; और

(ख) इसका रुपयों में कितना मूल्य है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां। सितम्बर, 1973 की अन्त तक 11383 मीटरी टन

(ख) 8425940 रु०

पेट्रोल संकट के बारे में वक्तव्य

4314. **डा० हरि प्रसाद शर्मा**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम संकट के बारे में पृष्ठभूमि स्पष्ट करने वाले एक पत्र में पेट्रोलियम और रसायन मंत्री ने पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में पुनः "और वृद्धि" करने के बारे में जनता को सचेत किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पत्र को सभा पटल पर रखेंगी?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) पेट्रोलियम और रसायन मंत्री ने 17-11-1973 को सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा सभी संघ शासित क्षेत्रों के उप-राज्यपालों/चीफ कमिश्नरों को पत्र लिखे थे जिनमें खनिज तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता की कठिन स्थिति के बारे में उल्लेख किया था और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उनके सहयोग के लिए आग्रह किया था कि सरकारी वाहनों के पेट्रोल की खपत में भारी कटौती की जाये तथा राज्य सरकारों/शासनों को अल्प-कालिक नोटिस पर पैट्रोल का राशन करने के लिए आकस्मिक योजनाओं के साथ तैयार रहना चाहिए।

(ख) दिनांक 17-11-1973 को पत्र की प्रति संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5971/73]।**

विशिष्ट व्यक्तियों को गैस की सप्लाई

4315. **श्री आर०एन० बर्मन**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशिष्ट व्यक्तियों को मांगने पर फौरन गैस की सप्लाई की जा रही है;

(ख) क्या उनका मंत्रालय अथवा भारतीय तेल निगम विशिष्ट व्यक्तियों की प्राथमिकता सूची तैयार करता है;

(ग) यदि हां, तो किस श्रेणी के व्यक्तियों को विशिष्ट व्यक्तियों की श्रेणी में रखा जाता है; और

(घ) इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी, हां, लेकिन प्रतिदिन क गैस का कनक्शन और 20 रिफिल प्रतिदिन की निर्धारित सीमा के अन्दर ही।

(ख) तथापि विशुद्ध रूप से अस्थायी रूप में पहले भारतीय तेल निगम द्वारा यह कार्य लिया जाता था, कमी की अवधि के दौरान इस कार्य को मंत्रालय ने अपने हाथ में ले लिया है।

(ग) इसमें राजनायिक कोर के सदस्यों, संसद् सदस्यों, अस्पतालों, डाक्टरो आदि को रखा गया है।

(घ) कोयोल परिष्करण शाला के अलावा प्रबन्ध द्वारा सप्लाई बढ़ाकर नवम्बर मास में और दिसम्बर के आरम्भ में भारतीय तेल निगम ने लगभग सभी पिछले आर्डरों की पूरी सप्लाई कर दी, भारतीय तेल निगम ने 1,10,000 सिलिण्डरों की सामान्य आवश्यकता के विरुद्ध नवम्बर मास में 1,26,000 सिलिण्डरों की सप्लाई की है।

स्थिति पूर्णतः सामान्य होने पर अगले कुछ दिनों में प्राथमिक सूची तैयार करने की प्रणाली को खतम करने का प्रस्ताव है।

Monthly Out-turn of Railway Workshop, Jhansi (Central Railway)

4316. **Dr. Govind Das Richhariya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the monthly outturn of the Railway Workshop, Jhansi (Central Railway) for the last one year;

(b) whether there is discontentment among the employees working there due to the attitude of Officers, which is adversely affecting the efficiency which is falling continuously;

(c) if so, the action being taken by Government in this regard ; and

(d) whether Government propose to constitute an Enquiry Committee in view of increasing discontentment among the workers and employees against local Railway administration ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The monthly periodical overhaul and other nominated heavy repair outturn figures of Jhansi workshop during the last one year (Oct. '72 to Oct.' 73) are indicated below:

Month	Outturn (in terms of 4 Wh)	
	Coaches	Wagons
1	2	3
October'72	87	841.5
November'72	75	639.0
December'72	97	1067.5

(1)	(2)	(3)
January'73	77	1004.5
February'73	79	1050.5
March' 73	78	1235.5
April'73	80	997.5
May'73	78	1189.0
June' 73	46	1202.0
July' 73	74	1156.0
August' 73	62	1058.5
September' 73	36	1005.0
October' 73	59	758.5

(b) No.

(c) & (d) Do not arise.

रेलवे में अराजपत्रित अधिकारियों को स्थायी बनाना

4317. **श्री पी०ए० स्वामिनाथन्:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के 6,000 अराजपत्रित अधिकारियों को स्थायी बनाने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) उन्हें और क्या लाभ दिए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (ग) यह विनिश्चय किया गया है कि रेलों के निर्माण विभाग के 40 प्रतिशत अस्थायी अराजपत्रित पदों को स्थायी करके एक "निर्माण आरक्षित" गठित की जाये। यह विनिश्चय रेलों की चालू लाइनों में 4 लाख रुपये से अधिक मूल्य के परियोजना कार्यों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

ऐसा अनुमान है कि उपर्युक्त विनिश्चय के फलस्वरूप कुल लगभग 6000 कर्मचारी स्थायी हो जायेंगे।

इसके अलावा कर्मचारियों को स्थायी होने का लाभ देने के लिए यथासम्भव अधिक से अधिक अस्थायी पदों को स्थायी बनाने के लिए रेल प्रशासन लगातार अभियान चला रहे हैं।

गुजरात में बिजली की कमी

4318. **श्री प्रभुदास पटेल :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य में 10 नवम्बर 1973 से पुनः बिजली की कमी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या किसी केन्द्रीय दल को, बिजली की कमी के कारणों की जांच करने के लिए गुजरात भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) विद्युत की कमी के कारण गुजरात सरकार ने 19 नवम्बर, 1973 से सतत प्रक्रिया उद्योगों को छोड़कर शेष एच० टी० उद्योगों पर मांग में 8 प्रतिशत की कटौती लागू कर दी है। यह कमी रबी फसलों के लिए कृषि मांग में वृद्धि तथा तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र में कम उत्पादन के कारण हुई है।

(ग) चूंकि यह विद्युत कमी प्रणाली की अपर्याप्त क्षमता के कारण है इसके कारणों की जांच करने के लिए कोई केन्द्रीय दल गुजरात को नहीं भेजा गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में जल तथा जल निस्सारण योजनाएं

4319. श्री प्रभुदास पटेल:
श्री प्रसन्न भाई मेहता:

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के जल तथा जल-निस्सारण योजनाओं में सुधार हेतु कुछ योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार गुजरात सरकार को उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कुछ वित्तीय सहायता देने का है; और यदि हां, तो किस हद तक?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) 1974-79 की अवधि के लिए विस्तृत राज्य योजनाओं को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बहरहाल, केन्द्रीय सरकार राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता देती है और जल आपूर्ति और जल विकास स्कीमें राज्य योजना में शामिल करली जाएंगी।

बड़ौदा में उकई संयंत्र को हुई क्षति

4320. श्री प्रभुदास पटेल: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांध की दीवार में दरार आ जाने के कारण बड़ौदा में उकई संयंत्र को क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो वहां विद्युत उपकरणों को कितनी क्षति पहुंची है; और

(ग) क्या इस बारे में जांच की गई है; और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) विद्युत् उत्पादन यूनिट चार के गेट-शाफ्ट में जल रिसने के परिणामस्वरूप यूनिट नं० एक का विद्युत् उत्पादन संयंत्र तथा आनुषांगिक उपस्कर के कुछ क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है। इस प्रकार हुई क्षति का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के दो अधिकारियों को परियोजना स्थल पर निरीक्षण के लिए भेजा गया था। यह पता चला है कि यह रिसन यूनिट नं० चार के गेट-शाफ्ट में कंकरीट के क्षतिग्रस्त होने के कारण हुई थी। गेट-शाफ्ट में सुधारों की शिफारिश की गई है।

रेलवे कर्मचारियों में असंतोष

4321. श्री वी० मायावन:
श्री प्रसन्न भाई मेहता:

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों में बहुत असंतोष व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों में व्याप्त इस असंतोष के कारण रेलवे के कार्यकरण और उसकी कुशलता में ह्रास हो रहा है;

(ग) क्या बड़ी मात्रा में व्याप्त इस असंतोष के परिणामस्वरूप बहुत अधिक संख्या में रेल दुर्घटनायें हुई हैं गाड़ियां देर से चलती रहीं और रेलवे की आय में कमी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (घ) पिछले कुछ समय से कुछ कोटियों के कर्मचारियों का छोटा सा वर्ग जब तक आंदोलन करता रहता है और इसके परिणाम-स्वरूप अस्थायी तौर पर परिचालन में व्यतिरेक उत्पन्न हो जाता है। चूंकि रेलें एक संघटित प्रणाली है, ऐसे आंदोलनों का दुष्प्रभाव रेलों के संचालन एवम् उनकी कुशलता पर पड़ता है और निस्संदेह समय-पालन भी प्रभावित होता है। लेकिन यह समझ लिया जाये कि ऐसे आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत लगभग 14 लाख रेल कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए बहुत थोड़ा है। ऐसे आंदोलनों और ऐसी हड़तालों के परिणामस्वरूप रेलों को 1970 में 1.3 करोड़ रुपये, 1971 में 1.4 करोड़ रुपये, 1972 में 1.9 करोड़ रुपये और 1973 में प्रथमार्ध में 1.4 करोड़ रुपये तक की हानि हुई है। अगस्त 1973 में लोको रनिंग कर्मचारियों की बड़ी हड़ताल से रेलों को 8.75 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी ओर ऐसी परिस्थितियों के कारण जिनके लिए कर्मचारी जिम्मेदार नहीं हैं रेलों को काफी हानि हो सकती है। उदाहरण के लिए इस वर्ष के प्रारम्भ में केवल आंध्र प्रदेश में आन्दोलनों के परिणामस्वरूप रेलों को 20 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

ट्राम्बे फर्टिलाइजर्स फैक्टरी में तालाबन्दी

4322. **श्री वी० मायावान:**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने ट्राम्बे के अपने यूनिटों में 20 अक्तूबर 1973 को तालाबन्दी की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या तालाबन्दी का मुख्य कारण प्रबन्धकवर्ग और कर्मचारियों के बीच हुई बातचीत का टूट जाना था; और

(ग) विवाद किस विषय पर था तथा इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां ।

(ख) और (ग) कर्मचारियों द्वारा 5-10-1973 से औजार छोड़ो, पेन छोड़ो, बैठे रहो हड़ताल का सहारा लेने पर और अपनी आवंटित ड्यूटियों को करने से इन्कार करने पर तालाबंदी की घोषणा करनी पड़ी थी। हड़तालियों ने अधिकारियों की पर्यवेक्षी स्टाफ को अपनी सामान्य ड्यूटियों को करने से भी रोका था। उसके बाद संयंत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। लेखा वर्ष 1972-73 के लिए यूनिटवार की उनकी समग्र आयों के 21 प्रतिशत के तुल्य अनुग्रह अदायगी के अलावा 20 प्रतिशत की दर से बोनस की अदायगी के बारे में प्रबन्ध और यूनियन के बीच मुख्य विवाद था। प्रबन्ध और यूनियन के बीच बात-चीत के बाद विवादग्रस्त विषयों का निपटारा बाद में हो गया था और 24-10-1973 को तालाबंदी समाप्त कर दी गई थी।

तमिलनाडु में सिंचाई योजनायें

4323. **श्री वी० मायावन :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य द्वारा तैयार की गई सभी सिंचाई योजनाओं को सरकार ने स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तैयार की गई योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं और अब तक कितनी योजनायें केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) तामिलनाडु सरकार द्वारा 2 बृहत् और 12 मध्यम स्कीमें प्रस्तावित की गई थीं, जिनमें से निम्नलिखित नौ मध्यम स्कीमें पहले ही चौथी योजना में कार्यान्वयनार्थ अनुमोदित की जा चुकी हैं :

स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु० में)	लाभ (हैक्टरों में)
1	2	3
1. परप्पलर जलाशय	79.50	0.008
2. पोन्नानियर जलाशय	98.94	0.008

1	2	3
3. थण्डाराई ऐनिकट .	87.86	0.03
4. नन्दन चैनल का पुनरुद्धार	72.11	0.002
5. चिनार जलाशय .	147.13	0.92
6. बालर पोरन्दलर जलाशय	500.00	0.06
7. मरुधनधी .	108.90	0.02
8. करुपन्नधी .	220.00	0.19
9. पिल्लवुक्कल	186.22	0.14

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित नई स्कीमें स्वीकृति के लिए निलम्बित पड़ी है :—

स्कीम का नाम	श्रेणी	अनुमानित लागत (लाख रु० में)	लाभ (लाख है० में)
पुराने कावेरी डेल्टा का आधुनिकीकरण .	वृहत्	490	6.48
कोल्लई मलाई . .	मध्यम	319	0.03
वरत्तुपल्लम	मध्यम	60	0.007
दोद्दाहाला . .	मध्यम	91.89	0.008
पेरियार प्रणाली का सुधार . .	बृहत्	730	0.13

प्रथम चार परियोजनाओं में कावेरी के जल के संबंध में अन्तर्राज्यीय पहलू निहित है। पेरियार प्रणाली के सुधार के लिए इस परियोजना संबंधी अभिकल्प और लागत पहलुओं पर राज्य सरकार के साथ पत्र-व्यवहार किया जा रहा है। जिन परियोजना प्राक्कलनों को अंतिम रूप दिया गया था, वे सितम्बर, 1973 में राज्य सरकार से प्राप्त हो गये थे और अब उनकी जांच की जा रही है।

रेलवे निर्माण परियोजनाओं में कर्मचारी रिजर्व रखना

4324. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने रेलवे निर्माण परियोजनाओं पर कार्य कर रहे अस्थायी कर्मचारियों में से कुछ व्यक्तयों को रिजर्व में रखने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इससे कितने कर्मचारियों को लाभ होगा; और

(ग) हाल ही में रेलवे बोर्ड द्वारा उसके लिए कौन से अन्य लाभों की घोषणा की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफीकुरेशी) : (क) से (ग) यह विनिश्चय किया गया है कि रेलों के निर्माण विभाग के 40 प्रतिशत अस्थायी अराजपत्रित पदों को स्थायी करके एक "निर्माण आरक्षित" गठित की जाय। यह विनिश्चय रेलों की चालू लाइनों में 4 लाख रुपये से अधिक मूल्य के परियोजना कार्यों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

ऐसा अनुमान है कि उपर्युक्त विनिश्चय के फलस्वरूप कुल लगभग 6000 कर्मचारी स्थायी हो जायेंगे ।

इसके अलावा, कर्मचारियों को स्थायी होने का लाभ देने के लिए यथासम्भव अधिक से अधिक अस्थायी पदों को स्थायी बनाने के लिए रेल प्रशासन लगातार अभियान चला रहे हैं ।

कांडला बन्दरगाह पर तेल के लाने ले जाने के लिये सुविधायें

4325. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला में तेल के लाने ले जाने का कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है;

(ख) क्या तेल लाने-ले-जाने के कार्य में वृद्धि के कारण वहां विद्यमान सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इस मामले पर नौवहन तथा पत्तिवहन मंत्रालय से बातचीत की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग) जी हां ।

"अरब आयल कटटु कन्टिन्यू" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

4326. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तेल का निर्यात करने वाले अरब देशों के संगठन के इस कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि उक्त संगठन के सदस्य देश अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा इजराइल को अरब भूमि से पीछे हटने को राजी करने के लिए निर्णायक और प्रभावकारी उपाय करने का निर्णय करने तक तेल का कम उत्पादन करते रहेंगे ।

(ख) क्या भारत को अशोधित तेल की सप्लाई में 10 प्रतिशत की कटौती को समाप्त करने के बारे में औपचारिक पत्र नहीं मिला है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) अरब पेट्रोलियम निर्यातकर्ता देशों के संगठन ने संयुक्त राज्य अमरीका के आरम्भ में न्यूनतम 5 प्रतिशत कमी तथा सप्लाई को नियंत्रित करने की घोषणा की थी । बाद में हालैंड को भी इसमें शामिल कर लिया गया था इससे ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसमें कुछ देशों में 20 से 30 प्रतिशत तक कटौती और कुछ अन्यों ने केवल 12 से 13 प्रतिशत तक की कटौती की । नवम्बर, 1973 के प्रथम सप्ताह कुवेत में अरब पेट्रोलियम निर्यातकर्ता देशों के संगठन की सचिवीय परिषद् की

दूसरी बैठक में अन्य बातों के साथ साथ यह निर्णय किया गया कि "प्रथम निर्णय" का कार्यान्वयन करने वाले प्रत्येक अरब राज्य के उत्पादन में कुल कमी सितम्बर के उत्पादन की 25 प्रतिशत होगी जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका तथा हालैण्ड को भेजे जाने वाले तेल के नियंत्रण के परिणामस्वरूप कम की गई मात्रा भी सम्मिलित है। उसके बाद दिसम्बर में नवम्बर के उत्पादन के 5 प्रतिशत तक की कमी जारी रहेगी बशर्ते मित्र देशों को भेजे जाने वाली मात्रा पर कोई प्रभाव न पड़े।

ईराक तथा सऊदी अरबिया ही ऐसे दो अरब देश हैं जो इस समय भारत को कच्चे तेल की सप्लाई करते है। इनमें से केवल सउदी अरबिया ने ही तेल की सप्लाई में कटौती की। परन्तु इन कटौतियों को पहले ही वापस ले लिया गया है। सउदी अरबिया की सरकार ने एक ऐसा सूत्र निर्धारित किया है जिसके अंतर्गत; विभिन्न मित्र-देशों को सप्लाई किये जाने वाले कच्चे तेल की मात्रा का निर्धारण उत्पादन में कमी कीजाने वाली समग्र कमी को ध्यान में रखकर किया जाता हैअन्य मित्रदेशों की भांति भारत को भी इसी सूत्र के अनुसार कच्चे तेल का आवंटन किया जाता है।

आगामी 80 वर्षों में विश्व में पेट्रोल का समाप्त हो जाना

4327. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ब्रिटेन के आस्टन विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक डा० जे० ए० पोप के इन विचारों की ओर दिलाया गया है कि आजकल जिस दर से पेट्रोल की खपत हो रही है उस हिसाब से विदित पेट्रोल संसाधन आगामी 31 वर्षों के भीतर समाप्त हो जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में पेट्रोल के संकट से बचने के लिए मोटर गाड़ियों को अणुशक्ति चालित गाड़ियों में बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां।

(ख) इस स्थिति पर काबू पाने के लिए दीर्घ-कालिक तथा अल्प-कालिक कई उपाय अपनाये जा रहे हैं।

(ग) प्रौद्योगिकी में जानकारी की अभी तक उस अवस्था में पहुंचा नहीं जा सका है जब कम से कम अगले कुछ वर्षों में वाहनों को परमाणु शक्ति पर चलाया जाना संभव हो सकता हो।

मध्य प्रदेश में कोरवा में विद्युत संयंत्र का कार्यकरण

4328. **श्रीई०वी०शिरवे पाटिल**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कोरबा में लगा 30 मैगावट का यूनिट अपनी पूरी क्षमता पर कार्य कर रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस यूनिट में प्रतिदिन कुल कितनी बिजली उत्पन्न होती है और कितनी बिजली वास्तविक रूप से पारेषित की जाती है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग) कोरबा विद्युत केन्द्र में प्रतिष्ठापित 30.30 मैगावट के तीन सेटों में से एक सेट को रख-रखाव के लिए बन्द किया हुआ है और शेष दो यूनिट 1.1 मिलियन यूनिट प्रतिदिन बिजली उत्पन्न कर रहे हैं और यह बिजली राज्य ग्रिड को प्रेषित की जाती है।

विद्युत प्रदाय अधिनियम तथा विद्युत बोर्ड अधिनियम में संशोधन

4329. **श्री ई०वी० विरवे पाटिल:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिजली सप्लाई अधिनियम और बिजली बोर्ड अधिनियम में संशोधन करने के लिएकोई सुझाव प्राप्त हुआ है ताकि सभी बिजली बोर्ड आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) वित्तीय संस्थानों से सुझाव प्राप्त हुए हैं कि बिजली (सप्लाई) अधिनियम, 1948 द्वारा स्थापित किये गये राज्य बिजली बोर्डों को वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन कर दिया जाये। तदनुसार, बिजली (सप्लाई) अधिनियम में बिजली बोर्डों के वित्त लेखे और लेखा परीक्षा संबंधी प्रावधानों को जांच करने तथा सुधारों के संबंध में संशोधन करने की सिफारिशें करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

तापीय बिजली घरों को कोयले की सप्लाई

4330. **श्री ई० वी० विरवे पाटिल:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के सभी तापीय बिजलीघरों को 1 जनवरी, 1973 से लेकर अब तक अपनी आवश्यकतानुसार नियमित रूप से कोयला मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन अवधियों के दौरान प्रत्येक बिजलीघर को पूरे कोयले की सप्लाई नहीं की गई और सप्लाई किये गये कोयले की मात्रा कितनी कम थी; और

(ग) कम सप्लाई करने के क्या कारण थे और प्रत्येक बिजलीघर द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार कोयला प्राप्त करने हेतु क्या विशिष्ट प्रयास किये गये और इसके क्या परिणाम रहे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जल-विद्युत और परमाणु केन्द्रों से विद्युत उत्पादन की कमी के कारण, ताप-विद्युत केन्द्रों से अक्तूबर, 1972 से जून, 1973 की अवधि के दौरान यथासंभव अधिक से अधिक ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए कहा गया था। इसके परिणामस्वरूप ताप-विद्युत केन्द्रों को कोयले की आवश्यकता में तीव्र वृद्धि हुई।

आवश्यकता के समय अगर और अधिक कोयला केन्द्रों को दिया गया होता तो ताप-विद्युत केन्द्र गंभीर विद्युत संकट के दौरान इससे भी अधिक उर्जा का उत्पादन कर सकते थे।

कोयले के उत्पादन और इस भारी मात्रा में इसे विद्युत केन्द्रों तक ले जाने में खानों और रेलवे को पर्याप्त कठिनाइयां हुई थीं। कई विद्युत केन्द्रों को विभिन्न महीनों में काफी तंगी का सामना करना पड़ा क्योंकि कोयले के प्रेषण को नियमित रूप में कायम नहीं रखा जा सका।

इस स्थिति का सामना करने के लिए, भारत सरकार के संबंधित विभाग विद्युत केन्द्रों को पर्याप्त कोयले की सप्लाई के लिए अपने-अपने संसाधनों को एकत्रित कर रहे हैं। खान विभाग में गठित स्थायी सम्पर्क (लिंकेज) समिति कोयले तथा परिवहन क्षमता की उपलब्धता के आधार पर कोयले का आवंटन कर रही है। रेलवे बोर्ड में स्थापित एक नियंत्रण कक्ष द्वारा विभिन्न विद्युत केन्द्रों को कोयले के भण्डार और उनको प्रतिदिन की सप्लाई का पुनरीक्षण किया जा रहा है और जहां भी आवश्यक होता है, वहां के लिए वैकल्पि व्यवस्था की जा रही है। ताप विद्युत केन्द्रों को कोयला ले जाने के लिए मालवाहक डिब्बों के आवंटन और ढुलाई का पुनरीक्षण करने के लिए कलकत्ता में एक संयुक्त कक्ष की भी स्थापना की गई है।

चौथी योजना में शामिल केरल की सिंचाई और विद्युत परियोजनायें

4331. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के दौरान केरल राज्य में कौन सी विभिन्न सिंचाई और विद्युत परियोजनायें क्रियान्वित की जानी थीं और ऐसी परियोजनाओं की संख्या क्या है जिन पर काम चालू किया गया है तथा योजना के पहले चार वर्षों के दौरान उन पर कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ख) केरल राज्य ने उन परियोजनाओं के निष्पादन के लिए, जिन पर पहले ही विलम्ब हो चुका है, कितनी अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने की मांग की है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) पहले की योजनाओं से चालू सात बृहत् सिंचाई परियोजनाओं और दो विद्युत परियोजनाओं पर कार्य चालू रखने के अलावा कोई नई सिंचाई या विद्युत परियोजनाएं चौथी योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन करने के लिए प्रस्तावित नहीं की गई थीं। चौथी योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान सतत सिंचाई परियोजनाओं पर परिव्यय 19.37 करोड़ रुपये था जबकि इद्दिकी और कुट्टियाड़ी विद्युत परियोजनाओं पर परिव्यय 65.89 करोड़ रुपये था। साइलेंट घाटी तथा इदामलयार विद्युत परियोजनाएं भी चौथी योजना के दौरान स्वीकृत की गई थीं।

(ख) इद्दिकी परियोजना के निर्माण में तेजी लाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में इस परियोजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने पर विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1973-74 वर्ष के दौरान 3 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता के लिए अनुरोध किया था, परन्तु इस वर्ष धन की तंगी के कारण इस प्रकार की कोई विशेष सहायता देना संभव नहीं हो पाया है।

कोचीन तेल शोधक कारखाने का विस्तार

4332. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य, स्थित कोचीन तेल शोधक कारखाने का विस्तार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय होगा; और

(ग) विस्तार कार्यक्रम के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग) कोचीन शोधनशाला का विस्तार संबंधी कार्यक्रम, जिसमें शोधन क्षमता का प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन मीटरी टन से बढ़ा कर 3.3 मीटरी टन किया जाना निहित है और जिसे 5.12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मार्च, 1971 में शुरू किया गया था, सितम्बर, 1973 में पूरा तथा कार्यान्वित किया गया था। इस शोधनशाला में और विस्तार किये जाने से संबंधित कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं हैं।

पानीपत और पिलखुआ (उत्तर रेलवे) से बुक की गई हथकरघा कपड़े की गांठों पर प्रतिबन्ध

4333. **श्री महादीपक सिंह शाक्य:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पानीपत और पिलखुआ (उत्तर रेलवे) से विभिन्न स्टेशनों को बुक की गई हथकरघा कपड़े की गाठें दिल्ली मेन स्टेशन पर नियमित रूप से मिल रही हैं और प्रतिबन्धों तथा प्राथमिकता के आधार पर मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में इन गांठों को भेजा गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क) पानीपत और पिलखुआ स्टेशनों से बुक की जाने वाली हाथ करघा कपड़े की गाठें दिल्ली स्टेशन पर आती हैं और वहां से उन्हें मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियों से भेज दिया जाता है। ऐसा करना नियम विरुद्ध नहीं हैं और दिल्ली जंकशन से मेल एवं एक्सप्रेस गाड़ियों द्वारा हाथकरघा कपड़े की गांठों की निकासी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बैघनाथ धाम (देवघर) रेलवे स्टेशन पर विश्राम-गृह और शयनगृह बनाने के लिये की गई प्रस्तावित कार्यवाही

4334. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि वैद्यनाथ धाम (देवघर) रेलवे स्टेशन की बड़ी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता है और लाखों तीर्थयात्री पूरे वर्ष भर इस स्थल पर आते हैं;

(ख) क्या सफाई संबंधी स्थितियों और प्रतीक्षालयों में आवास की व्यवस्था बहुत ही संतोषजनक है और उपरोक्त रेलवे स्टेशन पर कोई विश्राम-गृह अथवा शयनगृह नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) वैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन पर सफाई की व्यवस्था सन्तोषजनक स्तर पर की जाती है और इसके लिए सफाई वाले अलग से रखे गये हैं। तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय में स्थान भी पर्याप्त है। इसके अलावा प्लेटफार्म छतदार है। ऊंचे दर्जे के यात्रियों के लिए एक प्रतीक्षालय भी है। वहां डोर्मिटरी कोई नहीं है लेकिन दो पलंग वाले दो विश्रामालयों की व्यवस्था है।

चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स की परीक्षा का माध्यम

4335. **श्री नवल किशोर शर्मा**: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स और प्री-एंटरेंस परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा है;

(ख) क्या इस के फलस्वरूप उत्तरी जोन के हिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को, जिनका माध्यम हिन्दी है, कम अवसर मिलेंगे और

(ग) यदि हां तो क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक उपाय किये जायेंगे कि इंस्टीच्यूट आफ चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स द्वारा परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखे जाने के कारण हिन्दी प्रदेश के उम्मीदवार का नुकसान न हो ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ): (क) हां, श्रीमान्

(ख) इस प्रकार का परिवाद अभ्यावेदन अभी तक ना कम्पनी कार्य विभाग और ना ही इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स आफ इण्डिया में किसी सरकार या उत्तरी क्षेत्र के हिन्दी भाषी राज्यों के विद्यार्थियों से प्राप्त हुआ है। और

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे बुक स्टालों पर अखिल भारतीय रेलवे समय-सारणी के हिन्दी संस्करण की उपलब्धता

4336. **श्री एस० सी० सामन्त**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अखिल भारतीय रेलवे समय सारणी के हिन्दी संस्करण अंग्रेजी संस्करण के साथ ही बुकस्टालों एवं बिक्री के अन्य केन्द्रों पर उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या भविष्य में इसके अंग्रेजी संस्करण के साथ ही उपलब्ध होने की संभावना है

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख): अखिल भारतीय हिन्दी समय सारिणी एक निजी संगठन अर्थात् वाराणसी स्थित रेलवे समय सारणी कार्यालय के द्वारा प्रकाशित होती है। इस संगठन से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी समय सारणी के साथ ही हिन्दी समय सारणी भी समय पर प्रकाशित हो।

Official Language Implementation Committee set-up in the Ministry of Irrigtaion and Power

4337. **Shri Yamuna Prasad Mandal:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of official languages Implementation Committee set up in his Ministry and its Departments;

(b) the number of meetings held by them and action taken on the decisions taken therein ; and

(c) the arrangements made to ensure regular meetings of those committees and to implement the decision taken by them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to(c) The requisite information in regard to Official Languages Implementation Committees set up in the Ministry and its attached and subordinate offices, as also the number of meetings held so far, is given below:

Name of Organisation	No. of O.L.I.C.	No. of meetings held
1. Ministry (proper)	1	10
2. Central Water and Power Commission .	1	2
3. Farakka Barrage Project. . . .	1	— (This Committee has been set up in August, 1973).
4. Central Water and Power Research Station Poona.	1	— (This Committee has been set up in September, 73).

Briefly, in the light of the decisions taken at these meetings adequate arrangements have been made for originating correspondence with Hindi speaking States in Hindi. Besides, provision of Hindi typewriters, staff is being sponsored for the various training cources under the Hindi Teaching scheme of the Ministry of Home Affairs. The quarterly English Journal Bhagirath which is devoted to developments in Irrigation and Power Sector is also being brought out in Hindi.

Meetings are held as frequently as exigencies of work require. The position in regard to follow-up action on the decisions taken in the earlier meetings is reviewed at the subsequent meetings of the Committees.

राजस्थान में पेट्रोल और गैस के लिये सर्वेक्षण

4338. **श्री शिवनाथ सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता के लिए राजस्थान के किसी भाग विशेषकर बार्मा में एक सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले; और

(ख) क्या यह कार्यक्रम जारी रहेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज के सम्बन्ध में राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर तथा चितौड़गढ़ जिलों के कुछ भागों का भू-गर्भीय सर्वेक्षण किया गया था। जैसलमेर जिले के पश्चिमी भाग में भू-गर्भीय सर्वेक्षण तथा समन्वेष व्यधन भी किया गया है।

(ख) इस सर्वेक्षण से खारोतर, बाखरी-तिब्बा, शुकारवली, तलाई, विखरनलाइ, मनहेरा, तिब्बा तथा जैसलमेर जिले के पश्चिमी भाग में कतिपय अन्य क्षेत्रों में अनुकूल संरचनाओं का पता लगा है। खारोतर, बाखरी, तिब्बा, शुमारवली, तलाई तथा विखारन नाई क्षेत्रों के व्यधन द्वारा जांच की गई है और उन्हें शुष्क पाया गया है। मनहेरा-तिब्बा क्षेत्र की एक संरचना की भी व्यधन द्वारा जांच की गई है और उसे गैस युक्त पाया गया है परन्तु यह गैस वाणिज्यिक स्तर पर उपयोग के योग्य नहीं है।

(ग) जैसलमेर जिले के पश्चिमी भाग में समन्वेषण का कार्य जारी रखा जा रहा है।

स्टाक में टिकटों की गणना के लिये पश्चिम रेलवे के स्टेशनों पर कर्मचारियों की नियुक्ति

4340. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के अजमेर, जयपुर, आगरा किला, कोटा, रतलाम, बड़ौदा, बम्बई सैन्ट्रल, मेहसाना, अहमदाबाद, राजकोट और भावनगर परा स्टेशनों पर हर समय स्टाक में कुल कितने टिकट रहते हैं;

(ख) क्या स्टेशन एकाउंट मैन्युअल के उपबन्धों के अनुसार सभी टिकटों के गिने जाने के बाद केवल सम्बद्ध बुकिंग क्लर्क ही उन्हें जमा रख सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो टिकटों की गणना के लिए निर्धारित कसौटी के अनुसार कुल कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, तथा उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित स्टेशनों पर कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं; और

(घ) यदि कर्मचारियों की संख्या में कमी है तो कितनी तथा इसके क्या कारण हैं तथा कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के वाणिज्यिक क्लर्कों पर मानदण्ड का लागू होना

4.341. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय ने दिनांक 28 नवम्बर, 1956 के अपने पत्र सं० ई/टी/ 146/11 के द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे में काम कर रहे वाणिज्यिक क्लर्कों के लिए मानदण्ड परिचालित किये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या भाग (क) में उल्लिखित मानदण्ड पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे पर भी लागू होते थे, जो कि उस समय पूर्वोत्तर रेलवे का ही भाग था और क्या वही मानदण्ड अभी भी लागू हैं अथवा उनमें कुछ परिवर्तन किये गये हैं; और

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) में उल्लिखित प्रत्येक मामले के क्या मुख्य कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

नेपाल सरकार द्वारा नेपाल में विदेशी कम्पनियों द्वारा आयात निर्यात सम्बन्धी व्यापार करन पर प्रतिबन्ध लगाये जाने का समाचार

Shri Sashi Bhushan (South Delhi): Sir, I call the attention of the Minister of Commerce to the following matter of Urgent Public Importance and I request that he may make a statement thereon: –

"the reported ban imposed by the Nepal Government on all foreign companies, most of whom have Indian interest, from carrying on any import-export transactions in Nepal."

वाणिज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय): भारत सरकार ने समाचार पत्रों में एक विज्ञप्ति से संबंधित समाचार देखे थे जिसे नेपाल के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया बताया जाता है, जिसके अनुसार :–

"जो देश नेपाल से तैयार पटसन उत्पादों का आयात कर रहे हैं उनके अलावा अन्य देशों को इन उत्पादों का निर्यात करने वालों को आगे से प्रोत्साहनों के रूप में अतिरिक्त पांच प्रतिशत बोनस दिया जाएगा। परन्तु विदेशियों अथवा उनके सहयोग से चलाई जा रही फर्मों को नेपाल की और नेपाल से निर्यात तथा आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नये कदमों का अभिप्राय व्यापार विविधीकरण नीति को और भी अधिक प्रभावी बनाना तथा साथ ही विदेशी निवेशकों को औद्योगिक उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेपाल में स्थित विदेशी फर्मों को पटसन के निर्यात की अनुमति न दिये जाने का आधारभूत उद्देश्य देश के उद्योगीकरण क लए उनकी तकनीकी विशेषज्ञता तथा निवेश का उपयोग करना है। नये प्रबंधक मुख्य उद्देश्य व्यापार विविधी-

करण की नीतियों तथा पद्धति को, विकास संबंधी सामग्री और अन्य उपभोक्ता माल के आयात को अधिक कारगर तथा व्यवहारिक बनाना है। वितरण प्रणाली का विनियमन भी इस प्रकार दिया गया है जिससे कि आम जनता अत्यावश्यक वस्तुएं उचित दरों पर प्राप्त कर सके अथवा खरीद सके।"

2. काठमाण्डू स्थित हमारे राजदूतावास ने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के विवरण का आधिकारिक पाठ और नेपाल राज्यक्षेत्र में भारतीय राष्ट्रिकों के संबंध में इन विनियमनों के लागू किये जाने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था।

3. मुझे इस बात पर खेद है कि संचार व्यवस्था में कठिनाइयों के कारण इन्हें समय पर प्राप्त नहीं किया जा सका जिससे मैं जल्दी अपना वक्तव्य नहीं दे सका।

4. महोदय, आपकी अनुमति से मैं अब सभा पटल पर नेपाल की श्री 5 की सरकार की आधिकारिक प्रेस रिलीज की एक प्रति रख रहा हूं।

5. यह बताया गया है कि कच्चे पटसन तथा पटसन कटिंग्ज का निर्यात केवल नेशनल ट्रेडिंग लि० के माध्यम से ही किया जाएगा। यह नेपाल मे होने वाले कुल निर्यातों का लगभग 50 प्रतिशत होगा। यह भी बताया गया है कि विदेशों के साथ वस्तु-विनियमय व्यापार एतत्पूर्व रूप में सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित है। यद्यपि ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी विश्वास है कि शेष निर्यातों में इनका महत्वपूर्ण अनुपात होगा।

6. नेपाल के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा यह बताया गया है कि विदेशियों अथवा विदेशियों के सहयोग से चलाई जाने वाली फर्मों पर लगाया गया प्रतिबंध पटसन माल तक ही सीमित नहीं है बल्कि सभी प्रकार के माल के निर्यात तथा आयात पर लागू होता है।

7. नेपाल की श्री 5 की सरकार ने काठमाण्डू में हमारे कार्यदूत को यह स्पष्ट किया है कि ये प्रतिबंध भारत से आयातों और भारत को निर्यातों पर लागू नहीं होते हैं और जो भारतीय राष्ट्रिक अथवा फर्में भारत और नेपाल के बीच व्यापार में भाग ले रहे हैं, उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई फर्म भारत और तृतीय देशों दोनों के साथ व्यापार कर रही है तो नये विनियमों से भारत के साथ उसके व्यापार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

8. नेपाल की श्री 5 की सरकार का यह कहना है कि तृतीयदेशो से किये जाने वालें आयातों तथा उन्हें किए जाने वाले निर्यातों पर प्रतिबंध से, शान्ति तथा मित्रता की संधि के अनुच्छेद 7 का उल्लंघन नहीं होता। उनका यह भी कहना है कि जबकि नए विनियमों का यह उद्देश्य है कि व्यापार की बजाय उद्योग के क्षेत्र में विदेशियों की तकनीकी जानकारी तथा साधनों का बेहतर उपयोग किया जाए, नए विनियमनों से नेपाल के रास्ते भारत को तृतीय देश के माल के विपथन पर भी रोकथाम लगेगी और उससे भारत तथा नेपाल के बीच सम्बन्धों में क्षोभ का कारण भी समाप्त होगा।

9. नेपाल की श्री 5 की सरकार द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा नये विनियमों के संबंध में विचार किया जा रहा है। भारत सरकार नेपाल की श्री 5 की सरकार के साथ और आगे परामर्श करेगी। भारत सरकार का यह विचार है कि दोनों देशों के बीच व्यापार के लाभकर विकास और परस्पर सहयोग के सामान्य उद्देश्य को लेकर दोनों सरकारें एक देश के राष्ट्रिकों को दूसरे देश के इलाके में व्यापार तथा वाणिज्य में भाग लेने के मामले में पारस्परिक आधार पर समान विशेषाधिकार प्रदान करती हैं।

Shri Sashi Bhushan : We have got very cordial relations with Nepal. China is also trying to have friendly relations with Nepal. In the present circumstances it would have been better if India had been consulted in this matter. I want to know the effect of the regulations on the Indian firms doing business in Nepal. I want to know whether the Government intends to Compensate the loss to those Indian firms through State Trading Corporation. I also want to know whether Government have taken any steps to dialogue with the Nepal Government and the businessmen there.

Those regulations have been implemented at the time when the King of Nepal was about to visit China. It creates a doubt that China does not like that there should be cordial relations between Nepal and India. But we have always been making efforts for friendly relations with Nepal. I want to know what steps Government propose to take to develop trade relations between India and Nepal ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस समय यह कहना कठिन है कि नेपाल सरकार द्वारा हाल ही में लिये गये निर्णयों का नेपाल से हमारे व्यापार सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं । यह तो निर्णय का विस्तृत अध्ययन करने पर ही कहा जा सकता है ।

राज्य व्यापार निगम और नेशनल ट्रेडिंग लिमिटेड के बीच व्यापार सम्बन्ध अच्छे स्थापित करने के बारे में संयुक्त पुनरीक्षण समिति की आगामी बैठक में, जो इसी महीने के अन्त में होगी, विचार किया जायेगा ।

ऐसा विश्वास करना उचित नहीं कि उक्त निर्णय चीन के प्रभाव में आकर किया गया है । हो सकता है राष्ट्रीय और उद्योग की आवश्यकता के हित में ऐसा किया गया हो ।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : We have very ancient cultural, social and historical elations with Nepal. We have got very cordial personal relations with Nepal. Our country has a lot of contribution in establishing the present Government in Nepal.

It appears that something is going on against us in Nepal. The hon. Minister has stated that there is no reason to believe that some countries are trying to spoil relations between India and Nepal. But it appears that there is something black at the bottom.The hon. Minister's reply does not appear to be satisfactory.

So far as trade relations between Nepal and India is concerned, it seems that other Countries goods will go to Nepal and those goods will be smuggled into India. It is more or less definite that our trade will suffer.

Our Government should have talks with the Government of Nepal in this matter and it should try to find out its effects on our trade.

There is a great possibility that other Countries goods will reach Nepal and they have the stamp there and the goods may be sent back to India. I want to know whether the Government will have talks with the Government of Nepal in this matter. I want to know when the Government will be able to announce the effects of the Nepal Government's decisions on Indian trade.

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय: माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है हमारे नेपाल से वहुत घनिष्ठ सम्वन्ध हैं । नेपाल से की जा रही तस्करी की हमें जानकारी है । सीमा-शुल्क पर व्यवस्था वहुत कठोर कर दी गई है । सर्तकता दस्ते को मजबूत कर दिया गया है । हम विशेष कठिनाइयों को दूर करने के लिये समय-समय पर बैठकें करते हैं ।

जहां तक संचार व्यवस्था में खराबी का प्रश्न है, ऐसा मशीनों की खराबी के कारण हो सकता है ।

ऐसा कहना उचित नहीं कि ऐसा काठमाण्डू स्थित दूतावास के लोगों के सतर्क न रहने के कारण हुआ है।

Shri Bibhuti Mishra : It has been published in the 'Search Light' dated 7th that it took four days to our charge-de-Affairs to contact concerned Nepal Minister.

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : वास्तव में संचार व्यवस्था भंग हो गई थी । अतः हमे पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। जैसा कि आप अनुभव करेंगे कि ऐसे महत्त्वपूर्ण और नाजुक मामलों में उपयुक्त स्पष्टीकरण के विना सभा के सम्मुख जानकारी रखना उचित नहीं होगा ।

हम व्यापार और परिवहन सम्बन्धी समस्याओं की ओर उपयुक्त ध्यान दे रहे हैं ।

संधि में कुछ अच्छे उपबन्ध है जिनका नेपाल से भारत तथा अन्य देशों से व्यापार करने में पालन किया जा रहा है ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : There have been cordial relations between India and Nepal. I want that India should give full support to Nepal in its industrial development. But some Indian had elements are trying to take the benefits of the defects remaind in that treaty.

We admit Nepal's sovereignity in the matter of nationalization its foreign trade. We should have no objection in this matter. Nepal has also assured that it has no effect on the im port export trade between India and Nepal.

In Article 4 of the protocol it has been stated that:—

"The Government of India will provide access to Indian Market free of basic customs duty and quantitativerestrictions generally for all manufactured goods which contained not less than 90 per cent of Nepalese materials or Nepalese and Indian materials"...

Nepalese Government have stated about trade deflection. So I want to know whether the hon. Minister will give the details of goods being supplied to Nepal?

So far as the industrialization of Nepal is concerned, we should reconsider this matter. There is acute shortage of power in India. There is plenty of hydero-power available in Nepal. So I want to know whether the Government will consider this matter from the very beginning. India may request the Nepal Government to supply some power to India to fulfil its power requirements.

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय: किसी भी सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्र को अपने देश के व्यापार का राष्ट्रीकरण करने का अधिकार है । यह सच है कि दोनों देशों के बीच यह समझौता हुआ था कि दोनों देश इस बात का भरसक प्रयास करेंगे कि किसी भी तीसरे देश का माल इन देशों में न आये जिससे सम्बद्ध देश के राजकोष को असुविधा और हानि हो । तस्करी को रोकने के लिये सीमा शुल्क व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और सतर्कता दस्ते को मजबूत कर दिया गया है ।

यदि पहले कभी स्टेनलैस स्टील, संश्लिष्ट माल आदि के बारे में कोई समस्या उत्पन्न हुई होगी, तो हम इस मामले में जांच करेंगे । इस महीने हमारी बैठक हो रही है और कुछ विषयों पर इसमें चर्चा की जायेगी ।

भारत-नेपाल बिजली परियोजना अन्य मंत्रालय का विषय है अतः मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता । लेकिन सिद्धान्त रूप से मैं आपके विचारोंसे सहमत हूं ।

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : हमारे सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय तथा नेपाल सरकार के बीच कुछ परियोजनाओं के बारे में, जहां पन बिजली उत्पन्न की जा सकती है, प्रारम्भिक रूप में कुछ विचार विमर्श हुआ है। जैसा कि सभा को विदित ही है कि भारत और नेपाल के बीच नहरों और बाढ़ नियंत्रणों के उपायों के मामले में अच्छा सहयोग रहा है। जैसा कि श्री मधु लिमये ने सुझाव दिया है वे अपनी आवश्यकतानुसार बिजली रख सकते हैं और हम उन्हें इस बात का आश्वासन देते हैं कि फालतू बिजली को हम उचित दर पर खरीदने के लिये तैयार हैं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा कच्चे तेल के आयात में कमी

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) विदेशी तेल कम्पनियों, विशेषतया कालटेक्स द्वारा कच्चे तेल के आयात में कमी की सीमा के बारे में एक विवरण ।

(2) टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उप-धारा (2) अन्तर्गत बेटा ओक्सी नेफ्थोइक ऐसिड के मूल्य ढांचे सम्बन्धी टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन (1966) (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5962/73]

कम्पनी (लोक न्यासधारी) नियम, 1973

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेद-व्रत बरआ): मैं अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी (लोक न्यासधारी) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 983 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-5963/73]

रेलवे अभिसमय समिति

RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

अन्तरिम प्रतिवेदन

श्री बी० एस० मूर्ति (आलमपुरम): मैं रेल अभिसमय समिति, 1973 का अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

6 दिसम्बर, 1973 को ध्यानकर्षण प्रस्ताव की चर्चा के दौरान दी गई जानकारी में शुद्ध करने के संबंध में वक्तव्य

STATEMENT RE: CORRECTION OF INFORMATION GIVEN DURING CALLING ATTENTION ON 6-12-1973

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): मुझे खेद है कि 'सागर सम्राट' सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर 6 दिसम्बर, 1973 की बहस में मंत्री महोदय ने एक ग़लत वक्तव्य दिया था। 'सागर सम्राट' के नये विद्युत उपस्करों (मोटरों और जनरेटरों) की लागत के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था कि उसकी लागत दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी। परन्तु वास्तव में इसकी लागत लगभग 5,00,000 डालर है जोकि भारतीय मुद्रा में 37.50 लाख रुपये के लगभग होगी। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने ये आंकड़े इस प्रकार के उपस्करों के विदेशी निर्माताओं से मिले कोटेशनों के आधार पर तैयार किये थे।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) 1973-74

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAY)

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र): मैं वर्ष 1973-74 के लिये बजट (रेल) सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

नियम 377 के अधीन मामला

MATTER UNDER RULE 377

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा, संविधान का कथित उल्लंघन

Shri Madhu Limaye (Banka): President's rule was promulgated in the Uttar Pradesh on 13th June, 1973 and in the Andhra Pradesh on 10th January 1973. According to my information last session of U.P. Assembly was held on 15th May, 1973. During the President's rule the Assemblies of Uttar Pradesh as wellas Andhra Pradesh were not dissolved, they were suspended but kept alive. Article 174 is mandatory and it is the constitutional obligation of the Governor to act accordingly because he takes oath under article 156 that he will safeguard the provisions of the constitution.

When the Assembly was not dissolved, its session should have been convened within a period of six months from the last session. Now the point is whether the Governor has asked the Chief Minister Shri Bahuguna to summon the session of the State Assembly and if so the reason for which he is hesitant to convene the session of the State Assembly? The Minister of law can say that the period during which President's rule was in force and when the Assembly was in suspended state, should not be counted but there is no such provision under Article 356 or 174. In fact the Assembly should have been dissolved under Article 356 but they have misused their powers and suspended the Assembly. In view of this I demand that the President should enforce the Constitution. The Governor can remain in office on the pleasure of the President and as he has violated the oath taken by him, I request the President and the Central Government to remove the present Governor and appoint a new one. The new Governor should dismiss the present Chief Minister Shri Bahuguna and appoint some other Chief Minister who should enforce the constitutional provisions.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह संवैधानिक महत्त्व का मामला है । मेरे विचार में इस समय विधान सभा, जो इस समय नहीं है, के सत्र को बुलाने की मांग करना उचित बात नहीं है । मेरे विचार में 15 नवम्बर के बाद विधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया था । जब पिछला सत्र 15 मई को हुआ था और तत्पश्चात् 15 नवम्बर तक विधान सभा का कोई सत्र नहीं हुआ तो विधान सभा का अस्तित्व समाप्त समझा जाना चाहिये संवैधानिक दृष्टि से सही स्थिति क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मुझे इसके लिये नोटिस नहीं दिया गया । मैं इस सम्बन्ध में कल एक विस्तृत वक्तव्य दूंगा । परन्तु जहां तक मेरा विचार है अनुच्छेद 174 भी निलम्बित किया गया था । अतः समय गिनने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा दृष्टिकोण यह है कि विधान सभा अब अस्तित्व में नहीं है । उन का क्या विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : वह बाद में वक्तव्य देंगे ।

श्री प्रसन्नभाई मेहता (भावनगर): मेघालय विधान सभा के अध्यक्ष ने एक दूसरा विशेषाधिकार प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति को भेजा है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है और में इस सम्बन्ध में मेघालय विधान सभा के अध्यक्ष को लिख रहा हूँ ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण (दूसरा संशोधन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF CENTRAL EXCISES AND SALT (AMENDMENT) ORDINANCE AND CENTRAL EXCISES AND SALT (SECOND AMENDMENT) BILL

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : वित्त मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण ने वाद-विवाद का उत्तर देते हुए ऐसा कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया जिससे उत्पादन-शुल्क में वृद्धि को न्यायोचित सिद्ध किया जा सके ।

हमें तेल के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की जानकारी है । हमें यह भी पता है कि हम कुछ देशों की दया पर निर्भर करते हैं । परन्तु मूल प्रश्न यह था कि क्या इस हद तक उत्पादन-शुल्क में वृद्धि करना आवश्यक था । सरकार जानबूझ कर उत्पादन-शुल्क में एक रुपये प्रति लिटर की वृद्धि करके हमारे देश के जनसाधारण को कष्ट पहुँचा रही है और तेल व्यापारियों को प्रसन्न कर रही है । मिट्टी के तेल के मूल्य में भी इतनी अधिक वृद्धि कर दी गई थी कि उन्होंने उसमें 10 पैसे प्रति लिटर कमी कर दी है परन्तु अब भी वह आम आदमी की पहुँच के बाहर है ।

डा० कैलास ने सुन्दर सुझाव दिया है कि पेट्रोल का राशन कर देना चाहिये था और टैक्सी ड्राइवरों, स्कूटर ड्राइवरों और जिन लोगों ने सरकार से ऋण लेकर इस प्रकार के वाहन खरीदे हैं के लिये कुछ व्यवस्था करनी चाहिये । हम चाहते है कि पेट्रोलियम और मिट्टी के तेल के मूल्य में भारी कमी की जानी चाहिये । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वह श्री सोमनाथ चटर्जी तथा अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार कर लें और यदि वह इस पर सहमत नहीं तो मेरे सांविधिक संकल्प पर मतदान करवाया जाये । पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि किये जाने के कारण अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि हो गई है । आज हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि बिजली और पानी की दरों में भी वृद्धि होने वाली है । मैं इस संकल्प को वापस नहीं लेना चाहता अतः इस पर मतदान करवाया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 2 नवम्बर, 1973 को प्रख्यापित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण (संशोधन) अध्यादेश, 1973 (1973 का अध्यादेश संख्या 3) का निरनुमोदन करती है ।"

लोकसभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 30 विपक्ष में 109

Ayes 30 Noes 109

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The Motion was Negatived

अध्यक्ष महोदय : इस चर्चा के लिये निर्धारित तीन घण्टे का समय समाप्त हो गया है ।

प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was Adopted

खण्ड 2

श्री मधु लिमये : मैं संशोधन संख्या 1 और संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री समर गुह (कंटाई): मैं संशोधन संख्या 4 और 6 प्रस्तुत करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 और 2 तथा 4 और 6 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

श्री समर गुह : मैं संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 7 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ : "कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

तत्पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok-Sabha re-assembled after lunch at five minutes past fourteen hours of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री एस० एम० बनर्जी : आपको याद होगा कि मैंने नई दिल्ली स्थित श्री राम इन्स्टीच्यूट के लगभग बन्द हो जाने का उल्लेख किया था । वे प्रधान मंत्री से भी मिले थे । वे पुलिस की सहायता से सभी वैज्ञानिकों को अन्दर ले गये और उनमें से 5 या 6 वैज्ञानिकों को गिरफ्तार कर लिया। हम चाहते है कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम् से इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने को कहे ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण (दूसरा संशोधन) विधेयक

Statutory Resolution Re. Disapproval of Central Excises and Salt (Amendment) Ordinance and Central Excises and Salt (Second Amendment) Bill

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : समाज के निःसहाय और कमजोर वर्गों पर बोझ डालना सरकार के लिये बहुत सरल बात है । उद्योगों में श्रमिकों की मजदूरी कम हो गई है और लाभ बढ़ गये हैं। उनका लाभ बढ़ गया है परन्तु वे करों का भुगतान नहीं करते । अब सरकार ने ऐसी दो वस्तुओं को चुना है जो जनसाधारण के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं । यदि ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं होगा तो उन लोगों को अंधेरे में रहना पड़ेगा। सरकार ने उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा है कि मिट्टी के तेल और हाईस्पीड डीजल के मूल्यों में समानता लाना इस लिये आवश्यक था क्योंकि मिट्टी के तेल की हाई स्पीड डीजल तेल में बड़े पैमाने पर मिलावट की जाती थी । यह तर्क न्यायोचित नहीं है । अतः हम इस विधेयक को पास नहीं होने दे सकते ।

मैं परोक्ष ढंग से कर लगाये जाने के विरुद्ध हूं । जिन वस्तुओं पर कर लगाया जा सकता है उनकी संख्या में प्रतिदिन वृद्धि की जा रही है । ये वस्तुएं आम जनता के उपयोग की हैं और इस लिये इन करोंका उन्हीं पर बोझ पड़ता है । वे एकाधिकारवादियों पर कोई बोझ नहीं डालना चाहते । क्योंकि वे इनके संरक्षक हैं ।

सभा को यह विधेयक पास नहीं करना चाहिये क्योंकि इसका प्रभाव देश की अधिकांश जनता पर विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों पर पड़ेगा ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I want to oppose this Bill, as it is unnecessary and would put the people in difficulty. If the work relating to oil exploration has been taken properly after 1963 there would neither have been the necessity of depending on foreign countries for crude nor need to levy this tax. Oil and Natural Gas Commission has completely failed in this regard. Malaviya Committee had given certain suggestions in order to improve the working O.N.G. Commission but the Government has not acted on them.

There is a loss of 7 1/2% in the crude oil used in Koyali and Barauni Refineries. Even in undeveloped countries like Indonesia this crude loss is not more than 3%. In other countries like Holland, France, America and Russia it is almost negligible. This aspect should

be looked into. Taking advantage of this situation Esso, Caltex and Burmah Shell are making a profit of 6 per cent. As per my information these companies import 6% less crude and show an inflated Bill. By checking these losses Government could save Rs. 40 crores annually and there would not be necessity of passing this burden on the poor people.

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को उत्तर में कुछ नहीं कहना है। प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 74		**विपक्ष में 26**	
Ayes	74	Noes	26

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was Adopted

दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री राम निवास मिर्धा इस विधेयक पर फिर से चर्चा आरंभ करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात पिछले अवसर के निर्णय का विखंडन करने के अनेक प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा। यदि किसी ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तो जिस विशेष खंड के विखडंन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है, उस पर और पिछले अवसर पर उसके बारे में अस्वीकार सभी संशोधनों पर फिर से चर्चा होगी। इसी प्रकार स्वीकार किये गये संशोधनों पर भी फिर से चर्चा होगी।

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :
मैं प्रस्ताव करता हूं :--

"कि दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में वाद-विवाद जो 3 सितम्बर, 1973 को स्थगित किया गया था अब पुनः प्रारंभ किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, वादविवाद जो 3 सितम्बर, 1973 को स्थागित किया गया था अब पुनः आरम्भ किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was Adopted

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम निर्णय के विखडंन के प्रस्तावों पर विचार करेंगे। पहला खंड 41 के बारे में श्री दीनेश जोरदर का प्रस्ताव संख्या 311 है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I have to make a submission. We had agreed in speekers chamber that we would be prepared for re-consideration of section 125 on the condition that the Government would be prepared for re-consideration of other clauses.

उपाध्यक्ष महोदय: खंड 41, 45 और 57 के संबंध में श्री जोरदर उपस्थित नहीं अतः विखंडन प्रस्ताव पेश नहीं होंगे और इनके बारे में पुराना निर्णय बना रहेगा। अतः पिछले अवसर के समान खंड 41, 45 और 57 विधेयक का अंग बनें।

Shri Madhu Limaye: There was agreement for reconsideration of all the clauses. That agreement should not be broken.

मैं प्रस्ताव करता हूं। :

"कि राज्य सभा द्वारा पारित रूप में दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1972 के खंड 106 और उस पर पेश किये गये संशोधनों के बारे में 16 अगस्त, 1973 को किए गए सभा के विनिश्चय विखंडित कर दिये जायें।"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जोरदर उपस्थित नहीं आपके प्रस्ताव को मैं सभा के समक्ष रखता हूं। इस पर खंड वार विचार होगा।

Shri Madhu Limaye : But what about the agreement. All my motions may be taken together

श्री राम निवास मिर्धा: मुझे इस बारे में किसी समझौते का पता नहीं है। वास्तव में कुछ खंडों को पुनः खोलने का श्री मधु लिमये का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ था।

Shri Madhu Limaye : Mr Speaker should be called and this discussion should be postponed till then.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जोरदर खंड 106 पर आप का एक प्रस्ताव है। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। मैंने पहले बता दिया है कि यदि रद्द करने संबंधी आप का प्रस्ताव स्वीकार किया गया तो खंड और सभी संशोधनों पर, जिन्हें पिछले अवसर पर अस्वीकार किया गया था फिर से चर्चा होगी।

Shri Madhu Limaye : If the agreement is broken I would oppose it.

श्री बी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय: जब तक पहले के निर्णय रद्द न हो जायें तो चर्चा का प्रश्न नहीं उठता। आप रद्द करने की आवश्यकता पर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।

श्री दीनेश जोरदर (मालदा) : खंड 106 पर पिछले सत्र में चर्चा हुई थी। परन्तु उस समय हम उस खंड के बारे में पेश किये संशोधनों की मुख्य विशेषताएं सभा के सामने नहीं रख सके। इसी कारण हम अब बताना चाहते हैं कि खंड 106 में कुछ ऐसी बातें रखी गई हैं जिन से न केवल सामान्य व्यक्ति के लोकतंत्रात्मक अधिकारों की ही कटौती अपितु राजनैतिक आन्दोलनों आदि पर भी प्रभाव पड़ेगा। खंड 106 के उप-खंड (1) के अन्तर्गत भारतीय दंड संहिता के अध्याय आठ के अन्तर्गत दंडनीय अपराध संबंधी एक अनुबंध भरा जायेगा। भारतीय दंड संहिता के अध्याय आठ में हुई ऐसी धाराएं हैं जिनका संबंध शांति और व्यवस्था से है। वे सभी बैठकें आयोजित करने और अन्य इसी प्रकार के राजनैतिक व लोकतांत्रिक आन्दोलनों के बारे में हैं। यदि यह पास हो गया तो इस प्रकार के अधिकारों में कटौती होगी।

अतः में चाहता हूं कि सभा इस सारे मामले पर पुनः विचार करे। पिछले सत्र में की जा चुकी चर्चा को रद्द किया जाये और इस खंड पर फिर से चर्चा हो।

Shri Madhu Limaye : It was decided in a meeting in which Parliamentary Affair Minister was also present that if Govt. wants reconsideration of clause 125, there are other clauses on which we want re-consideration. At that time it was also decided what clauses would be reconsidered. I have given notice of motions on the basis of the decisions in that meeting. I therefore feel that the Government is morally committed to my amendment.

उपाध्यक्ष महोदय : उत्तर देने से पूर्व मैं यह चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय समझौते के बारे में स्थिति स्पष्ट करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : इस समय तो मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है।

श्री दीनेश जोरदर : यदि यह स्थिति है तो कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मैंने कुछ संशोधन दिये थे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय को इस बारे में कुछ कहना है।

श्री राम निवास मिर्धा : मेरा विचार है कि इन खंडों पर भी चर्चा हो। मुझे व्यक्तिगत रूप में इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : "कि राज्य सभा द्वारा पारित रूप में दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1972 के [खंड 106 और उस पर पेश किये गये संशोधनों के बारे में 30 अगस्त, 1973 को किया गया सभा के विनिश्चय विखंडित कर दिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय: खंड 106 तथा उस पर पेश और अस्वीकृत किये गये संशोधन फिर से जीवित हो गये हैं। श्री जोरदर और श्री मधु लिमये ने कुछ संशोधनों की सूचना दे रखी है।

श्री मधु लिमये: मैं अपने संशोधन संख्या 294, 295 और 296 पेश करता हूं।

श्री दिनेश जोरदर: मैं अपने संशोधन संख्या 324 और 325 पेश करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी: मंत्री महोदय ने अपनी सहमति प्रकट कर दी है अतः मेरा अनुरोध है कि विखंडन के सभी प्रस्तावों को पहले स्वीकार कर लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : वह बहुत ही अनियमित है।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Efforts were made to get this Bill passed unanimously but those did not succeed. So it could not be passed during the last session. Shri Mirdha has now agreed to give an opportunity for debate. But it will not serve any purpose. My submission is that committed to it and hon. Minister should give an assurance to accept the amendments.

Shri Madhu Limaye: I suggest that we should take up rescinding motions first and then discuss those clauses which are taken for reconsideration. Otherwise there would be much confusion.

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा निर्णय है कि हम खंडवार विचार करेंगे।

श्री योगेन्द्र झां : इस प्रकार चर्चा समिति हो जायेगी। सरकारी पक्ष को पिछले समझोते के संदर्भ में सं शोधन भी स्वीकार कर लेने चाहिए। उससे समय भी बचेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो बहुत ही असामान्य तरीका होगा। मेरा तो विचार है कि हम एक के बाद एक खंड पर विचार करें।

श्री राम निवास मिर्धा: माननीय सदस्य जिन खंडों पर फिर से चर्चा चाहते हैं उनके बारे में जो संशोधन पेश किये गये हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैंने केवल यह स्वीकार किया था कि माननीय सदस्य यदि किसी खंड पर फिर से चर्चा करना चाहते हैं तो वह की जा सकती है परन्तु मैं संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : तब तो कोई रास्ता नहीं।

श्री एस० एम० बनर्जी : तब तो चर्चा व्यर्थ होगी। यदि संशोधन स्वीकार नहीं किये जाने हों विखडंन प्रस्तावों का कोई लाभ नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जोरदर आप खंड 106 पर चर्चा खोल सकते हैं।

श्री दीनेश जोरदर : मैं समझता हूं कि उस से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री दिनेश जोरदर (माल्दा) : मैंने खंड 106 के लिये अपने दो संशोधन संख्या 324 तथा 325 पेश कियेहैं। मैं चाहता हूं कि पृष्ठ संख्या 33 पर पंक्ति 14 व 15 से—"भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 411 के अन्तर्गत दण्डनीय" शब्द हटा दिये जायें जिसमें शांति को भंग करने या उसे खतरा पैदा करने के लिये दण्डित करने की व्यवस्था है। आज मूल्यों में वृद्धि तथा खाद्यान्नों की कमी के कारण लोगों में सर्वत्र रोष व्याप्त है तथा लोग सरकार के प्रशासन से असंतुष्ट हैं। इसलिये लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिये कार्मिक संघों अथवा राजनैतिक दलों के माध्यम से अपनी आवाज बुलन्द करते रहते हैं। इसलिये शायद सरकारशांति भंग करने के आरोप लगा कर इन अभियानों को सख्ती से दबाना चाहती है। खंड 106 में कहा गया है कि प्रत्येक राजनैतिक कार्यकर्त्ता को शांति बनाये रखने के लिये एक जमानती बांड भरना पड़ेगा और परिणामस्वरूप वह किसी पुलिस अधिकारी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट या सत्तारूढ़ दल से साटगाठ किये हुए किसी प्रशासन के पंजे में दबा रहेगा। इसलिये यह खंड बडा हीखतरनाक है। यह खंड राजनैतिक, कार्मिक संघीय तथा किसान आन्दोलनों को रोकने के लिये रखा गया है। इसलिये इसे समाप्त किया जाना चाहिए। हमें अपने लोकतांत्रिक अधिकार मिलने चाहियें और कार्मिक संघीय तथा किसान आन्दोलनों को रोका नहीं जाना चाहिए। अतः मंत्री महोदय मेरे ये संशोधन स्वीकार करलें।

Shri Madhu Limaye (Banka): I have put three amendments on clause 107 which seeks tha the words "with or without Sureties" be omitted. The same words should be deleted from clause 106 also. In my second amendment seeks that the period of three years' surety be reduced to only one year.

In my third amendment I have suggested that the words "committing mischief" may be omitted. Because it can well be misinterpretted and misused.

If my above amendments are accepted the Bill will become more liberal.

Shri R.V. Bade (Khargone) : Clause 106 is very mischievious and any Magistrate can ask for a surety of 3years on account of breach of peace which can be calculated even at the incidence of a simple mutual abusing. It should therefore be either reduced to one year as suggested by Shri Madhu Limaye or be done away with at all.

Shri Bhogendra Jha (Jayanagar): The clause does not appear to have been aimed at securing peace but to disturb it. The period of surety should also be reduced to only one year.

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय शायद कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। पिछली बार कई संशोधन गैर-सरकारी सदस्यों तथा स्वंय सरकार की ओर से भी पेश किये गये थे तथा स्वीकार किये गये थे। मंत्री महोदय अभी मद स्पष्ट करें कि क्या वह कोई संशोधन स्वीकार करेंगें।

श्री राम निवास मिर्धा : मैंने यह कहा था कि इन खंडों पर जो संशोधन पेश किये गये हैं वे अब परिचालित हो गये हैं। मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। आपने कहा है कि सरकारी तथा गैर-सरकारी संशोधन पेश हुए हैं अतः मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप संशोधनों को इस प्रकार सभा में मतदान के लिये रखें कि खंड अपने मूल रूप में ही सामने आये। खंड 106 में शांति बनाये रखने के लिये जमानत की व्यवस्था है। यह खंड किसी व्यक्ति को शांति भंग करने से रोकने के लिये नहीं बल्कि यह तब प्रभावी होता है जबकि न्यायालय का प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट (कार्यकारी मजिस्ट्रेट नहीं) किसी को दोषी ठहरता है। अतः माननीय मदस्यों का भय निरोधार है। इस खंड को जो विशेष परिस्थितियों में तथा कारण बताकर प्रभावी किया जायेगा। इसके दुरूपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दिनेश जोरदर : इस खंड के अधीन तो राजनैतिज्ञों, कार्मिक संघ के कार्यकर्त्ताओं तथा किसान आन्दोलनकारियों को भी दण्डित किया जाये। बिना संशोधन यह खंड पारित नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 147, 294, 295, 296, 324 तथा 325 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments Nos. 147, 294, 295, 296, 324 and 325 were put and negatived.

श्री के० नारायण राव: खडों पर विचार करते समय पिछली बार कुछ संशोधन स्वीकार हुए थे। क्या मैं यह समझूं कि खंड 106 मूल रूप में, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में बिना किसी संशोधन के पारित हो रहा है:

उपाध्यक्ष महोदय : इस खंड पर कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया गया है। अब प्रश्न यह है : "कि खंड 106 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 106 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 106 was added to the Bill.

खण्ड 107

श्री दिनेश जोरदर (माल्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक के खंड 107 तथा उस पर पेश किये गये संशोधनों के बारे में सभा द्वारा 30 अगस्त, 1973 को किये गये निर्णयों को रद्द किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:–

"कि विधेयकके खण्ड 107 तथा उस पर पेश किये गये संशोधनों के बारे में सभा द्वारा 30 अगस्त, 1973 को किये गये निर्णयों को रद्द किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपना संशोधन संख्या 326 प्रस्तुत करता हूं।

खंड 107 में कहा गया है कि कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट सूचना मिलते ही किसी व्यक्ति को शांति बनाये रखने के लिये एक वर्ष तक की जमानत देने को कह सकता है। एक वर्ष क्यों ? संभव है कोई झगड़ा या विवाद दो चार दिन से अधिक की अवधि तक न रहे और वातावरण शांतिमय हो जाये । फिर अधिक अवधि के लिये गांरटी ले कर ही आप लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इससे मानसिक तनाव बढ़ेगा। एक वर्ष तक उस व्यक्ति की स्वच्छदता पर प्रतिबंध रहेगा । किस लिये ? बिना ही कोई अपराध किये? केवल यह सूचना मिलने पर कि अमूक व्यक्ति से शांति का खतरा हो सकता है इसी लिये उसे बिना कुछ अपराध किये ही एक वर्ष की जमानत देनी पड़ेगी' इससे तो वह एक वर्ष तक लोकतांत्रिक गतिविधियों में भाग लेने से भी वंचित हो जायगा । उसके मन पर अनावश्यक खिचाव बना रहेगा । मैंने तो सुझाव दिया था कि यह खंड ही न रखा जाये परन्तु यदि नहीं मानते हैं तो कम-से-कम इतना तो कीजिये इस अवधि को हटा कर तीन मास कर दीजिये । इस अवधि में सारी स्थिति बदल सकती है। संशय के कारण दूर हो सकते हैं।

मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय यह संशोधन स्वीकार कर लें।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : यह एक ऐसा खंड है जिस का उपयोग ब्रिटिस साम्राज्य के समय श्रमिकों, किसानों, कृषि श्रमिकों तथा यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध उपयोग में लाया जाता था। आज भी मेरे चुनाव क्षेत्र के 7000 लोगों, किसानों के विरुद्ध इस खंड के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। उनका अपराध केवल इतना है कि वे संसद द्वारा पारित कृषि सुधार कानूनोंकी क्रियान्विति चाहते हैं। गत तीन-चार वर्षोंसे देश भर में इस कारन धारा का उपयोग कर्मचारी वर्ग के विरूद्ध किया जा रहा है। प्रवर समिति में यहां तक कि महाधिवक्ता ने भी इस खंड को हटाने का सुझाव दिया था क्यों कि इसके फलस्वरूप कानून और व्यवस्था का कोई खतरा नहीं पहूंचता वरना इस खंड के अन्तर्गत

तो किसी भी शरीफ़ आदमी को फंसाया जा सकेगा। महाजनों, भूस्वामियों तथा कालाबाजार करने वालों के विरुद्ध तो इस का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है। परन्तु इस खंड को हटवाने का हमारा यह प्रयास असफल रहा। इस से पूंजीपतियों तथा इस सरकार की शोषण की नीति स्पष्ट लक्षित होती है फिर भी मैं तो अब इस में इतना ही संशोधन करने का अनुरोध कर रहा हूं कि ऐक वर्ष की अवधि को घटा कर केवल तीन मास कर दिया जाये।

Shri R.V. Bale (Khargone) : Clause 107 is more dangers than clause 105 since even only an Executive Magistrate can ask for a year's security. It is not desirable to give Judicial powers to a Tehsildar or an Executive Magistrate. You may give a show cause notice to the man whom you suspect for likely breach of peace. Otherwise you may ask for security from those who go for a Gherao only or you will look this up. Therefore I support the amendment proposed by Shri Jorder.

श्री समर मुकर्जी (हावड़ा): ब्रिटिश काल में मैं भी खंड 107 का शिकार हो चुका हूं। मुझे एक बर्ष का कारवास दिया गया था। सरकार इस खंड का उपयोग हम सब राजनैतिज्ञों के विरूद्ध करेगी।

श्री राम निवास मिर्धा: इस खंड पर महा सभा में क्या संयुक्त समिति में भी पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। और निष्कर्ष यह निकला कि यह खंड जोकि विभिन्न चरणों में संशोधित किया जा चुका है बना रहना चाहिये। अत :इसे हटाना या इसमें संशोधन करना कठिन है। इसके अन्तर्गतअनेक सुरक्षात्मक प्रावधान भी हुएहैं और इस समय तो यह खंड बड़ी ही सुधरे दंड रूप में है। माननीय सदस्यों के मन में कोई भय नहीं रखना चाहिये। इस पर संशोधन स्वीकार नहीं किये जा सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी गौतम का पहले पेश किया गया संशोधन संख्या 127 सभा मैं मतदान के लिये रखता हं। प्रश्न यह है कि।

"पृष्ठ 33, पंक्ति 32 में :—

'with or without Sureties' [(प्रतिभूतियों सहित अथवा प्रतिभूतियों रहित)' शब्द हटा दिये। जाये (संख्या 127)]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 118, 136, 148, 149, 150, 194, तथा 326 सभा में पतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

Amendments Nos. 118, 136, 148, 149, 150, 194 and 326 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 107 संशोधिन रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 107, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 107, as amended was added to the Bill.

खण्ड 108

श्री मधु लिमये : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक के खंड 108 तथा उस पर पेश किये गये संशोधनों के बारे में सभा द्वारा 30 अगस्त 1973 को किये गये निर्णयों को रद्द किया जाये" ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि विधेयक के खण्ड 108 तथा उस पर किये गये संशोधनों के बारे में सभा द्वारा 30 अगस्त, 1972 को किये गये निर्णयों को रदद किया जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब दो संशोधन इस खण्ड पर हैं संख्या है 298 और 327 क्या माननीय सदस्य उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री मधु लिमये: मैं अपना संशोधन संख्या 298 प्रस्तुत करता हूं।

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपना संशोधन संख्या 327 प्रस्तुत करता हूं।

पिछली बार खण्ड 108 पर चर्चा के समय हमने देखा कि आप संसद में सरकार के विरुद्ध न्याय संगत आलोचना को रोकना चाहते हैं । बाहर भी यही स्थिति देखने में आ रही है ।

मैंने सुझाव दिया था कि खण्ड 108 के निषेधात्मक भाग निकाल दिये जाये । मैं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 12 (क) के विरुद्ध हूं जिस में यह प्रावधान है कि कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने कार्य क्षेत्र में या उससे बाहर भी किसी को इस खण्ड के अन्तर्गत दण्डित कर सकता है । खण्ड 108 के अन्तर्गत सरकार राज्य और सरकार के विरुद्ध भी आलोचना का प्रतिषेध करेगी। इसका अर्थ यह है कि हमें सरकार की नीति की आलोचना इस सभा में और सभा से बाहर नहीं करने दी जाएगी। क्या यह लोकतंत्रीय तरीका है ?

मुझे खण्ड की शब्दावली पर घोर आपत्ति है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह खण्ड की वर्तमान शब्दावली को हटाए और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124 क को इस खण्ड से हटाया जाना चाहिए। सरकार का कहना है कि वह समाजवादी देशों का अनुकरण कर रही है तो फिर उसे उचित आलोचना भी सहने के लिए तैयार रहना चाहिये ।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : It is the fundamental right of a citizen to criticise and to change the Government. There is difference between the State and the Government. We will continue to oppose the Government. It does not mean that we are anti-national. We will therefore request the Government to delete clause 108 all togethers.

Shri R.V. Bade (Khargone) : The wordings of clause 108 imply that the magistrate has a right to take action on mere apprehension. We have a constitutional right to criticise and to change the Government. These I oppose clause 108 and support Shri Jorder's amendment.

श्री के० नारायण राव : समूची आलोचना दो झूठे पूर्वानुमानों पर आधारित है पहला यह है कि कांग्रेस सदैव केन्द्र और राज्य में समूचे देश में सत्तारूढ़ हो रही है । यह सही नहीं है। यह संविधि एक स्थायी संविधि है चाहे जो भी सत्तारूढ़ हो। अतः यह आलोचना अतर्क संगत है। दूसरा पूर्वानुमान यह है कि यह शक्ति न्यायिक मजिस्ट्रेट को दी गई है । यह पूर्वानुमान सही नहीं है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट सदैव सरकार का पक्ष लेगा। अतः समूची आलोचना गलत है ।

Shri Bhagendra Jha: Sir, the section 124A is against the spirit of the constitution. We have a right not only to change the Government but the present set up also that is why the Lok Sabha was dissolved. We are convinced that poverty cannot be eliminated unless the present set up is not completely overhauled, therefore section 124A is undemocratic and unconstitutional.

The hon. Minister is aware that the select committee is considering the amendment to the Indian Panel Code. Until the Committee gives its recommendation, we may defer the decision in regard to this provision.

श्री पी० जी० मावलंकर: मेरा सुझाव है कि समूचे खण्ड 108 को हटा दिया जाना चाहिए। जैसा कि माननीय सदस्य श्री लिमये ने कहा कि लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के जमाने से लेकर महात्मा गांधी के समय तक हमारे नेता यही कहते रहे कि चाहे हम सरकार का विरोध कर रहे हैं पर हम जनता के प्रति निष्ठावान है क्योंकि सरकार की आज्ञापालन का अर्थ जनता की इच्छाओं का पालन नहीं हो सकता यदि सरकार का विरोध करना राज्य के विरोध के समान समझा जाएगा तो यह लोकतंत्र संस्था के समूचे विचार के पूर्णतया विपरीत होगा।

हमारे संविधान ने मूल अधिकारों के अध्याय के अन्तर्गत भाषण की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संघ बनाने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता इत्यादि अनेक मूल अधिकार प्रदान किए हैं। यदि कहे कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं इसलिए हमें दण्ड दिया जाएगा, तो वो सभी अधिकार व्यर्थ होंगे ।

अतः मेरा अनुरोध है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाए।

श्री राम निवास मिर्धा: इसमें संदेह नहीं कि विरोधी दलों को संवैधानिक और कानूनी उपायों द्वारा सरकार बदलने का अधिकार प्राप्त है किन्तु धारा 124 क के क्षेत्र के बारे में बड़ी गलत धारणा है । स्थिति वह नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य बता रहे है ।

उच्चतम न्यायालयने 124 क की सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिमाणित किया है और इसे ऐसे मामलों तक सीमित कर दिया है जिनमें लिखे या बोले गए शब्द सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की हानिकर प्रवृत्ति रखते हो ।

इस खण्ड का उद्देश्य विरोधी दलों की राजनीतिक गतिविधी को दबाना नहीं है । किन्तु प्रत्येक चीज को संवैधानिक और कानूनी ढंग से करना होगा। इस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय ने विस्तृत रूप से विचार किया है। केवल आलोचना मात्र के लिए दण्ड नहीं दिया जाएगा।

श्री दिनेश जोरदर : उच्चतम न्यायालय ने जो आज व्याख्या की है हो सकता है कल वह वैध न रहे जब नए न्यायाधीश पुराने न्यायाधीशों के स्थान पर आ जाएगें। अतः 124 क खण्ड समावेश करने का क्या औचित्य है ।

श्री राम निवास मिर्धा : यदि उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय बदलता है तो संसद भी अपनी राय बदल सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्याख्या उच्चतम न्यायालय की है और उन्हें इसमें परिवर्तन करने का कोई कारण नहीं दिखता। यदि कोई और व्याख्या की जाएगी तो इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। कोई अन्य सदस्य संशोधन प्रस्तुत करना चाहता है ।

श्री मधु लिमये : नहीं

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 137, 151, 152, 153, 154, 298 और 327 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 137, 151, 152, 153, 154, 298 and 327 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:--

कि खण्ड 108 विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

खण्ड 108 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 108 was added to the Bill.

खण्ड 109

श्री मधु लिमये : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि राज्य सभा द्वारा पारित रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक 1972 के खण्ड 109 उस पर पेश किए गए संशोधनों के बारे में 30 अगस्त 1973 को किए गए सभा के विनिश्चय विखंडित कर दिए जाएं" (209)

उपाध्यक्ष महोदय : विखंडन प्रस्ताव 316 290 के समान ही है । अब मैं श्री लिमये का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं । प्रश्न यह है कि :

"राज्य सभा द्वारा पारित रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक 1972 के खण्ड 109 उस पर पेश संशोधनों के बारे में 30 अगस्त 1973 को किए गए सभा के विनिश्चय विखंडित कर दिए जाएं"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री मधु लिमये : मैं अपना संशोधन संख्या 299 प्रस्तुत करता हूं।

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपना संशोधन संख्या 329 प्रस्तुत करता हूं।

खण्ड 109 में कहा गया है कि यदि प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को यह सूचना प्राप्त होती है कि उसके क्षेत्राधिकार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसकी नजर बचा कर दण्डनीय अपराध करना चाहता है तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को उसके अच्छे आचरण के लिए बन्धक पत्र देने का आदेश दे सकता है और यह बंधक पत्र प्रतिभु सहित या उसके बिना हो सकता है ।

मैं यह चाहता हूं कि प्रतिभू शब्द का लोप कर दिया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे ध्यान में यह बात लाई गई है कि एक खण्ड में स्वीकृत किया गया संशोधन किसी अन्य खंड में अस्वीकृत हो सकता है । मंत्री महोदय को इस मामले में सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी संशोधन को अस्वीकार करते समय उन्हें यह देख लेना चाहिए कि कहीं वैसा ही संशोधन अन्य खंड में स्वीकार तो नहीं किया गया ।

अब मैं संशोधन संख्या 24 मतदान के लिए रखता हूं

पृष्ठ 34 सीमान्त शीर्षक में :—

'Vegerants and' ('आवारगर्दों तथा') शब्दों का लोप कर दिया जाए

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 299 तथा 329 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 299 and 329 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं :—

'कि खंड 109 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

खण्ड 109 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 109, as amended was added to the Bill.

खण्ड 110

श्री मधु लिमये : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि राज्य सभा द्वारा पारित रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक 1972 के खण्ड 110 उस पर पेश किए गए संशोधनों के बारे में 30 अगस्त 1973 को किए गए सभा के विनिश्चय विखंडित कर दिए जाएं" (291)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि 'राज्य सभा द्वारा पारित रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक 1972 के खण्ड 110 उस पर पेश किए गए संशोधनों के बारे में 30 अगस्त 1973 को किए गए सभा के विनिश्चय विखंडित कर दिए जाएं'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

श्री मधु लिमये : मैं अपने संशोधन संख्या 300 और 301 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपना संशोधन संख्या 330 प्रस्तुत करता हूं ।

खण्ड 110 में कहा गया है कि जब एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को यह सूचना मिलती है कि उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में एक ऐसा व्यक्ति आ गया है जो कि आदतन अपराध करता है या अपराध करने का प्रयत्न करता है तो वह उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है ।

श्री सेझियान पीठासीन हुए ।

Shri Sezheyan in the Chair.

पिछले सत्र में हमने सुझाव दिया था कि कुछ प्रकार के अपराधों को इस खण्ड से निकाल दिया जाना चाहिये तथा इसमें नए प्रकार के अपराधों को सम्मिलित किया जाना चाहिए । हम इसमें नए प्रकार के आर्थिक अपराधों को भी सम्मिलित करना चाहते हैं ।

जैसा कि मैंने खण्ड 106 और 107 के संबन्ध में कहा कि ऐसे व्यक्तियों को जो स्वभाव से ही डाकू हैं अथवा चुराई गई सम्पत्ति प्राप्त करते है उन्हें इस खंड के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता। राजनैतिक कार्यकर्ता, श्रमिक संघों के कार्यकर्ता तथा प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले लोग इस खंड के शिकार होंगें जिन्होंने लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार देने की प्रतिज्ञा की हुई है । मंत्री महोदय को स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख करना चाहिए कि जो भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 8 में उल्लिखित अपराधों के क्षेत्राधिकार में नहीं आते उन्हें इस खण्ड के उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं रखा जाना चाहिए।

Shri Madhu Limaye : Efforts have been made to bring the violations of law committed by the anti-social elements under the provision of this section, but I would like to know whether the Government is aware of the misappropriation of crores of rupees of provident fund of a Mill Committed by Shri Jharbooke.

I am talking of a big smuggler in Bombay named Mastan who always violates Foreign Exchange Regulation and custom Regulations but no action has ever been taken against him by the Judicial Magistrates. In contrary he has been given licences for 6 Cinema theatres. (*Interruptions*). He was a congress M.L.A. and what I have said is a fact.

So far as the untouchabilities offence is concerned living persons are burnt and no person is arrested. What is the Guarantee that this measure would be taken against only those persons who involve themselves in anti social-activities and that no innocent person would be victimised ?

Shri R.V. Bade : Sir, the provisions under section 110 are misused by the police. Police officers arrest innocent persons and not the actual miscreants. So far as the apprehension of breach of peace is concerned sections 106 and 107 are there and there is no need of inserting any other sub-clause.

श्री के० नारायण राव (बोनिर्लो) : मुझे इस बात पर आपत्ति है कि उप-खण्ड (ए) और (बी) में "बाई हैबिट" पद रखा गया है जबकि उपखण्ड (सी) में "हैबीच्युअली प्रोटेक्ट्स" रखा गया है। इन दोनों पदों में भारी अन्तर है। यह सिद्ध करने के लिये कि किसी व्यक्तिकी अपराध करने की आदत हो गयी है। मजिस्ट्रेट को उसकी कुछ पिछली सजाओं का हवाला देना होगा। इससे अतिरिक्त एक कठिनाई यह भी होगी कितने अपराधों के पश्चात् किसी व्यक्ति को अपराध करने का आदी घोषित किया जाए। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। फिर इस पद के उपयोग की क्या आवश्यकता है ? यदि पुलिस का कार्य संतोषजनक नहीं है तो इसके लिये बेगुनाह व्यक्तियों को तंग किया जाना उचित नहीं है।

जहां तक उप-खण्ड (जी) का प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति बहुत खतरनाक है तो इस बात को किस प्रकार सिद्ध किया जाएगा । कोई व्यक्ति जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इस बात की सूचना देगा किन्तु उसकी सूचना का आधार क्या होगा। यदि वास्तव में समाज में कोई ऐसे तत्व हैं तो उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिये। वास्तव में इस व्यवस्था से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा।

श्री राम निवास मिर्धा : हमने इस खण्ड के अन्तर्गत कुछ आर्थिक अपराधों तथा सफेदपोश अपराधियों को सम्मिलित करके इस खण्ड में कुछ सुधार किया है। यदि राज्य सरकारें चाहें तो वे इस खण्ड में कुछ संशोधन कर सकती हैं अथवा केन्द्र सरकार बाद में इस बारे में विचार कर सकती है।

इस खण्ड में एक अन्य उप-खण्ड भी जोड़ा गया है जिसके अन्तर्गत जमाखोरी, अथवा मुनाफा-खोरी अथवा खाद्यान्न या औषधियों में मिलावट या भ्रष्टाचार करने वालों के विरूद्ध भी कार्यवाहीं की जा सकती है । अत यह एक व्यापक व्यवस्था है । आशा है राज्य सरकारें भी इस कानून को उतनी ही दृढ़ता से लागू करेंगी जितनी केन्द्र सरकार

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 155, 156, 167, 300, 301 और 330 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments Nos. 155, 156, 167, 300, 301 and 330 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 110 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 110 बिधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clauses 110 was added to the Bill.

खण्ड 116

श्री योगेन्द्र झा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक 1972, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, के खण्ड 116 तथा उस पर पेश किये गये संशोधनों के बारे में सभा द्वारा 30 अगस्त, 1973 को किये गये निर्णयों को रद्द किया जाये"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक 1972, राज्य सभा द्वारा पास किये गए रूप में, के खण्ड 116 तथा उस पर पेश किये गये संशोधनों के बारे में सभा द्वारा 30 अगस्त, 1973 को किये गये निर्णयों को रद्द किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

श्री योगेन्द्र झा : महोदय मैं अपने संशोधन संख्या 340, 341, 342 और 343 प्रस्तुत करता हूं।

खण्ड 116 के बारे में कुछ व्याख्या करना आवश्यक है अन्यथा इसमें वकीलों और न्यायाधीशों को कठिनाई होगी। मेरा अनुरोध है कि खण्ड 116 की धारा 111 में उल्लिखित "जमानतियों सहित अथवा जमानतियों के बिना" शब्दों को हटा देना चाहिये।

उपखण्ड (6) में यह उपबन्ध है कि इस धारा के अन्तर्गत जांच कार्य 6 महीने की अवधि में पूरा हो जाएगा। अन्यथा इससे सम्बन्धित कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। यह प्रवर समिति की सिफारिश थी तथा न्यायसंगत थी। किन्तु इसके साथ एक अन्य उपबन्ध जोड़ा गया है कि जब तक मजिस्ट्रेट लिखित-रूप में विशेष कारण दिये जाने के लिये, अन्यथा निदेश नही देता है। मेरा अनुरोध है कि इस परन्तुक को निकाल देना चाहिये। यदि इस उपबन्ध को निकाल दिया जाए तो वे 6 महीने की अवधि में कार्य-वाही पूरी करने के लिये बाध्य होंगे । इस व्यवस्था के रहने पर लगभग प्रत्येक मामले में विशेष कारण पाये जा सकते हैं तथा यह अपवाद एक नियमित प्रक्रिया बन जाएगा । अतः इस उप खण्ड के प्रवर-समिति द्वारा स्वीकार किये गये भाग को अपनाया जाए।

मेरा अन्य सशोधन यह है कि पृष्ठ 36, पंक्ति 43 में 6 महीने के स्थान पर दो महीने किया जाए। इसका कारण यह है कि इस उपबन्ध के अन्तर्गत किसी भी बेगुनाह व्यक्ति को शक में 6 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। यदि वास्तव में कोई व्यक्ति शांति भंग करता है तो उसको एक या दो महीने के लिये जेल भेजता है किन्तु शांति भंग किये जाने की आशंका में एक व्यक्ति को 6 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। यह न्यायोचित नही है। अतः इस अवधि को घटा कर केवल दो महीने कर दिया जाए।

श्री दिनेश जोरदर : मैं श्री भोगेन्द्र झा के संशोधन का समर्थन करता हूं । मैंने अपने संशोधन संख्या 197 में इस अवधि को घटाकर तीन महीना करने का अनुरोध किया है। किसी व्यक्ति पर केवल यह शक होने के कारण कि वह शांति भंग करेगा उससे अच्छे चालचलन का बैंड भरने तथा इसमें असफल होने पर उसे जेल भेजे जाने की कार्यवाही नितांत अनुचित है। जिस व्यक्ति ने कोई अपराध किया ही नहीं उसको 6 महीने तक जेल में रखे जाने की व्यवस्था से उस व्यक्ति के सभी संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है।

वास्तव में ऐसी आशंकाएं उत्पन्न करने वाले लोग कौन हैं? यह पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट या पूंजीपति और उद्योगपति ही हैं जो श्रमिकों या मजदूर संघों के कार्यकर्त्ताओं पर बदले की भावना से अन्याय करते हैं।

इस व्यवस्था के द्वारा पुलिस अधिकारियों को अतिरिक्त अधिकार दिया जा रहा है । पुलिस अधिकारी किसी भी बेगुनाह व्यक्ति के विरूद्ध शिकायत कर सकते हैं तथा उसको बिना अपराध किये ही जेल में रहना पड़ सकता है।

श्री आर० वी० बड़े : महोदय ! केवल इतनी ही बात नहीं है । मेरे गांव में कचहरी लगभग 40 मील दूर है। तथा जमानत देने के लिए ग्रामवासियों को उतनी दूर जाना पड़ेगा। यदि वह जमानत देने में असफल रहता है तो उसे जेल जाना पड़ेगा। अतः मेरा अनुरोध है कि इस संशोधन को अवश्य स्वी-कार किया जाना चाहिये।

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्यों की यह आशंका निराधार है कि इस अपवाद को सामान्य प्रक्रिया बना लिया जाएगा। मजिस्ट्रेट का लिखितरूत में विशेष कारण बताने होंगे जिससे वह सावधान रहे तथा उन कारणों की उच्च न्यायलयों में जांच पड़ताल की जाएगी।

श्री भोगेन्द्र झा : खण्ड 116 (3) का उपखण्ड (ख) अस्थाई उपाय है। उसको निकाल दिया जाए क्योंकि यह भ्रामक है। खण्ड 107 में यह संशोधन किया गया है अतः इसमें भी यह संशोधन किया जाए।

श्री बी० आर० शुक्ल : खण्ड 106 जमानत सम्बन्धी प्रक्रिया के बारे में है। सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय है कि चूंकि यह व्यवस्था की गई है कि व्यक्तिगत जमानत पर किसी व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है तथा 116 में जमानत बोंड का उल्लेख है अतः इन दोनों में कुछ विषमता है। किन्तु मेरे विचार से इन दोनों में कोई विषमता नहीं है। खण्ड 107 के अन्तर्गत व्यक्तिगत बोंड के बारे में विकल्प . . .

श्री **भोगेन्द्र झा** : इस सम्बन्ध में सभा में संशोधन स्वीकार किया जा चुका है अब उसके लिये कोई विकल्प नहीं है।

श्री बी० आर० शुक्ल : तब भी खण्ड 107 के अन्तर्गत कार्यवाही पर जमानत बोंड लागू नहीं होगा क्योंकि यह खण्ड 109 और 110 के तहत लागू होगा। क्योंकि 109 और 110 के अन्तर्गत व्यक्तिगत बोंड अथवा जमानत बोंड भरने की व्यवस्था विद्यमान है।

श्री के० नारायण राव : कुछ माननीय सदस्यों का आशय यह है कि चूंकि खण्ड 107 में जमानतियों के बिना बोंड भरने की व्यवस्था है जिसका उल्लेख खण्ड 111 में किया गया है अतः खण्ड 116 में भी आवश्यक संशोधन किया जाए। यदि किसी धारा के अन्तर्गत केवल व्यक्तिगत बोंड भरने की ही आवश्यकता है तो उसके लिये "जमानतियों सहित अथवा जमानतियों के बिना" पद विद्यमान है। अतः इसमें कोई विषमता नहीं है।

श्री दिनेश जोरदर : मंत्री महोदय ने खण्ड 107 में जो राहत दी है उसे खण्ड 116 में छीन लिया गया है।

सभापति महोदय : अब मैं श्री शम्भूनाथ द्वारा पहले प्रस्तुत संशोधन को मतदान के लिये रखता हूं! प्रश्न यह है कि:

पृष्ठ 36, पंक्ति 11 में,

"pending" (निलंबित) शब्द के स्थान पर "After the commencement and before"

(आरम्भ होने के पश्चात् और पूर्व) शब्द रखे जाएं।

(संख्या 119)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

सभापति महोदय द्वारा सदस्यों द्वारा पहले प्रस्तुत संशोधन संख्या 169, 170, 196, और 197 तथा अभी प्रस्तुत 340, 341, 342 और 343 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments Nos. 169, 170,196, 197, 340, 341, 342 and 343 were put and negatived.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 116, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 116, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 116, as amended was added to the Bill.

खन्ड--- 125

श्री मधु लिमये : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1972, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, के खण्ड 125 तथा उस पर पेश किये गये संशोधनों के बारे में सभा द्वारा 30 अगस्त, 1973 को किये गये निर्णयों को रद्द किया जाये"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक 1972, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, के खण्ड 125 तथा उस पर पेश किये गये संशोधनों के बारे में सभा द्वारा 30 अगस्त, 1973 को किये गये निर्णयों को रद्द किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

सभापति महोदय : संशोधन संख्या 25 और 26 पहले प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

श्री मधुलिमये : मैं संशोधन संख्या 302 प्रस्तुत नहीं करना चाहता।

श्री दिनेश जोरदर (मालदा) : मैं संशोधन संख्या 331 प्रस्तुत नहीं करना चाहता। मैं [संशोधन संख्या 344 पेश करता हूं।

**[श्री एस० ए० काडर पीठासीन हुए

Shri S.A. Kader in the Chair.]**

खण्ड 125 में यह व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति विशेष को, पर्याप्त साधन होने पर, अपनी पत्नी, अपने वृद्ध माता-पिता, जो अपना गुजारा करने में असमर्थ हैं, तथा विवाहित पुत्री को छोड़कर अपने अव्यवस्क और बेरोजगार व्यस्क बच्चों के लिए निर्वाह खर्च देना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता, तो उसे दण्ड दिया जायेगा। इससे व्यक्ति विशेष पर बहुत अधिक आर्थिक बोझ पड़ता है। यह प्रश्न भी विचारणीय है कि यह किस आधार पर आंका जायेगा कि किसी व्यक्ति विशेष के साधन पर्याप्त हैं अथवा नहीं। दूसरे इस उपवन्ध में सरकार ने व्यक्ति विशेष के लिएयह अनिवार्य कर दिया कि उसे अपने वृद्ध माता-पिता और अव्यस्क और बेरोजगार व्यस्क बच्चों का निर्वाह करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता तो मजिस्ट्रेट ऐसा सिद्ध होने पर प्रभावित व्यक्ति का मासिक निर्वाह खर्च निर्धारित करेगा, जिसका भुगतान व्यक्ति विशेष को करना होगा। इस उपबन्ध से सरकार ने व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी तो उसे याद दिलाई है, परन्तु सरकार अपनी जिम्मेदारी भूल गई है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 41

में इस प्रकार है : राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि लोगों को काम मिले और वृद्धावस्था, बेरोजगारी आदि के मामले में लोगों को राज्य की ओर से सहायता मिले । मेरे विचार से 55 वर्ष की आयु के बाद लोगों के निर्वाह की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। चूंकि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है, इसलिए मैंने इस आशय का संशोधन दिया है जिससे सरकार अपनी जिम्मेदारी व्यक्ति विशेष पर न डाल सके । अतः मैं अनुरोध करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये।

Shri Brahmanandji Swami (Hamirpur) : Sir, I would like to emphasize one point as to why offences take place. In my opinion the poverty is the root cause for committal of offences. One who steals a handful of grain or any other thing is locked up in the police custody while the other who commit a theft involving crores of rupees is not even touched. The rich people or the capitalists are out of the grip of laws. So there is no use of enacting such laws which are not implemented strongly. Law should be equal for all. Such laws should be passed which put an end to capitalism and poverty.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमान, मैंने तैमूर जहां बेगम शहजादी तथा अन्य महिलाओं की ओर से खण्ड 125 के सम्बन्ध में एक याचिका प्रस्तुत की थी। इस खण्ड में जो उपबन्ध है, वह महिलाओं, विशेषकर मुस्लिम महिलाओं के हित में है। इससे इन पर अत्याचार नहीं होगा। अतः मैं इस उपबन्ध का पूर्णतः समर्थन करता हूं। प्रधान मंत्री को महिला होने के नाते भी महिलाओं के कल्याण पर ध्यान देना चाहिए।

श्री के० नारायण राव (बोब्बिली) : खण्ड 125 (1) (ख) में यह व्यवस्था है कि वह औरत जिसे तलाक दे दिया गया है अथवा जिसने तलाक ले लिया है, और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है, वह निर्वाह खर्च की हकदार होगी । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि ऐसे मामलों में इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि तलाक की परिस्थितियां क्या हैं ? उदाहरण के लिए यदि पति ने पत्नी को इस कारण से तलाक दिया है कि वह लाइलाज रोगी है, तो उसे निश्चित रूप से निर्वाह खर्च मिलना चाहिए। किन्तु यदि तलाक का कारण पर-पुरुष संसर्ग है और तलाक के पश्चात् भी औरत का सम्बन्ध पर-पुरुष से जुड़ा रहता है, तो यह स्थिति पहली से भिन्न है। अतः इन दोनों स्थितियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री राम निवास मिर्धा : यह विशिष्ट उपबन्ध विशिष्ट मामलों में ही लागू होगा। श्री जोरदर का संशोधन बहुत व्यापक और उसका सम्बन्ध अपराध प्रक्रिया संहिता से नहीं है। अतः मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 344 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 344 was put and negatived.

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 25 और 26 मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

पृष्ठ 40, पंक्ति 28, 'child' (बच्चे) के पश्चात् 'if married' (यदि विवाहित) रखा जाये। (संख्या 25)

पृष्ठ 40, पंक्ति 29,'sub-section' (उप धारा) के स्थान पर 'chapter' (अध्याय) रखा जाये। (संख्या 26)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 125, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

खंड 125, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 125, as amended, was added to the Bill.

खंड 127

श्री राम निवास मिर्धा: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1972 राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, के खण्ड 127 के बारे में सभा द्वारा 30 अगस्त, 1973 को किये गये निर्णय को रद्द किया जाये ।" (308)

सभापति महोदय: : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1972 राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, के खण्ड 127 के बारे में सभा द्वारा 30 अगस्त्, 1973 को किये गये निर्णय को रद्द किया जाये।" (308)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

सभापति महोदय: अब खण्ड 127 पर चर्चा की जा सकती है।

श्री राम निवास मिर्धा: मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ 42,—
पंक्ति 19 से 23 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये

"(3) Where any order has been made under section 125 in favour of a woman who has been divorced by, or has obtained a divorce from, her husband, the Magistrate shall, if he is satisfied that:—

(a) the woman has, after the date of such divorce, re-married, cancel such order as from the date of her remarriage;

(b) the woman has been divorced by her husband and that she has received, whether before or after the date of the said order, the whole of the sum which, under any customary or personal law applicable to the parties, was payable on such divorce, cancel such order:—

(i) in the case where such sum was paid before such order, from the date on which such order was made,

(ii) in any other case, from the date of expiry of the period, if any, for which maintenance has been actually paid by the husband to the woman;

(c) the woman has obtained a divorce from her husband and that she had voluntarily surrendered her rights to maintenance after her divorce, cancel the order from the date thereof'.

["(3) जहां धारा 125 के अन्तर्गत किसी स्त्री, जिसके पति ने उससे विवाह-विच्छेद कर लिया या जिसने अपने पति से विवाह-विच्छेद कर लिया है, के पक्ष में आदेश दिया जाता है, मजिस्ट्रेट इस प्रकार संतुष्ट होने पर कि:—

(क) स्त्री ने, विवाह-विच्छेद के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया है, ऐसे आदेश को उसके पुनर्विवाह की तारीख से रद्द कर देगा ;

(ख) स्त्री से उसके पति ने विवाह-विच्छेद लिया है और उसने उससे ऐसे विवाह-विच्छेद के समय, उनपर लागू होने वाले रीति-रिवाज संबंधी अथवा व्यक्तिगत विधि के अनुसार भुगतान-योग्य पूर्ण राशि, ऐसे आदेश की तारीख से पूर्व या पश्चात् प्राप्त कर ली है, ऐसा आदेश,—

(एक) उस मामले में जहां यह राशि ऐसे आदेश से पहले दे दी गई थी, उस तारीख से रद्द करदेगा, जिसको ऐसा आदेश दिया गया था,

(दो) अन्य मामले में, उस अवधि, यदि कोई हो, के समाप्त होने के दिन से रद्द कर देगा, जिसके लिए पति ने स्त्री को निर्वाह-खर्च वास्तव में दिया हो ;

(ग) स्त्री ने अपने पति से विवाह-विच्छेद कर लिया है और विवाह-विच्छेद के पश्चात् खर्च लेने का अधिकार स्वेच्छा से त्याग दिया है तो मजिस्ट्रेट उस तारीख से ऐसा आदेश रद्द कर देगा। (संख्या 310)]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि:

पृष्ठ 42,—

पंक्ति 19 से 23 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये--

"(3) Where any order has been made under section 125 in favour of a woman who has been divorced by, or has obtained a divorce from, her husband, the Magistrate shall, if he is satisfied that:—

(a) the woman has, after the date of such divorce, re-married, cancel such order as from the date of her remarriage ;

(b) the woman has been divorced by her husband and that she has received, whether before or after the date of the said order, the whole of the sum which, under any customary or personal law applicable to the parties, was payable on such divorce, cancel such order,—

(i) in the case where such sum was paid before such order, from the date on such order was made,

(ii) in any other case, from the date of expiry of the period, if any, for which maintenance has been actually paid by the husband to the woman ;

(c) the woman has obtained a divorce from her husband and that she had voluntarily surrendered her rights to maintenance after her divorce, cancel the order from the date thereof."

["(3) जहां धारा 125 के अन्तर्गत किसी स्त्री, जिसके पति ने उससे विवाह-विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह-विच्छेद कर लिया है, के पक्ष में आदेश दिया जाता है, मजिस्ट्रेट इस प्रकार संतुष्ट होने पर कि —

(क) स्त्री ने, विवाह-विच्छेद के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया है, ऐसे आदेश को उसके पुनर्विवाह की तारीख से रद्द कर देगा;

(ख) स्त्री से उसके पति ने विवाह-विच्छेद कर लिया है और उसने उससे ऐसे विवाह-विच्छेद के समय, उन पर लागू होने वाले रीति-रिवाज संबंधी अथवा व्यक्तिगत विधि के अनुसार भुगतान-योग्य पूर्ण राशि, ऐसे आदेश की तारीख से पूर्व या पश्चात् प्राप्त कर ली है, ऐसा आदेश,—

(एक) उस मामले में जहां यह राशि ऐसे आदेश से पहले दे दी गई थी, उस तारीख से रद्द कर देगा, जिसको ऐसा आदेश दिया गया था।

(दो) अन्य मामले में उस अवधि, यदि कोई हो, के समाप्त होने के दिन से रद्द कर देगा, जिसके लिए पति ने स्त्री को निर्वाह-खर्च वास्तव में दिया हो ,

(ग) स्त्री ने अपने पति से विवाह-विच्छेद कर लिया है और विवाह-विच्छेद के पश्चात् खर्च लेने का अधिकार स्वेच्छा से त्याग दिया है तो मजिस्ट्रेट उस तारीख से ऐसा आदेश रद्द कर देगा।] (संख्या 310)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 127 संशोधत रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

खंड 127 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 127, as amended, was added to the Bill.

खंड 144

श्री मधु लिमये : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1972 के खण्ड 144 और उस पर पेश किये गये संशोधन के बारे में 1 सितम्बर, 1973 को किये गये सभा के विनिश्चय विखण्डित कर दिये जायें।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक 172 के खण्ड 144 और उस पर पेश किये गये संशोधन के बारे में 1 सितम्बर, 1973 को किये गये सभा के विनिश्चय विखण्डित कर दिये जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted,

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपने संशोधन संख्या 332, 333 और 334 प्रस्तुत करता हूं।

खण्ड 144 के माध्यम से सरकार देश में सभी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने जा रही है। हमने यह देखा है कि प्रायः सरकार इस उपबन्ध का प्रयोग राजनीतिक गतिविधियों को रोकने के लिए करती है। सामूहिक कृषक आन्दोलन, श्रमिक आन्दोलन, श्रमिक संघों की गतिविधियां सभी इससे प्रभावित हुए हैं और सरकार ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया है कि ये आन्दोलन लोकतांत्रिक आन्दोलन हैं। पश्चिम बंगाल में गत कुछ समय से सरकार ने धारा 144 का प्रयोग करके वामपंथी नेताओं की सभा और बैठकें तक नहीं होने दी। दुर्गापुर, बर्दवान और बहरामपुर में इस उपबन्ध का सरकार ने दुरुपयोग किया। शासक दल इसका प्रयोग अपने हित के लिए और विरोधी दलों को दबाने के लिए करती है। इस उपबन्ध के द्वारा पुलिस और प्रशासन को खतरनाक शक्तियां दी गई है। अतः मैं इसका विरोध करता हूं।

यदि सरकार इस उपबन्ध को बनाये रखने के लिए कटिबद्ध है तो समय की अवधि 2 महीने के स्थान पर 15 दिन होनी चाहिए क्योंकि शांति भंग होने का खतरा दो महीने की लम्बी अवधि तक नहीं बना रहता। दूसरे सरकार को खण्ड 127 के अन्तर्गत जारी किये गये निषेध आदेशों को लागू रहने की अवधि को अगले 6 मास के लिए बढाने कि शक्ति नहीं होनी चाहिए। यह अवधि केवल एक महीना होनी चाहिए। मेरा तीसरा संशोधन यह है कि ये निषेध आदेश राजनीतिक बैठकें या सभाओं पर लागू नहीं होने चाहिए। लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र की सफलताओं के लिए बैठकें जुलूस, प्रदर्शन, हड़तालें और राजनीतिक आन्दोलन और श्रमिक संघों की गतिविधियां अनिवार्य होतीहैं। इस उपबन्ध के माध्यम से सरकार इन आन्दोलनों और गतिविधियों पर रोक लगाना चाहती है। यदि सरकार चाहती है कि हमारे देश में लोकतंत्र समृद्ध हो तो उसे मेरे संशोधन स्वीकार कर लेने चाहिए।

Shri Madhu Limaye : The way Sec. 144 has been abused during the last fifty years has compelled us to demand that it should either be scrapped or amended so as to safeguard the fundamental rights of citizens. It is really very strange that this section was constantly being criticised by Shri Nehru and Subhash Chandra Bose before independence but when the same party came into power it considered it essential for maintenance of law and order.

I have therefore tabled such amendments as retaining such powers and at the same time restricting them so as not to curtail the basic right of the people, to agitate against injustice and atrocities. I have, therefore, through my amendment sought to give this power only to the District Magistrates and only for 72 hours provided he may extend it for fifteen days more after holding public hearings on the necessity or otherwise of such extension.

I am opposed to the proviso to sub-clause (4) wherein such freedom is sought to be ended for six months.

I therefore request the hon. Minister to agree to our amendments without any reservations.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : जो बातें मैंने खण्ड 108 के बारे में कहीं थीं वही धारा 144 पर भी लागू होती हैं। मैं समझता हूं कि जहां यह धारा बनाए रखना सरकार के लिए दंगे आदि रोकने के लिए आवश्यक है वहां सभी प्रकार की बैठकों पर प्रतिबन्ध लगाना भी सर्वदा अनुचित है। हाल ही में 13 जुलाई को मैं अहमदाबाद में नागरिकों के साथ सत्ताधारी दल द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और अन्य कदाचारों के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए अपने कार्यालय से राजभवन जाने का कार्यक्रम बनाया। हम में से किसी के पास किसी किस्म का कोई शस्त्र नहीं था फिर भी राजभवन से काफी पहले हमें रोक दिया गया और बताया गया कि धारा 144 लागू है आप चार से अधिक की संख्या में आगे नहीं जा सकते। इस प्रकार हमें अपने न्यायोचित अधिकारों से वंचित कर दिया गया—यह इस प्रकार की एक मात्र घटना नहीं हैं। देश भर में बार बार ऐसी घटनाएं होती रहीं हैं। इस धारा के पास हो जाने पर जनता का मुंह सदा के लिए बन्द हो जाएगा और उनमें रोष बढ़ेगा इस धारा का शांतिपूर्ण आन्दोलनों और सभाओं तथा बैठकों पर उपयोग सर्वथा अनुचित है और यह धारा संविधान की धारा 19 के उप खण्डों (ख) और (घ) में उल्लिखित नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है।

अतः मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस धारा को नर्म करने सम्बन्धी संविधान अवश्य स्वीकार करें।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) । सुरक्षा की दृष्टि से धारा 144 में कोई हानि नहीं है, पुलिस और न्यायालयों ने ब्रिटिश साम्राज्य की परम्पराओं का अनुकरण किया है जो अवांछित है।

श्री मावलंकर तथा अन्य विरोधी सदस्य शांतिप्रिय हो सकते हैं और उनके जनआन्दोलन भी शान्तिपूर्ण हो सकते हैं परन्तु बाद में समाज विरोधी तत्व घुस कर दंगा करें और हिन्सात्मक कार्य करें तो तब उन्हें कोई नहीं रोक सकता—ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए धारा 144 अनिवार्यहै इस धारा का दुरुपयोग का यही तरीका है कि विरोधी दलों के लोग घेराव तथा अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों में भाग न लें।

क्योंकि दंगों में दोषी व्यक्तियों को चुन-चुन कर दण्ड़ित नहीं किया जा सकता अतः सुरक्षा के लिए धारा 144 आवश्यक है।

अत : इस धारा की आवश्यकता से इन्कार नहीं किया जा सकता—हां इसका दुरुपयोग रोकने के लिये प्रशासन की मशीनरी में सुधार होना चाहिये।

Shri A. V. Bade (Khargoan) : I am astonished to know the views of Shri Shukla. Demonsrations, agitations and Gheroas are ligitimate avenues open for the people to voice their grievances. Therefore, should not be curbed. I, therefore, want that it should not be applied for political purposes.

It appears Shri Shukla has never been to Jail because he said that people violated Sec. 144 deliberately to attain political statue by courting arrest, whereas the conditions in Jails are so pitiable that even the poorest man in the country would never like to go there.

I would request the hon. Minister to at least accept the amendments of Shri Limaye and Shri Jordar.

श्री राम निवास मिर्धा : मैंने सभी सदस्यों की बातें सुनी हैं और इस धारा के पक्ष में श्री शुक्ल ने जो कुछ कहा है उसके बाद और कुछ कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं। मेरे विचार में इससे शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जब तक हमारे देश में हिंसा में विश्वास रखने वाले दल तथा व्यक्ति हैं तब तक इसे बनाए रखना होगा। संसद भवन के आसपास इस धारा के लागू होने से राजनीतिक गतिविधियों, जलसे जुलूसों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं जैसा कि वोट-क्लबपर आए-दिन देखा जा सकता है। मैं समझता हूं सदस्यगण यह नहीं चाहेंगे कि संसद भवन में ही इस प्रकार का अशांतिपूर्ण वातावरण बने।

नई धारा से दो मास और अधिकतम छः मास की समय-सीमा प्रगतिवादी कदम है। अतः मैं इसमें कोई संशोधन स्वीकार नहीं कर सकूंगा।

Shri Madhu Limaye: I would request you to kindly exert your pressure so that he may accept amendments as his defence does not hold any water.

सभापति महोदय : दुर्भाग्यवश अध्यक्ष पीठ की कोई राय नहीं होती। अब मैं संशोधन मतदान के लिये रखता हूं।

श्री दिनेश जोरदर : मैं चाहता हूं कि संशोधन संख्या 334 पर पृथक मतदान हो।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 334 मतदान के लिए रखा गया।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में Ayes	11	विपक्ष में Noes	64

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The Motion was negatived.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 138, 198, 199, 200, 201, 236, 237, 238, 240, 332 और 333 सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment nos. 138, 198, 199, 200, 201, 236, 237, 238, 240, 332 and 333 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड संख्या 144 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 144 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 144 was added to the Bill.

Shri Madhu Limaye: Sir, I condemn it and stage a walk out in protest.

[तत्पश्चात् माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गए ।
Then the hon. Member walked out of the House.]

खण्ड 167

श्री दिनेश जोरदर : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राज्य सभा द्वारा पारित रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1972 के खण्ड 167 और उस पर पेश किए गए संशोधनों के बारे में 1 सितम्बर, 1973 को किए गये सभा के विनिश्चय विखण्डित कर दिए जाएं।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राज्य सभा द्वारापारित रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1972 के खण्ड 167 और उस पर पेश किए गए संशोधनों के बारे में 1 सितम्बर, 1973 को किए गए सभा के विनिश्चय विखण्डित कर दिए जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

सभापति महोदय : अब खण्ड 167 पर चर्चा की जा सकती ह ।

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपना संशोधन संख्या 335 पेश करता हूं।

इस खण्ड पर गत सत्र में भी चर्चा हुई थी। इसका आशय जांच-पड़ताल की समय-सीमा बांधना है। हमने देखा है कि यह जांच वर्षों तक चलती रहती है और अभियुक्तों को वर्षों तक जेलों में सड़ना पड़ता है।

गत सत्र में खण्ड 167 पर एक संशोधन श्री बी० आर० शुक्ल का स्वीकार किया गया था परन्तु क्योंकि इस पर सभा पुनः विचार करेगी, अतः मेरा संशोधन भी वही है, सिवाय अन्तिम भाग के जिसके अनुसार संदिग्ध व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना अपेक्षित है।

हम लोकतंत्रीय अधिकारों की बात करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि समाजवादी देशों में संदिग्ध व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं हैं परन्तु यदि समाजवादी देशों की दण्ड प्रक्रिया संहिता पर दृष्टिपात करें तो वहां पर भी जांच-पड़ताल की अवधि पर प्रतिबन्ध लागू है . . :

सभापति महोदय : छः बज चुके हैं, अतः सभा की बैठक कल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 12 दिसम्बर, 1973/21 अग्रहायण, 1895 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the cloek on Wednesday, December 12, 1973/Agrahayana 21, 1895 (Saka).

MGIPRRND—Sec. II (N.S.)—48 LSS/73—24-3-74.—490